राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 6

गुरुवार,

13 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में ध्वनि यंत्र बजाने पर रोक

55. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के कौन-कौनसे गांवों में किस-किस स्थान के पास से राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक जुलूस, मार्च निकालने तथा ध्वनि यंत्र बजाने पर पाबंदी है? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा ग्रामीण में कब-कब, किस-किस स्थान पर पाबंदी लगाई गई व क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो पुलिस द्वारा जुलूस निकालने व ध्वनि यंत्र के प्रयोग से क्यों रोका जाता है? क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में ऐसा कोई स्थान विशेष चिह्नित नहीं है जहां पर स्थाई रूप से राजनीतिक, धार्मिक सामाजिक जुलूस मार्च निकालने व ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर पाबंदी हो।

भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, धार्मिक उत्सवों के दौरान कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर शांति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा समय-समय पर जुलूस एवं

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर पाबंदी आदेश जारी किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश (रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र सहित) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में समय-समय पर कानून एवं व्यवस्था के मद्देनजर शांति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(3) प्रश्न के खण्ड 2 के उत्तर अनुसार समय-समय पर जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

जुलूस निकालने व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से आयोजक द्वारा अनुमति प्राप्त करने पर पुलिस द्वारा रोकथाम नहीं की जाती। अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या प्रशासन से आदेश लेकर प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहां बैंड बजाना, लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि यंत्र बजाने से कोई भी अधिकारी, समुदाय या व्यक्ति नहीं रोकेगा, यदि रोकेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि बिना आज्ञा लिये किसी भी धार्मिक स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों की नींद खराब करके परेशान किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? तीसरा है, कोटा शहर में टिपटा पाटन पोल, मकबरा घंटाघर अनन्त चतुर्दशी जुलूस के समय उस पर क्यों बैन किया हुआ है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछा गया है कि नींद खराब हो जाती है, वहां पर बैन क्यों नहीं किया जाता है, मंदिर और मस्जिद के सामने ही क्यों बैन किया जाता है? तो राजस्थान नो नोइसेज कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, जिसमें डी.जे. वगैरह आप चलाएंगे तो पुलिस को सी.आर.पी.सी. में इन्हेरेंट पावर है कि वह आपको चिह्नित स्थान पर रोक सकती है ।

दूसरी बात, आपने पूछी कि टिपटा, कैथूनीपोल, सब्जी मंडी, घंटाघर, रामपुरा पर क्यों बैन किया गया है? मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, मैं क्या

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बताऊं। आपको 1989 का दंगा याद है, क्या रोल था, क्यों बैन हुआ? बैन होने के बाद कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने क्यों नहीं वह रास्ता खोला, खोल देते आप। एक बार आपने खोलने की कोशिश की थी, क्या नतीजा निकला था?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वॉइस डेसीबल तय है, उसके हिसाब से अगर धार्मिक स्थलों के सामने ध्वनि यंत्र बजाते हैं, तो क्या फिर भी रोका जाएगा? नियमानुसार आपने कहा डेसीबल वाइस तय करता है, उस आधार पर रोका जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, तीन प्रश्न एक साथ पूछ चुके हैं, दो ही अलाउ हैं। आप चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जवाब नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया। मेरी प्रार्थना है....

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। ओम प्रकाश हुड़ला।

महवा में जलग्रहण योजना में सम्मिलित ग्राम पंचायतें

56. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा में विगत पांच वर्षों में किस-किस ग्राम पंचायत को जल संग्रहण योजनान्तर्गत शामिल किया गया तथा किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने कार्य जलग्रहण योजना के तहत स्वीकृत किये गये? वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार राशि आबंटन व व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में उक्त योजना के तहत कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) विधान सभा क्षेत्र महवा में गत पांच वर्षों में जल संग्रहण योजनान्तर्गत (आई.डब्ल्यू.एम.पी. में) शामिल ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट “1” पर संलग्न है।

(उप मुख्य मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र महुवा में ग्राम पंचायतवार जलग्रहण योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की संख्या, राशि एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवा की पंचायत समिति महुवा के अन्तर्गत वर्तमान में ग्राम पंचायत पाखर, धौलखेड़ा, उकरूंद व टुडियाना तथा पंचायत समिति बांदीकुई की ग्राम पंचायत लोटवाड़ा व बैजूपाड़ा में जल संग्रहण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	स्वीकृत कार्य	राशि लाखों में
1	धौलखेड़ा	48	84.28
2	पाखर	47	22.48
3	टुडियाना	42	63.76
4	उकरूंद	105	68.58
5	लोटवाड़ा	24	14.60
6	बैजूपाड़ा	3	4.00

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): जी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में झूलते विद्युत तारों को ठीक करवाने की कार्ययोजना

57. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विद्युत लाइनों के तार ढीले होने के कारण कभी भी जान-माल की हानि होने का अंदेशा बना हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां? कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालयों के क्षेत्र सहित ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों व ढाणियों में विद्युत लाइनों के झूलते

(श्रीमती मीना कंवर)

हुए तारों एवं टेढ़े-मेढ़े व झुके हुए विद्युत पोल्स को सही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में विद्युत लाइनें विद्युत अधिनियम में वर्णित निर्धारित सुरक्षा मापदंडों के अनुसार स्थापित की जाती हैं। तथापि विद्युत लाइनें खींचने के बाद कालान्तर में वाहन टकराने अथवा आंधी, तूफान, बारिश इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के कारण अथवा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सूनसान क्षेत्रों में खड़ी लाइनों के स्टे खोलने/ढीली कर छोड़ दिये जाने के कारण विद्युत लाइनें ढीली हो जाती हैं, जिनका निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में चिह्नित ढीले विद्युत लाइन की तारों का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय के क्षेत्र वार एवं ग्राम वार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। चिह्नित स्थानों पर ढीले विद्युत लाइन की तारों को दुरुस्त करने का कार्य प्रगति पर है, जिसको यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खिरजा से रायसर जाने वाली 11 के. वी. की लाइन बहुत ही ढीली है, जिसके कारण कभी भी हादसा हो सकता है, मंत्री महोदय बताएं कि कितने समय में, कितने दिनों में बदलेंगे? सदन को बताने का कष्ट करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महीने के अन्दर-अन्दर, ढीले तारों का इन्होंने जिक्र किया, सबको ठीक करा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

उनियारा (टोंक) में एडीजे कोर्ट की स्थापना

58. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के

(श्री हरीश चन्द्र मीना)
उनियारा में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना हेतु स्थानीय जनता एवं अधिवक्तागण लम्बे समय से प्रयासरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि मुकदमों की संख्या एवं आपराधिक ग्राफ को देखते हुए उनियारा में ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना आवश्यक है?

(3) क्या सरकार उनियारा न्यायालय को ए.डी.जे. स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) उनियारा, जिला टोंक में ए.डी.जे कोर्ट की स्थापना हेतु अभिभाषक संघ, उनियारा द्वारा वर्ष 2007 में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

(2) जी नहीं। वर्तमान में उनियारा क्षेत्र के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य लम्बित प्रकरणों की संख्या 402 है।

किसी स्थान पर नवीन अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय (ए.डी.जे. न्यायालय) की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदंड के अनुसार 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

पूर्व में रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पत्र के द्वारा अवगत कराया है कि उनियारा जिला टोंक के ए.डी.जे. न्यायालय स्तर के सुनवाई योग्य लम्बित प्रकरणों की न्यूनता के कारण उनियारा में ए.डी.जे. न्यायालय की स्थापना का औचित्य नहीं माना है।

लम्बित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए उनियारा में ए.डी.जे. न्यायालय सृजन का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा दिनांक 04.02.2015 को खारिज कर दिया गया है।

(3) राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड पूरे होने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही किसी भी न्यायालय को क्रमोन्नत करने पर विचार कर सकेगी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, आदरणीय मंत्री महोदय ने कुछ मापदंडों का हवाला देकर, क्षेत्र की जनता की आवश्यकता है, मांग है, उसको अस्वीकार किया है। मेरा यह आग्रह है, सर, यह सदन राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता की भावना का सर्वोच्च केन्द्र है। उस जनता की भावना की कद्र न करके एक सामान्य मापदंड का, जो एक कानून भी नहीं है, जनता

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

की भावना को देखते हुए तो मापदंड तो क्या नये-नये कानून बदले जाते हैं, नये-नये कानून बनाये जाते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे क्षेत्र की गरीब जनता को भी, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृपया हाई कोर्ट को पुन: आप आग्रह करें कि वहां ए.डी.जे. का कोर्ट खोला जाए। धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मापदंड तो बने हुए हैं। ये आज के नहीं बने हुए हैं, वर्षों से बने हुए हैं। इसमें साफ-साफ है कि जिला अपर न्यायाधीश हेतु 1000 से 1200, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सी.जे.एम. और ए.सी.जे.एम. के लिए 1200 से 1500 और सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए 1700 से 2000 है। अब सवाल यह आता है माननीय सदस्य ने कहा कि इन मापदंडों को बदला जाए। मापदंडों को बदलने के लिए दो बार उच्च न्यायालय को लिख दिया गया। लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। खारिज करने पर ये मापदंड वैसे के वैसे पड़े हैं। अब जब तक उच्च न्यायालय इस बात के लिए स्वीकृति नहीं देगा कि राज्य सरकार मापदंड बदलना चाहती है और ये मापदंड रखना चाहती है, तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यह बात जरूर है कि वहां के अभिभाषक लोग और दूसरे लोग भी बराबर डिमांड कर रहे हैं। वहीं नहीं, पूरे राजस्थान में इस प्रकार की आवाजें उठती हैं। लेकिन इन मापदंडों की वजह से और उच्च न्यायालय की वजह से सरकार कुछ कर नहीं पाती। तो मेरा निवेदन यही है कि इसके बारे में विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। संदीप शर्मा।

चम्बल नदी को पर्यटन से जोड़ने की कार्ययोजना

59. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोटा सम्भाग में टूरिज्म सर्किट का विकास करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चम्बल नदी को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(3) क्या सरकार हाड़ौती की कला और संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने के लिए कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(4) विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा कोटा सम्भाग में पर्यटन के अवसर बढ़ाने के लिए कौन-कौनसे आयोजन और कार्य किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) कोटा सम्भाग में टूरिज्म के विकास की कोई कार्ययोजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(2) जी हां। वर्तमान में वन विभाग द्वारा चम्बल नदी में पर्यटकों हेतु चम्बल सफारी का संचालन किया जा रहा है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न मेले-त्योहारों का आयोजन किया जाता है, जिनमें हाड़ौती क्षेत्र के लोक कलाकारों द्वारा भी अपनी कला का प्रदर्शन किया जाता है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) कोटा सम्भाग में पर्यटन के अवसर बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा मेले एवं त्योहारों का आयोजन, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के विभिन्न माध्यमों यथा - प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक व डिजिटल मीडिया में विज्ञापन जारी कर वेबसाइट व सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यटन महत्व के आयोजनों/स्थलों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

विभाग द्वारा कोटा सम्भाग में विगत 5 वर्षों में कोटा दशहरा एडवेंचर फेस्टिवल, राजस्थान दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, बूंदी उत्सव, चन्द्रभागा मेला तथा ट्रेवलर्स मीट, झालावाड़ आयोजित किये गये।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 में भी प्रथम बजट सत्र के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैंने यही प्रश्न किया था और सरकार का यही जवाब था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पर्यटन, जो देश और राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण धुरी होता है, उसके लिये सरकार पूरी तरह से गम्भीर नहीं है। बजट की अनुपलब्धता के चलते ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बजट की आवश्यकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और बहुत आवश्यक है, क्योंकि पर्यटन विकास के...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कहां प्रश्न पूछ रहे हैं आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): पर्यटन विभाग के मंत्री महोदय ने खुद कहा है कि विभाग वेंटीलेटर पर है। तो मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वेंटीलेटर से हटाकर इसे जिन्दा करें और इसको पर्याप्त बजट उपलब्ध कराएं। मेरा सरकार से प्रश्न है कि कोटा सम्भाग में चम्बल के तट पर पर्यटन को लेकर अपार सम्भावनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न बुलवा रहा हूं मैं। भाषण नहीं देना है। प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं आप।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): प्रश्न ही है, साहब।

श्री अध्यक्ष: कहां प्रश्न पूछ रहे हैं आप?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): चम्बल सफारी, ये रहा न, साहब। चम्बल नदी में चम्बल सफारी को लेकर आपने बोला है। कोटा-बूंदी सर्किट चम्बल के किनारे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पूछ क्या रहे हैं, इन्होंने क्या बोला, आप पूछो। आपका प्रश्न क्या है?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वही मैं बता रहा हूं। उसी के लिए मैं बता रहा हूं। उसकी कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप पूछें न क्या योजना। आप ही बोल रहे हैं योजना नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): वही मैं पूछ रहा हूं कि ऐसे कई दार्शनिक एवं धार्मिक स्थल हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। श्री विजयपाल मिर्धा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सरकार आने वाली नयी पर्यटन नीति के लिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें, माननीय सदस्य, आप डिमांड पर बोल लेना। विजयपाल मिर्धा। (व्यवधान) आप डिमांड पर बोल देना। बैठें, प्लीज। (व्यवधान)

डेगाना में पटवारियों के रिक्त पद

60. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं व कितने पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है? रिक्त पदों व जिन पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, का पंचायतवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा सप्ताह में कितने दिन पटवारियों को पंचायत मुख्यालय पर रहने के निर्देश हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डेगाना क्षेत्र में पटवारी, आर.आई. व अन्य राजस्व कार्मिकों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर आदमी हैं, बैठें, प्लीज। (व्यवधान) प्रश्न कैसे पूछें, आपको नहीं आता। आप बैठें प्लीज। विजयपाल मिर्धाजी हो गये। माननीय मंत्रीजी।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) डेगाना विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के 28 पद रिक्त हैं व 25 पटवारियों को अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में पटवार हलकों का चार्ज दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें, प्लीज। आप बैठें। माननीय कटारियाजी, I have to name it. I will not allow it.

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): रिक्त पदों व अतिरिक्त चार्ज का पंचायतवार व नामवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**नाम ग्राम पंचायत**	**पटवारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती**	**विशेष विवरण**
1.	नथावड़ा	गोविन्द सिंह	
2.	सिरासना	चेतन प्रकाश	
3.	निम्बड़ी चादावता	महीपाल गिल	
4.	चुई	सरोज	

(श्री राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	पटवारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती	विशेष विवरण
5.	जाखेड़ा	पांचाराम	
6.	डाबाली मिठी	प्रहलादराम कड़वा	
7.	जालसुनानक	तुलछीराम खिलेरी	
8.	पालड़ी कलां	सत्यनारायण शर्मा	
9.	माण्डल जोधा	नरसीराम	
10.	मेवड़ा	यदुवीरसिंह	
11.	पुन्दलोता	सुनिता	
12.	डेगाना गांव	रामस्वरूप भाम्बु	
13.	गुन्दीसर	प्रकाशचंद जांगीड़	पटवार मण्डल लंगोड़
14.	मोगास	नेमाराम	
15.	पूनास	रामकुंवार विश्नोई	
16.	चौलियास	प्रदीपकुमार	
17.	बच्छवारी	चेनाराम	पटवार मुख्यालय आकेली बी
18.	हरसोर	संजय कुमार भाम्बु	
19.	थाटा	राजकमल चारण	
20.	निम्बड़ीकलां	रामस्वरूप भाम्बु	
21.	सुदवाड	महीपाल चौधरी	
22.	डोडियाना	सलीम खान	
23.	बाड़ी घाटी	सलीम खान	
24.	कोड	प्रियदर्शी पंचार	
25.	निम्बोला बिस्वां	मेघसिंह	

(श्री राजस्व मंत्री)

तहसील कार्यालय के अवकाश आरक्षित पटवारियों के दो पद तथा एक पद पंचायत गोरेडीचाचा, जो नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में आता है, रिक्त है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 12 (1) में प्रावधान है कि हलका पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास रखेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से न ली हो, पटवारी को अपने पटवार मुख्यालय पर रहने के निर्देश हैं।

(3) जी हां। पटवारियों के 4421 पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही सीधी भर्ती का आयोजन कर पटवारियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। आर.आई. व अन्य राजस्व कार्मिकों के पदों को पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। हर-एक पटवारी के पास दो या तीन पंचायतें हैं। आमजन को वहां पर बहुत परेशानी होती है और कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। तो, जो आपने भर्ती निकाली है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं, उनका, जैसे पंचायत में रहने का दो दिन या तीन दिन, जो फिक्स है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है आमजन को तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कोई कठोर आदेश दें ताकि पंचायत मुख्यालय पर पटवारी वहां उपस्थित रहें और आमजन का काम हो सके।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने जो राय रखी है कि पटवार मुख्यालय के ऊपर दिन मुकर्रर करें कि किस पटवार हलके के ऊपर अतिरिक्त जिस पटवारी को मिला हुआ है, वह उस पटवार हलका के मुख्यालय पर रहे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करने का पूरे राजस्थान के अन्दर आदेश किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): प्रश्न संख्या 62.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष: सॉरी। श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन का विवरण

61. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ऐसी राशन की दुकानें, जिनको बायोमैट्रिक सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है, को उक्त सिस्टम से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन दिया जा रहा है? यदि हां, तो जिन दुकानों पर उक्त सिस्टम से राशन दिया जा रहा है, उनकी सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। नेटवर्किंग की उपलब्धता के आधार बायोमैट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत छींड एवं नांगलहेडी के अतिरिक्त अन्य सभी उचित मूल्य दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम से राशन दिये जाने की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि बायोमैट्रिक सिस्टम में जोड़ने का नियम है तो कितने दिन में ये जुड़ने चाहिए, क्या इनका नियम है, क्या कोई प्रोविजन है और कौन अधिकारी इनके लिये जिम्मेदार है, एस.डी.एम. है, डी.एस.ओ. है, तहसीलदार है या कोई और है, इंस्पेक्टर है। यह बताने का कष्ट करें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बायोमैट्रिक सिस्टम को तो नेटवर्किंग पर उपलब्धता के आधार पर जोड़ा जाता है। अभी हमने राजस्थान में, ये 103 थे, तो एक वर्ष के अन्दर

(श्री रमेश चन्द मीना)

23 दुकानों को जोड़ा है। केवल मात्र 80 दुकानें हैं। आज आप जो बात कर रहे हैं नाम जोड़ने का तो एक अपीलीय सिस्टम है, जिसमें समावेशन के आधार दस्तावेज, जो मूलभूत पात्र श्रेणी के लोग हैं, वे अपील करते हैं उपखंड अधिकारी के यहां, डी.एस.ओ. के यहां और वहां पर पात्रता रखते हैं तो 30 दिन के अन्दर उनको जोड़ा जाता है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वंचित रहे परिवारों को पिछले महीनों से जो राशन नहीं दिया जाता है इस नेटवर्क के कारण, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नांगलहेड़ी ग्राम पंचायत बामनवास, तहसील-थानागाजी, विधान सभा क्षेत्र बानसूर और छींड, यहां पर पूरी फार्मलिटीज जो होती है, चाहे वह ई-मित्र पर हो, एस.डी.ओ. आफिस हो, तहसीलदार हो, सारी फार्मलिटीज पूरी करके फाइल कमप्लीट करके डी.एस.ओ. को पहुंचा दी है। अब डी.एस.ओ. साहब कहते हैं कि एस.डी.एम. कैम्प लगाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तो साहब, कब तक उनको जोड़ेंगे? इतने दिन हो गये, आप समयावधि बता दें कि इतने दिन के अन्दर उनको हम जोड़ने की कृपा करेंगे। वे चक्कर पर चक्कर नहीं काटें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न हो गया। माननीय मंत्रीजी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): इन्होंने यह पूछा है कि अभी छींड में तो 140 राशनकार्ड हैं, 611 लोग लाभान्वित हैं और नांगलहेड़ी में 132 राशनकार्ड हैं और 505 लाभान्वित हैं। यह 711 की जनसंख्या है और इसमें छींड में 2110 की है और आपके बानसूर में जो अपील्स, जिनकी चर्चा ये कर रही हैं 4199 में से 1187 अपील्स स्वीकृत हो गयी हैं, 1452 निरस्त कर दी गयीं हैं और 1233 अपील्स अपास्त मतलब, कागज पूरे नहीं होने के कारण वापस लौटा दी गयी हैं और बानसूर शहरी क्षेत्र में 33 अपील्स पेंडिंग हैं और थानागाजी में 2939 हैं जिसमें से 712 को स्वीकृत किया गया और 385 को निरस्त किया गया हैं। 1088 पेंडिंग हैं और 765 को वापस लौटा दिया गया है। थानागाजी शहरी क्षेत्र में मात्र 14 हैं, जो अभी पेंडिंग हैं तो आपको यह लगता है कि कहीं प्राब्लम आ रही है, पात्र व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से जोड़ा जाएगा। यदि कहीं आपको लगता है कि अधिकारी या हमारे विभाग के कर्मचारी की वजह से कोई लापरवाही है तो इसकी जांच करवाकर उस दोषी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सबलपुरा, रामपुरा, खरखड़ी जैसे आपने जुड़वाये उनको तो इसी तर्ज पर मेरे ये गांव जो शेष हैं, ये जुड़ जाएं क्योंकि पिछली सरकार में यह मेरी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 12 पंचायतें रह गयी थीं तो इन्हीं पंचायतों पर इनको आप जल्दी से जल्दी जुड़वाने का कष्ट करें। जैसे ये पिछले वालीं जोड़ी, रामपुर, गढ़ी, खरखड़ी, उसी तर्ज पर जो शेष रह गयीं इनको भी जोड़ें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपखंड लेवल पर हमारे पास सूचना आती है जिन्होंने ग्राम पंचायतों का हमें हवाला दिया है, उनको दिखवा लेंगे और जुड़वा देंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय, उनको पिछला राशन मिल जाएगा क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

आहोर के राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

62. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में कितने राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं?

(2) क्या सरकार कुण्डली, आलावा 'सी', देवरिया नाडा बेलदरी के छापरिया में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में निम्न दो राजस्व गांवों में प्राथमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं-

1. कुण्डली 2. आलावा 'बी'।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुण्डली को डी-मर्ज करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय आलावा 'सी' संचालित होने के कारण विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, छापरिया नाड़ी, सारण बेरा देलदरी में कक्षा 1 से 5 का नामांकन मात्र 04 होने एवं अनार्थिक होने के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देलदरी में मर्ज किया गया, जिसे पुन: खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुण्डली और आलावा 'बी' जो राजस्व गांव हैं, वहां पर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इन गांवों में आप विद्यालय कब तक खोलेंगे? वैसे आप यह कह रहे हैं कि डी-मर्ज के लिए प्रक्रियाधीन है तो यह कब तक खोलेंगे? पिछली बार भी आपने यही कहा था लेकिन आपने विद्यालय नहीं खोला। मैं यह चाहूंगा कि इस सत्र से कुण्डली और आलावा 'बी' में यह स्कूल शुरू हो जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो कुण्डली विद्यालय है, इसको इसी सत्र से, जब एडमिशन चालू होंगे परीक्षा होने के बाद में, तब इसको चालू कर दिया जाएगा और अगर आपका दूसरा आलावा 'बी' है, वह 'सी' के सटता हुआ है अगर वह एक किलोमीटर से दूर होगा, वहां पर पी.ई.ओ., जिसमें मर्ज किया गया है, अगर 30 बच्चों का लिखकर दे देगा तो हम इस विद्यालय को भी पुन: चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

कॉलेजों में सह-शैक्षिक गतिविधियों का संचालन

63. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कॉलेज शिक्षा में सह-शैक्षिक गतिविधियों के तहत शिक्षा दक्षता, संवर्धन कार्यक्रम, शिक्षकों में विषयपरक ज्ञान अभिवृद्धि के साथ ही विद्यार्थियों के लिए मेंटरिंग, कांउसलिंग एवं कैरियर निर्माण की दिशा में क्या कार्य किये जा रहे हैं और उक्त गतिविधियों हेतु विगत चार वर्षों में कितनी धनराशि का आबंटन और व्यय किया गया एवं कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) शिक्षा दक्षता संवर्धन कार्यक्रम महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 से प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम को 16 महाविद्यालयों में आयोजित कर शिक्षण दक्षता एवं प्रशासनिक कार्य अभिवृद्धि हेतु लगभग 550 सहायक आचार्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा उक्त कार्यक्रम चालू सत्र में 07 महाविद्यालयों में आयोजित किया जाना है। विद्यार्थियों के लिए सभी महाविद्यालयों में कैरियर निर्माण के सम्बन्ध में सत्र 2017 से उद्यमिता प्रकोष्ठ (वर्तमान में नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ) स्थापित है जिसके द्वारा उद्यमिता रोजगार एवं कौशल विकास से सम्बन्धित गतिविधियों एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न एजेन्सियों द्वारा करवाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए विभाग द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की गयी है। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु व्यय सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा किया गया है।

(2) उक्त गतिविधियां महाविद्यालय स्तर पर संचालित हो रही हैं। अत: इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में महाविद्यालयों से कोई समस्या/सुझाव प्राप्त होने पर, तद्नुसार समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है कि विभाग द्वारा कोई बजट आबंटन नहीं किया गया है तो बिना बजट बच्चों का कैरियर, नवाचार और रोजगार के लिए कैसे भविष्य उज्ज्वल होगा, इस बारे में अवगत कराएं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, इसमें यह कार्यक्रम महाविद्यालय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की सहायता से महाविद्यालयों द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है और यह कार्यक्रम सत्र 2019-20 में ही प्रारम्भ किया गया है। महाविद्यालय के अपने कई तरह के सोर्सेज होते हैं तो उस छात्र निधि से या महाविद्यालय की जो दूसरी आय होती है, उसके माध्यम से ही यह कार्यक्रम आयोजित करवाये जा रहे हैं।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारे पंचायत समिति मुख्यालय कल्याणपुर में डिग्री कालेज खोलने की मंशा रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल। आपका यह प्रश्न इससे रेलेवेंट नहीं है इसलिए आप बैठें।

रानीवाड़ा में राजकीय भवनों का लोकार्पण

64. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 25 दिसम्बर, 2019 को कौन-कौनसे राजकीय भवनों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया और किन-किन निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों को, किस-किस अधिकारी द्वारा, किन-किन माध्यमों से आमंत्रित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय भवनों के शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रमों में निर्वाचित स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) द्वारा प्रोटोकाल नियम बनाये हुए हैं?

(3) क्या सरकार 25 दिसम्बर, 2019 को विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जिला कलेक्टर, जालौर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25.12.2019 को ग्राम पंचायत मैत्रीवाड़ा (प.स. रानीवाड़ा) एवं ग्राम पंचायत लाछीवाड (प.स. सांचौर) में उक्त दोनों ग्राम पंचायतों के नवनिर्मित पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया। उक्त लोकार्पण कार्यक्रम जिला प्रशासन/जिला परिषद/पंचायत समिति स्तर से आयोजित नहीं करवाये गये। उक्त भवनों का लोकार्पण दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा अपने स्तर से ही आयोजित करवाये गये। आमंत्रण एवं अन्य कार्यवाही भी उन्हीं के स्तर पर की गयी।

(2) इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका उल्लंघन करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

(3) 25 दिसम्बर, 2019 को ग्राम पंचायत मैत्रीवाडा एवं ग्राम पंचायत लाछीवाड में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवनों के लोकार्पण समारोह के सम्बन्ध में उक्त दिशा-निर्देशों की पालना में जन-प्रतिनिधियों (यथा- सांसद, विधायक आदि) को आमंत्रित नहीं करने एवं लोकार्पण पटि्टका मे नाम अंकित नहीं करने के कारण प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के उपरोक्त निर्देशों का

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उल्लंघन होने से उक्त दोनों ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर राजस्थान सेवा नियम 17 सी.सी.ए. के तहत आरोप पत्र जारी किये गये हैं। इसके क्रम में उक्त दोनों पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए 17 सी.सी.ए. के आरोप पत्र तैयार कर सक्षम अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से जो उत्तर पढ़वाया गया है, यह पूरी झूठी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको पूरा अधिकार है इस पर कार्यवाही करने का।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): पूरी झूठी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष: आपको पूरा अधिकार है, इस पर कार्यवाही करने के लिए आप प्रस्ताव लेकर आएं।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाह रहा हूं क्या सरपंच को यह अधिकार है कि वह अपने स्तर पर राजकीय राशि से निर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण करवा सकता है? क्या ग्राम पंचायत जिला प्रशासन के अधीन नहीं आती है? यदि हां, तो प्रोटोकॉल नियमों के आधार पर किससे करा सकती है और पूर्व विधायक को किस हैसियत से बुला सकती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो मैं बता चुका हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह थोड़े ही है, हर कोई खड़ा होकर बोल जाएगा। प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): किसी भी राजकीय भवन के उद्घाटन के लिए समस्त, जितने भी उससे सम्बधित सांसद हैं, विधायक हैं, पंचायत समिति के प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, उनको इत्तला देना आवश्यक होता है, उनको आमंत्रित करना आवश्यक होता है। सरपंच ने अपने स्तर पर कर लिया, वह एक अलग बात है। सरपंच भी उद्घाटन कर सकता है लेकिन सरपंच को यह अधिकार नहीं है कि वह उन लोगों को नहीं बुलाए। यह मैं इसमें स्पष्ट कर चुका हूं और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज बैठें। माननीय सदस्य, बैठें। आप बैठें। अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल। (व्यवधान) नहीं सुनना, बैठें आप। आपके नेता खड़े हैं, आप बैठें। समझना ही नहीं चाहते हैं। श्री पानाचन्द मेघवाल।

बारां जिले में मनरेगा योजना के लम्बित प्रकरण

65. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजना के तहत कार्यों के जो प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, उनकी स्वीकृति जारी होने में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा सम्भाग में ऐसे कई गांव हैं, जिनमें विगत 3 वर्षों में मनरेगा के तहत कोई कार्य नहीं करवाया गया? यदि हां, तो ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में जिला बारां में मनरेगा योजना के तहत कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं?

(4) क्या सरकार कृषि को मनरेगा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या मनरेगा योजना में ग्रामीण क्षेत्रो में पशुपालकों के लिए टीनशेड बनाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विगत 3 वर्षों में कोटा सम्भाग में पशुपालकों के लिए ऐसे कितने टीनशेडों का निर्माण करवाया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उप मुख्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): (1) जी नहीं। प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अनुमत कार्यों के जो प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये जाते हैं, उनकी स्वीकृति नियमानुसार समयबद्ध रूप से की जा रही है।

(2) कोटा सम्भाग की पंचायत समिति बारां की ग्राम पंचायत रटावद के केवल एक ग्राम शंकरपुरा में गत 3 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कोई भी कार्य नहीं करवाया गया है।

योजना के तहत रोजगार की मांग प्राप्त होने पर ही कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। अध्यक्ष जी, डिमांड बेस प्रोग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं।

(उप मुख्य मंत्री)

(3) बारां जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत सिक्योर साफ्ट (डीपीसी आई-डी) पर 26 कार्यों की स्वीकृतियां लम्बित हैं, जिनकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर व्यय किया जाना अनिवार्य है। इसके तहत पात्र कृषकों की कृषि भूमि के विकास, मेड़बन्दी, पौधारोपण एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने आदि कार्य अनुमत हैं।

(5) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य 'अपना खेत अपना काम' के तहत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की अनुसूची "एक" के पैरा 5 पर उल्लेखित पात्र किसानों के लिए पशु आश्रय/बकरी आश्रय/सूकर आश्रय/मुर्गीपालन आश्रय का निर्माण कराने का प्रावधान है। कोटा सम्भाग में विगत 3 वर्षों में पशुपालकों के लिए 17,186 पशु आश्रय निर्मित करवाये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारी सरकार और हमारे मंत्रीजी बहुत संवेदनशील हैं, पारदर्शी हैं। पिछले पांच-छह सालों से संघर्ष किया तो हर चीज से वाकिफ हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या मनरेगा योजना के तहत केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलने वाली राशि में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों और किस कारण से? नम्बर दो, क्या सरकार की मनरेगा ग्रामीण विकास... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न के संदर्भ में ही सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): पंचायत राज में नयी भर्ती करने का...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न क्या पूछा है आपने? प्रश्न पूछने का मतलब ही फिर क्या है? प्रश्न लिखकर क्या पूछा और प्रश्न दूसरा पूछ रहे हैं। जो प्रश्न लिखा है, आपका उत्तर आया है, उसके संदर्भ में ही सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिक/कारीगर/अन्य जो भुगतान रुके हुए हैं उनका भुगतान कब तक हो जाएगा?

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि नरेगा की योजना के तहत राजस्थान पूरे देश में सबसे अव्वल नम्बर पर है। जो मैन-डेज निर्मित किये हैं, हम लोगों का टार्गेट पहले 23 करोड़ था, उसको बढ़ाकर हमने 30 करोड़ किया है और अब हम 34 करोड़ का टार्गेट लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं यह भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से केन्द्र सरकार के माध्यम से जो लेबर पेमेंट और मैटेरियल पेमेंट होती है, वह अटकी हुई है। मैंने कई बार आग्रह किया, केन्द्र सरकार से भी और मैं चाहूंगा कि हम सब साथी मिलकर केन्द्र सरकार को आग्रह करें कि लेबर पेमेंट और मैटेरियल पेमेंट समय पर हो सके। काफी लम्बे समय से काफी मात्रा में यह पैसा लम्बित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

परवन बांध परियोजना से गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्ययोजना

66. नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परवन बांध परियोजना से कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) उक्त परियोजना कब तक पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराये जाने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) झालावाड़, बारां और कोटा जिले के क्रमशः 309, 936 एवं 576, इस प्रकार कुल 1821 ग्राम एवं बारां शहर को परवन-अकावद पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में घोषणा की गयी थी। इस घोषणा की अनुपालना में प्रथम चरण की परियोजना हेतु राशि रुपये 220.05 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 740वीं बैठक, दिनांक 14.03.2018 द्वारा जारी की गयी।

प्रथम चरण की उक्त स्वीकृत परियोजना में सर्वे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.), निविदा प्रपत्र इत्यादि तैयार करने, इनटेक वैल के निर्माण तथा जल संसाधन विभाग को बांध निर्माण की हिस्सा राशि के भुगतान का कार्य सम्मिलित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कोटा जिले के 207 ग्राम हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना में तथा बारां जिले के 2 ग्राम कछावन पेयजल परियोजना में सम्मिलित किये जाने के कारण, परवन-अकावद पेयजल परियोजना में ग्रामों की संख्या 1612 (झालावाड़, बारां और कोटा जिले के क्रमश: 309, 934 एवं 369 ग्राम) रही है। ग्रामों की वास्तविक संख्या का निर्धारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा।

(2) प्रथम चरण की उक्त पेयजल परियोजना के सर्वेक्षण कार्य एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने हेतु सलाहकार फर्म मैसर्स वेपकोस लिमिटेड, गुड़गांव (हरियाणा) को राशि रुपये 2.50 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 18.09.2018 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है।

(3) उक्त परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण में इसके सही पाये जाने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूं कि आपने खण्ड-एक में जो जवाब दिया है, 2018-19 में 220.05 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इन्टेक वैल डी.पी.आर. और बांध का जल संसाधन को जो हिस्सा देना था, वह भुगतान इसमें सम्मिलित है। मंत्री महोदय, आपने यह खण्ड-एक में जवाब दिया है। दूसरे खण्ड में आपने जवाब दिया है कि इसकी डी.पी.आर. का काम चल रहा है। 2.50 करोड़ रुपये हमने डी.पी.आर. के लिए दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं तीसरे खण्ड का आपने जवाब दिया है कि डी.पी.आर. पूरी होने के बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर परियोजना की स्वीकृति जारी की जाएगी। एक तरफ तो आपने खण्ड-एक में जवाब दे दिया, मंत्रीजी, कि इसकी डी.पी.आर. के लिए, इसके इन्टेक वैल के लिए और जल संसाधन विभाग के लिए हमने पैसे जारी कर दिये, इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी, दूसरे में आप जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय, कि हमने डी.पी.आर. बनाने के लिये 2.50 करोड़ रुपये दिये हैं और तीसरे खण्ड में आप जवाब दे रहे हैं मंत्री महोदय, कि इसकी डी.पी.आर. की सही रिपोर्ट आने

(श्री नरेन्द्र नागर)

के बाद वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इसकी स्वीकृति दी जाएगी। यह क्या है मंत्रीजी?

श्री अध्यक्ष: क्या सही है, यह पूछो आप।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मतलब आप स्पष्ट करें कि वर्तमान में इस योजना की स्थिति क्या है? आप यह बताने की कृपा करें कि वर्तमान में इस योजना की वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी डी.पी.आर. के लिए 2.50 करोड़ रुपये की राशि 18.9.2018 को दे दी गयी थी और 10 महीने का काम दिया गया था। यह काम चल रहा था, इसी बीच में जल जीवन मिशन आ गया। पहले यह योजना 35 लीटर पर पर्सन-पर डे के हिसाब से थी। अब जल जीवन मिशन में यह क्राइटेरिया बदलकर 55 लीटर पर पर्सन-पर डे के हिसाब से हो गया तो इसको रिवाइज करके बनाना पड़ रहा है, तो 21 मार्च तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद हम इसको आगे, जैसे-जैसे हमारे पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, करेंगे। यह मैंने इसलिए कहा है कि हमारे 5,072 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत योजना के बकाया हैं। हमारा पैसा लगा हुआ है, वह आएगा तभी तो हम खर्च कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मैं तो यही पूछना चाह रहा था मंत्री महोदय, कि जब पुरानी सैंक्शन आपने निकाली है, कम से कम इतनी सैंक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट वापस उपलब्ध करा दे, ताकि इसका काम तो शुरू हो जाए। इसका काम तो अपन शुरू करा सकें, क्योंकि 2018-19 से लेकर दो साल में तो अभी इसकी डी.पी.आर. ही बन रही है तो क्योंकि यह महत्वाकांक्षी योजना है, जल्दी शुरू हो तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयास करे।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में आप कराएं। इसकी रिपोर्ट बदली है। घर-घर टोंटी लगाने का, जहां तक मेरी जानकारी में है, आपने प्रावधान रखा, अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि परवन सिंचाई परियोजना का आज के दिन में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि बारां जिले की कौन-कौनसी तहसील को इस परियोजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आएगी तो काम कैसे शुरू होगा? तो रिपोर्ट आने के बाद ही इसको आगे बढ़ा सकेंगे।

जहां तक माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है, इस सम्बन्ध में बारां के 934 गांव और एक बारां शहर इसमें सम्मिलित है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद आप कहें तो, इसमें मैंने सारे बारां के किन-किन गांवों में होगा, इसकी रिपोर्ट संलग्न करके भेजी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं है, प्लीज, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): किन-किन गांवों में आएगा, यह पूरे गांवों की सूची इसमें दे रखी है। और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें पर्टिकुलरली किसी गांव की तो आप मेरे चैम्बर में आ जाना, बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, 220 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी और काम शुरू हो गया और अब डी.पी.आर. के लिए हम ढाई करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो जो वित्तीय स्वीकृति 220 करोड़ रुपये की दी है उस वित्तीय स्वीकृति का काम प्रारम्भ होगा कि 250 करोड़ की डी.पी.आर. आने के बाद काम शुरू होगा? प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे जलदाय विभाग में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति बजट घोषणा के आधार पर जारी की गयी थी। इन्होंने जाते-जाते आनन-फानन में कर दी, पर बिना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुन तो सकते हैं, दो मिनट रुकें न।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): उसमें सबसे पहला काम था कि डी.पी.आर. बने और डी.पी.आर. के लिए ढाई करोड़ रुपये मंजूर कर दिये, डी.पी.आर. अभी तक आयी नहीं तो ऊंट आया नहीं और पलाण कूदने लग गया वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी, उसके

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

बाद हम उस प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको निवेदन किया था कि पहले 35 लीटर के हिसाब से यह योजना बनी थी, अब जल जीवन मिशन में 55 लीटर पर-पर्सन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से योजना बनी है तो इसमें काफी व्यापक सुधार हुआ है और 31 मार्च को जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट बैठें।

220 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति के अगेंस्ट में सरकार ने कितना पैसा खर्च कर दिया?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खर्च तो जब करेंगे जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से पहले काम शुरू नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय मंत्री जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें लिखा है हिस्सा राशि का भुगतान कार्य भी सम्मिलित है, तो खण्ड 'अ' में यह लिखा हुआ है। इसका मतलब 220 करोड़ रुपये में कुछ राशि का इसमें एक्सपेंडीचर हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने 220 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी और आप खुद लिख रहे हैं कि इसमें हिस्सा राशि का भुगतान सम्मिलित है, तो 220 करोड़ राशि के अगेंस्ट में कितना पैसा खर्च हुआ?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): साहब, इसमें पेयजल आरक्षण की राशि में से 174.68 करोड़ तो हमको जल संसाधन विभाग को देनी थी और 2.50 करोड़ की राशि डी.पी.आर. के लिए थी और बाकी आगे के काम के लिए थी। चूंकि हमारे पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक आयी नहीं है इसलिए काम शुरू नहीं हो सका। क्योंकि यदि हम 35 लीटर के हिसाब से काम करते हैं तो गांवों में फिर उसको दोबारा रिकन्सीडर करना पड़ता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अविनाश। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अगला प्रश्न बुला लिया।

जैतारण नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता की जांच

67. श्री अविनाश (जैतारण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अविनाश)

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका जैतारण में सफाई कर्मचारी भर्ती, 2018 में हुई अनियमितता की निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा गठित कमेटी ने जांच रिपोर्ट क्रमांक उणि/स्थायी/जो/जांच/2019/272, दिनांक 03.01.2020 के द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को दोषी माना गया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर निलम्बन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका जैतारण में सफाई कर्मचारी भर्ती, 2018 में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को प्रक्रियात्मक अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1963 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है। जवाब प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(2) आरोप पत्र का जवाब आने पर जवाब का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1963 के नियम 17 और नियम 16 के नोटिस किन-किन परिस्थितियों में दिये जाते हैं?

दूसरा, इस सफाई भर्ती की जांच डी.एल.बी. ने डी.डी.आर. जोधपुर को निर्देशित किया। जोधपुर की सक्षम टीम ने उसकी जांच की और जांच में आपने खुद ने माना है कि स्पष्टतया तत्कालीन अधिशासी अधिकारी दोषी है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मात्र 17 सी.सी.ए. का नोटिस देकर, इस अधिशासी अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि आपकी जांच के अन्दर ही डी.डी.आर. की टीम ने माना है कि हां, ये स्पष्टतया दोषी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता चुका हूं कि प्रथम दृष्टया उसको दोषी माना गया और प्रथम दृष्टया दोषी मानने के बाद ही उसको 17 सी.सी.ए. का नोटिस दिया गया। 17 सी.सी.ए. का नोटिस अनियमितता के कारण ही दिया जाता है।

इसका जब जवाब आ जाएगा तो उसका परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण करके फिर अगर मान लीजिए 16 लगना है तो 16 लगेगा, फांसी नहीं लगेगी, इसी में होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके का जवाब फांसी का न तो मैंने पूछा ...(व्यवधान

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि 17 सी.सी.ए. और 16 सी.सी.ए. के नोटिस, दोनों किन-किन परिस्थितियों में दिये जाते हैं?

दूसरा, जिस तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शिकायत है, शिकायत में दोषी है, उसी अधिकारी के खिलाफ और भी शिकायतें हैं। मेरा आपसे यह कहना है कि आप उसको निलम्बित करें ताकि जो दूसरी जांचें हैं उनको वह प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपसे इतना ही निवेदन है कि पहले आप उसको निलम्बित करें ताकि जांच में आसानी रहेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निलम्बन, मैंने आपसे अर्ज किया कि निलम्बन उसके जवाब का परीक्षण करने के बाद में ही सम्भव हो सकेगा, उसके पहले सम्भव नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक बार अनियमितता पायी जाती है तो आप उसको नोटिस ही तो देंगे, और क्या करेंगे, नोटिस देकर जवाब ही तो मांगेंगे उसका। तो अभी जवाब मांगा जाएगा और जवाब मांगने के बाद में कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

बूंदी जिले में गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार

68. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश बूंदी द्वारा उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार बूंदी को पत्र क्रमांक 4486-87 दिनांक 24.09.1985 लिख कर खनन क्षेत्र में भू-आबंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार नहीं दिये

(श्री रामनारायण मीना)

जाने हेतु पाबन्द किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों एवं किसके आदेशानुसार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश राजस्थान काश्तकारी एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून के अनुकूल एवं नियमान्तर्गत है? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गैर खातेदारी अथवा खातेदारी भूमि में खनन लीज स्वीकृति पर खनन कार्य हेतु काश्तकार से इजाजत/सहमति प्राप्त करना होता है? यदि हां, तो नियमों के विपरीत उक्त आदेश जारी किये जाने के क्या कारण हैं एवं कौन जिम्मेदार है?

(4) क्या यह भी सही है कि बूंदी जिले के बरड क्षेत्र में उक्त पत्र दिनांक 24.09.1985 जारी होने के बावजूद गैर खातेदारी आराजी के रकबे में कमी हुई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में गैर खातेदारी, आराजी में से कितने रकबे में खनन लीज स्वीकृति एवं गैर खातेदारी से खातेदारी किसके आदेश से किसके द्वारा दी गयी तथा वर्तमान में कितनी भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भूमि कृषक द्वारा राज्य को समर्पित करने के पश्चात् उसका आबंटन एवं अधिकार उसी वर्ग के व्यक्ति को दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में इसकी पालना करवाये जाने के लिए क्या-क्या उपाय तथा कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। जिला कलेक्टर, बूंदी के पत्र दिनांक 24.09.1985 के द्वारा उप जिलाधीश तथा तहसीलदार, बूंदी को खनन विभाग द्वारा खनन लीज आबंटन किये जाने से खातेदार एवं ठेकेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने के मद्देनजर आबंटन, नियमन एवं खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। प्रति परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 14.03.2005 को बैठक आयोजित कर बरड क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, उक्त बैठक में खनिज विभाग के निदेशक भी उपस्थित थे। कार्यवाही विवरण परिशिष्ट “ब” पर संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) बरड क्षेत्र में खनन हेतु लीज आबंटियों व कृषकों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की स्थिति के दृष्टिगत एवं इससे उत्पन्न विवादों के निराकरण हेतु गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी दिये जाने के लिये उक्त प्रशासनिक आदेश द्वारा जिला कलेक्टर, बूंदी द्वारा अस्थाई रोक लगायी गयी थी।

प्रकरण में विधि विभाग से प्राप्त की गयी राय अनुसार जिला कलेक्टर, बूंदी के आदेश, दिनांक 24.09.1985, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु आबंटन नियम) 1970 के नियम 14 (आबंटन शर्तों) एवं नियम 18 (खातेदारी अधिकार देने) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे।

बरड क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर राज्य के सभी जिलों से संदर्भित सूचना प्राप्त कर निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(3) निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर के परिपत्र क्रमांक 884, दिनांक 19.08.2008 से शासन के परिपत्र क्रमांक प.14 (20)खान/ग्रुप-2/95, दिनांक 15.11.1995 के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के अन्तर्गत खातेदारी एवं निजी भूमि में खनन पट्टा स्वीकृति एवं नवीनीकरण किये जाने के पूर्व खातेदार की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है एवं वर्तमान में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 लागू होने से खातेदार को ही खनन पट्टा जारी किया जाता है।

प्रकरण में खनिज सम्भावित क्षेत्र में खनन पटटाधारियों व राजकीय भूमि के आबंटी गैर खातेदारों के मध्य विवादों के नियंत्रण हेतु जिला स्तर से पत्र, दिनांक 24.09.1985 द्वारा प्रशासनिक आदेश जारी किये गये हैं।

(4) जी हां। गैर खातेदारों द्वारा भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में किये जाने के पश्चात् नामान्तरण सिवायचक होने से बरड क्षेत्र में रकबा 58.54 हैक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। न्यायालयों/ तत्कालीन तहसीलदार के आदेशों से गैर खातेदारी से रकबा 214.48 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। वर्तमान में 1781.45 हैक्टेयर भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है।

(5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम; 1955 की धारा 42, 46ए, 175 तथा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु आबंटन नियम) 1970 के नियम 6 (3) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों

(राजस्व मंत्री)

की भूमि को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ही हस्तान्तरण का प्रावधान है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और 11 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। माननीय मंत्री जी, यह सही है कि मात्र 5 भील बहुल क्षेत्र हैं, जहां गरीब आदमी हैं। उनको आज भी मजदूरी नहीं मिलती है। आप सर्वे करवा लीजिए। उनके साथ ही यह इनजस्टिस क्यों हुआ? यह सरकार ने नहीं किया। यह अधिकारियों ने किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या ये आदेश, जो कि गैर कानूनी है, उनको खतम करेंगे? भीलों को 214 में खातेदारी है। आपने ही फरमाया है कि 214 हैक्टेयर में खातेदारी है और 1781 में गैर खातेदारी है। उनको कब तक खातेदारी दे देंगे? गैर खातेदारी के आधार पर जो जमीनें उन गरीबों से सरेंडर करवायी हैं, ताकत के आधार पर, क्योंकि वे पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की औकात में नहीं हैं, आप जाकर सर्वे कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। मैं अलाउ नहीं करुंगा। प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मान्यवर, यह दोनों बातें जो आपने बतायी हैं, एक तो किसानों के ऊपर जब पेनल्टी 50 गुणा है तो ..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं समझ में आया क्या? प्रश्न पूछें आप। भाषण नहीं होगा। प्रश्न पूछें।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): इनको खातेदारी अधिकार आप कब तक दे देंगे जो कि 35 साल पहले के हैं और दुबारा उन गरीबों को आबंटन कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रकरण के संदर्भ में सूचना चाही है गैर खातेदारों को खातेदारी देने के संदर्भ में। सिर्फ बूंदी ही नहीं, राजस्थान में इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं, उनकी सूचना मैंने खुद ने मंगवायी है। आने वाले महीने के अन्दर तमाम जिलों से

(श्री हरीश चौधरी)

यह सूचना प्राप्त करके, तमाम जो किसान हैं, जिनकी गैर खातेदारी है, उनको खातेदारी देने का फैसला हमारे विभाग ने कर लिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मंत्री खड़े हैं, प्लीज। मंत्री खड़े हुए हैं। बोल रहे हैं। आपको उत्तर नहीं सुनना है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): बूंदी के संदर्भ में भी सूचना मंगा ली गयी है। जब बूंदी जिले की बात हमारे संज्ञान में आयी तो हमने सिर्फ बूंदी ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस तरह से किसानों के साथ किसी भी प्रशासनिक गैर क़ानूनी आदेश से अन्याय हुआ है, उसकी सूचना मंगायी है। तमाम राजस्थान के किसानों को उनकी खातेदारी के संदर्भ में कैम्प लगाकर के यह कार्य करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक परिवार

69. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक परिवार व कितने राशन डीलर हैं? प्रत्येक डीलर के पास कितने-कितने राशन कार्ड धारक हैं? डीलरवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 2019 से अब तक खाद्य सुरक्षा कार्ड हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राशन डीलर के पास न्यूनतम व अधिकतम राशन कार्ड धारकों की कोई संख्या निर्धारित है एवं कितनी दूरी तक के राशन कार्ड धारकों को पंजीकृत किया जा सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में 53156 खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक परिवार हैं एवं 88 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं। उचित मूल्य दुकान एवं राशन कार्ड के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 2019 से दिनांक 07.02.2020 तक खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु उपखण्ड कार्यालय, गिर्वा में 1315 एवं बडगांव में 70 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, सभी को निस्तारित किया जा चुका है, कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) उचित मूल्य दुकानदार के पास राशन कार्डों की संख्या के क्रम में जारी आदेश क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/2008, दिनांक 07.04.2010 एवं दिनांक 26.12.2019 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है इसमें दूरी का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के कालम नम्बर 1 में आपने सारी सूचना दे दी है लेकिन एक राशन डीलर के पास में हजार से लेकर 1600 तक राशन कार्ड हैं। हमारे आदिवासी, ट्राइबल एरिये में 10-10 किलो मीटर की दूरी तक एक ही दुकान है। वहां पर जाते हैं तो वहां नेट की प्राब्लम रहती है। वह 3-3 दिन तक चक्कर काटते रहते हैं। हमारे यहां इस तरह की 6 दुकाने हैं। क्या आप 500-500 के आधार पर राशन की दुकानों का आबंटन करना चाहते हैं? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दुकान आबंटन की जो प्रक्रिया, नियम हैं, उनमें एन.एफ.एस.ए. के 500 राशन कार्ड हों या 2000 यूनिट हों। अब इन्होंने जो विवरण दिया है, एन.एफ.एस.ए. के यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से चयनित 500 राशन कार्ड हैं या 2000 यूनिट हैं तो नेक्स्ट दुकान खोली जाएगी। कनेक्टिविटी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी पहले क्वश्चन में भी बताया था कि पहले 130 दुकानें थीं। अब उसमें से करीब 80 दुकानें रह गयी हैं। हम कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हम इसका प्रयास करेंगे कि आपकी दुकानों को ऑनलाइन जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, साउथ राजस्थान में स्कैटर्ड पापुलेशन है। वह गरीब आदमी मजदूरी करता है। वह चलकर जाता है और 3 दिन तक उसको नहीं मिलता है। जैसा कि अभी सदस्य ने कहा है, क्या सरकार पापुलेशन के आधार के अलावा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के आधार पर राशन की दुकान खोलने का विचार रखती है?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बिलकुल, हम परीक्षण करवा लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूरी को लेकर आपकी बात बिलकुल ठीक है। इसमें हम कम दूरी के लिए प्रयास करेंगे। अटैचमेंट तो

(श्री रमेश चन्द मीना)

हमारा 3 किलोमीटर का है लेकिन वार्ड क्षेत्र होता है, उसके आधार पर पहले दुकानें आबंटित थीं। आपने जो बात कही है...

श्री अध्यक्ष: वहां फले हैं। उन फलों में लोग रहते हैं। वहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। फले को आधार मानकर के दुकान खोलेंगे तो लोगों को राशन मिलेगा।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हम 7-8 दुकानें नयी खोलने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, बैठें। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर जिले में कम्पोजिट ग्रांट योजना में विद्यालयों को आबंटित राशि

70. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समग्र शिक्षा अभियान (समसा) के अन्तर्गत अजमेर जिले में कम्पोजिट ग्रांट योजना में विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों व सुविधाओं के लिए कितनी राशि, किस-किस स्तर के विद्यालयों को किन मानदंडों के आधार पर आबंटित की जाती है? विद्यालय स्तरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का उपयोग विद्यालय में किन-किन संसाधनों व सुविधाओं पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना के तहत निर्धारित राशि का आबंटन सत्र 2019-20 में विद्यालयों को कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) समग्र शिक्षा (समसा) की वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2019-20 में अजमेर जिले सहित राज्य के विद्यालयों में नामांकन के आधार पर कम्पोजिट ग्रांट स्वीकृत की गयी है। विद्यालयों को उनके नामांकन आधार स्तरवार जारी की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु	
विद्यालय नामांकन	**नामांकन आधार पर कम्पोजिट राशि**
1-15 तक	12,500
15 से अधिक 100 तक	25,000
100 से अधिक 250 तक	50,000
250 से अधिक 1000 तक	75,000
1000 से अधिक	1,00,000

वार्षिक कार्य-योजना एवं बजट 2019-20 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त राशि का उपयोग जिन संसाधनों/सुविधाओं पर किया जाता है, के विवरण हेतु दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) सत्र 2019-2020 में योजना के तहत प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए निर्धारित राशि 15884.500 लाख रुपये में से 50 प्रतिशत राशि माह अक्टूबर, 2019 में राशि 7941.00 लाख रुपये एवं 25 प्रतिशत राशि माह जनवरी, 2020 में 3971.75 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 11912.75 लाख रुपयों का आबंटन किया गया है, विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित राशि 9243.375 लाख रुपये में से 25 प्रतिशत राशि 2313.500 रुपये माह नवम्बर, 2019 आबंटित की गयी, विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

वर्ष 2018-2019 में कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जिलों को एक बार में जारी की गयी थी। वर्ष 2019-20 प्राप्त राशि में से सभी मदों/ गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए की गयी है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के शिशु वार्ड की एन.बी.एन.सी. यूनिट के वार्मर में आग लगने से झुलसी नवजात बालिका की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपी चन्द मीणा एवं सत्रह अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत लाम्बा के पूर्व सरपंच श्री महेन्द्र सिंह मीना की दिनांक 24.01.2020 को हुई निर्मम हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री बलवीर सिंह लूथरा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में बढ़ रही कैंसर जैसी बीमारी की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से अजमेर से नागौर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 का कार्य अभी तक भी पूर्ण नहीं होने के कारण आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य में अजमेर, कोटा, भरतपुर तथा बीकानेर में बिजली वितरण का ठेका निजी कम्पनियों को देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिलाओं का मानदेय न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री बाबुलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडौल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव एवं भवनों की हालत जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर शहर में पानी की निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य पूर्ण न होने से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में लगभग 17 वर्षों से बंद पड़ी

(श्री अध्यक्ष)

शुगर मिल को चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कल दिनांक 12.02.2020 को बाड़मेर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, विश्नोइयों की ढाणी में नशे में धुत डम्पर चालक द्वारा तीन छात्र-छात्राओं को कुचलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में भारतमाला परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दर से चार गुना किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की सेन्दड़ा ग्राम पंचायत के धौलिया ग्राम में जंगली जानवरों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से ओ.बी.सी. व एस.सी. वर्ग की दूसरे राज्य की महिलाओं को राजस्थान राज्य में शादी उपरांत राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से आयुर्वेद निदेशालय द्वारा नर्स एवं कम्पाउण्डर भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हिन्दुस्तान जिंक जावर माइंस से निकलने वाले कैमिकल युक्त पानी से क्षेत्र में फैल रही जानलेवा बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री अविनाश, श्री बलवान पूनियां, श्रीमती किरण माहेश्वरी

(श्री अध्यक्ष)

एवं श्री अमृतलाल मीणा को अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायत बडोद को नगरपालिका घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में शाहजहांपुर से बोंद तक लगभग 20 किलोमीटर मार्ग के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से माडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्ट्री से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी व धुआं से फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों की खराब हालत से छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की ग्राम पंचायत बांट के ग्राम माटासन में 2018 में स्वीकृत जी.एस.एस. का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह में महिला प्रधानाचार्य के स्थान पर पुरुष प्रधानाचार्य लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया की नगरपालिका संगरिया द्वारा पात्र व्यक्तियों को भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में इस वर्ष अतिवृष्टि से हुए किसानों को नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री बाबूलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर के खेड़ली रेल व सोखर ग्राम पंचायतों को खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के किसानों को सिंचाई हेतु माही बांध की नहरों से पर्याप्त पानी न मिलने के कारण फसलों के सूखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से राजस्थान के मूल निवासियों के द्वारा राज्य के बाहर की महिलाओं से शादी करने पर उन महिलाओं का राज्य में ओ.बी.सी. (मेव) जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु स्वीकृत अमृत जलम् योजना को शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के वन्य क्षेत्र में स्थित गांवों की जमीनों की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान सहकारी बैंकों के भर्ती नियमों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा सीकरी की सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज रिप्लाई होगी इसलिए 295 के ये सारे प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज दिनांक 13 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**नाम माननीय विधायक**	**विषय**
(1)	श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)	न्यू मेडिकल कालेज अस्पताल, कोटा में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं आरम्भ नहीं किये जाने से मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
(2)	श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)	मातृकुण्डिया बांध के आरक्षित पानी को बनास में नहीं छोड़े जाने तथा बांध की मरम्मत नहीं होने व बांध के पानी से सीपेज की समस्या का समाधान नहीं होने के सम्बन्ध में।
(3)	श्री बिहारीलाल (नोखा)	किसानों को बकाया बिल के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
(4)	श्री छगनसिंह (आहोर)	मध्य प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से जालोर, सिरोही एवं पाली जिले के भेड़ पालकों को मुआवजा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज संक्षेप में अपनी बात कहें और सरकारी पक्ष से निवेदन है कि जब पर्ची और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो तब मंत्रीगण जीरो आवर तक सदन में ही अपनी उपस्थिति रखें जिससे इन बातों का महत्व रह सके।

श्री अविनाश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जैतारण में जंगली जानवरों का आतंक

श्री अविनाश (जैतारण): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनन्दन करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक ऐसे

(श्री अविनाश)

विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र जैतारण से आता हूं वहां मगरा और मैदानी, दोनों इलाके हैं, आधी जनसंख्या मगरे में और आधी मैदानी इलाके में रहती है। मैं पिछले कुछ समय के हालात आपको बताना चाहता हूं। मगरा क्षेत्र में अधिकांश लोगों के पास मात्र एक या डेढ़ बीघा के खेत हैं और उन्हीं खेतों में कृषि करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन वर्तमान में चूंकि वन क्षेत्र भी है, वन क्षेत्र में जंगली जानवर भी हैं, सुअर हैं, नीलगायें हैं, सियार हैं, चीते, साही, सेली, साम्भर, भालू, बघेरे आदि जानवर वर्तमान में इस क्षेत्र में हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण के चैम्बर पर ताला लगा देंगे, आप यहां बैठकर बात कर रहे हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): इन जंगली जानवरों के हमलों की वजह से गरीब किसान न तो अपनी खेती कर पा रहा है, जो खेती करके अपने जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी खेती को भी नष्ट कर रहे हैं, किसान अपनी फसल को भी नहीं बचा पा रहा है। उनके सामने जीवन का संकट उत्पन्न हो गया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों सात फरवरी को सोहन सिंह पुत्र कालू सिंह, जो धौलिया, ग्राम पंचायत सेन्दड़ा का है, उसके ऊपर भालू ने हमला किया और उसकी खोपड़ी लेकर चले गये। उसको बड़ी गंभीर स्थिति में ब्यावर भर्ती कराया गया। ब्यावर के बाद उसे जयपुर लाया गया, आज भी वह अपनी जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा 5 दिसम्बर, 2019 को सुमित्रा हजारी सिंह, रामगढ़; हुकमा काठात, रामगढ़, उनको व एक छोटी बच्ची को जंगली जानवर मारकर खा गये। कमला नेहपाल सिंह, रामगढ़, उसको भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि मगरे के गरीब किसानों को मुआवजा देकर, जिन-जिन पर हमला हुआ है, जिनकी कृषि, फसलें नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा देकर उनको जीवन-यापन का सहारा प्रदान करे। लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कोई योजना बनाए जिससे मेरे मगरा इलाके के ग्रामीण भाई और बहन भय रहित वातावरण में जीवन-यापन कर सकें और कम से कम मगरा क्षेत्र में जंगली जानवर आबादी में नहीं आएं इसके लिए सुरक्षा दीवार बनाकर उनको राहत प्रदान कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

दूसरे राज्य की महिलाओं को ओ.बी.सी. व एस.सी. में आरक्षण का लाभ

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भादरा जो कि हरियाणा से सटा हुआ है, वहां ओ.बी.सी. की महिलाएं और एस.सी. की महिलाएं शादी करने के बाद जब यहां रहने लग गयीं, सरकार उसके बाद उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं दे रही है। राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से अन्य राज्यों से माइग्रेट होकर राजस्थान में स्थाई तौर पर निवास कर रहे आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने व आरक्षण का लाभ दिये जाने सम्बन्धी परिपत्र के अनुसार ही एस.सी., ओ.बी.सी. की महिलाओं को भी आरक्षण का फायदा दिया जाए ताकि वे चयनित वर्ग का फायदा उठा सकें।

सभापति महोदय, शादी करने के बाद और राजस्थान में स्थाई रूप से बसने के बाद यह जरूरी हो जाता है, इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वह तुरंत इस आशय का आदेश निकाले और उन्हें आरक्षण का फायदा दे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

आयुर्वेद निदेशालय की भर्ती में आरक्षण का लाभ

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद विभाग के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गयी थी कम्पाउंडर व नर्स की भर्ती के लिए। कार्मिक विभाग के द्वारा यह विज्ञप्ति जनवरी, 2018 को निकली, 8 जनवरी को ही सैंट्रल गवर्नमेंट का आय के आधार पर आरक्षण देने का प्रस्ताव आया, जो कि कानून बना था। स्टेट ने 19 फरवरी, 2019 को इस प्रकार का आदेश निकाला कि जो भी भर्ती की विज्ञप्तियां अब कार्मिक विभाग द्वारा निकाली जाएंगी, उनमें आय के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि आयुर्वेद निदेशालय में नर्स और कम्पाउंडर की जो भर्ती हुई, उसमें ई.डब्ल्यू.एस. यानी इकोनोमिकली वीकर सैक्शन को मैरिट का लाभ नहीं दिया गया। जब इसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी कार्मिक विभाग का ध्यान इस ओर दिलवाया गया लेकिन उसके बाद भी जो दस्तावेज सत्यापन वगैरह हुए, उसमें भी कहा गया, पूरे 6 महीने तक सारी कार्यवाही चलती रही परन्तु कार्मिक विभाग द्वारा इसे नहीं सुना गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्री जी, यहां आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।।

श्री अध्यक्ष: आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप ध्यान आकर्षित करें? यह अधिकार मेरा ही है। बैठिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम इकोनोमिकली वीकर सैक्शंस को आरक्षण देना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना, एक प्रकार से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है और इसलिए इसकी मैरिट सूची पुनः बनायी जाए। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती हूं कि आयुर्वेद का जो अजमेर और जोधपुर का निदेशालय विभाग है, वहां पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स, जहां पर अगर पहले भी निकल गयी तो उन्हें वापस से ऐड कर लिया जाए और इस सूची के अंदर इकोनोमिकली वीकर सैक्शंस को जोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में हिन्दुस्तान जिंक से निकले केमिकलयुक्त पानी से फैल रही जानलेवा बीमारियां

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर और उदयपुर ग्रामीण के बीच स्थित है हिन्दुस्तान जावर माइंस। हिन्दुस्तान जावर माइंस का केमिकल युक्त मलबा वहां स्थित टेलिंग डैम के पानी को जहरीला बना रहा है। दर्जनों गांव- जावर माइंस, जावर, कानपुर, भालडिया, कृष्णपुरा, खाखादरा, माताजी खेड़ा, धावडिया, महुवाडा, गुमानफलां, सिंघटवाड़ा, पाडला, देवपुरा, पीलादर, श्यामपुरा, बड़गांव, बाणा, बड़ावली, इससे भी अधिक गांवों में टीडी नदी का पानी बह रहा है और इसमें वेदांता समूह की हिन्दुस्तान जिंक से निकल रहा जहरीला पानी क्षेत्रवासियों के लिये घातक साबित हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कैमिकल युक्त पानी हिन्दुस्तान जिंक द्वारा बनाये गये टेलिंग डैम से ओवरफ्लो होने के बाद आसपास के गांवों के खेतों में सिंचाई के लिये पहुंचकर उन जमीनों को बंजर कर रहा है। कुएं, बावड़ियां और हैंड पम्प का पानी भी उससे प्रभावित हो रहा है। मजबूरी में लोग उस कैमिकल युक्त पानी को उपयोग में ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इससे चर्मरोग, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों से उस क्षेत्र के लोग बहुत भयंकर रूप से प्रभावित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका निदान किया जाए।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर चर्चा। श्री संदीप शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कोटा में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के आरम्भ में देरी

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कोटा ही नहीं अपितु पूरे हाड़ौती सम्भाग के चिकित्सा के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा में न्यू मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं की बहुत लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कोटा शहर और कोटा सम्भाग को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये लगातार प्रयास रहे थे, जिसकी वजह से केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार ने 150 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें से 120 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को देने थे और 30 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने थे। 120 करोड़ रुपये की लागत से सुपर स्पेशलिटी भवन बनकर तैयार हो गया। उस भवन का उद्घाटन भी केन्द्रीय चिकित्सा मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी ने सन् 2018 में चुनाव से पूर्व कर दिया था।

पूर्ववर्ती सरकार के समय 15 करोड़ रुपये व्यय करके इसमें इक्विपमेंट्स लाये गये और उन्हें उस सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में लगा दिया गया, परंतु वर्तमान में हालात ये हैं कि पूरे के पूरे कार्य रुके पड़े हैं। अगर ये कार्य तेजी के साथ प्रारम्भ हो जाएं तो निश्चित रूप से कल ही सुपर स्पेशलिटी सेवाएं प्रारम्भ की जा सकती हैं। मात्र 29 लाख रुपये फायर एन.ओ.सी. के जो राज्य सरकार को भेज रखे हैं और राज्य सरकार ने उन्हें माफ नहीं किया, जिससे यू.आई.टी. उसे हैण्डओवर नहीं कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मैंने इस विषय को लगातार उठाया है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से जानना चाहता हूं कि अपनी पूर्ण राशि कब तक आप प्रदान करके सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में सेवाओं को शुरू कर देंगे। सुपर स्पेशलिटी बहुत आवश्यक है। सुपर स्पेशलिटी ब्लाक में न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, शिशु सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटोलॉजी, कार्डियोथॉरेसिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे विभाग आरम्भ किये जाने थे। इन विभागों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का लाभ जनता को मिल सकता है, साहब।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें अपनी बात। हो गयी आपकी बात।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मंत्री जी बोल दें, साहब एक बार कि सेवाएं कब तक प्रारम्भ हो जाएंगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी का जवाब नहीं। बैठें आप। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

मातृकुण्डिया बांध का पानी बनास में नहीं छोड़ने व बांध की मरम्मत नहीं होने से समस्या

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। मेवाड़ की गंगा बनास नदी के किनारे परशुराम भगवान की एक तपोस्थली है, जिसका नाम मातृकुंडिया है। 40-45 साल पहले वहां मातृकुंडिया का एक बांध बना था। करीब 1200 एम.सी.एफ.टी. की इसकी भराव क्षमता है। बांध की जो पाल है, वह चित्तौड़ में है। भराव क्षमता आपके जिले राजसमंद में है और पानी भीलवाड़ा जिले को जा रहा है। इस बांध के नीचे रहने वाले जितने भी काश्तकार हैं, लोग हैं, बनास के किनारे पर जितने भी गांव हैं, वहां के लोगों को अच्छा पानी मिल सके, वहां का जल स्तर बराबर बना रह सके, इसके लिए 50 एम.सी.एफटी. पानी बनास नदी में छोड़ने के लिए आरक्षित किया गया है। 170 एम.सी.एफटी. गंगापुर और गिलुण्ड के पेयजल के लिए आरक्षित था। 213 एम.सी.एफटी. पानी-दरीबा के लिए जिंक माइंस के लिए दिया जाता है। शेष पानी मेजर फीडर के माध्यम से भीलवाड़ा को जा रहा है।

मेरा इतना आग्रह है कि भीलवाड़ा के पेयजल के लिए यह बांध बनाया गया था, किंतु अब भीलवाड़ा को चम्बल से पानी मिल रहा है। भीलवाड़ा को अब इस पानी की आवश्यकता नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोगों को यह पानी मिले।

मेरा दूसरा निवेदन है कि यह बांध चालीस साल पहले बना था। अब यह पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी पाल खराब हो गयी है। जब भी बरसात में गेट खोले जाते हैं तो मोटरें जली हुई मिलती हैं, सायरन नहीं बजता है और गेट के रस्से टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति है। भयंकर सीपेज हो रहा है। सैकड़ों बीघा में लोगों के यहां पानी भर जाता है। ड्रैनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ड्रैनेज की व्यवस्था करायी जाए। किसानों को या तो मुआवजा दिलाया जाए या पानी की निकासी की व्यवस्था करायी जाए और बांध की मरम्मत की व्यवस्था करायी जाए। आप मेरे पड़ौसी हैं, आप भी जानते हैं। मेरा यह निवेदन है कि भीलवाड़ा को पानी की आवश्यकता की पूर्ति आपने कर दी है, अब यह पानी मेरे क्षेत्र को मिल जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय बिहारीलाल जी।

विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को प्रताड़ना

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, पर्ची के माध्यम से किसान महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे नोखा विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवैल के काश्तकारों की संख्या दस हजार से ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि फसल पकाव का समय है। टिड्डी के हमले से, बेमौसम बरसात से, ओलावृष्टि से किसान की पहले ही पकी हुई फसलें खराब हुईं खेतों में पड़ी फसलें खराब हुईं। प्रत्येक ट्यूबवैल के काश्तकार को दो-दो लाख रुपये तक का नुकसान हुआ है। अब रबी की फसल के पकाव का समय है और बिजली विभाग के कर्मचारी गिद्ध की तरह फसल पकाव के समय टूट पड़े हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वी.सी.आर. भरी जा रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपने अभिभाषण में कहा है कि एक लाख 27 हजार कनेक्शन हमने दिये हैं तो साथ में यह भी लिखते कि कितने काटे, कितनी वी.सी.आर. भरी, कितना नुकसान आपने काश्तकारों को दिया। आप अन्नदाता को बचाने का काम करिए। आप सांप-सीढ़ी का खेल मत खेलिए कि अन्नदाता सौ तक पहुंच रहा है और बीच में 99 पर सरकार सांप की तरह मुंह खोले खड़ी है। काश्तकार मर रहा है। जिस किसान की पीठ पर सीढ़ी लगाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं उस सीढ़ी को खतम करने का काम मत करिए क्योंकि उस सीढ़ी के बिना सत्ता के शीर्ष से किसान जब उतारेगा तो उतरेंगे कैसे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी, आप एम.डी. साहब को निर्देशित करते हुए यह आदेश करें कि फसल पकाव तक काश्तकारों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे और जो काटे गये हैं उनको दुबारा जोड़ा जाएगा और मार्च महीने में उनको छूट प्रदान करते हुए, पैनल्टी और ब्याज माफ करते हुए बाकी बकाया को किश्तों में लिया जाएगा। इससे आपका पैसा भी आएगा, अन्नदाता भी बचेगा वर्ना जिस सीढ़ी पर चढ़कर आप सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं वह सीढ़ी तोड़ देंगे तो कूदेंगे तो चोट लगेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री छगन सिंह।

जालौर, सिरोही एवं पाली जिले के भेड़ पालकों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे क्षेत्र के जालौर, सिरोही और पाली, तीनों जिलों में देवासी समाज पशुपालन का काम करता है। वे भेड़ें और गायों का पालन करते हैं। राजस्थान में जालौर, सिरोही और पाली में ओरण और गोचर नहीं होने के कारण वे मध्य प्रदेश और गुजरात में पशु चराने के लिए जाते हैं। वैसे भी उनकी सुरक्षा के कभी इंतजाम नहीं होते और देवासी समाज जब मध्य प्रदेश में, मालवा में जाता है तो उनके साथ चोरियां होती हैं, उनके साथ मारपीट होती है, उनको मार भी दिया जाता है फिर भी हमारे क्षेत्र में कोई कार्यवाही नहीं होती। उसके उपरान्त फिर भी वे पशु और अपनी भेड़ें चराने के लिए लेकर जाते हैं। इस बार मालवा में अतिवृष्टि के कारण खूब बारिश हुई, अख़बार में भी आया है कि करीब 22 हजार भेड़ें मरी हैं। मैं खुद मालवा, मध्यप्रदेश गया था। वहां खरगोन, खण्डवा और होशंगाबाद जिले में गया। मैंने उस समाज की स्थिति देखी तो मेरी आंखों में भी पानी आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से चित्तौड़ में बाढ़ के कारण भेड़ें बही थीं उसमें 3 हजार तो मुख्य मंत्री जी ने दिये थे और 3 हजार आपदा राहत ने दिये थे उसी प्रकार से आप भी 6 हजार रुपये मेरे पशुपालकों, भेड़पालकों को मुआवजा देकर उन्हें जिन्दा करें। मध्य प्रदेश में भी वे कह रहे हैं आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाएं तो 22 हजार भेड़ों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ सकती, डाक्टर भी मना करते हैं तो आप ऐसा नियम बना दीजिये कि वहां के सरपंच और सचिव ने जो लिखकर दिया है उसके अनुसार उनको मुआवजा दिया जाए, यही मेरा निवेदन है। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। अधिसूचना।

श्री हरीश चौधरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 14 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री हरीश चौधरी)

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/70 दिनांक 25.6.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम,1957 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.9(133)राज-6/2015/77 दिनांक 3.7.2019, जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.9(133)राज-6/2015/83 दिनांक 18.7.2019, जिसके द्वारा जिला-जोधपुर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर एवं भीलवाड़ा में सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वरिष्ठतम निरीक्षक, भू-प्रबन्ध द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकृत किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/84 दिनांक 22.7.2019, जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कतिपय परीवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.6(26)राज-6/2014/89 दिनांक 25.7.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.6(1)राज-6/14/98 दिनांक 9.9.2019, जिसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर की अनुपस्थिति या स्थानान्तरण पर, उनकी शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु कतिपय लिंक अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.1(3)राज-6/2011/पार्ट/100 दिनांक 17.9.2019, जिसके द्वारा रेल विभाग के लिए धौलपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाली निजी खातेदारी की भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/102 दिनांक 18.9.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में संशोधन किया गया है;

(श्री हरीश चौधरी)

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.6(54)राज-6/2001/पार्ट/108 दिनांक 25.9.2019, जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/110 दिनांक 11.10.2019, जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कतिपय परीवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.1(17)राज-6/2019/112 दिनांक 17.10.2019, जिसके द्वारा राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/132 दिनांक 21.11.2019, जिसके द्वारा राजस्थान राजस्व (भूमि अभिलेख निपटान और उपनिवेशन) अधिनस्थ सेवा नियम, 2019 विरचित किये गये हैं;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.6(34)राज-6/14/149 दिनांक 17.12.2019, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है; एवं

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43) राज-6/16/03 दिनांक 3.1.2020, जिसके द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कतिपय परीवीक्षाधीन अधिकारियों को विभिन्न जिलों में सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री सचिन पायलट।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2018-19)

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018-2019 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2017-18)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्री अमीन खां।

समिति प्रतिवेदन

अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (क्रम संख्या 1)

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2019-2020 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री नारायण सिंह देवल।

याचिका

रानीवाड़ा-जाखड़ी-धानोल-भवरिया-धामसीन सड़क पर जाखड़ी के पास नदी पर पुल निर्माण

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, रानीवाड़ा-जाखड़ी-धानोल-भवरिया-धामसीन सड़क पर जाखड़ी के पास नदी पर पुल निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

पादरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र के पादरू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 4 बजे लीडर आफ अपोजिशन अपना भाषण देंगे, 5 बजे मुख्य मंत्री जी देंगे। बाकी सदस्यों से निवेदन है कि समय का जो निर्धारण आपकी पार्टी के व्हिप ने किया है उस टाइम को एढर करें।

(श्री अध्यक्ष)

श्री जितेन्द्र सिंह, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रारम्भ करेंगे। डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपनी अभिव्यक्ति पेश करता हूं। माननीय आनरेबल स्पीकर सर, 2013 में जब कांग्रेस सरकार गयी उस समय रेवेन्यू सरप्लस 396 करोड़ था और गत 5 वर्षों में यह राजस्व घाटा बढ़कर 27 हजार करोड़ पहुंच गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हैल्थ से चालू करना चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने राइट-टू-हैल्थ, उसको प्राथमिकता दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1993 में माननीय राजेन्द्र जी स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री थे, उस समय सारा सुपर स्पेशलिटी मेडिसन में घुसा हुआ था, लेकिन वह शुरूआत हुई और उस एक हार्ट वाल्व के सिर्फ दस हजार रुपये मिलते थे, सैकण्ड वाल्व के फिर दस हजार रुपये मिलते थे।

(12.28 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

वहां से जो शुरूआत हुई तो आज कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भारत के अच्छे महकमों में से बन गया जहां पर हजारों एंजियोग्राफी, हजारों एंजियोप्लास्टी और उत्तरी भारत का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट आपरेशन एस.एम.एस. हास्पिटल में हुआ। महोदय, पूरे विश्व में एक दिन में एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता है। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट साउथ अफ्रीका में डाक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड ने किया था। लेकिन he has survived only for 36 hours. जिस तरह से एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर बाईपास सर्जरी हुई, मैं धन्यवाद दूंगा हैल्थ मिनिस्टर साहब को और हमारे मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी को कि it is not a small thing, bypass transplant is a very big thing.

माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान गरीबी किसी को नहीं दे। मैंने डॉक्टर के रूप में बहुत से नजारे देखे हैं। मैंने बूढ़े बाप के कन्धे पर जवान बेटे की लाश को जाते देखा है, मां की गोद में तड़प-तड़पकर बच्चों को दम तोड़ते

(श्री जितेन्द्र सिंह)

देखा है। एक बार तो, माननीय सभापति महोदय, एक नव-वधू की गोद में उसके पति ने आखिरी सांस ली। मेरे पिताजी भी चिकित्सक थे। जब मैं पूछता था तो चौधरी की आंख में आंसू आ जाते थे कि डाक्टर साहब पैसा नहीं है। चौधरी का इकलौता बेटा इसलिए मर गया कि उसके पास इलाज का पैसा नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक शुरूआत की फ्री मेडिसन की, फ्री जांचों की। करीब 700 के करीब नयी जांचें होती हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो-जो भी राय दी, 'streptokinase' हार्ट के लिए यूज होता है, आज वह पी.एच.सी. पर भी उपलब्ध है। इस तरह से मेडिकल के फील्ड में और भी एडवांस हुए और 15 मेडिकल कालेजेज बने। मेडिकल कालेज का मतलब सिर्फ मेडिकल कालेज नहीं होता है, वह एक जिले का स्टेंडर्ड, जिले में मेडिकल कालेज का एक अपना स्टेंडर्ड बना है, 400 बैडेड हास्पिटल बनेगा और उसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा और एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के ऊपर जो प्रेशर है वह प्रेशर कम होगा। माननीय सभापति महोदय, कैंसर, किडनी और हार्ट, ये बड़ी जानलेवा बीमारियां हैं और सीनियर सिटीजंस को जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि ये चीजें सदियों तक याद रखी जाएंगी कि गरीब किस तरह से अपने आपको बचा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में आजादी के बाद से 2008 तक टोटल जनरेशन 6 हजार मेगावाट बिजली का था और मात्र पांच साल के अन्दर 6 हजार मेगावाट बढ़कर 12 हजार मेगावाट हो गया। यानी जो 70 साल में नहीं हुआ वह पांच साल में 2008 से 2013 के उस समय में हुआ।

माननीय सभापति महोदय, A day will come when there will be no electricity, there will be no gas, there will be no petrol, लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व के अन्दर सोलर एनर्जी है। यह एक नया आयाम प्रस्तुत करेगी। माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर अकेला हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा नेवादा डेजर्ट के बाद...

श्री सचिन पायलट (उप मुख्य मंत्री): हमारे दो केबिनेट मंत्री ऐसी जगह बैठे हैं, जहां सम्भवत: उनके हृदय परिवर्तन की कोशिश हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन्हें वापस भेज दें, यहां पर।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यहां बैठने की इच्छा है तो इनका स्वागत है।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर में

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा 5.72 परसेंट कन्सन्ट्रेशन है जो नेवादा, यू.एस.ए. के बाद सबसे बड़ा है। अकेले जैसलमेर में इतनी क्षमता है कि अगर पूरे भारत में कोयला नहीं मिलेगा तो जैसलमेर अकेला पूरे भारत को बिजली दे देगा। यह हमारा बहुत बड़ा प्लस पाइंट है। माननीय सभापति महोदय, सोलर एनर्जी में आज हम पूरे देश में दूसरे नम्बर पर हैं। सोलर से करीब 3068 मेगावाट होती है। विंड में हम तीसरे नम्बर पर हैं, 4310 मेगावाट होती है। बायो गैस से 120 होती है। यानी, ऊर्जा के क्षेत्र में नव राजस्थान, जो राजस्थान सबसे पिछड़ा माना जाता था, ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में राजस्थान की गिनती होती है।

सभापति महोदय, अगली बात मैं बताना चाहूंगा उस समय 2008 और 2013 के बीच में 25 हजार टैक्निकल हैल्पर्स की भर्तियां की गयीं। छबड़ा और सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशंस बनाये गये। मुझे दुःख है कि जो 25 हजार भर्तियां थीं, उन बच्चों को हटाकर, प्राइवेट सैक्टर के अन्दर 33 के.वी. जी.एस.एस. को चलाया जा रहा है। जिसको पुन: सोचकर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।

सभापति महोदय, पानी में आप जानते हैं, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, एक परसेंट है। we have to depend on surface water only. जो हमारे पास इंदिरा गांधी नहर है। मैं बधाई दूंगा मुख्य मंत्री जी को इंदिरा गांधी नहर से शेखावाटी को पानी दिया। उन्होंने सीकर, झुंझुनूं को दिया, हमारे फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को दिया, सरदारशहर को दिया। आलरेडी गंगानगर, हनुमानगढ़ कवर होते थे। नागौर में, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप बैठे हैं। उनके सातों विधान सभा क्षेत्रों में 3200 करोड़ के प्रोजैक्ट बने और आगे तक बने। भरतपुर के अन्दर चम्बल से पूरे जिले के अन्दर पानी आया। अलवर के लिए अलग से 3200 करोड़ रुपये पास किये। इस तरह से पूरे राजस्थान के अन्दर सरफेस वाटर पर, हमारा जो बीसलपुर डैम है, बीसलपुर डैम से जयपुर, अजमेर एण्ड रेस्ट आफ द सबको कवर किया जा रहा है। अल्टीमेटली हमें सोचना है, नर्मदा रिवर से बाड़मेर, जालौर कवर होते हैं। पूरे कंट्री में जो नर्मदा का सिस्टम है, उसको पहली बार एक्रेडिटेशन में रखा है और नम्बर 2 आई.जी.एन.पी. को रखा है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा एजुकेशन सिस्टम के लिए, रिजर्वेशन के लिए। माननीय सभापति, मैं

(श्री जितेन्द्र सिंह)

आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी हाउस में बैठे हैं शायद उनको पता नहीं होगा। मैं 1998 में हायर एजुकेशन मिनिस्टर था। उस समय शिक्षा के क्षेत्र में एस.सी. का रिजर्वेशन टोटल 8 परसेंट था, एस.सी. का रिजर्वेशन 1998 में एजुकेशन में सिर्फ 8 परसेंट था और एस.टी. का रिजर्वेशन सिम्पली 6 परसेंट था। Reservation is directly proportional to the population. उस समय 1998 में माननीय मुख्य मंत्री जी से चर्चा कर 8 का तो 16 परसेंट और 6 से 12 परसेंट एस.टी. का रिजर्वेशन हुआ। यह आर.टी.आई. के माध्यम से आप निकालकर देख सकते हैं, सरकार ने किया, जस्ट डबल किया और ओ.बी.सी. का 21 परसेंट किया।

माननीय सभापति महोदय, इस रिजर्वेशन ने न जाने क्या-क्या किया है। मैंने सवाई मानसिंह अस्पताल के मुर्दाघर में बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई लाशें देखीं। मैंने उन बच्चों को देखा है, जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए अपनी जानें दे दीं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, उप मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 5 परसेंट रिजर्वेशन किया और उसका फायदा हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक दिन बैठा था। एक बच्ची आयी उसके साथ फटे हुए कपड़े पहने, फटे हुए जूते पहने, एक शख्स थे। एक घूंघट निकाले हुए महिला थी। बच्ची ने मेरे पांव छुए। मैंने कहा, बेटा, मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, रिजर्वेशन के कारण आज मैं आर.ए.एस. में सलैक्ट हुई हूं। ये मेरे पिताजी हैं ये ईंट भट्टे के ऊपर मजदूरी करते हैं। ये मेरी मां है, इन्होंने पढ़ा लिखाकर आज इस काबिल बनाया है। तो, रिजर्वेशन में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एम.बी.सी. के अलावा जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष बात की, जो केन्द्र सरकार द्वारा 10 परसेंट इकोनोमिक बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन किया था, उसके अन्दर उन्होंने जो राशि है, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी जायदाद, उसको डिलीट करते हुए सिर्फ आठ लाख की सीमा रखी और उसमें 36 कौम को फायदा हुआ है।

सभापति महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। पंचायती राज में गरीबों को मकानों का बहुत फायदा हुआ है। साढ़े तीन लाख परिवारों को फायदा हुआ है डेढ़-डेढ़ हजार से। सभापति महोदय, मैं स्वयं मेरे विधान सभा क्षेत्र में गया। एक वृद्ध महिला मेरा हाथ खींचकर बोली, डाक्टर साहब, मेरा मकान देखिए। सरपंच बोले यह तो पागल है, क्या देखेंगे। सभापति महोदय, मैं गया, मैं दृश्य नहीं देख सका उसके मकान में एक-एक फीट पानी भरा था,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कच्चा छप्पर था, छतरी भी नहीं थी, उसने बोरी ओढ़ रखी थी। उधर उसकी बहू और बच्चे खड़े थे और उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, मैंने सुना है, आपकी सरकार मकान बना रही है। वह कुछ अगर मदद ले, तो एक छोटी से पोटली में, उसका मंगलसूत्र था, उसके पचास रुपये, चांदी के रुपये, जो उसके मृत पति ने दिये थे, वे रखे थे। मैंने कहा मामी तुम्हें अपने लिए मकान नहीं चाहिए? उसने कहा, डाक्टर साहब, मेरी जिन्दगी विधवा के रूप में निकल गयी, मेरे इस बेटे और बेटी को चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनाये और उन्होंने व्यवस्था की।

सभापति महोदय, लम्बी बात नहीं कहूंगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, गुरु गोविन्द सिंह ने कहा है कि "सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा-पुर्जा कट मरे, कबहू न छोड़े खेत। हम सब लोग जो हाउस में बैठे हैं, हम समर्पित हों गरीबों के लिए, आपस में चाहे आप हों या हम हों। लास्ट में, माननीय सभापति महोदय, आपके लिए बता दूं स्वामी विवेकानन्द का नाम विविशानन्द था और खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने उनको शिकागो भेजा था। खेतड़ी राजा अजीत सिंह जी ने उनका नाम विवेकानन्द रखा था। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है- 'make the nerves of steel, muscles of iron', nobody can change your way. कोई भी नेता, कोई भी हमारा साथी, जो हाउस में बैठा है, वह गरीब के लिए समर्पित होगा और जो राज्य सरकार ने गरीब के लिए किया है, इसको सदियां याद रखेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मैं इसकी कुछ पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की उस प्रति में 35 पृष्ठ हैं। लगभग एक वर्ष बाद उन्होंने अपने श्रीमुख से यह अभिभाषण यहां रखा। ठीक एक वर्ष पहले इनके पूर्व के राज्यपाल महोदय ने यहां पर वह अभिभाषण पढ़ा था, उसकी पृष्ठभूमि में एक जन घोषणा पत्र भी है जो मौजूदा सरकार ने लगभग सवा वर्ष पहले जारी किया था, 35 पेज थे, 1416 वायदे थे। इन 1416 वायदों में, मैं यह मानता हूं इसका यदि प्रतिशत निकाला जाए तो इस सरकार का ठीक तरह से पोस्टमार्टम हो जाएगा।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण किसी सरकार का प्रतिबिम्ब होता है, आईना होता है, एक विजन डाकूमेंट होता है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड होता है। इस सरकार को लगभग सवा साल हुआ, यूं तो समय की कोई बाध्यता नहीं होती कि सरकार कब सफल होती है और कब विफल होती है लेकिन यह जरूर है कि सरकार ने सफलता के 100 दिन भी मनाये, एक वर्ष का जश्न भी मनाया। आम तौर पर यह परिपाटी है कि इस तरीके से जब कोई अवसर होता है तो कोई जन्म दिन मनाता है, विवाह की वर्षगांठ मनाता है, कोई सरकार की सफलता की भी वर्षगांठ मनाता है। मैं उस जन घोषणा पत्र से और माननीय राज्यपाल महोदय के इस दूसरे अभिभाषण के दौर में आऊं तो इस सरकार के खाते में पिछले सवा वर्ष में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, लचर कानून व्यवस्था, इससे रिलेटेड अनेक ऐसे मुद्दे और मसले, जिनका उल्लेख करूंगा तो इस सरकार की पोल खुल जाएगी। यह सरकार जब काबिज हुई तो असत्य के आधार पर हुई और मुझे अफसोस है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से भी यह असत्य इन्होंने निकलवाया, जो शायद संवैधानिक परम्पराओं के विपरीत है। जब चुनाव हुए तो केवल 99 सीटें आयीं। 0.5% वोटों का फर्क था। आज राजस्थान की जनता कहती है कि कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में काबिज हुई है तो यह बाई डिफाल्ट हुई है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि सरकार ने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से असत्य कहलवाकर एक संवैधानिक अपराध ही किया है। मैं चाहता हूं कि इस सवा साल में इस सरकार ने जो पाप किये हैं उसकी माफी जनता से मांगे।

महोदय, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह फर्ज है कि उसने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र के जितने बिन्दु हैं उनकी परफार्मेंस लोगों के सामने रखे। दो बड़े असत्य तो साफ तौर पर हैं, किसानों की कर्ज माफी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा असत्य शायद भारत के इतिहास में नहीं बोला गया होगा। कदाचित राजस्थान के भोले-भाले किसानों ने हो सकता है इस बात पर इनको मत भी किया होगा, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय नेता के मुख से यह कहलवाकर कि एक से 10 तक की गिनती और 10 दिन में किसानों का पूरा कर्ज माफ, इस तरीके से लीपापोती करके जो दृश्य बना है, सभापति महोदय, इसी कर्ज माफी के मकड़जाल में

(श्री सतीश पूनियां)

यह सरकार क्या जवाब दे पाएगी। किसान लादू सिंह, तेलाड़ा, अजमेर के रहने वाले, जिन्होंने 20 मई, 2019 को आत्महत्या की। 25 मई, 2019 को बालू राम मीणा, निवारिया, टोंक; 5 मई, 2019 को गड्डू सिंह भागली, सिंहलाज, जालौर; 23 मई, 2019 को सोहनलाल कड़ेल, खाकरी, श्रीगंगानगर के; 5 जुलाई, 2019 को ताराचंद मेघवाल, कोलिंडा का वास, झुंझुनूं; 13 सितम्बर, 2019 दो एसटी, श्रीगंगानगर; 20 सितम्बर, 2019 बद्री गुर्जर, कोलवा, दौसा; 25 नवम्बर, 2019 लालचंद, पुनूसर, चूरू और 25 सितम्बर, 2019 धर्मपाल सुथार, सिलवानी, श्रीगंगानगर। माननीय सभापति महोदय, 23 जून, 2019 को जो आत्महत्या सोहनलाल कड़ेल ने की, उसने अपना एक लाइव वीडियो जारी किया और उस लाइव वीडियो में माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय के खिलाफ साफ तौर पर यह कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये दो लोग हैं, यह सरकार है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि उस किसान के लाइव वीडियो के आधार पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की और इन किसानों के परिवारों को किस तरीके से राहत प्रदान की। ऐसी मौत के सिलसिले सैकड़ों हैं जो किसी न किसी उपक्रम से परेशानी में जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं या जिनकी मौतें हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला असत्य और इस असत्य का भूत, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन किसान परिवारों की बद्दुआएं और किसान कर्जे का भूत इस सरकार को जब तक सत्ता से उतारेगा नहीं तब तक यह भूत उतरेगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में बिन्दुवार बहुत सारी चीजें कही गयी हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस असत्य के साथ-साथ इस प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, बीमार चिकित्सा व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का षड्यंत्र सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी दम भरती है कि राजस्थान की नागौर की धरती से ही पंडित नेहरू जी ने पंचायती राज की शुरुआत की और उनको मजबूती की बात यदा-कदा ये लोग करते हैं। लेकिन 1993 के बाद पहला दृश्य उत्पन्न हुआ है जब प्रशासक लगे हैं। अभी तो यह स्पष्ट नहीं है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कब होंगे। इन्हीं की पार्टी के विचार के बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सरपंच के लिए अपना आवेदन दिया, वह बंद लिफाफों में है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों की उनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद भी दोबारा लाटरियां हुईं और उन पर कुठाराघात हुआ। मुझे लगता है कि यह सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने के पाप से बच नहीं सकती है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पृष्ठ-3 के पैरा नम्बर-3 पर इन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी। मैं अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करूंगा कि जिन्होंने बड़े निरपेक्ष तरीके से उदयपुर में मीरा गर्ल्स कालेज में यह साफ तौर पर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून केन्द्र द्वारा पारित कानून है, इसको लागू करने की संवैधानिक बाध्यता राज्य सरकारों की है। उन्होंने गांधीजी का उल्लेख किया। डाक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उल्लेख किया। मैं मानता हूं कि सदन, संसद, लोकतंत्र और संविधान, ये भारत की ताकत हैं लेकिन शायद जिस तरीके से असत्य की बात मैंने कही, इतना सत्ता का दम मैंने पहली बार देखा है कि एक तरफ संसद से पारित कानून और उस कानून की इसी सदन में इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएं। इसी तरीके से जयपुर की सड़कों पर शांति के नाम पर अशांति मार्च निकाला जाए, लोगों को गुमराह किया जाए। मैं इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन करूंगा कि जिनके साहसिक फैसले के कारण भारत के ऐसे हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध इन तमाम लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी और उनको इज्जत और सम्मान मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जिन्होंने इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से संविधान की दुहाई दिलवायी, गांधीजी का उल्लेख किया, आज वही लोग, वही माननीय मुख्य मंत्री और वही सरकार व उनके नुमाइंदे जिस तरीके से भारत के संविधान और भारत की संसद के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पारित करवाते हैं और जिस तरीके की गुमराह करने की बातें करते हैं, मुझे लगता है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारत की संसद के खिलाफ कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): बिलकुल संसद के खिलाफ किया है आपने। किसके खिलाफ किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): संसद ने पारित किया है कानून ... (व्यवधान) संसद ने पारित किया है। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हमने पुनर्विचार के लिए कहा है। पुनर्विचार के लिए कहा है, इस पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): ...(व्यवधान) संसद ने पारित किया है।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सतीश जी पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं यह नागरिकता संशोधन कानून सिरोही की नगरपालिका ने पारित नहीं किया, संसद ने किया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप प्रोसीडिंग दिखवा लीजिये।

श्री सभापति: हां, दिखवा देंगे। आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजें। दिखवा देंगे। अब विराजें आप।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ, यह सिरोही की नगरपालिका ने नहीं किया संसद ने किया है। मैं संसद की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं भी संसद की ही बात कर रहा हूं। संसद के द्वारा पारित कानून के खिलाफ, मैंने सिरोही की नगरपालिका का जिक्र नहीं किया है यहां पर। मैं संसद का ही कर रहा हूं। भारत की संसद का कर रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): संसद के खिलाफ कौनसा प्रस्ताव पारित किया है?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं संसद के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं। संसद से पारित जो नागरिकता संशोधन कानून है उसके खिलाफ और भारत की संसद ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप प्रोसीडिंग दिखवा लीजिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): ...(व्यवधान) दिखवा लीजिए, आपने संकल्प पारित करवाया है। आप थूककर चाट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह घोषणा पत्र है आपका। थोड़ी शर्म करें, कुछ तो शर्म करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह आपका जन घोषणा पत्र है और उसी में नागरिकता का उल्लेख, 37 नम्बर पेज, कुछ तो शर्म करें, इतना असत्य तो मत बोलें...(व्यवधान) मैं जो बोलूंगा वह आपको असत्य ही लगेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, +++ शब्द का उपयोग न करके आप इसकी जगह असत्य या अन्य कोई शब्द प्रयोग कर लें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मुझे खुशी हुई कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, +++ असंसदीय होगा तो असत्य पर मेरे मित्र लोग मेजें थपथपा रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, तीन बड़े मसले जिनका जिक्र मैं करना चाह रहा था और उसमें एक चौथा मसला पंचायती राज संस्थाओं का है। मैंने किसान कर्ज माफी की बात की, अभी तक इस सरकार ने न तो इससे इन्कार किया न स्वीकार किया। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, जो दो बड़े ऐसे कारक थे, जिनको लुभाया जा सकता था, एक विज्ञप्ति निकली कि हम लोग नौजवानों से आवेदन लेंगे और ऐसे नौजवानों में जो युवती होगी उसको 3500 रुपये और युवक को 3000 रुपये हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे लगता है कि जो आंकड़े मुझे दिये गये, किसी संदर्भ में राजस्थान की सरकार ने उल्लेख किया कि ऐसे लगभग 27 लाख बेरोजगार हैं। एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि लगभग 10 लाख लोग ऐसे पंजीकृत बेरोजगार हैं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात कही गयी है उसमें एक लाख 58 हजार के लगभग लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा असत्य नहीं हो सकता कि 10 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को वादा करने वाली यह सरकार केवल डेढ़ लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देकर लीपापोती कर ले, यह सरकार की बानगी दिखती है।

इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने के उस षड्यंत्र के बारे में अभी तक सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं है। मुझे लगता है इनको इस बात का इल्म नहीं है कि नेहरू जी ने जिस मंशा के साथ इसकी शुरूआत की थी, मुझे लगता है कि नेहरू जी का सम्मान करना भी कांग्रेस पार्टी भूल गयी। यदि इनमें जरा सी भी शर्म होती तो शायद पंचायती राज संस्थाओं को इस तरीके से फुटबाल नहीं बनाते। यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। राजस्थान के निर्वाचन आयोग ने यहां के विभाग को चिट्ठी लिखी कि इतनी तारीख तक आप इसकी तैयारी कर लें। मई के लिये कहा गया, जून तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई कार्यवाही शुरू नहीं हुई और अब हालत यह है कि उप मुख्य मंत्री, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं, वे चुनाव आयोग को निर्धारित समय में चुनाव करवाने की बात करते हैं लेकिन तब तक बिलकुल सांप निकल चुका होता है और इस प्रदेश में

(श्री सतीश पूनियां)

1993 के बाद यह पहला दृश्य उत्पन्न हुआ कि प्रशासक लगे और पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस प्रदेश में इन दिनों टिड्डी की चर्चा बहुत ज्यादा हुई है और मंत्री जी पिछले दिनों जवाब भी दे रहे थे, अभी विराजे हैं, यह आज की अपडेट है, टिड्डी के बारे में खूब बातें कही गयीं, केन्द्र के बारे में भी तोहमत लगायी गयी। लेकिन मैं यह मानता हूं कि राज्य सरकार ने न तो संवेदनशीलता बरती और न कोई एहतियाती उपाय किये। उसकी बानगी यह है कि यहां पर चर्चा के बाद भी, हालांकि राजस्व मंत्री जी टिड्डियों को भगाने के लिये खुद पीपा बजा रहे थे और बात बड़ी-बड़ी कर रहे थे, लेकिन मेरे पास अभी एक पत्र आया, उसमें लगभग जैसलमेर जिले में ही ऐसे 200 ट्रैक्टर अभी काम कर रहे हैं जो स्प्रे करके किसानों की मदद करते हैं। यह आयुक्तालय की एक जनवरी की चिट्ठी है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालौर में लगभग 400 ऐसे ट्रैक्टरों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। बातें सरकार टिड्डी के नियंत्रण की करती है जबकि केन्द्र सरकार में हमारे कृषि मंत्री जी ने लोक सभा में जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां के किसान को प्रति दो हैक्टेयर 13 हजार, जिसमें 5 हजार रुपये और केन्द्र सरकार ने जोड़कर एस.डी.आर.एफ. के पैसे से उनको मदद करने की कोशिश की है और पेस्टीसाइड में सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। केन्द्र सरकार के संज्ञान में जो मसले आये, उसमें टिड्डी मारने के लिये 60 नयी मशीनें केन्द्र सरकार ने खरीदी हैं।

मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया कि भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से कर्ज माफी का असत्य बोला, जिस तरीके से बेरोजगारों से असत्य बोला, जिस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर किया और जिस तरीके से इस राजस्थान में कानून व्यवस्था का जो दृश्य बना, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकार्ड यह कहता है कि राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त प्रदेशों में है। अपराध के साथ-साथ जिस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार की बानगी हुई, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले सवा साल से 2,42,710 ऐसे मुकदमे पहली बार राजस्थान के इतिहास में दर्ज हुए हैं जो पिछले वर्ष से 31 प्रतिशत ज्यादा हैं। महिलाओं के अत्याचार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई। 2019 में 41,155 मुकदमे दर्ज हुए, जो पिछली बार से 49.14 प्रतिशत ज्यादा हैं। यह कांग्रेस पार्टी अपने आपको

(श्री सतीश पूनियां)

दलितों की हितैषी बताती है, लेकिन इसी सरकार के इसी शासन में दलितों के खिलाफ 2019 में 6,794 मुकदमे दर्ज हुए जो पिछली साल के मुकाबले 47 प्रतिशत ज्यादा हैं। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के अत्याचार के 2019 में 1,797 मुकदमे दर्ज हुए जो पिछली बार के मुकाबले 64 प्रतिशत ज्यादा हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनेकों ऐसी एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा जाता है कि राजस्थान में इस समय 78 प्रतिशत लोग अपने कामों के लिये रिश्वत देते हैं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर इस तरह से होता है। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसका अलग-अलग तरीके से उल्लेख किया है। मैं बात लम्बी करूंगा, लेकिन अलग-अलग मदों में जिस तरीके से लोगबाग भ्रष्टाचार के लिये रिश्वत देते हैं, राजस्थान में प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन और लैंड इश्यूज के लिये 44 प्रतिशत और पुलिस के महकमों में 33 प्रतिशत, इलैक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट में लगभग 23 प्रतिशत, इस तरह 78 प्रतिशत लोग राजस्थान में इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको अपने कामों के लिये रिश्वत देनी पड़ी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से दो मिनट का समय और चाहूंगा।

इस सरकार की बुनियाद, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हुई थी, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार की बुनियाद दो लोगों की महत्वाकांक्षाओं के आधार पर हुई थी। दो लोगों की महत्वाकांक्षाओं के आधार पर इस सरकार का गठन हुआ और आज सरकार लगभग दो भागों में विभक्त साफ तौर पर दिखाई देती है। फासले इस कदर हैं आजकल रिश्तों में, जैसे कोई घर खरीदा हो किश्तों में। यह सरकार लगभग इसी तरीके से चल रही है, किश्तों में चल रही है। ऐसी ख्वाहिशें दिखायीं इस अभिभाषण के माध्यम से, छू लेता शायद मैं भी उचक कर चांद को, खुदा ने ख्वाहिशें तो दी हैं मगर हाथ छोटे रखे हैं। इस सरकार का दिल भी छोटा, हाथ भी छोटे, कर्म भी छोटे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस सरकार का अंदाज तो अच्छा है, तेरा हर अंदाज अच्छा है सिवाय नजरंदाज के। यह जो अभिभाषण था, सरकार के एक वर्ष की जो परफोर्मेंस थी, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से हर मोर्चे पर यह विफल सरकार भला नहीं कर सकती। भला हो

(श्री सतीश पूनियां)

देश के प्रधान मंत्री मोदी जी एवं उनकी सरकार का जिन्होंने इस देश के बुनियादी मसलों का समाधान किया। चाहे राम मंदिर का मसला हो, चाहे नागरिकता संशोधन कानून का मसला हो, चाहे अनुच्छेद 370 हो, इस देश को स्वाभिमान भी दिया और बड़े मसलों का समाधान करके एक तरफ बुनियादी विकास को ताकत दी। उन्होंने तो प्रधान मंत्री आवास योजना लागू कर दी, यू.डी.एच. मंत्री महोदय अभी यहां पर नहीं हैं। प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में केवल 39 प्रतिशत काम हुआ है। केवल 32 हजार मकान प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास में बने हैं, जो कि कम हैं। ये अपने टार्गेट को भी अचीव नहीं कर सकते हैं। प्रधान मंत्री किसान निधि जो कि राजस्थान के किसानों को मिलनी चाहिए थी, अनेक किसानों का डाटा एन.आई.सी. पर अपलोड नहीं होने के कारण उनको इस निधि से वंचित रहना पड़ा। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, जो इनकी प्राथमिकता में नहीं हैं। प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। ऐसे ही पूर्व सरकार की योजनाओं की तरफ भी यह सरकार मंशा रखती है, चाहे राजश्री हो, चाहे अन्नपूर्णा हो। इस तरह की तमाम योजनाओं को बंद करने की मंशा रखती है। राजस्थान में भामाशाह बीमा योजना ऐसी पहली योजना थी, जिससे 30 लाख लोगों ने 2800 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लिया था, लेकिन अभी एक वर्ष से राजस्थान का मरीज दर-दर भटक रहा है। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभिभाषण में जो बातें महामहिम के मुख से कहलवायी गयीं, मुझे लगता है कि वह असत्य का पुलिंदा थीं। यह सरकार जब निश्चित रूप से जनता के बीच में जाएगी तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी का जवाब इनसे जनता मांगेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा और डा. राजकुमार शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इस सरकार को कार्य करते हुए एक साल हो गया है। एक साल में इस सरकार का जो चिंतन और सोच है, वह इस प्रदेश का आम नागरिक और गरीब आदमी है। उस दिशा में सरकार ने विभिन्न कदम उठाये हैं। यह जो अभिभाषण राज्यपाल ने रखा, उसमें 24 पेज हैं और 122 पैरा हैं, जिनमें विभिन्न विषयों के ऊपर ध्यान दिलाया गया है। मुख्य रूप से जो बड़े विषय हैं, जिन पर ध्यान दिया गया है,

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

वे चिकित्सा और कृषि हैं। कुल 25 पैरा कृषि से रिलेटेड हैं और 10 पैरा चिकित्सा से रिलेटेड हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब कृषि की बात होती है और प्रदेश कृषि के लिये योजनाएं बनाता है, कृषि को हमें टोटली देश के बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन नीतियां भारत सरकार बनाती है। यह बात मैं इस पृष्ठभूमि में कर रहा हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही थी कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, सभापति महोदय, उन्होंने आमदनी दोगुनी बढ़ने की बात की थी, मगर यह हुआ है कि दोगुनी घटी है। आमदनी बढ़ी नहीं है। जब हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी कृषि की आमदनी बढ़ाने की बात कहते हैं, कृषि से सम्बन्धित विषयों के विस्तार की बात करते हैं तो उसको केन्द्र सरकार के आइसोलेशन में हम नहीं देख सकते हैं। आज देश में कृषि की स्थिति क्या है? जी.डी.पी. में कृषि का योगदान मात्र 2 परसेंट है। आपके एक सदस्य ने कहा कि एक साल में कुछ नहीं हुआ। एक साल में सरकार की जो करने की जो इच्छा है और उसका जो संकल्प है, वह इस भाषण में दर्शाया गया है, मगर उसको क्रियान्वित करने के लिए, जो आर्थिक व्यवस्था केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से आज प्रदेश को भुगतनी पड़ रही है, जो कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है, उसके हिस्से के पैसे जो राजस्थान को मिलने चाहिए थे, उसके अनुपात में पैसे नहीं आ रहे हैं।

अभी नरेगा की बात चल रही थी। गरीब आदमी को रोजगार देने की बात थी। वह पैसा भारत सरकार से आता है। मजदूरों ने काम किया, भुगतान नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली से पैसा नहीं आया है। इस पृष्ठभूमि के अन्दर कृषि का जो विस्तार है, उसको उस रूप से, मुख्य मंत्री जिस प्रकार से नक्शा बनाना चाहते हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए इस प्रदेश के लोगों के ऊपर कुछ टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। मैं यहां पर जो बात रख रहा हूं, वह केवल इसलिए नहीं कि मैं जिस पक्ष का हूं उसका समर्थन कर दूं। राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है, जिसमें एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है और एक बार कांग्रेस आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि एक सरकार अच्छी योजनाएं लाकर, जब आपकी सरकार होती है तो आप भी अच्छी योजनाएं लाते हैं, योजनाएं अच्छी आती हैं मगर कमी कहां पर है, क्यों हम अच्छी योजनाएं लाकर भी लोगों को राहत प्रदान नहीं कर पाते हैं। आपका जो डिलिवरी

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सिस्टम है, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है, वह लड़खड़ा रही है।

मैं आपको उदाहरण देता हूं। पुराने समय में चड़स से कुए में से पानी निकाला जाता था। कुए में पानी दिख रहा है। चड़स से बैलों के द्वारा पानी निकालते थे तो आधा पानी बाहर निकलता था, आधा गिरकर वापस चला जाता था। आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि नहीं पलटती है, जिसके माध्यम से हमें डिलिवरी करानी पड़ती है, वह पूरी छिन्न-भिन्न हो रही है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, सरकार पलट जाए, उसके बाद भी उनमें लोगों को राहत नहीं मिलती। मैं उन मुद्दों के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहूंगा।

मैं यहां केवल सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं और आलोचना करने के लिए भी नहीं क्योंकि हम ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्य मंत्री हमारी पार्टी के हैं तो यह हमारा दायित्व बनता है कि अगर हमारा ड्राइवर मोटर चला रहा है और कोई पहिया पन्चर है तो हमें बोलना पड़ेगा कि गाड़ी का यह पहिया पन्चर है, इसे ठीक कराइये, नहीं तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। उसी दृष्टि से मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि गांधी जी की बात की गयी है। गांधी जी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य पर हमने घोषणा की है कि राजस्थान के हर जिले में एक आदर्श गांव होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह एक अच्छी घोषणा की है। गांधी के नाम पर और उनके जीवन के ऊपर उसकी झलक वहां दिखेगी। राजस्थान में 40 हजार गांव हैं और 33 जिले हैं। एक जिले से आपने एक-एक गांव चुना है और घोषणा की है कि वह आदर्श गांव होगा। उसको मॉनिटर कौन करेगा? दिल्ली सरकार के मैम्बर आफ पार्लियामेंट ने एक-एक गांव गोद लिया था। हमारे कोटा से लोक सभा के सदस्य हैं, जो कि आज लोक सभा के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र से गोद लिया था। उस गांव के गीदड़ें आ रही हैं। गोद लेने से ही काम नहीं चलेगा। इनमें काम तो कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो आदर्श गांव हैं, जिनकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है, पांच महीने हो गये हैं, नवम्बर में इसके लिए घोषणा हुई थी। उन आदर्श गांवों की व्यवस्था को कौन देखेगा? क्या यह घोषणा से हो जाएगा? जब आदर्श गांव की गांधी जी के नाम पर घोषणा की गयी है तो मैं हमारी सरकार से मांग करता हूं कि कम-से-कम उस एक गांव में शराबबंदी करें। जब शराबबंदी की बात कर रहा हूं तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में शराब आमदनी का मुख्य सोर्स नहीं होना

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

चाहिए। उससे राजस्व प्राप्त करें, मगर उसको टार्गेट दिया है कि आप शराब पीने का 10 परसेंट लक्ष्य बढ़ाएं, यह सही नहीं है।

इस प्रदेश में ट्यूरिज्म की अपार सम्भावना है। ट्यूरिज्म के सम्बन्ध में एक प्रश्न आया था। हमारे प्रदेश में पर्यटक आते हैं, बड़ी संख्या में और आना चाहते हैं। हमारी सरकार ने, चाहे वह आपकी सरकार रही है। चाहे हमारी सरकार हो, ट्यूरिज्म को वह महत्व नहीं दिया है, जो देना चाहिए था। इसमें क्या किया है, अभी जो हैरिटेज होटल्स हैं, एक तरफ तो हमने बात की है कि हमें हैरिटेज का अवार्ड मिला है, दूसरी तरफ छोटे-छोटे गांवों में जो हैरिटेज होटल्स हैं, जिनकी वजह से विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके ऊपर पांच सौ से आठ सौ गुना अगर सरकार टैक्स बढ़ाये तो मैं समझता हूं कि वह पर्यटन को बढ़ावा नहीं देगी। इसी प्रकार ट्यूरिज्म पर पहली सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। अभी कोटा के माननीय सदस्य आये थे, उन्होंने प्रश्न किया था। मैं इस बात को पीड़ा के साथ कहता हूं कि राजस्थान में ट्यूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं, उसके लिए हम जो बजट देते हैं, वह नगण्य है। केरल, जो हमारे प्रान्त से साइज में बहुत छोटा प्रान्त है, उसका बजट राजस्थान से कहीं ज्यादा है। इसलिए ट्यूरिज्म पर सरकार वापस विचार करे कि जो टैक्स लगाया है, उसको कम करे।

कुछ घोषणाएं सरकार ने की हैं। सरकार ने घोषणा की सिलिकोसिस नीति की। सरकार की बहुत अच्छी घोषणा है कि अनेक मजदूर जो खानों में काम करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई सुनने वाला नहीं है। मगर इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसको देखेगा कौन कि उसको कुछ रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? 'राइट टू हैल्थ' की बात की। यह सरकार की बहुत बड़ी घोषणा है, जैसे 'राइट टू एजुकेशन', 'राइट टू इन्फोर्मेशन'। 'राइट टू हैल्थ' की सरकार ने जो घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से आम नागरिक को इसका बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने एक और घोषणा की कि तीन नगर निगम और नये बनाएंगे। जो बड़े नगर निगम हैं, उनमें एक नगर निगम और बनेगा। दो हो गये। कोटा में एक मेयर था, दो बैठेंगे। मैंने इस सदन में मांग की जब आप यह महसूस करते हैं ये शहर इतने बड़े हैं कि इनकी व्यवस्था के लिए हमको दो मेयर बनाने हैं। उसी प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको लागू करने में दिक्कत आती है, कहां दिक्कत है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप उन बड़े शहरों में, जहां आप महसूस करते हैं कि दो मेयर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हों, वहां आप दो कलेक्टर की व्यवस्था कीजिए। आप दो एस.पी. बनाते हैं तो दो कलेक्टर क्यों नहीं बनाते? आज कोटा, जहां से मैं आता हूं वहां जो अधिकारी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं। कलेक्टर पूरे शहर में उलझा रहता है। एक महीने में से उनके पास पांच दिन का समय नहीं है कि गांव में जाए। सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ मुद्दे हैं जो पिछली सरकार के समय थे और उम्मीद की थी कि नयी सरकार आएगी जो हमारी सरकार है, उसका समाधान करेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मैं संक्षिप्त में आवारा पशुओं पर अपनी बात रखता हूं। आवारा पशुओं का अभी मैंने उल्लेख भी किया था। राजस्थान में न तो हम जिंदा पशु की कद्र कर पाये हैं और न मरे की। मैं मरे का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि देश के अन्दर आज से तीस साल पहले पूरे हिन्दुस्तान में करीब 4 करोड़ गिद्धों की संख्या थी। आज केवल 4 लाख गिद्ध बचे हैं। यह बात सदन में इसलिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में जहां भी जानवर मरता है, वह सड़क के सहारे पड़ा हुआ है। क्यों नहीं हमारी सरकार इनके संरक्षण के लिए काम करे? टिड्डियों का हमने उल्लेख किया। टिड्डियों से हम घबरा गए। टिड्डियों से ज्यादा तो हमारी संख्या हो गयी। क्यों नहीं सदन के अन्दर पापूलेशन के ऊपर हम चर्चा करे? क्यों नहीं हम इस बात को रखें कि ये टिड्डियां क्या हैं, टिड्डियों से ज्यादा हम हैं। सारी समस्याओं की वजह पापूलेशन है, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं होती, लोग-बाग़ डरते हैं। फंडामैंटल प्रिंसिपल कर लिया चुनाव का कि अगर चुनाव लड़ना है तो एक विषय है पापूलेशन, इसका उल्लेख मत करो क्योंकि एक बार 1975 में नसबंदी को लेकर राज पलट गया। कोई बात ही नहीं करना चाहता। प्रदेश के दफ्तरों में भ्रष्टाचार है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया है,

(श्री संजय शर्मा)

उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से पेज नम्बर एक पर संविधान की महत्ता, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेड़कर जी के योगदान को स्मरण किया है, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार की बातें महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से कहलवायी गयी हैं, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक महत्ता, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो लोक सभा और राज्य सभा में बहुमत के आधार पर पारित हुआ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको संविधान का एक अंग बनाया गया। संविधान का वह हिस्सा बना और उसको लेकर राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रीगण, जिस प्रकार से जयपुर की सड़कों पर उतरे और शांति मार्च का उन्होंने नाम दिया। यह शांति मार्च था या उस अधिनियम का विरोध था। साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब लगती है जब राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जयपुर की सड़कों पर पैदल चल रहे हों और उन्हीं का शासन, उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का पुलिस प्रशासन अपने मुख्य मंत्री पर इतना भी विश्वास नहीं रखता है और उस दिन जयपुर की तमाम इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। क्या प्रशासन को, पुलिस को इतना विश्वास नहीं था कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री, माननीय उप-मुख्य मंत्री, राजस्थान की सरकार जब जयपुर की सड़कों पर उतर रही है तो यह खतरा था कि जयपुर में कोई अराजकता फैल सकती है, जिसके कारण उन्होंने इंटरनेट सेवा को बंद किया। उसके साथ-साथ आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं।

अभी हाल ही में 49 नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव सम्पन्न हुए। जिस प्रकार से इन चुनावों में सत्ता और धन बल का दुरुपयोग राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा किया गया, आप किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात महामहिम राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवाना चाहते हैं। मैं अलवर नगर परिषद का उदाहरण देना चाहूंगा। अलवर नगर परिषद के चुनाव के दौरान जिस रिसोर्ट के अन्दर निर्दलीय पार्षदों को रखा गया था, वहां राजस्थान सरकार के एक मंत्री पुलिस को साथ ले जाकर, लगभग 150-200 बाहुबलियों को ले जाकर, जिनमें 3-4 हार्डकोर क्रिमिनल्स

(श्री संजय शर्मा)

थे, उनको ले जाकर उस रिसोर्ट में तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही साथ पार्षदों को उठाकर ले जाते हैं। किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात राजस्थान सरकार इस अभिभाषण के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से कहलवाना चाहती है, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं।

(13.17 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

अभी हाल ही में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को जिस प्रकार से रोका गया और प्रशासक राज लगाया गया, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और हम जो संविधान की बात हम करते हैं, पिछले समय से यदि संविधान को तार-तार करने का काम किया है तो कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। माननीय सभापति महोदय, यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण में 'राइट टू हैल्थ केयर' की बात कही गयी है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले लेकिन कोटा की जो घटना थी, 112 बालक-बालिकाएं उसमें मर गये और अलवर में जो घटना घटी, अलवर के अन्दर रेडिएंट हीट वार्मर के जलने के कारण एक 22 दिन की बच्ची जिसके ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लास्टिक मास्क लगा हुआ था, वह लगातार जलती रही। चिकित्साकर्मी और जो चिकित्सा की देखरेख में लगे हुए थे, चूंकि घटना तीन बजे रात्रि की है, अपने अधिकारों को न देखकर वह 22 दिन की बच्ची तड़पी भी होगी और 70 प्रतिशत जलने के बाद उसको जयपुर रैफर किया गया। यह तो गनीमत रही कि 14 और बच्चे थे जिनको बचा लिया गया लेकिन किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान की सरकार ने, इस एक साल में हमारी जनता को दी हैं, यह एक अनूठा उदाहरण है। इन्होंने अभिभाषण के माध्यम से एक असत्य तथ्य रखने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले एक वर्ष के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, जिसमें 30 हजार से लेकर तीन लाख तक का इलाज नि:शुल्क किया जाता था, उसको बंद करने का काम इस राज्य सरकार ने किया है।

अस्पतालों के अन्दर स्टाफ की कमी है। एक ओर हम जनता क्लिनिक खोलने की बात करते हैं, लेकिन अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। नि:शुल्क दवाइयां नहीं मिल रही हैं तो किस प्रकार हम जनता क्लिनिक के

(श्री संजय शर्मा)

माध्यम से डाक्टर उपलब्ध कराएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किस प्रकार आम जनता को राहत प्रदान करेंगे, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं।

इस अभिभाषण में 15 मेडिकल कालेज खोलने की बात की गयी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केन्द्र के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी को, जिन्होंने एक नीति बनायी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज खोले जाएं। उसी के तहत 60-40 के रेश्यो में, जिसमें 60 परसेंट केन्द्र की राशि होगी और 40 परसेंट राज्य की राशि होगी, राजस्थान में नये मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। अलवर की अगर मैं बात करुं, 325 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित कर दी गयी है लेकिन मेडिकल कालेज का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें इस अभिभाषण में की गयी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केन्द्र में यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान के खाते में डालने की बात की थी परन्तु राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है, जिसने पूर्ण आंकड़े केन्द्र को नहीं भेजे हैं । जो सहायता 6000 रुपये सालाना राशि किसान के खाते में आनी थी वह आज तक शुरू नहीं हो पायी। बहुत कम किसानों को इस सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है।

ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया गया। एक ओर तो आप कहते हैं कि दो लाख तक के ऋण हम माफ कर रहे हैं, दूसरी ओर इसी अभिभाषण में आप लिखकर दे रहे हैं कि हमने केन्द्र सरकार से मांग की है कि दो लाख तक की ऋण माफी हमने की है, उसमें हमें सहायता प्रदान की जाए। आपने दो लाख तक के ऋण तो माफ किये नहीं, उसके साथ-साथ किसान को जो ऋण मिलना चाहिए था, उस ऋण से बहुत सारे किसानों को महरूम रखा जा रहा है, उनको ऋण नहीं दिया जा रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें, पिछले एक साल के कार्यकाल में हमारे ज़िले की मैं बात करुं तो अवैध खनन हो, गोकशी हो, चैन स्नैचिंग हो, बलात्कार की घटनाएं हों, जमीन-मकान पर कब्जे हों, ए.टी.एम. लूटने की बातें तो आम होने लगी हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। भिवाड़ी के अन्दर एक नया एस.पी. कार्यालय खोला

(श्री संजय शर्मा)

गया। एस.पी. कार्यालय खोलने के बाद टपूकड़ा के अन्दर हरीश नाम के एक दलित व्यक्ति की हत्या होती है, जब मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता है तो उसका पिता दु:खी होकर, जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था हम देना चाह रहे हैं। उसके साथ-साथ बहरोड़ थाने से पपला नाम के हार्डकोर क्रिमिनल को, पुलिस पहरे में, पुलिस थाने से अपराधी को बिठाकर ले जाते है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज तक हार्डकोर पपला नाम के अपराधी को पुलिस नहीं ढूंढ पायी है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली की बात करूं, बिजली में लगातार कटौती हो रही है। किसान बहुत परेशान हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, हमारी सरकार में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर को बदला जाता था, आज किसान ट्रांसफार्मर लेने के लिए भी दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वी.सी.आर. इस प्रकार से भरी जा रही है कि किसान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ बेरोजगारी की बात करूं। उद्योग लगाने के लिए किसान की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उस उद्योग के अन्दर किसान के बेटे को रोजगार नहीं दिया जाता। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, एक-सवा लाख के करीब 3500 प्रति माह, आपने इस अभिभाषण में घोषणा की है।

श्री सभापति: समाप्त करें, आपका समय पूरा हो गया।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 3500 रुपये प्रति माह आपके द्वारा दिये जा रहे हैं, लेकिन 22 लाख बेरोजगार युवा हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह अभिभाषण केवल और केवल असत्य का आंकड़ा है, इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा जी।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे राजस्थान की 15वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती जाहिदा खान)

सरकार ने प्रदेश में लोक कल्याण और जनसेवा की भावना से उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील कार्य प्रणाली विकसित करने की दिशा में नये आयाम स्थापित किये हैं। यह सुखद संयोग है कि देश एवं प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती, पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 75वीं, एवं संविधान निर्माण की 70वीं जयन्ती मना रहा है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि 2008 में हमारी कांग्रेस सरकार बनी थी, तो हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी की मंशा के अनुरूप अनेकों ऐतिहासिक फ़ैसले लिये थे। जैसे पेंशन के हमने सारे वैरियर्स हटाये थे, जिससे बुजुर्ग, विधवा और विकलांग सम्मान की जिन्दगी जी सकें और उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। हमने मुफ्त दवा योजना शुरू की थी, मुफ्त जांच योजना शुरू की थी। हमने तो पशुओं की भी दवा योजना फ्री की थी क्योंकि बी.जे.पी. वाले यह कहने लग गये थे कि हम लोग वोटों की राजनीति कर रहे हैं।

इसके साथ ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने यह ऐलान किया था कि 5 साल तक किसानों की बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे। इस बार भी हमारी सरकार बनी तो आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने यह अनाउंस किया कि किसानों की बिजली दरें नहीं बढ़ायी जाएंगी। हमने ग़रीबों को गेहूं भी एक रुपये के हिसाब से दिया था। "राइट टू हैल्थ केयर" कानून लेकर आ रहे हैं, जिससे हर इन्सान को अपनी सेहत के लिए राइट मिले, हक मिले। केन्द्र में जब हमारी सरकार थी तो हम "राइट टू फूड" और "राइट टू एजुकेशन" लेकर आये थे। यह एक सोच है, कांग्रेस की सोच है, हर वर्ग, हर आदमी को साथ लेकर चलती है।

2014 से जब बीजेपी राज में आयी, इन्होंने सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है। उससे पहले हम सब लोग हिन्दुस्तानी थे। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने हमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिया जो कि बहुत शर्म की बात है।

हम लोग किसान की बात करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, वाकई में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने 10 दिन से पहले ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया। अब किसान

(श्रीमती जाहिदा खान)

सेवा पोर्टल शुरू किया गया है जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनको आसान तरीके से समझाया जा सके।

सरकार किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपये के कृषि कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है। हमने पेंशन में भी बढ़ोतरी की है, 75 वर्ष से कम आयु वाले के हमने 750 रुपये बढ़ाये हैं। 75 वर्ष या ज्यादा आयु वाले की पेंशन में 1000 रुपये बढ़ाये गये हैं। विधवा पेंशन में जिनकी आयु 55 से 60 है, उनकी भी बढ़ायी गयी है। इस साल 2019 में, 6786 हाजियों को हज के लिए सफलतापूर्वक यात्रा करायी गयी है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी, सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ाया गया है। यह एक सोच है। हम गरीब को साथ लेकर चलते हैं, उनका किस तरीके से उद्धार कर सकें। राजस्थान देश में दूसरा राज्य बना है जिसमें मॉब लिंचिंग, आनर किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए विधान सभा में कानून बनाया गया है।

हमारी सरकार ने 60 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है, 314 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया है, 268 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है। हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। किसी भी देश का, प्रदेश का, या किसी भी कांस्टीट्यूएंसी का, किसी भी गांव का, विकास तब ही हो सकता है जब वहां के लोग पढ़े-लिखे हों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती पर सभी जिला मुख्यालयों पर इसी वर्ष इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गये हैं। क्योंकि कोई भी गरीब आदमी, जो अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इनमें पढ़ाने का सपना तो देख सकता है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। आदरणीय अशोक गहलोत साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यह सोच रखते हुए एक गरीब आदमी के बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका दिया।

हमारी सरकार ने शहीदों के आश्रितों की सहायता राशि भी 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान भत्ता राशि भी बढ़ायी है और साथ में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की भी राशि बढ़ायी गयी है।

परिवहन विभाग में भी बहुत अच्छा, जिसकी हालत इतनी खराब थी,

(श्रीमती जाहिदा खान)

बी.जे.पी. गवर्नमेंट में हमारी सारी बसें बंद कर दी गयी थीं, अब 876 नयी सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें खरीदी जा रही हैं और 48 इलैक्ट्रिकल बसें भी ली जा रही हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को भी तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2019 तक लगभग 13 करोड़ 27 लाख रुपये व्यय कर कुल 7808 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया है। यह अपने आपमें एक बहुत ही अनूठी और अच्छी पहल है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): बस, दो मिनट।

मैं और किसी की बात न करके अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात बताना चाहूंगी कि मेरे पिछले कार्यकाल में सी.एम. अशोक गहलोत साहब ने मुझे दो महाविद्यालय, एक कामां में और एक पहाड़ी में, दिये थे। बी.जे.पी. की इतनी छोटी सोच थी कि इन्होंने सरकार में आते ही मेरे दोनों महाविद्यालय सबसे पहले बंद किये। इनको यह डर था कि कहीं हम लोग पढ़ नहीं जाएं। अब सी.एम. साहब ने दुबारा सैंक्शन किये हैं, मैं तो इन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि सोच बड़ी रखिए। कम से कम पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जो सबको मिलनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): बस एक सैकण्ड जी।

जब माननीय मुख्य मंत्रीजी थे, उस समय चौधरी तैयब हुसैनजी उनकी कैबिनेट में मंत्री थे और आदरणीय कमलाजी इर्रिगेशन मिनिस्टर थीं। उस टाइम पर मेरे इलाके में गुड़गावां कैनाल और पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी की नींव रखी गयी थी। उसको मेरे कार्यकाल में पक्का करवाया। बी.जे.पी. गवर्नमेंट में पांच साल पानी की वहां एक बूंद नहीं आयी। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है इस बार इतना पानी आया कि मेरे इलाके में किसानों को करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षिजी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता, नेता-प्रतिपक्ष, आदरणीय श्रीमानजी गुलाबजी कटारिया साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज महिला दिवस है, सबसे पहले मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। (व्यवधान)

नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। मातृ शक्ति को प्रणाम तो किसी भी दिन किया जा सकता है। सुबह-सुबह मातृ शक्ति को प्रणाम करके व्यक्ति जब घर से निकलता है तो निश्चित रूप से, हमारे यहां तो फौज के अन्दर जब सिपाही भी जाता है तो मां से आर्शीवाद ले करके जाता है और बहन से राखी बंधवा कर चलता है। मुझे मालूम नहीं था कि विपक्ष के अन्दर हम एक-दूसरे को इतना बांट देंगे, जब कोई भाई अपनी मातृ शक्ति की बात करेगा तो मेरी बहनों को भी इस बात पर एतराज हो जाएगा। मैं आपको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं।

श्री सभापति: आपका आधा भाषण तो खतम हो गया। आपके दस मिनट में से आठ मिनट रह गये, दो मिनट तो इसमें से गये। चार बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब है। समय के ऊपर कोई समझौता नहीं है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को लिमिट के अन्दर ही बोलूंगा।

राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के ऊपर, एक वर्ष के कुशासन के पूर्ण होने पर महोदय के श्रीमुख से आपने बहुत सारी बातें कहलवायीं और उन बातों के अन्दर असत्यता के अलावा कुछ भी नहीं है।

पैरा तीन के अन्दर आपने गांधीजी, अम्बेडकरजी और राजीव गांधीजी का जिक्र किया है। आपकी मजबूरी है राजीव गांधीजी का नाम लेना, आपकी पार्टी की मजबूरी है। महात्मा गांधीजी, जिनके बारे में पूरे देश ने जो-जो बातें कही हैं, उनको मानने से एतराज किसी भी व्यक्ति को नहीं है लेकिन बाबा साहब अम्बेडकरजी का नाम आप अब लेने लगे हैं। बाबा साहब अम्बेडकरजी के प्रति यदि आपके मन के अन्दर सच्ची श्रद्धा होती तो भारत रत्न के लिये बाबा साहब अम्बेडकरजी को इतने वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। वह भारत रत्न भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी को दिया इसलिये आप आगे से बाबा साहब अम्बेडकरजी का नाम लिखना तो बंद कर दें।

मैं यहां पर माननीय कलराज मिश्र साहब के अभिभाषण के ऊपर बात

(श्री अभिनेश महर्षि)

करूंगा। उसके अन्दर सबसे पहले आपने चिकित्सा के महकमे की बात की है। आपने राजस्थान के अन्दर निरोगी राजस्थान की बात भी की है। ''राइट टू हैल्थ'' कानून लाने की बात भी की है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय यहां पर विराजमान नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि सबसे पहले आप जितने भी अस्पताल हैं, पी.एच.सी., सी.एच.सी. हैं, उनके अन्दर डाक्टर्स की नियुक्ति कर दीजिये, उनके अन्दर चिकित्सा कर्मियों को लगा दीजिये। सही मायने के अन्दर जो आपकी योजना है मुफ्त दवा की, वह मुफ्त दवा की योजना भी तब कारगर रूप से वहां शुरू हो सकेगी या चालू रह सकेगी जब आपके चिकित्साकर्मी वहां पर उपलब्ध होंगे इसलिए सबसे पहले यदि आपको कोई काम चिकित्सा के क्षेत्र में करना है, यदि लोगों को निरोगी काया के रूप में देखना है तो निश्चित रूप से उन पदों को भरने का काम करें। मेरे रतनगढ़ के अन्दर अस्पताल हों, चाहे सी.एच.सी. हों, चाहे पी.एच.सी. हों, सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वह काम करना चाहिए।

आपने आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की है। आपने भामाशाह कार्ड को बंद कर दिया, वह इसलिए बंद कर दिया कि उसके ऊपर हमारी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी की फोटो थी। आपको पसंद नहीं आयी। कोई बात नहीं, आपने भामाशाह कार्ड को तो बंद कर दिया। भामाशाह के लिए एक तरफ जो प्राइवेट हास्पिटल्स हैं जिनको अधिकृत किया था, उनके यहां पर जब मरीज जाता है तो वे मना कर देते हैं जबकि सरकार यह कहती है कि हमारा भामाशाह कार्ड चालू है। यह किस तरह की नीति है, किस तरह की व्यवस्था है। इसके ऊपर आपको देखने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 2018 से यह योजना शुरू कर दी थी, जो अभी आपने सितम्बर, 2019 के अन्दर राजस्थान के अन्दर लागू करने की बात कही है। इतना डिले करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने यहां पर किया है।

जल उपयोगिता की बात कर रहे थे। 'जल ही जीवन है', और 'जल है तो कल है', माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ऐसे होर्डिंग्स मैंने कई जगह पर देखे हुए हैं। यह सही बात है कि जल है तो जीवन है लेकिन सभापति महोदय, यह कैसी हास्यास्पद बात है, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के यशस्वी

(श्री अभिनेश महर्षि)

प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी ने जो काम किया है, नरेन्द्रजी मोदी ने जितने भी जल के महकमे थे, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई नाला हो, चाहे कोई पीने के पानी की बात हो, चाहे वाटर लेवल, जो नीचे से हम पानी निकालते हैं, उसकी बात हो, उन सब मंत्रालयों को एक करके जल शक्ति मंत्रालय बनाया। लेकिन राजस्थान सरकार की बुद्धि का आप लोग आकलन कीजिये कि किस तरह से राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान की सरकार जल के बारे में कितनी चिंतित है, इस बात की बानगी मैं यहां पर बताना चाहता हूं। सिंचाई मुख्य मंत्रीजी के पास में है, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना दो-दो मंत्रियों के पास में है। एक आई.जी.एन.पी. पंजाब से 620 आर.डी. तक माननीय सी.एम. साहब के पास में है और 620 आर.डी. से जैसलमेर तक की अंजनाजी के पास में है। जल उपयोगिता मंत्रालय हरीश जी चौधरी के पास में है। पेयजल, पी.एच.ई.डी. कल्ला साहब के पास में है। शहरी पेयजल के कुछ शहर धारीवालजी के पास में हैं और ग्रामीण पेयजल की जनता जल योजना, जिसको जे.जे.वाई. कहते हैं, उप मुख्य मंत्री सचिन पायलट के पास में है। वाटर शेड डिप्टी सी.एम. साहब के पास में है। ये पानी के महकमे इतने मंत्रियों के बीच में हैं। अब आप बताइए कैसे कोर्डिनेशन होगा, कैसे हम लोगों को पीने का पानी पिला सकेंगे। कैसे हम जल का संरक्षण कर सकेंगे।

जनता जल योजनाएं बंद रहती हैं। पंचायतों के अन्दर जे.जे.वाई. के जितने भी कुएं हैं, बंद हो गये हैं। जे.जे.वाई. के कुओं के लिए जब अधिकारियों से बात करते हैं, पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों से बात करते हैं तो वे यह कहते हैं कि ये हमारे पास में नहीं हैं, ये ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय के पास में हैं। जबकि पंचायत राज विभाग के अधिकारी और सरपंच साहेबान यह कहते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है, तो यदि आप जल के बारे में चिंतित हैं तो निश्चित रूप से इसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा।

भीमराव अम्बेडकर साहब को यदि सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो जो मैं कहूं उस काम को करके बताइए। गांव के अन्दर जितने भी एस.सी. के मौहल्ले हैं उन मौहल्लों के अन्दर पीने के पानी की अलग से पाइप लाइन डलवा दीजिए और उनके लिये टंकियों की व्यवस्था करवाइए। अनुसूचित जाति के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम यदि आप करना चाहते हैं तो मेन लाइन के अन्दर जहां से टंकी चलती है वहां से अनुसूचित जाति के लोगों को पीने का पानी मुहैया कराइए। नहीं तो सच्ची

(श्री अभिनेश महर्षि)

श्रद्धांजलि के रूप में आप ढकोसला मत कीजिए। ढाणियों के अन्दर जो आपणी योजना, मेरे रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपणी योजना, पानी की एक स्कीम आयी। आपणी योजना के अन्दर बहुत सारी ढाणियां छोड़ दीं, बहुत सारे ऐसे काम छोड़ दिये, गांव छोड़ दिये। पुरानी जनसंख्या के आधार पर वहां पर सर्वे कर लिया गया। बहुत सारी ढाणियां बच गयीं और वे ढाणियां अनुसूचित जाति के लोगों की बच गयीं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तो पांच मिनट ही नहीं हुए।

श्री सभापति: पांच मिनट ही दे रहे हैं सबको।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): आप तो मेरे ऊपर बहुत कृपा पात्र वैसे भी हैं। पांच मिनट का समय दें।

श्री सभापति: पांच ही मिनट दे सकते हैं।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं मेरी कांस्टीट्युएंसी की बात करूंगा, दस मिनट तो मिलते ही हैं, मुझे अभी पांच मिनट दें।

पुरानी जनसंख्या के आधार पर आपणी योजना के अन्दर पी.एस.पी. पाइंट बढ़ाने की बात है। श्री महेश जोशीजी भी इशारा कर रहे हैं, वह भी मेरे बड़े भाई हैं, आप भी थोड़ी कृपा रखिए।

कृषि उपज मंडी के लिए जमीन का आबंटन राजलदेसर के अन्दर होना था, वह मेरे यहां पर नहीं हुआ है। सरकारी महाविद्यालय राजलदेसर के अन्दर खोलने की कृपा करें। रतनगढ़ के अन्दर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर की मांग लम्बे समय से मैं करता आ रहा हूं, उसको करें।

रतनगढ़ जिला अस्पताल बनाने की घोषणा के लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग कर रखी है। मेरे यहां पर परमाना ताल का विकास करके, सरकार इसके बारे में निर्णय लेकर उद्यान बनाए। रतनगढ़ के अन्दर श्री बुद्धमल दुग्गड़ राजकीय स्टेडियम को विकसित करने का काम करे। बाबा साहब के प्रति आपके मन के अन्दर सच्ची बात है तो सभी गांवों के अन्दर और जो शहर हैं उनके अन्दर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर यह

(श्री अभिनेश महर्षि)

घोषणा आज करें सामुदायिक भवन बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा देंगे। प्रत्येक गांव के अन्दर यह करने के काम करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात ही बात की गयी।

श्री सभापति: इस पर खूब बात हो गयी।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): महानुभाव, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि बीमा कम्पनीज के अन्दर जो किसान ने बीमा करवाया था, उन बीमा कम्पनीज ने किसान को पैसा नहीं दिया है, वह बीमा कम्पनीज का पैसा किसान को दिलवाया जाए और किसान का बिजली का जो बिल है वह माफ किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री बलजीत यादव।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बस, अभी कर रहा हूं, साहब। सीवरेज और ड्रैनेज की योजना को चालू कराएं। बलजीत भाई, दो मिनट रुक जाओ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको री-कारपेट करवाने की बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मौजूदा सरकार ने राजस्थान के बहुत से स्कूलों को क्रमोन्नत किया। कन्या महाविद्यालय मेरे यहां पर भी खोला गया, दूसरी जगह पर भी अनेक महाविद्यालय खोले गये। सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाया गया। एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष सरकार के द्वारा रखा गया। जनता क्लिनिक खोलने का सरकार ने निर्णय लिया। नयी रोडवेज बसें चलाने का सरकार ने निर्णय किया। नये पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार ने निर्णय किया। ऐसे अनेक जन हित के कार्य सरकार के द्वारा किये गये, जिसके लिए मैं राजस्थान सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं।

इन सबके साथ ही साथ, मैं राजस्थान की सरकार का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। हो सकता है कि उनके ध्यान में ये बातें नहीं आयी हों। मैं यह बताना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, मैंने पिछले सेशन में भी इस मांग को रखा था कि अन्य स्टेट से जो युवतियां ओ.बी.सी.,

(श्री बलजीत यादव)

एस.सी., एस.टी. की राजस्थान के युवाओं से शादी करती हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र पिछले कुछ सालों से नहीं बनाये जा रहे हैं जिसके कारण सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है और उनको यह मानकर चलें कि घुट-घुटकर जीना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ है। बहुत से तो ऐसे उदाहरण हैं कि लड़की की सगाई तय हो गयी और जब उस लड़की को यह पता चला कि यहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, यहां पर मुझे सरकारी नौकरी में कोई लाभ नहीं मिलेगा तो उनकी सगाइयां तक टूट गयीं। मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार का कोई बजट नहीं लगेगा, सरकार की बहुत वाहवाही होगी, सिर्फ सरकार को इतना करना है कि कैबिनेट की मीटिंग में डिसीजन करें और उसको नियम में डलवा दे तो उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। सरकारी नौकरियों में उन युवतियों को लाभ मिल जाएगा या सरकार कोई बिल लेकर आ जाए जिससे कि उनके जाति प्रमाण पत्र बनाये जा सकें। यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का मैटर नहीं है बल्कि यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है। जो भी सीमावर्ती प्रदेश से युवतियां शादी करती हैं उन सबके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी इस ओर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से उनके साथ में न्याय करेंगे।

दूसरा, मैं बेरोजगार युवाओं की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, सरकारों की अनदेखी कहिए या उदासीनता कहिए, जिसके कारण राजस्थान का बेरोजगार युवा आज डिप्रेशन में जाता जा रहा है। हिन्दुस्तान के 20 से 21 स्टेट, माननीय सभापति महोदय, ऐसे हैं जहां पर राजस्थान के जो भी बेरोजगार हैं, उनकी नौकरियों में उसका प्रतिशत जीरो है। अनेक स्टेट्स ने अलग-अलग तरह के कानून बना दिये। दूसरे स्टेट्स से आने वाले बेरोजगार परीक्षार्थियों, युवाओं को रोकने के लिए पिछले साल बिहार में यह कानून बनाया, उसमें कहा कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो तब ही वह जॉब के लिए एप्लाई कर सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में हुआ कि मराठी भाषा का नॉलेज होना चाहिए तब ही वह महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के अन्दर परीक्षा दे सकता है। ऐसे ही मणिपुर के अन्दर मणिपुरी भाषा बोलने वाला होना चाहिए। गोवा में कोंकणी भाषा और मराठी भाषा का नॉलेज होना चाहिए।

(श्री बलजीत यादव)

उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना आना चाहिए। त्रिपुरा में बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोलना, पढ़ना और लिखने वाला होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इन सब चीजों पर जब रोक लगा दी गयी है तो राजस्थान का एक भी जवान किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो रहा है और राजस्थान में ऐसा पोपाबाई का राज है कि कोई भी आइए और आकर हमारे यहां के युवाओं के हक की नौकरियों को हड़प लीजिए। यहां तक कि पचास परसेंट तक आइए, चाहे कहीं भी कितने भी आइए, चाहे सारी नौकरियां ले जाइए, यहां से आकर ले जाइए इसलिए मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं और पूरी जिम्मदारी के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसे गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं ने मुझ जैसे मामूली बलजीत यादव को राजस्थान की विधान सभा में इस बात को लेकर भेजा है कि यह किसान का बेटा है, यह गरीब, किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार जवानों की समस्याओं को सदन में रखेगा और ऐसा कानून बनवाएगा जिससे उनके साथ न्याय हो क्योंकि वह महसूस करते हैं कि लोग चुनाव के वक्त जाते हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं कि हम आपके पक्ष में कानून बनाएंगे, आपको रोजगार दिलाएंगे, इतनों को रोजगार दिलाएंगे लेकिन सदन में आने के बाद में ये सब भूल जाते हैं, यह मानो कि उन वादों से विमुख हो जाते हैं इसलिए मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं और पूरी गम्भीरता से, जिम्मदारी से कहना चाहता हूं। मेरी आवाज रिकॉर्ड होती है सदन में, आज मेरी इस बात को चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग रिकॉर्ड कर लें, इस राजस्थान में युवा क्रांति होगी अगर आरक्षण का यह कानून राजस्थान में नहीं बनाया गया तो।

एक इतनी बड़ी रैली जयपुर के अन्दर होगी, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक कोई इतनी बड़ी रैली नहीं हुई होगी जो राजस्थान का बेरोजगार युवा यहां पर करने वाला है इसलिए सरकार समय रहते हुए चेते और सरकार युवाओं की मांग को गम्भीरता से ले और हमारे यहां पर भी कानून बने कि राजस्थान राज्य का निवासी हो, वही सरकारी भर्तियों के अन्दर एप्लाई सकेगा।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कम्पनीज, मेरे वहां पर, माननीय सभापति महोदय, अनेकों मल्टीनेशनल कम्पनीज हैं लेकिन स्थानीय राजस्थान के जवान को किसी भी कम्पनी में नौकरी नहीं दी जाती है, चाहे वह

(श्री बलजीत यादव)

गोल्ड मैडलिस्ट हो। मैंने पिछली दफा भी इस सदन में इस मांग को उठाया था। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह कोई व्यक्तिगत बलजीत यादव की मांग नहीं है, यह पूरे राजस्थान के जवानों की मांग है। राजस्थान के जवानों ने आपको सरकार में बैठाया है इसलिए उनकी मांग को सरकार गम्भीरता से ले, जिससे कि राजस्थान का जवान आपको दुआ दे सके। दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की यह जो समस्या है, इसका एक कारण है जनसंख्या वृद्धि इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कोई कानून बनाएं या ऐसे कोई प्रयास करें जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लग सके। इतनी फास्ट गति से जनसंख्या बढ़ रही है कि कितने भी हम संसाधन जुटाते जाएं, कितने भी रोजगार पैदा करते जाएं, फिर भी कम ही पड़ते जाएंगे तो मैं यह आशा रखता हूं कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार इस ओर भी ध्यान देगी।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बर्डोद बहुत पुराना कस्बा है, उसको नगरपालिका घोषित किया जाए। गण्डाला गांव एक ऐतिहासिक गांव है, उसको तहसील बनाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो मांडन कस्बा है, उसको तहसील बनाया जाए। सभापति महोदय, एक मिनट में ही खतम कर रहा हूं और मेरा बहरोड़ नीमराणा क्षेत्र इतना विकसित है, मेरे बहरोड़ को जिला घोषित किया जाए।

श्री सभापति: आप विराजें। अब अंकित नहीं होगा। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार राज्य में पारदर्शिता,

(श्रीमती मनीषा पंवार)

उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और हमारे मुख्य मंत्रीजी का मूल मंत्र है कि राज्य के प्रत्येक वर्ग, प्रकृति और क्षेत्र को सुशासन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ाया जाए। हमारे मुख्य मंत्री जी आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूल्य आदर्शों को माध्यम बनाते हुए अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति को सुविधा, हर योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल इस साल नहीं अपितु गहलोत सरकार के हर कार्यकाल में देखा जा चुका है। चाहे वह अकाल राहत का कार्य हो, नि:शुल्क दवा योजना हो, चाहे वह जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वह बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो और इस सरकार का ताजा उदाहरण है निरोगी राजस्थान क्योंकि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक बहुत प्रमुख अंग है। हम जानते हैं कि पिछली सरकार ने किस तरह गहलोत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का दम घोंटा था। लेकिन जब से गहलोत सरकार पुन: राज्य में आयी है, उन्होंने अपनी बागडोर सम्भाली है, पुन: योजनाएं अपनी गति पकड़ रही हैं और उनमें महात्मा गांधी का सपना साकार होता नजर आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि इसके अनुरूप गम्भीर से गम्भीर बीमारी, चाहे वह गुर्दा रोग हो, चाहे वह हृदय रोग हो, चाहे वह कैंसर रोग हो, उनकी दवाओं को मुफ्त देना, उनकी जांचों को मुफ्त करना, इन योजनाओं का साकार होना गहलोत सरकार, इस सरकार में ही नहीं, पिछली सरकारों से हमें यह देखने को मिल रहा है। इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए आमजन को स्वास्थ्य का लाभ दिलाते हुए जनता क्लिनिक खोलने का गहलोत सरकार ने जो मौका दिया है, वह बहुत सराहनीय है और इसके साथ-साथ पूरे राज्य में यह चिह्नित हो गया है कि जनता क्लिनिक कहां-कहां खोले जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं मुख्य मंत्रीजी कोकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे कदम बढ़ाए हैं क्योंकि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम रखती है और इस वर्ष शिक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ीबड़ी योजनाओं के माध्यम से हमें नवाजा गया है। चार हजार से ज्यादा नवीन कक्षों का निर्माण किया गया। उन नवीन भवनों का भी निर्माण कर प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसके साथ-साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल

(श्रीमती मनीषा पंवार)

भी खोले गये, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश की आम जीवन में जितनी जरूरत है, उतनी शिक्षा के लिये भी आवश्यक है। यह बात गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे से जानी और इंग्लिश मीडियम हर ब्लाक स्तर पर खोलने की घोषणा की और यह घोषणा चारों तरफ नजर आ रही है। यह कदम बालिकाओं के लिये बहुत जरूरी था क्योंकि बालिकाओं को आस-पास में जहां उनको स्कूल चाहिए था, दूरदराज में बालिकाओं को पारिवारिक रूप से नहीं जाने दिया जाता है तो यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलकर उनको शिक्षा के लिए जो यहां योगदान दिया, जो उन्होंने सराहनीय कार्य किया, यह एक बहुत अच्छा कदम है।

माननीय सभापति महोदय, इसी दृष्टिकोण से बालिकाओं के लिए तकनीकी शिक्षा को और अग्रसर करते हुए एक हजार करोड़ रुपये की राशि का जो अनुदान दिया, जिससे महिलाओं का सशक्तीकरण हो और वह तकनीकी शिक्षा में अपने को आगे बढ़ाएं, महिला सशक्तिकरण के रूप में इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन किया गया जो अपने आपमें एक बहुत बड़ी घोषणा है।

माननीय सभापति महोदय, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिलाओं को मानदेय का बढ़ाना और इसके साथ-साथ राज्य के अनेक आदिवासी इलाकों में भी एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय की स्थापना कर मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके लिये हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे अन्नदाताओं के प्रति भी सरकार हमेशा संवेदनशील रहती है, उत्तरदायी रहती है। चाहे वह एक हजार करोड़ रुपये का कल्याण कोष हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, इकाइयों को राहत प्रदान करना हो, नवीन कृषि विद्यालय खोलना हो, ऋण माफी का अनुदान हो, राशि प्रदान करना हो या किसान की पेंशन योजना हो, आदि से गरीब व कृषक दोनों को ही राहत पहुंचाने का काम जो गहलोत सरकार ने किया है, वह बहुत सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, युवा राष्ट्र का निर्माण करता है। युवा के बिना राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जहां युवा नशे में बहुत धुत रहता है और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश और विदेशी जामा पहनाया जा रहा है हमारे इस

(श्रीमती मनीषा पंवार)

राष्ट्र, इस प्रदेश और जिले को, वह बहुत ही गम्भीर रूप से हमारे देश के लिये, हमारे राज्य के लिए घातक है। उस नशे को दूर करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने हुक्का-बार और इलैक्ट्रोनिक सिगरेट पर जो प्रतिबंध लगाया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): राज्य में कानून-व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए और चाहे शहीदों को, आश्रितों को 25 लाख से 50 लाख रुपये करने के लिए भी उनको बहुत-बहुत साधुवाद करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो बहुत जटिल कानून थे, उनका सरलीकरण किया है। राज्य में नये-नये उद्योग क्षेत्र स्थापित किये हैं। खिलाड़ियों का ध्यान रखते हुए नौकरी में जो दो प्रतिशत आरक्षण दिया है, उसके लिए भी हम उनका साधुवाद करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विगत दशकों में, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह कानून-व्यवस्था हो, चाहे वह महिलाओं की बात हो, चाहे वह बुजुर्गों की बात हो, चाहे वह युवाओं की बात हो, हर जगह गहलोत सरकार ने हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाने का काम किया है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। महात्मा गांधीजी के आदर्शों एवं मूल्यों को आत्मसात करते हुए उन्होंने हर वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र में राजस्थान के विकास, जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूं और इस अभिभाषण का समर्थन करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, श्रीगंगानगर जिला अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और राज्य में "अन्न का कटोरा" के नाम से जाना जाता है। किसान बड़ी विशेष परिस्थितियों में कृषि उत्पादन से अपनी जीविका उपार्जन करने के साथ-साथ देश में अन्न का भंडार भी भरते हैं। मेरा अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र भी इसका एक हिस्सा है। आज हमारा अन्नदाता करीब 10 माह से टिड्डियों के हमले से बर्बाद हो चुका है। इस नुकसान से किसान बैंक कर्ज व कृषि कनैक्शनों के विद्युत बिल और फसल बुआई के बाद बीज की भरपाई करने में असमर्थ है। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में बिन्दु संख्या 32 पर अंकित टिड्डियों

(श्रीमती संतोष)

द्वारा किसानों की फसलों को भारी मात्रा में नुकसान के आकलन, जिलों में श्रीगंगानगर जिले को टिड्डी प्रभावित क्षेत्र ही नहीं माना। राज्य सरकार गंगानगर जिले से सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा हानि टिडि्डयों से फसलों में जिले की अनूपगढ़, रावला, घड़साना, रायसिंहनगर तहसीलों में हुई है। किसानों का नुकसान ज्यादा हो या कम, उसको नियमों में न उलझा कर मानवता की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। आपदा क्षेत्र घोषित करने के जो मापदंड हैं, उनमें छूट देते हुए क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है।

श्रीगंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है, जिसकी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है किन्तु कृषि प्रधान जिला होने के बावजूद इस क्षेत्र में कहीं भी कृषि विश्वविद्यालय न होने के कारण कृषि से जुड़े अध्ययन अनुसंधान व अन्य विकासात्मक कार्यों के बारे में किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जिस कारण यहां के किसान कृषि विषयों के अध्ययन व अन्य कार्यों हेतु दूसरे स्थानों के कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि वैज्ञानिकों पर निर्भर रहते हैं। अगर गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है तो इसका लाभ क्षेत्र के सभी किसानों को मिलेगा तथा कृषि की आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों और धंधों को भी बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों के रख-रखाव व खेलने की प्रवृत्ति को जागृत किया जाए। स्कूलों में आज हम पुस्तकें फ्री में दे रहे हैं लेकिन शारीरिक विकास के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जिला एवं तहसील स्तर पर जो खेल मैदान हैं, उनमें भी खिलाड़ियों के लिए भौतिक सुविधाओं का अभाव है। ट्यूटर हैं तो सिखाते नहीं हैं। ऐसे में तहसील स्तर के जो खेल मैदान हैं उनको विकसित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आएं। सरकार शिक्षा की बात करती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्कूल व महाविद्यालयों में शिक्षक व व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। सरकार उन पदों को भरने की बात करे। पद खाली हैं, शिक्षक नहीं हैं तो शिक्षा कैसे बढ़ेगी।

(14.00 बजे)

राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण के

(श्रीमती संतोष)

नाम पर दो लाख तक के कर्ज माफ किये गये। ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों द्वारा 50 हजार तक का ऋण स्वीकृत किया जाता रहा है, ऐसे में सरकार किसानों के साथ झूठी वाहवाही ले रही है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्ज माफ किये गये थे, उन सदस्यों को किसी न किसी बहाने से सहकारी समितियां टाल रही हैं और उन्हें यह कहती हैं कि आगे से ऑनलाइन सिस्टम बंद है और ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यों के खातों की संख्या पूरी हो चुकी है। काफी किसानों को अभी तक ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी नहीं दिये गये हैं।

आज हम बात करते हैं 'जल ही जीवन है', लेकिन पेयजल संकट किस प्रकार गहराया है, यह हमारे सामने है, सरकार इस पर बिलकुल गम्भीर नहीं है। मेरे अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में, जैसे ग्राम 14-के में बी.ए.डी.पी. द्वारा जिला परिषद से एक मिनी वाटर वर्क्स के निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी लेकिन अभी तक न तो निविदा जारी हुई है और स्थानीय अधिकारी इस योजना को निरस्त करने में लगे हुए हैं।

पूर्व सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए ग्रामीण पेयजल की कई योजनाएं स्वीकृत हुईं। इन कार्यों की वित्तीय व प्रशासनिक निविदा जारी होने के उपरांत भी अभी तक इन कार्यों को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि सारी योजनाएं बंद कर दी गयी हैं। सरकार पानी के नाम पर राजनीति कर रही है और यह सब भेदभाव के आधार पर किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कितनी संवेदनशील है इसका नमूना राज्यपाल के अभिभाषण में परिलक्षित हो रहा है। जिसका कार्य है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसका क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार से हटकर, न्याय जिले का अधिकारी करे और राज्य सरकार कह रही है कि जिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही है तो जिला पुलिस अधीक्षक एफ.आई.आर. दर्ज कर सकते हैं। यह कैसी संवेदनशीलता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम उप-अधीक्षक थाने, चौकी में हो सकता है और उसके लिए हमने थाने की सीमा भी निर्धारित कर रखी है, तो इससे तो ऐसा लगता है कि नीचे का तंत्र नाकारा हो चुका है, उस प्रशासन का भी भय खतम हो चुका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट।

(श्रीमती संतोष)

आज महिला एवं बच्चियों के साथ आये दिन हो रही घटनाएं हमारे सामने हैं, इसके प्रति सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है। हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव 27-ए में स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने रोष व्याप्त किया तो उन्हीं ग्रामीणों के खिलाफ उलटा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, यह कैसा न्याय है, उचित जांच करके न्याय करने के बजाय प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। आज हमारी बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और सरकार इस पर मौन है।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष फरवरी, 2019 में अनूपगढ़ के कई गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और ओलावृष्टि की हानि का आकलन भी प्रशासन द्वारा कर लिया गया था लेकिन अभी तक पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गयी है अत: गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाए।

राज्य सरकार द्वारा कई काश्तकारों को डिग्गी निर्माण पर अभी तक अनुदान नहीं दिया गया है। किसानों को अनुदान के नाम पर भ्रमित कर दिया गया है। किसानों ने कर्ज लेकर डिग्गी निर्माण तो करवा लिया है लेकिन अभी तक अनुदान नहीं मिला। फार्म भरे हुए हैं, काफी समय हो गया है, काश्तकारों को शीघ्र डिग्गी निर्माण की रुकी हुई अनुदान राशि दिलवायी जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं वह मध्य प्रदेश, गुजरात की सीमा से लगता हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में टी.एस.पी. एरिया आता है, उसमें 90 प्रतिशत हमारे परिवार टी.एस.पी. के हैं।

जिस परिवार से, जिस क्षेत्र से मैं आयी हूं, मैं सभापति जी से अनुरोध करती हूं कि आजादी के बाद कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्रसे एक ही बार कांग्रेस का विधायक जीता था। मेरा परिवार एक कांग्रेसी परिवार है। मेरे पति तीन बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। मैं निर्दलीय चुनाव जीतकर आयी हूं। मेरा कुशलगढ़ विधान सभा एरिया विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के बारे में, पानी के बारे में, सड़कों के बारे में काफी पिछड़ा हुआ एरिया है।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अच्छा सा अस्पताल खुले। जो अस्पताल खुला हुआ है वह राजा-महाराजाओं के टाइम का खुला हुआ है। पिछली बार भी मैंने इस अस्पताल के बारे में बताया था। मैं मुख्य मंत्री गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो महाविद्यालय खोला है उसमें आज की तारीख में 500 बालक-बालिकाएं पढ़ रही हैं।

इसी तरह से मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा तालाब बनाएं, एनिकट बनाएं। माही की एक अपर हाई लेवल कैनाल है वो मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र से लगती हुई है। हमारा घाटा क्षेत्र एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो बिलकुल सूखा पड़ा है, तो यह अपर हाई लेवल कैनाल जो घाटा क्षेत्र से गुजरती हुई सज्जनगढ़, कुशलगढ़, बागीदौरा, आनन्दपुरी तक ले जाएं तो इससे हमारे क्षेत्र में काफी विकास होगा और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा एरिया है हाथिया दिल्ली, उसमें जंगल पड़ता है। आज की तारीख में वहां काफी समय से 300 से 350 की आबादी है, उसमें बिजली कनेक्शन नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्री जी ने जो सौर ऊर्जा दी है वह महीने भर चली और बैटरियां आज भी लोग माथे पर लेकर घूम रहे हैं तो मैं मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहूंगी कि बिजली का कनेक्शन जो बी.पी.एल., ए.पी.एल. हैं उनके ज्यादा से ज्यादा हों, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हालरापाड़ा है, हाथिया दिल्ली है, ऐसे गांव आज भी बिजली, पानी और सड़कों से सूखे पड़े हैं। इस तरह से मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र को विकास के मामले में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूं। मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल जी खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में हमारे प्रथम वक्ता राजकुमार जी शर्मा ने जो विषय रखा था, आपने मुझे उस पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण की चर्चा हुई वह तीन दिन से लगातार मैं भी सुन रहा हूं। इस अभिभाषण पर सत्ता पक्ष के माननीय

(श्री बाबुलाल)
सदस्यों ने जो-जो विचार व्यक्त किये उनका केन्द्र बिन्दु या तो केन्द्र सरकार या प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी रहा। हमको चाहिए था कि हम सब मिल करके इस अभिभाषण पर समीक्षा करते, चर्चा करते तो प्रदेश का कुछ भला हो सकता था। माननीय सभापति महोदय, ऐसा क्या हो गया जो आज सत्ता पक्ष को भय सता रहा है?

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी, 130 करोड़ जनता ने 303 सीटों का जनादेश देकर उन्हें दूसरी बार प्रधान मंत्री बनने का अवसर दिया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 303 एक गन हुआ करती थी। उस गन से हमारे जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा किया करते थे। जनता जनार्दन ने विश्वास किया, यह 303 का जो जनादेश उन्हें मिला है, वे देश की सीमाओं से लेकर के जनता तक की रक्षा करेंगे। हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि जो अंतिम है उसका पहले उदय होना चाहिए। यह सपना लेकर चले थे, उस काम को पूरा करना है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने गांव और गरीबी के अंतिम किनारे पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से ऊपर उठाकर हम अमीर और गरीब की खाई को पूरा करें, इस काम को लेकर योजना बनायी। आज मैं गांवों की चर्चा करूंगा। आज कई वक्ताओं ने यह कहा कि गांवों को सड़कों से हम जोड़ेंगे। सारी सड़कें हमने जोड़ीं। अगर हिन्दुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो गांव का आदमी आज भी सड़क से मोहताज होता। डामर की सड़क कैसी होती है, वह सपने देखता। मोदी जी ने आगे चलकर, गांव का आदमी बिजली नहीं जानता, बिजली कैसी होती है, शहर में जाता है तो बिजली का लट्टू देखता है कि बिजली ऐसे जलती है, मोदी जी ने सौभाग्य योजना बनाकर गांव और गरीब आदमी के घर में लट्टू पहुंचाने का काम किया।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने इससे आगे चलकर कहा कि जो वन क्षेत्र में एरिया पड़ता है उसमें कई बाधाएं आती हैं। इस कारण से उस व्यक्ति के यहां आज भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि वहां पर बिजली पहुंचानी है। उनको भी सोलर ऊर्जा, सोलर पम्प देकर उजाले में रहने का अवसर प्रदान किया है। यह काम भी किया है।

सभापति महोदय, किसानों के लिए बहुत चर्चा हुई कि किसानों के

(श्री बाबुलाल)

हमदर्द हम ही हैं। मोदी जी ने किसान सम्मान योजना बनायी थी, उसकी क्या दुर्गति राजस्थान में हुई है? आप बताएं कितने किसानों को आपने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया? आज भी राजस्थान में कई किसान ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस कारण से कि आपने उनका रिकार्ड ऑनलाइन नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार जितने भी किसानों के खाते अपडेट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन नहीं हैं, उनको ऑनलाइन करके इस लाभ को भी दिलाने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं। जनजाति के व्यक्ति को, एस.सी., एस.टी. को कांग्रेस ने अपनी बपौती माना था, अपनी जेब का वोट माना था। आज जनजाति का व्यक्ति, जनजाति मतदाता कांग्रेस से दूर क्यों गया? कांग्रेस ने केवल बातें कीं। उनकी भलाई के काम नहीं किये।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जो निवासी हैं वे मजदूरी के लिए पलायन करके गुजरात या मध्य प्रदेश जाते हैं। हम उनके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा सके, उनको मजदूरी नहीं दे सके। आज उनकी हालत क्या है? उनकी हालत यह है कि उनको दलाल ले जाते हैं, मेट ले जाते हैं। जहां भी उनको मजदूरी के लिए रखते हैं तो उनसे पहले सौदा कर लेते हैं। उनका पैसा उठाकर ले आते हैं और उनको बंधुआ मजदूरों की तरह वहां छोड़ देते हैं।

सभापति महोदय, अभी अखबारों में आया। हम सभी ने पढ़ा होगा। वहां मजदूरी करने वाले श्रमिक की मौत हो जाती है। किस कारण होती है इसका कोई पता नहीं होता है। उनकी लाश आती है तब घर वालों को पता लगता है कि यह मेरा बच्चा है। मेरे परिवार का सदस्य है, इसकी लाश आयी है। मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति मजदूरी के लिए ले जाता है, चाहे मेट है, दलाल है, बाहर जितने मजदूर जाते हैं, सरकार को कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। कितने मजदूर गये, कहां गये, उनको पूरी मजदूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसकी निगरानी सरकार को करनी चाहिए।

सभापति महोदय, बाल श्रमिक का विषय आया। बाल श्रमिक मजदूरी करने के लिए क्यों जाते हैं, यह कभी चिंता की क्या? क्यों जाते हैं, 'वुभुक्षितः कि न करोति पापं' पेट पापी है, पेट पालने के लिए कुछ भी करेगा। डूंगरपुर से, चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बच्चों को गिरवी

(श्री बाबुलाल)

रखा जाता है। इसके पीछे क्या कारण हैं? उनकी मजबूरी है कि बच्चे गिरवी रखने पड़ते हैं। आज हम उसको रोजगार नहीं दे पाये, इस कारण से वह मजदूर गिरवी रखने के लिए मजबूर है।

सभापति महोदय, आज हमारे यहां एक विभाग काम करता है। पूरे जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए जनजाति विभाग बना हुआ है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इतने विभाग हैं मिलकर जनजातियों का भला करेंगे, उन लोगों का हम भला करेंगे। लोगों की भलाई करके, योजना बनाकर उनको ऊपर उठाएंगे। यह सारी योजना बनाकर उनको क्या लाभ पहुंचाने का काम किया? एक साल के अन्दर आपने जनजाति क्षेत्र में क्या भला किया? कम से कम यह बताने का काम तो करें। कुछ नहीं किया। हमारे कहने से मत करिए। कम से कम आपके विचार के लोगों से पूछकर जनता जनार्दन का भला करिए। आपके भी वोटर वहां रहते हैं। मंत्री महोदय, यह समय चला जाएगा और कुछ करके जाओगे तो आने वाले समय में हम सब लोगों को याद रहेगा। हमको करना चाहिए। आपने तो, यहां तक ही नहीं, जो जनजाति परामर्शदात्री परिषद् बनी हुई है उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलायी। क्यों नहीं बुलायी? क्योंकि वहां सदस्य हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब क्या देंगे। इस परिषद् का काम यह है कि समय-समय पर इसको बुलाया जाता है कि वह हमको सलाह दे और जो काम हुए हैं वह कितने हुए हैं, कितने किस कारण से नहीं हो रहे हैं, इसकी हम समीक्षा करते हैं।

सभापति महोदय, हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारे यहां स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। वे आश्रम छात्रावास चलाती हैं, आवासीय छात्रावास चलाती हैं। जनजाति विभाग उनको अनुदान देता है। मंत्री जी, अनुदानित छात्रावास में ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनको आपने अनुदान तक नहीं दिया। आप समीक्षा करें, मैं नाम लेना चाहूंगा, वनवासी कल्याण परिषद्, अपने संसाधनों से वह अपने बालकों का पालन पोषण कर रही है, आपने अनुदान नहीं दिया। एक संस्था और है, लवीना विकास सेवा संस्थान, शैल्टर होम को अनुदान नहीं मिला। मैं खुद जाकर देखकर आया हूं। वहां वे बच्चे रहते हैं जिनके मां-बाप नहीं हैं। इन बच्चों को अनाथ छोड़ दिया गया है। कहीं अखबार में न्यूज़ आती है, समाचार आता है, लोग उन बच्चों को उस संस्था में छोड़कर आते हैं। उस संस्था को आपने अनुदान नहीं दिया। मैं वहां गया तो उन्होंने कहा, एम.एल.ए. साहब क्या करें, इसको बंद कर दें क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन बच्चों को

(श्री बाबुलाल)

हम मरने के लिए छोड़ दें? उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है? आपके विभाग के अधिकारी गये और कहा कि ठीक चल रहा है, उसके बाद भी हम अनुदान नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है जिसके कारण से हम अनुदान नहीं दे पाते, यह चिंता का विषय है। इस पर चिंता करनी चाहिए।

सभापति महोदय, पुलिस का विषय आया तो सबने चिंता की कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। पुलिस काम भी करती है तो उनको रोकने का कौन काम करता है? जितने अपराध बढ़ रहे हैं, जितने अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है। वे कानून के रखवाले हैं। वे कानून की रक्षा कर सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनको दबाया जाता है। चाहे आप हों, चाहे हम हों, अपराधी को बचाने का काम हम ही करते हैं। सारे पुलिस वाले खराब नहीं हैं। ईमानदार लोग भी हैं। अच्छे लोग भी हैं। काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने नहीं दिया जाता है। मैं झाड़ोल क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। हमारे पानरवा थाने और फलासिया थाने का मामला है। एक व्यक्ति अपना होटल चलाता है। झोपड़ी बनाकर मेगा हाइवे पर, अपने परिवार को पालने के लिए आदमी कुछ भी धंधा करेगा। हमारे वहां के डीवाई.एस.पी. दो पुलिस थानों के जाब्ते ले जाकर आपके वहां पर छापा मारते हैं और छापा मार कर निर्दोष लोगों को पकड़कर पुलिस थाने ले जाते हैं। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उनकी गलती होगी, वहां होटल है, कुछ लोग खाने-पीने वाले लोग भी होंगे। उन सबको, पढ़े-लिखे लड़कों को बंद कर दिया। बंद कर दिया, चलो समझ में आता है आपने कर दिया कानून के तहत, जो भी कानून लगता है, वह लगना चाहिए, उसकी कार्यवाही होनी चाहिए, मैं वह नहीं कह रहा हूं लेकिन माननीय सभापति महोदय, उन पढ़ने वाले बच्चों को तीस-तीस पट्टे मारने का काम उस पुलिस ने किया, आप क्या कार्यवाही करेंगे उन पर, जवाब देना।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा एक विषय नहीं है। पानरवा थाने में आदिवासी क्षेत्र है। वहां का व्यक्ति दारू भी पीता है, लेकिन अपराध नहीं करता है। रास्ते में बैठे होंगे, आपने दुकानें खोल रखी हैं, बैठकर पी रहे होंगे, पुलिस वाले जा रहे थे, उनको नमस्ते नहीं किया होगा? फिर वापस आये, उनसे उलझ गये। उन्होंने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है। वे पुलिस वाले थानेदार को बुलाते हैं, उठाकर ले जाते हैं और रात भर उनको बंदी रखकर मारपीट होती है। दूसरे दिन वहां के लोगों ने मुझसे कहा कि, भाई साहब, एक

(श्री बाबुलाल)

बार देखो तो सही उनकी हालत क्या है? मैं थाने में गया और थाने में जाकर मैंने कहा कि इनका अपराध क्या है? थानेदार वहां नहीं था, फोन से बात की, कहा, साहब, मैं इनको देखकर, आकर छोड़ूंगा। मेरे जाने के बाद में रात को तीन-चार पुलिस वालों ने उस पर चढ़-चढ़कर ठुकाई की और इतनी पिटाई की कि वह चल फिरने की स्थिति में नहीं था। यह अधिकार किसने दिया? क्या स्थिति है आपके थानों की, उनको कौन सम्भालेगा? कौन धणी-धोरी है? इसकी शिकायत मैंने माननीय एस.पी. साहब से की। उन्होंने डिप्टी को जांच दी, जांच में पुलिस वाला पुलिस की मदद करता है। बाद में वह लड़का कोर्ट में जाकर परिवाद पेश करता है। यह हालत है, यह यहां की स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, आगे चलकर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में सिलिकोसिस की शिकायत भी है। आपने सिलिकोसिस के विषय में काफी जिक्र किया है। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात का स्वागत करना भी चाहिए, आपकी पीठ थपथपानी चाहिए। झाडोल में ओगड़ा के आसपास बीस-पच्चीस ऐसी खानें थीं, जो आज की नहीं थीं। मैंने पिछली बार प्रश्न भी लगाया था, उसका जवाब आया कि हमारे पास में ऐसी कोई खान नहीं है। वे सारी की सारी अवैध खानें थीं। अवैध खनन होने के नाते वहां पर खुदाई हुई। माल ले गये। वहां से निकलने वाला धुआं इतना दूषित है कि वहां के आसपास के एरिये में रहने वाले सब लोगों को फेफड़ों की बीमारी हुई। कई औरतें विधवा हो गयीं। उसके बाद जो बरसात का पानी भरता है, उन खड्डों से पानी निकलता है और पानी निकलकर नालों में जाता है। नालों में जाने के बाद में वहां पर बच्चे बेरी खोदकर पानी पीते हैं। आज हर जगह हैंड पम्प नहीं है। वे मगरे में जाते हैं तो बेरियां ही खोदते हैं। वे बेरी खोद कर पानी पीते हैं, उसके बाद उन बच्चों को भी वह बीमारी होती है, ऐसे हालात हैं। मेरे प्रश्न लगाने के बाद में वहां पर जाकर कइयों की जांच की है, आज वहां पर सरकार ने चिकित्सा टीमें भेजने का काम भी किया है, यह हालत है यहां पर।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा विषय हमारे यहां खनन का है। हमारे यहां कोटड़ा क्षेत्र है, वहां पर सीमेंट पत्थर का बहुत भण्डारण है। बहुत लम्बा भण्डारण है। वहां के आदिवासियों के खेतों में भी है, उसके बाद मगरिया पर भी है। अगर आदिवासियों का भला करना चाहते हो तो वहां जो सीमेंट का पत्थर है, उन आदिवासियों को इसका पट्टा देने का काम करें। अगर उनको पट्टा

(श्री बाबुलाल)

मिलेगा तो वे कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण तो करेंगे, कम से कम अपना जीवन स्तर तो सुधार सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को आगे चलकर समाज का कुछ भला करना है तो हमें यह करना चाहिए। मैं दूसरा विषय कहना चाहता था कि हमारे यहां शिक्षा को बढ़ावा देने की बात बहुत कही गयी है। उस क्षेत्र में हालात क्या हैं? विद्यालय है लेकिन वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो उन दीवारों को देखकर बच्चे सीखेंगे क्या, दीवारों को देखकर पढ़ेंगे क्या? प्रत्येक विद्यालय में ऐसी स्थिति है। वहां पर मास्टर न होने की वजह से बच्चा, जो पढ़ना चाहता है, वह होशियार है लेकिन वह इसलिए नहीं पढ़ पाता है कि वहां पर पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यही हालात हमारे चिकित्सालयों के हैं। हास्पिटल है, मैंने यह कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्र है, बिखरी आबादी है, आप और भी हास्पिटल खोलें, अभी तक हास्पिटल खोलने का कोई विषय नहीं है। आपके नियम हो सकते हैं, आपकी सीमा हो सकती है, मर्यादा हो सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो कम से कम छूट होनी चाहिए, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपको बहुत समय दे दिया, आपको 20 मिनट दिया है। चेतन चौधरीजी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे इतना समय दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का, राज्यपाल के इस अभिभाषण का विरोध कर अपनी बात को समाप्त करता हूं।धन्यवाद।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पृष्ठ संख्या एक के बिन्दु संख्या 3 में राज्यपाल महोदय का कथन कि यह सुखद संयोग है कि देश एवं प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं; पूर्व प्रधान मंत्री, भारत रत्न, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 75वीं एवं संविधान निर्माण की

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

70वीं जयन्ती मना रहा है। इसके साथ ही आगामी पीढ़ी को संविधान की महत्ता, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के योगदान को स्मरण रखने के लिए विधान सभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की गयी थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात इसी से शुरु करूंगा। भारत के इतिहास में 1757 और 1857 का बड़ा भारी महत्व है। दोनों के बीच लगभग 100 साल का फर्क रहा। 1757 महत्वपूर्ण इसलिए था कि इसके अन्दर बैटल आफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ और इसी युद्ध के दौरान ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के जो राजा थे उनको हराया और भारतीय उप महाद्वीप में अपने पांव जमाये। दूसरा सन् 1857, जो कि भारत की प्रथम क्रांति का, आजादी की क्रांति का बिगुल बजा। सन् 1757, सन् 1857 की तरह ही सन् 1957 भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में 1957 में दूसरे आम चुनाव सम्पन्न हुए। यह महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए जो अफ्रीकी और एशियाई देश थे लेकिन उन तमाम देशों में वह व्यवस्था, वह जम्हूरियत, वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं चल पायी थी जो भारत में चली। जैसी जम्हूरियत या प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत में देखने को मिली वैसी व्यवस्था उन देशों में देखने को नहीं मिली जो भारत के साथ आजाद हुए या भारत के बाद आजाद हुए। पूरे विश्व में चर्चा रही कि, जब 1952 का चुनाव हो गया तो, भारत अगला आम चुनाव नहीं करवा पाएगा। लेकिन 1957 के आम चुनाव जब पूरी तरह से निपटा लिये, बढ़िया से सम्पन्न हो गये, लगभग 3 हफ्ते का टाइम लगा तो उसके बाद जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे, विश्लेषण करने वाले लोग थे, वे सब सन्न रह गए। चुनाव को लेकर उनकी तमाम तरह की जो भी टीका-टिप्पणियां थीं वे सारी गलत सिद्ध हुईं या भारत को लेकर जो थीं वे गलत सिद्ध हुईं।

माननीय सभापति महोदय, 1957 के चुनावों से पहले एक मूवी बनायी गयी, उसका नाम दिया गया, 'इट इज योर वोट', जो कि 13 भारतीय भाषाओं में बनायी गयी, 74 हजार सिनेमा हालों में दिखायी गयी और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि वह फिल्म भारत सरकार, केन्द्र सरकार की ब्राडकास्टिंग एण्ड इंफोर्मेशन मिनिस्ट्री द्वारा बनायी गयी। आप लोगों को जानकारी दूं, उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस फिल्म की

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

खासियत यह रही कि पूरी की पूरी फिल्म में कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं रहा जो यह सिद्ध कर सके, यह बता सके कि किसी भी एक पार्टी का पक्ष या पैरोकारी की गयी। यह उस समय की कांग्रेस की देन थी। सभापति महोदय, आपको जानकारी होगी कि आजादी से पहले कांग्रेस का एक चुनाव हुआ। उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह सोच रखी कि पट्टाभि सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए लेकिन चुनाव थे। उसी सोच के तहत उन्होंने सीतारमैया को चुनाव में खड़ा किया लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हो गये और उन्होंने कहा कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तुरन्त इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव होना चाहिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलनी चाहिए। दोनों में चुनाव हुआ और सीतारमैया चुनाव हारे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये। निर्वाचित अध्यक्ष बने, यह बहुत बड़ी बात है। यह उदाहरण मैं आपके समक्ष सिर्फ इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग यह मानते हैं कि हम जो बोलें वही सत्य है।

1952 या 1957 का चुनाव सफल इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे पुरखों ने एक विरासत दी। विरासत दी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की। ऐसी विरासत जिसके तहत हम लोग चुनाव के तहत अपनी सरकारें चुन सकें, अपने अध्यक्ष चुन सकें। तीन रोज पहले इसी का उदाहरण देखने को मिला। जब दिल्ली के चुनावों का नतीजा आया तो यह तय हो गया कि हमारे यहां के लोग बहुत सोच-विचार करके अच्छा फैसला ले सकते हैं। वहां जितनी भी कारगुजारियां की गयीं, जितने भी हथकण्डे लोगों ने अपनाये, सब के सब फेल हो गये। आखिरकार, काम को वोट दिया गया। जो काम करेगा और गरीब की सोचेगा, उसे वोट मिलेगा। जब दिल्ली विधान सभा चुनावों का नतीजा आ रहा था तब मैं इसी विधान सभा परिसर में दोपहर का भोजन ले रहा था। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा, जनाब अब तो वोट उन्हें मिलने लग गये, जो रेवड़ियां बांटते हैं।

सभापति महोदय, मेरा यह मानना है चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब के लिए काम करे। उस व्यक्ति के लिए काम करे जो समाज के आखिरी छोर पर बैठा है। हमारी सरकारें किसी धन्ना सेठ की मल्टीनेशनल कम्पनियां नहीं हैं जो कि मुनाफे के लिए काम करें। जिन उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ लोग हमें चुनते हैं, उन्हें पूरा करने में यदि हम प्रयासरत रहते हैं तो यह तय मानिए कि जो अभी कुछ देर पहले एक वक्ता द्वारा बोला गया कि हर बार बदलता है, कहीं न कहीं इस परिपाटी में भी

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

बदलाव आ जाएगा। हमारी सरकार ने गरीब की सोचते हुए मुफ्त दवा, मुफ्त जांचें, जनता क्लिनिक, न जाने किस-किस क्षेत्र में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में नये-नये विचार लेकर आये और उसी के तहत बाल सभाएं की गयीं। सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव हो रहे हैं।

मेरा सरकार को एक सुझाव भी रहेगा। सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो लोग शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, वे शिक्षण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। वे यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा के अलावा उनकी जो दिनचर्या है, उसमें कैसे सुधार हो। यह शिक्षक तय करें। आज तक के इतिहास में सबसे गौरवमय शिक्षक आचार्य चाणक्य का यह कथन कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पला करते हैं, यह तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा।

अभी मुझसे पहले बाबुलाल जी बोल रहे थे। उन्होंने यहां कहा कि उन्हें अनुदान नहीं दिया जा रहा है। मैं बाबुलाल जी और उनके साथ बैठे हुए मेरे तमाम मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरी जानकारी के हिसाब से केन्द्र सरकार में राजस्थान की 11 सौ करोड़ से भी ज्यादा राशि बकाया है। वह अनुदान कब मिलेगा? पूरा मंत्रिमण्डल और हम तमाम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। शायद आप लोग इसमें मदद करें क्योंकि लोक सभा में 25 की 25 सीटें आपको दी गयी थीं। आप विधायक हैं। अपने सांसदों से बोलें। हम सबका यह मानना है कि जितने भी हम लोग यहां चुनकर आते हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, कि वे जनता के लिए और आम आदमी के लिए काम करें।

सभापति महोदय, अभिभाषण के पृष्ठ सं. 18, बिन्दु सं. 62 के अनुसार राज्य में कोई भी व्यक्ति नि:संकोच पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करा सकता है। यदि किसी कारणवश थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में थानाधिकारी की जवाबदारी भी तय की जाएगी। सभापति महोदय, यह व्यवस्था तभी ठीक हो पाएगी, जब हम यह सुनिश्चित कर सकें कि जो थानाधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी कार्यवाही में या अपने काम में गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

इसी क्रम में मेरा निवेदन है कि गोटन थाने में एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने अपनी इंटरनल जांच में भी यह मान लिया कि अभियोग सं. 58/17 फर्जी है। यह 2017 की बात है। जिन अधिकारियों ने भारत के जिम्मेदार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया, उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इससे पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न लगता है। मैं उन अधिकारियों का नाम लेना चाहूंगा। एक नाम +++ (आई.पी.एस.) है और दूसरा +++ है, जिसे अभी प्रमोशन दिया गया।

मेरे बार-बार डी.जी. को पत्र लिखने के बाद भी जवाब यह आता है कि उनको नोटिस दे दिया गया है। जनाब, यह 2017 का है। 2017 में फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया था। मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था लेकिन तब भी आपने सुनवाई नहीं की। वह आदमी तब से घूम रहा है और हम लगातार प्रयासरत हैं कि आपने जो गलत किया, उसे ठीक किया जाए। हम लगातार प्रयासरत हैं। लगातार लगे हुए हैं। अभिभाषण के पृष्ठ सं. 23 के बिन्दु सं. 18 के अनुसार तहसीलों में भू-अभिलेख को डिजिटलाइज व ऑनलाइन किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आज जब हम राजस्व रिकार्ड को डिजिटलाइज व ऑनलाइन किये जाने की बात कर रहे हैं, पहले भी मेरे द्वारा एक बात उठायी गयी थी कि जो आदमी आज से चालीस साल पहले मर गया, उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी गयी और आज दिन तक जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। सभापति महोदय, हमें किसान को मजबूत करने की जरूरत है। हमें किसान को नयी वैज्ञानिक खेती के तरीके देने होंगे। उसे निर्बाध बिजली एवं उसके उत्पादन की सही कीमत देनी होगी।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसानों की वी.सी.आर. भरी जा रही है, बिजली में कटौती की जा रही है, किसानों की बिजली के कनेक्शन इस समय काट दिये जा रहे हैं, उस पर रोक लगाए। हम तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, संवेदनशील सोच रखते हुए यह मानकर चलें कि किसान का अगर हम भला नहीं कर सकते तो जो सोच हमारी रही है कि किसान जो हमारी विकास की धुरी है, उसमें कहीं न कहीं कमी आती है।

अभिभाषण में तमाम तरह की बातें रहीं लेकिन मेरा मुख्यतः जो

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

मानना है, वह यह है कि हम लोग किसान का भला करें, युवाओं का भला करें। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने किसान के लिए अलग से एक योजना तैयार की कृषक कल्याण कोष के नाम से, जिसमें कहा गया कि यह पैसा सिर्फ किसान के लिए काम आएगा। मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने 70 हजार वेकेंसीज फुलफिल करने की बात कही। उसमें से लगभग 48 हजार आज दिन तक पूरी हो चुकी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हरदम यह सोच रखते हैं कि गरीब का भला हो, आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का भला हो, जो सबसे ज्यादा गरीब है, उसका भला हो।

अंत में मैं अभिभाषण के पक्ष में अपना समर्थन देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार जी।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, पंद्रहवीं विधान सभा के द्वितीय बजट सत्र में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज विचार प्रकट करने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश की क्या दुर्दशा हो रही है, इसका जीता-जागता उदाहरण सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय से आपने विकास का बार-बार अभिभाषण में जिक्र तो कराया है और सरकार विकास की बात भी करती है लेकिन प्रदेश के विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिये जो पैसा दिया जाता है, वह अभी तक पूरा नहीं दिया गया है जबकि विधान सभा का इस वर्ष का बजट सत्र भी बुला लिया गया है। ऐसे में जहां अभिभाषण में प्रदेश को नि:रोगी राजस्थान बनाने की बात कही गयी है, कैसे मूर्त रूप दिया जाएगा, अभी तक इसका कोई अता-पता नहीं है। अभिभाषण के बिन्दु संख्या प्रथम में नि:शुल्क दवा योजना का जिक्र किया गया है। किन्तु भा.ज.पा. सरकार द्वारा चलाया गया भामाशाह कार्ड तो आपने बंद कर दिया है, जिससे गरीब व्यक्ति निजी चिकित्सालय में बिना किसी चिंता के इलाज करवा सकता था लेकिन, अब इस चिंता में बीमार व्यक्ति और अधिक बीमार होता जा रहा है। उसका

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

इलाज कैसे सम्भव होगा। भारत सरकार द्वारा अनुकरणीय आयुष्मान योजना को भी आप तोड़-मरोड़कर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। न तो आप किसी प्रकार से प्रदेश की आम जनता को व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं और यदि केन्द्र सरकार किसी योजना के द्वारा प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधा देना चाह रही है तो आप उसे भी सुचारु रूप से लागू करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्या आपकी नि:रोगी राजस्थान की परिभाषा सही है?

मैं आपका ध्यान मेरे रावतसर एवं पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के हास्पिटल्स की तरफ दिलाना चाहता हूं। पीलीबंगा हास्पिटल में डाक्टरों के पद खाली पड़े हैं। गरीब आमजन का इलाज होना दुर्लभ हो रहा है। अत: पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए। इसके साथ-साथ पीलीबंगा कस्बे में हास्पिटल तो बहुत बड़ा है, पर डाक्टरों के रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां आवास की व्यवस्था की जाए। लिखसीसर, दौलतावाली, खरलिया, खोड़ा, रामपुरा, जाखड़ावाली में जो पी.एच.सी. हैं, वे बिलकुल बन्द ताले के बराबर हैं, खुल नहीं रही हैं, उनको खोला जाए। मंत्रीजी ने पहले घोषणा की थी कि हम नये ट्रोमा हास्पिटल की शुरुआत कर रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2010-11 में अशोकजी गहलोत ने रावतसर में ट्रोमा हास्पिटल खोला था, आज तक उसके ताला लगा हुआ। जो पहले खोले हैं, उन्हें तो आप चालू करवा दो। फिर कोई बात नयों की करें, आप नयी घोषणा कर रहे हो। रावतसर में सी.एच.सी. का हाल तो यह है कि प्रभारी तो कोई और है और प्रशासनिक काम कोई और चला रहा है। कैसे हास्पिटलों की व्यवस्था सुधरेगी, जो डाक्टर प्रभारी नहीं है, दूसरा प्रभारी जो है उसके पास प्रशासनिक पावर नहीं है, आपके समय में यह सारी व्यवस्था एकदम गोल हुई है। इसके साथ-साथ, मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नहर क्षेत्र से आता हूं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाखड़ा और गांधी नहर परियोजना में जो बहुत पहले खाले बने थे, वे जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। अत: किसानों को राहत दी जाए और वहां वे खाले सरकार अपने स्तर पर भाखड़ा और गंग कैनाल में पक्के करवाए और इनमें बजट दिया जाए ताकि उन काश्तकारों को लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना में आपने नया काम शुरु किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा में सिंचित क्षेत्र दस से बीस परसेंट बकाया पड़ा है। जहां आप

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

लाखों करोड़ रुपये खर्च करके उन क्षेत्रों को सिंचित करने की बात कर रहे हैं जबकि बगैर पैसे लगाये ही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा से क्षेत्र सिंचित हो सकता है। नहर के अन्दर पानी है इसलिए उन किसानों को दिया जाए, ताकि उनका क्षेत्र भी वापस सिंचित हो सके।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वहां सेम की सबसे भयंकर समस्या है। भैरूसरी, जाखड़ावाली, 18 एस.पी.डी., बड़ोपल, मानक थैड़ी से सेम निवारण हेतु बड़ोपल में पम्प स्थापित है। दूसरा पम्प रावतसर चक 15-16 के.डब्ल्यू.डी., 99 आर.डी. में सेम नाले का निर्माण हुआ है। दोनों योजनाओं में सेम निवारण महत्वपूर्ण है परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा समय पर विद्युत राशि जमा नहीं होने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिये जाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण योजना है, काश्तकार काफी वर्षों से परेशान हैं। यदि विद्युत का बिल जो काश्तकारों का सिंचाई ट्यूबवैल कनेक्शन 90 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। उक्त योजना में भी काश्तकारों के हिसाब से लिया जाए तो चक 99 आर.डी. व बड़ोपल योजना, पानी निकासी हेतु इस योजना का विद्युत व्यय बिल ट्यूबवैल योजना के तहत लिया जाए ताकि दोनों योजनाओं के पानी निकासी में बाधा न हो सके।

इसके साथ-साथ भैरूसरी से बड़ोपल तक, रावतसर से 99 आर.डी. तक, सेम नाले की सिल्ट सफाई नहीं हो रही है। जिसके कारण पानी सेम नाले से बाहर जमीन पर फैल रहा है। काश्तकारों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जहां पर भी सेम नाला खोदा जाए, उस सेम नाले के ऊपर पुलिया व सड़क मार्ग है, जो काफी ऊंची बनी हुई है। जिसके कारण पानी निकासी में बाधा आती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है 99 आर.डी. व बड़ोपल पम्पों के बिल समय पर भरे जाएं। सेम नाले की समय-समय पर सिल्ट सफाई करवायी जाए व पुलिया को ऊंचा किया जाए।

इसके साथ-साथ पी.एच.ई.डी. के बारे में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि आजाद भारत में 40 प्रतिशत लोग ढाणियों में रह रहे हैं और वे रॉ-वाटर पी रहे हैं, पेयजल योजना बाधित हो रही है। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में पूरा स्टाफ नहीं है, मात्र एक ए.ईएन. कार्यरत है। पीलीबंगा में ग्रामीण ए.ईएन. का नया पद सृजित किया

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

जाए। पीलीबंगा-रावतसर ग्रामीण क्षेत्र में एवं ढाणियों में सर्वे करवाकर वंचित लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। रावतसर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में केवल एक ए.ईएन. के सहारे आफिस चल रहा है। ए.ईएन. व जे.ईएन. की व्यवस्था की जाए। ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आमजन को मिल सके। इसके साथ-साथ आपणी योजना एशिया की सबसे बड़ी योजना है। स्वर्गीय भैरोंसिंह जी का सपना था कि गांव के लोगों को अच्छा जल मिले, परन्तु आज यह योजना लड़खड़ा रही है। इस योजना का आगे से तो विस्तार किया जा रहा है पर जहां ऊंचा क्षेत्र है जैसे खोड़ा, हरदासवाली, रामपुरा है, राइकावाली ढाणी है, लालपुरा है, किकरालिया, जे.बी.डी. 2 सी.एल.डी. है, यहां पर न तो विस्तार किया जाता है और न ही दूसरी ढाणियों में पानी जाता है। इस योजना को आगे बढ़ाया जाए और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, उनको पानी पीने के लिए मिले।

पी.डब्ल्यू.डी. में मेगा हाइवे, मैं धन्यवाद दूंगा राजेन्द्र जी राठौड़ का और पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी का, एक मिनट साहब।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, मंत्री जी बीच में बोल रहे हैं, मंत्री जी को तो बिठाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस है, डिमांड पर थोड़े ही बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): विराजें तो सही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप डिमांड का पर्चा लेकर आ गये, राठौड़ साहब यह चाहते हैं कि कोई संसदीय परम्पराओं को सीख नहीं जाए इसलिए आपको बताते भी नहीं हैं।

श्री सभापति: विराजें, माननीय मंत्री जी। आप तो बोलें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मेगा हाइवे एक ऐसी सड़क है, साहब, 2007-08 में बनी थी और आज वहां उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। इतने भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण से आमजन को नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेगा हाइवे पर जो डिवाइडर बना हुआ है, वह भी अलग हो गया है और आज वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ-साथ NH-754K की नयी सड़क जो हनुमानगढ़ जिले में निर्मित हो रही है, वहां पर काश्तकार 12 महीने से धरने पर बैठे हैं। वे इसलिए बैठे हैं,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

मंत्री महोदय, आपको बता रहा हूं, यह काश्तकारों का मामला है, इसलिए बैठे हैं कि उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। NH-754K, 12 महीने से आप प्रभारी मंत्री हैं, आप वहां जाते हैं और उनसे मिलकर नहीं आते हैं, यह बड़े दु:ख की बात है, शर्म की बात है। आपके सामने की बात है, वे 12 महीने से बैठे हैं। उनको उचित मुआवजा मिलना, यह कोई घाटे की बात नहीं है, मिलना भी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन काश्तकारों को विश्वास में लेकर के उनको मार्केट रेट दिया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य, मिलकर भी आता हूं और केन्द्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, आपकी पार्टी का राज है, वहां से दिलवाएं। वह मुआवजा उनको केन्द्र देगा।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): आपके कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और उस कमेटी में जो होगा उसकी आप सिफारिश करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त हो गया। एक मिनट, कोई अंकित नहीं होगा, आप विराजें, आप विराजें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजें, आप विराजें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): मंत्री जी, आप एस.सी. विरोधी लग रहे हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और आज हमें आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े दु:ख की बात है। आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, पार्टी किसकी है केन्द्र में, बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप तो बोलें-बोलें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): हनुमानगढ़ जिले में आज जिस प्रकार की स्थिति है, मंत्री जी आप जाते हैं हनुमानगढ़ जिले में, जितनी नशीली गोलियां पकड़ी जाती हैं, अफीम, चोरियां, गैर कानूनी काम होते हैं लेकिन आज तक बरामदगी नहीं हुई है। यह लचर व्यवस्था है। इस पर आप ध्यान दीजिए। चोरियां होती हैं, पुलिस उनको बरामद करे।

इसके साथ-साथ मैं शिक्षा की दृष्टि से बात करूं, मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए आपकी बात। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है और भेदभाव बरता जा रहा है व कोई नया संकाय भी नहीं खोला है। स्कूलों में भवनों की कमी है और सरकार द्वारा

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

समान नीति नहीं अपनाई जा रही है इसलिए मेरा निवेदन है जहां-जहां स्कूल क्रमोन्नत नहीं हुए, वहां स्कूल क्रमोन्नत किये जाएं। जिस स्कूल में भवन की व्यवस्था नहीं है, मेरा विधान सभा क्षेत्र बाढ़गस्त, सेम ग्रस्त दोनों है। वहां पर भवनों की भी बहुत कमी है, शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त कमरे नहीं हैं, बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की व्यवस्था के लिए स्कूल भवनों का निर्माण किया जाए। नये स्कूल क्रमोन्नत किए जाएं और नये विद्यालय खोले जाएं। इसके साथ-साथ मैं अंतिम बात, एक ही बात कहना चाहूंगा सरकार से, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत मोटा क्षेत्र है और सरकार अभी बजट पेश करने जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला में नये महाविद्यालयों की स्थापना करें ताकि वहां बच्चों को न्याय मिल सके और वे सरकार द्वारा दी हुई शिक्षा प्राप्त कर सकें। मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे समय दिया, मैं अभिभाषण का विरोध करता हूं। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र बिश्नोई। मैंने तो इसका टाइम दिया।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राज्य सरकार के सुशासन के एक वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने जनता से किये गये वादों के अनुरूप जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर उन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए किसानों की ऋण माफी, वृद्धजन, विधवा की पेंशन में बढ़ोतरी, दलित, आदिवासी, आर्थिक रूप से पिछड़े ई.डब्ल्यू.एस. के साथ, महिला सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण फैसले लिये। इसी प्रकार से आपके पूर्व कार्यकाल की मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे सुदृढ़ बनाने के साथ 2019 में नि:रोगी राजस्थान अभियान के माध्यम से प्रदेश को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया, यह काबिले तारीफ है। प्रदेशवासियों को नि:रोगी बनाने के लिए जो बीड़ा आपने उठाया उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

इसी प्रकार से सुशासन के लक्ष्य को अर्जित करने की दृष्टि से सूचना के अधिकार को सशक्त बनाने हेतु आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर जन सूचना पोर्टल की पहल की। इससे प्रदेश में

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

जन-कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा और न्याय के साथ मिले, यह आपने सुनिश्चित किया है। इसके लिए आपका प्रदेश आभारी रहेगा।

आपके कुशल नेतृत्व में 'एक वर्ष के अनेक फैसले' की तर्ज पर जनहित में लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ नीतिगत निर्णय किये गये तथा चहुंमुखी विकास कार्य किये गये।

प्रदेश में कृषि, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पेयजल, विद्युत, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास आदि सभी क्षेत्रों में आशा के अनुरूप उपलब्धियों का अर्जन किया गया। प्रदेश में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किये गये आरक्षण में सम्बन्धित प्रावधान को संशोधित करने के लिए ऐतिहासिक पहल की गयी। अचल सम्पत्ति सम्बन्धी सभी बाधाओं को दूर कर केवल 8 लाख रुपये अधिकतम वार्षिक आय को ही योग्यता का आधार रखा, इससे बड़ी संख्या में इस वर्ग में वंचित युवाओं को नौकरियों में राहत मिलेगी।

श्रीमान, आपने जोधपुर जिले में समस्या के निराकरण के लिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना का तीसरा चरण, जो काफी समय से रूका हुआ पड़ा था और पूर्ववर्ती सरकार में लगभग पांच साल तक वह योजना अटकी रही, और आज जब सी.एम. बने, बनते ही आपने इस योजना को चालू किया। इसकी डी.पी.आर. बनकर करीब एक हजार करोड़ रुपये इसके अन्दर सैंक्शन भी हो गये हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी की यदि मैं बात करूं तो करीब 70 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं इस बार आपने सैंक्शन कीं, इसके लिए भी मैं मेरे पूरे लूणी क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करने के लिए करीब 4 जो मुख्य सड़कें थीं, जिनमें काफी सड़कें हो गयीं, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उनको भी पूरा किया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो रुके हुए थे सूपधण और पूनियों की प्याऊ, उनका काम चालू हुआ और वे आज बनकर पूर्ण हो गये, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सालावास के अन्दर सोनोग्राफी मशीन की जो डिमांड थी उसको भी पूरा किया गया, जिसके लिए भी धन्यवाद देता हूं।

पर्यावरण की सभी बात करते हैं। खेजड़ली के अन्दर जो 365 लोग

(श्री महेन्द्र बिश्नोई)

हमारे विश्नोई समाज के शहीद हुए उनकी याद में जो खेजड़ली का शहीदी मेला भरा जाता है उसको राजकीय अवकाश में सम्मिलित किया गया, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए अवकाश में उसको भी सम्मिलित किया।

आप द्वारा जनता क्लिनिक जोधपुर एवं जो बड़े शहर हैं, उनमें खोले गये। इससे जो गरीब जनता है उसको पूरा इलाज मिल सके, उसके घर के पास में इलाज मिल सके और उसको कहीं दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए जो जनता क्लिनिक खोलने का वादा किया था, उस वादे को इनको खोलकर पूरा किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो विद्यालय क्रमोन्नत करने थे वे विद्यालय भी आपने किये, करीब 4 विद्यालय क्रमोन्नत किये गये। जो संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत के भी दो और विद्यालय क्रमोन्नत किये, उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज जोधपुर जिले के अन्दर करीब 7710 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये। किसानों की ऋण माफी करवाकर किसानों को नवजीवन प्रदान किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

मेरे वहां पर विद्यालयों में जो विषय की मांग थी, उसमें जाणादेसर में कृषि संकाय खोलने के लिए कहा था, उसके लिए भी कार्य किया और आपने उसको भी किया, जिसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

25 वर्षों के बाद जो टिड्डी का हमला हुआ उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी में भी टिड्डी आयी थी और उसमें 15 गांव प्रभावित हुए थे। उसमें करीब 361 किसानों को आपने मुआवजे की घोषणा की और मुआवजा उन तक पहुंचा, उसके लिए भी मैं तहेदिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं।

आपके नेतृत्व में जो किसानों का भला हुआ और किसानों की जो ऋण माफी की तथा किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष की बजट में घोषणा की थी और उसे बनाया, उससे किसानों को काफी लाभ मिला। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।

आपने जो भी विकास कार्य किये हैं, उनके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम जी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, 24 जनवरी को संवैधानिक बाध्यता के जरिये महामहिम राज्यपाल जी के मुख के द्वारा जो यह अभिभाषण पढ़ाया गया, यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ख्वाबों के चितेरे हैं और सब्जबाग दिखाने में माहिर हैं। कुछ न करते हुए भी बहुत कुछ करते हुए दिखने की कला और शब्दों की जादूगरी, यही तो एक जादूगरी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विकास के नये आयाम स्थापित किये गये थे, उसे जादू के कपड़े के नीचे ढककर गायब कर देना और जादू के मंशा के कबूतरों को उड़ाने की जो कला माननीय मुख्य मंत्री जी में है और उसके आधार पर इस प्रकार का जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, जिसमें विकास की मंशा के कबूतर उड़ाने का, गूटरगूं का काम किया जा रहा है और पूरी की पूरी जमात एक ही भाषा में बोल रही है, इस प्रकार की बात की मैं निन्दा करता हूं।

(14.57 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे वादे इलैक्शन के समय में किये, परन्तु कांग्रेस के लिए ये वादे, जो गाना है, वैसे है कि 'कसमें, वादे, प्यार, वफा ये वादे हैं वादों का क्या', वादे तो करने के लिए होते हैं, काम करने के लिए नहीं होते। वैसे तो किसानों को और युवाओं के साथ में जिस प्रकार से धोखा हुआ है, 50 हजार रुपये की ऋण माफी का काम तो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर लिया गया था। आपने आकर आफर दिये कि पूर्ण ऋण माफी करेंगे, फिर बदलकर आपने कहा कि दो लाख रुपये तक की ऋण माफी करेंगे, फिर आपने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के ऋण माफ करेंगे और फिर आपने कहा कि हम अवधि पार ऋण माफ करेंगे। इस प्रकार बार-बार बदलते बयानों के साथ में आपने ऋण माफी का एक लॉलीपॉप पकड़ाया और फिर उन्हीं किसानों को लोन न देने का काम भी आपने किया। पूर्व में दिये जाने वाले लोन को बिलकुल कम कर दिया और मात्र 25 परसेंट लोन ही दिया गया। पहले सरकार नोशनल आधार पर एक बाप के चार बेटे हुआ करते थे तो चारों को अलग-अलग ऋण दिया करती थी, परन्तु आपने एक परिवार में एक को ही ऋण देने का काम किया और बाकी को मना कर दिया। बाकी जिन्होंने आपके कहने से ऋण नहीं चुकाया और उनका ऋण माफ हुआ तो उनको डिफाल्टर मानते हुए भी आपने उसे ऋण देने से मना कर दिया। लोन्स में कटौती और देरी के कारण फसल बीमित होने से

(श्री पब्बाराम)

रह गयीं और इसका नुकसान किसानों को हुआ। इसी प्रकार से युवाओं को भी प्रलोभन दिया गया और 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का सपना आपने दिखाया। यही कारण था, जब इस प्रकार का असत्य वाचन किया गया, असत्य भाषण किया गया तो 5 महीने बाद में क्या हुआ, आपने 72,000 रुपये का प्रलोभन और दिया कि अब और बड़ा प्रलोभन दे दिया जाए ताकि एम.पी. के चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर ली जाए। इस राजस्थान की जनता ने 72,000 रुपये के वादे के ऊपर विश्वास नहीं किया क्योंकि आपने जिस प्रकार से काम किया था उसके आधार पर उनका मन विचलित हो उठा था। उन्होंने 6,000 रुपये के नरेंद्र मोदी के वादे पर विश्वास करके उनको मत देते हुए 25 की 25 सीटें जिता दीं। यह काम राजस्थान की जनता ने किया।

(15.00 बजे)

माननीय महोदय, बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं कि इतना काम हमने कर दिया, इतना काम कर दिया परन्तु मेरा दावा है कि एक भी पैसे का कार्य आपके द्वारा सैंक्शन नहीं हुआ है। सारे कार्य पूर्व की सरकार के द्वारा सैंक्शंड हैं अथवा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में जो भी काम हुए हैं वे काम किये गये हैं, नया कोई काम नहीं किया गया है। इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी का यह तीसरा कार्यकाल है जो कि सुखाड़िया जी के बाद में सबसे लम्बा कार्यकाल है और मेरे ख्याल से यह अंतिम कार्यकाल भी है। सदन में अगर असत्य न बोलूं तो यह अंतिम कार्यकाल है और जब अंतिम कार्यकाल है तो कांग्रेस के दामन पर एक दाग लगा हुआ है, वह यह है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद में, राजस्थान के एकीकरण के बाद में कोई भी जिला नहीं बनाया है। 7 जिले भारतीय जनता पार्टी ने बनाये हैं। पहले 28 जिले थे, आज 33 जिले हैं। एक भी जिला कांग्रेस ने नहीं बनाया। मैं मुख्य मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि अब तो बैटिंग करें तो इस प्रकार की बैटिंग करें न, आलराउंडर बैट्समैन की तरह इधर भी मारो उधर भी मारो जो करना है वह कर दें, मत चूके चौहान वाली तर्ज पर हमारे फलौदी को जिला बना दें, ब्यावर को भी बना दें और बालोतरा को भी जिला बना दें। अब तो कुछ कर दें। कभी भी कोई भी कार्यकाल के उत्तरार्द्ध के अन्दर जिला बनाने के फैसले नहीं हुआ करते हैं, कई तरह की बातें सोची जाती हैं इसलिए यह समय है इस बजट में आप घोषणा करेंगे और फलौदी की लम्बे समय से आकांक्षा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आप फलौदी को जिला बनाने का पहले भी वादा करते

(श्री पब्बाराम)

आये हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपका गृह जिला होने के नाते आप एक जिला हमें देंगे।

शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री जी अन्दर गये हैं, बहुत बड़ी बातें कही गयीं। 20000 स्कूल बंद कर दिये गये। एक तो चालू करके बता देते। मैं आशा करता हूं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा कि जो 20000 बंद किये हैं उनको पुनः चालू करके बताएं, माननीय शिक्षा मंत्री जी। यह कहा गया है न कि इतने कक्षा कक्ष बना दिये गये यह रमसा के तहत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत बने हैं, इस पूरे साल के अन्दर एक भी राज्य सरकार के द्वारा भवन नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार से हमने 10000 सीनियर सेकण्डरी स्कूल्स बनाये। आपने भी वादा किया है कि हर पंचायत पर हम सीनियर सेकण्डरी देंगे परन्तु पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसमें हम आशा करते हैं कि आप भी पंचायत स्तर पर सीनियर सेकण्डरी बनाएं। मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि क्या जो हमने पूर्व में आयाम स्थापित किये हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इस राजस्थान को आगे बढ़ाया है तो इसमें स्टाफिंग पैटर्न और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखेंगे? हमने 70 परसेंट तक के लास्ट धोरों और टीबों के अन्दर बने हुए स्कूलों के अन्दर स्टाफ को पूरा किया है और जिस प्रकार से अब स्टाफ को इधर-उधर किया जा रहा है, स्टाफ कम होता जा रहा है, कहीं वह स्थिति न आ जाए कि पिछले कार्यकाल के दौरान आपकी तालाबंदी की सरकार थी, विद्यालयों में तालाबंदी हुआ करती थी। याद रख लें, माननीय महोदय, ऐसी स्थिति न आये।

स्वास्थ्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि फलौदी शहर डेढ़ सौ किलोमीटर हर जिले से दूर है। हमारे यहां से ट्रोमा सेन्टर 150 किलोमीटर दूर है। यहां दो बड़े मेले लगते हैं। 50-50 लाख लोग वहां पर आते हैं और एक्सीडेंट्स वहां पर होते हैं तो वहां से आते-आते दुर्घटनाग्रस्त आदमी या कोई इस तरह की स्थिति वाला, वहां पर जाते-जाते दम तोड़ देता है तो एक ट्रोमा सेन्टर देने का काम आप करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जीवन भर लॉटरी के टिकट लिये, लेकिन मेरी एक भी लाॅटरी नहीं खुली। परन्तु धन्य है आपकी सरकार, लॉटरियों पर लॉटरियां निकाल रही है और पुनर्गठन को एक मजाक बना कर रख दिया है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चाल है उप मुख्य मंत्री जी के विभाग के लिए और उनको इस प्रकार से पुनर्गठन के अन्दर फेल करने

(श्री पब्बाराम)

का जो काम किया जा रहा है, निश्चित तौर से यह अन्दर ही अन्दर दो खेमों की चाल है। माननीय महोदय, पुनर्गठन की यह स्थिति है और उसके अन्दर भी क्या-क्या किया है। माननीय उप मुख्य मंत्री जी अगर सुन रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दें कि एक वार्ड 1000 का बनाया जा रहा है, एक वार्ड 3000 का बनाया जा रहा है। कहीं तो कोई नियम लागू करें। कोई पंचायत बन रही है 8 सौ या हजार पर है और एक साढ़े 3000 पर बन रही है। यह क्या नियम है किस प्रकार का पुनर्गठन हो रहा है? यही कारण है कि लाटरियों के ऊपर लाटरियां निकल रही हैं। यह पहली बार हुआ है कि जब आपको प्रशासक लगाने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से इस बार फर्स्ट फेज में जिनके चुनाव स्थगित हुए हैं वह सरपंच जीवन में यह कभी नहीं कहेगा कि मैं सरपंच के लिए खड़ा होउंगा, क्योंकि उसकी हालत खराब हो गयी इसलिए अब तक इस प्रकार से आपने जो किया है वह ठीक नहीं हुआ है।

मैं इस सरकार को डी.पी.आर. की सरकार कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछली बार जो आपने बजट पेश किया था, उसके अन्दर 12 बार डी.पी.आर. बनाएंगे ऐसा बताया गया। उसमें मेरे जोधपुर शहर के लिए भी एक एलिवेटेड रोड की डी.पी.आर. थी। मैं उस डीपीआर का इंतजार कर रहा हूं। मुझे पता है ये कब क्या कर रहे हैं। आप सब लोग भी छोटे-मोटे जादूगर हैं। आप कब करेंगे हमें पता है। चौथे साल में आप थोड़ा-सा बजट सैंक्शन करके उसके बाद में शुरू करवाएंगे और शुरू करवाने के बाद में हमको कहेंगे क्योंकि यह पता है आपको कि अगली बार आपको आना नहीं है। 4 साल बाद में "तेरा क्या होगा रे कालिया", जिस प्रकार से अब यह इस तरह से काम चल रहा है यह हालत हो रही है आपकी। जोधपुर की एलिवेटेड रोड के लिए भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एलिवेटेड रोड भी जल्दी शुरू करवाएं और अपने कार्यकाल में उसको पूरी करवाएं।

माननीय महोदय, हमने गौरव पथ दिये, आपने विकास पथ दिये। आपने नाम बदल दिया, हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु हमने तो पूरे के पूरे पंचायतों के अन्दर गौरव पथ दे दिये थे, आप कभी दो कर रहे हैं कभी तीन कर रहे हैं। इतनी पंचायतें हैं कब यह विकास पथ देंगे और क्या आप शहरों में भी विकास पथ देना चाहते हैं इस बात का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। मिसिंग लिंक का तो नाम ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ है पिछली बार के सैंक्शंड कार्य ही हुए हैं। एक पैसे का नया कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ

(श्री पब्बाराम)

और सिर्फ हमारे किये गये कार्यों का उद्‌घाटन करने का काम इस सरकार ने एक वर्ष के दौरान किया है। यह आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसलिए आप इस बात को छोड़ दें और काम कराने का काम करें।

चिकित्सा विभाग ने हमारे अस्पताल में सिर्फ नाम परिवर्तन करने का काम किया है। चिकित्सा अधिकारी को, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी किया है। अभी तक जिला स्तर का चिकित्सालय नहीं किया है, सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है और न ही उसमें कोई पद की स्वीकृति की गयी है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपने प्रशासनिक स्वीकृति दी है, उसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करें और वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ इसको जिला अस्पताल भी घोषित करें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

इसके साथ माननीय शहरी विकास मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारा फलौदी शहर मुख्य मंत्री जी का प्रिय स्थान रहा है, इस बजट में इसमें आप सीवरेज लाइन देने की कृपा करें। हमारे यहां पर एक कॉलेज है जिसमें 2 हजार से अधिक छात्र हैं। तीनों फैकल्टीज हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन है, इतना सब होते हुए भी वहां पर शिक्षकों की निहायत कमी है। उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे यहां से तो मत ले जाएं, कम से कम मुख्य मंत्री जी के गृह जिले से शिक्षक मत ले जाएं। पूरा राजस्थान पड़ा है, कहीं से भी ले आयें, आप शिक्षकों की भर्ती कराएं और भर्ती करवाने के बाद ही आप वहां पर लगाएं, कम से कम हमारे न ले जाएं और नये शिक्षक भी वहां पर लगाएं। 1/3 शिक्षक वहां लगे हैं और बुरा हाल है। कल हो न हो, वह स्टूडेंट्स सड़क पर आ जाएं, आंदोलन करने के लिये मजबूर न हों, यह मेरा आपसे निवेदन है। सीमांत क्षेत्र को देखते हुए, जब पाकिस्तान से टिड्डी आती है तो उनका पहला हमला मेरे क्षेत्र में होता है, टिड्डियों ने लगभग 10 बार हमारे यहां आक्रमण किया है। जब उससे हुए नुकसान के बारे में रेवेन्यू अधिकारियों से बात की जाती है कि आप इसका खराबा लिखो तो वह कहते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है। अकाल पड़ता है तो वहां पर पड़ता है, अतिवृष्टि होती है तो नीचे पड़ती है, फिर ऊपर कौनसा आदेश है। इस प्रकार का दोहरा व्यवहार किसी भी क्षेत्र के लिये उचित नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सम्बन्धित रेवेन्यू मिनिस्टर से यह निवेदन करूंगा कि जब किसान पर यह परिस्थिति आये तो निश्चित तौर पर एन.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के मुताबिक

(श्री पब्बाराम)

उनको मुआवजा देने का काम अवश्य किया जाए। हमारे समय में हर साल कोई न कोई मुआवजा किसानों को अवश्य मिलता था क्योंकि हमारे क्षेत्र में अकाल की स्थिति रहती है। झोले के कारण फसल जल जाती है, अतिवृष्टि के कारण हो जाती है या अनावृष्टि के कारण हो जाती है। कभी भी हमें 100 परसेंट फसल मिलती ही नहीं, 50 परसेंट से अधिक मिलती ही नहीं इसलिए माननीय महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि विशेष तौर से टिड्डी हमले से और अतिवृष्टि से जो हमें नुकसान हुआ है, उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वह लाभ किसानों को नहीं मिला।

यहां पर दुनिया भर के मेगा हाइवे हैं। तीन मेगा हाइवे, दो नेशनल हाइवे, इतना अधिक आना-जाना रहता है, जिसके कारण लोगों के दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं इसलिए विशेष तौर पर मैं मांग करना चाहता हूं कि इसी बजट में ट्रोमा सेन्टर देकर फलौदी को एक सौगात दें और दूसरा, जिला बनाने की सौगात दें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। कल माननीय खुशवीरसिंह जी ने एक बयान दिया कि हम निर्दलियों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। अगर 0.5 परसेंट वोट हमें ज्यादा मिल जाते तो आप हमको कर देते। परन्तु ब स पा के सदस्यों ने अनकंडीशनल नहीं दिया है, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, यह बात साफ है कि उप मुख्य मंत्री जी का वीटो चल गया इसलिए अनकंडीशनल हो गया।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): हमारी कंडीशन का आपको कैसे पता चला?

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार के एक साल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। मैं सबसे पहले उन महापुरुषों के बारे में बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 75वीं जयन्ती और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की 70वीं जयन्ती, इनके विचारों के बारे में दो दिवस का अधिवेशन बुलाकर चर्चा

(श्री लाखन सिंह)

की, यह एक सराहनीय कार्य है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सभी महापुरुषों के जीवन पर चर्चा की, उससे हमें सीखने को मिला। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान को नि:रोगी राजस्थान बनाने का जो सपना दिखाया है, उसके लिए एक अभियान चलाया और 40 हजार गांवों में 80 हजार स्वास्थ्य मित्र, नि:शुल्क दवा योजना एवं जांचों की संख्या में बढ़ोतरी की। निशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जयपुर में 12 जनता क्लिनिक खोलने का काम भी सरकार ने किया है, जिससे गरीब जनता को घर पर ही उपचार मिल सकता है, नि:शुल्क दवा मिल सकती है। सरकार द्वारा मेडिकल कालेज खोले गये हैं जिसमें केन्द्र और राज्य का 60:40 का रेश्यो है। सरकार 15 मेडिकल कालेज केन्द्र से लेने में सफल रही है। हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज खोला गया है। हमारी भी एक मांग थी कि करौली जिले में मेडिकल कालेज खोला जाए। हम मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने करौली में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति दे दी है।

आयुर्वेद चिकित्सालय भी बहुत जरूरी है। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने का सरकार जो काम करने जा रही है, वह भी एक सराहनीय कार्य है। कुछ जगह तो आयुर्वेद औषधालय खोल दिये गये हैं। पशु चिकित्सालय भी खोले गये हैं, उप केन्द्र भी खोले गये हैं। यह सरकार का एक सराहनीय कार्य है कि व्यक्ति को अपने गांव और अपने पंचायत हैड क्वार्टर पर पशुओं के लिये नि:शुल्क दवा भी मिल सकती है और पशुओं का उपचार भी हो सकता है।

किसानों के लिए भी काम किया है। किसानों के लिए सबसे बड़ा काम 'किसान सेवा पोर्टल' शुरू किया गया है, जिसमें किसान अपने खेत पर बीज किस तरह से डाला जाता है, दवा किस तरह से दी जाती है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है। जितनी भी किसान से सम्बन्धित जो भी जानकारी लेना चाहे, वह किसान पोर्टल पर मिल जाती है, यह भी एक सराहनीय कार्य है।

जो टिड्डी की आपदा आयी थी, उसमें छह जिलों में किसानों की फसलों का नुकसान हुआ। उसमें 30 हजार 37 किसानों को कृषि अनुदान के रूप में 47 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया है, यह भी सराहनीय कार्य है। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रावधानों को संशोधित कर केवल आठ लाख रुपये तक अधिकतम

(श्री लाखन सिंह)

आय वालों को ही पात्र माना है। पहले सम्पत्ति या प्रोपर्टी को भी माना जाता था। राजस्थान सरकार ने इसको कम कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी एक फायदे का काम किया है। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनमें जिस तरह से गरीब तबके के लोग वहां पर काम करते हैं, उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया है। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, सहायिकाएं हों, आशा सहयोगिनियां एवं ग्राम साथिने हों, उनके मानदेय में वृद्धि करने का काम किया है। इससे एक लाख 71 हजार 713 लोगों को लाभान्वित किया गया है, यह भी बहुत सराहनीय काम किया है।

करौली क्षेत्र में खनन का काम होता है। खनन क्षेत्र के लिए सिलिकोसिस नीति बनायी गयी है, यह भी बहुत सराहनीय कार्य है। जो सिलिकोसिस से बीमार होते हैं और मरते हैं, उनके इलाज के लिए और इलाज से पहले जो पैसा मिलता है, जिस तरह से उनको सहयोग मिलता है, वह भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। जनजाति रोजगार मेले भी लगाये जा रहे हैं। जनजाति क्षेत्र में जो युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार भी उपलब्ध होता है। एक और बड़ा कार्य किया गया है। विशेषकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए कोटा और उदयपुर में कोचिंग सेन्टर खोलने का काम किया है। यह भी नि:शुल्क है और जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, आर.ए.एस. व आई.ए.एस. की कोचिंग करें, उनके लिए यह बहुत अच्छा काम है। इससे उन बच्चों का भविष्य आगे सुधर सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में भी बजट बढ़ाया गया है। इसमें जो रोजगार उपलब्ध कराया गया है, वह भी एक सराहनीय काम है। सरकार द्वारा घुमन्तु-अर्द्धघुमन्तू, विमुक्त जातियों को भी बी.पी.एल. में चयनित कर 50 वर्ग गज तक नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड पट्टा जारी करना, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिस तरह से केन्द्र सरकार ने सी.ए.ए. और एन.आर.सी. के लिए एक आई.डी. मांगी है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो घुमन्तू जातियां हैं, उनके पास आई.डी. कहां है, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, उनके पास आई.डी. नहीं मिल सकती तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाएगा? यह बिलकुल गलत बात है इसलिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने सोचा है, जो घुमन्तू जातियां हैं, उनको 50 वर्ग गज का पट्टा देकर, जिससे कम से कम उनकी कुछ आई.डी. तो बनेगी, इससे उनको यहां रहने का भी एक अधिकार मिल सकता है। यह एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य है।

(श्री लाखन सिंह)

राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य है, जिसने मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है, यह भी सराहनीय कार्य है। घरेलू कनेक्शनों और कृषि कनेक्शनों में भी वृद्धि की गयी है और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन दिये जा रहे हैं। शिक्षा के रूप में 60 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं। 314 उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं एवं 286 माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का काम किया है।

सबसे बड़ा काम यह किया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर सभी जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोले गये हैं। गांवों में अंग्रेजी माध्यम का कोई सरकारी स्कूल पहले नहीं था, इस बार पहली बार जो कार्य किया गया है, वह राजस्थान सरकार का एक सराहनीय कार्य है, जिससे गांव के बच्चे भी उन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकते हैं। गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकता है, यह भी एक बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आवारा पशुओं के लिए, गांवों में जो पशु हैं, वे इतनी ज्यादा संख्या में हैं कि कहीं भी, गांवों में जो खेती करने वाले लोग हैं, वे बेचारे रात-दिन खेत की ढोल पर बैठे रहते हैं। कब खेत में गाय आ जाए और खेत को चौपट कर जाए इसलिए इन सारी बातों को सोचते हुए मुख्य मंत्री जी ने नन्दी शाला खोलने का काम किया है, वह भी बहुत सराहनीय है। हर पशु के रूप में जो अनुदान था, वह भी बढ़ाने का काम किया है।

सरकार द्वारा एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का जो वादा था, उसमें से 31 हजार 513 पदों पर नियुक्ति दी गयी है एवं 28 हजार 601 पदों पर शीघ्र नियुक्ति देने का कार्य कर रहे हैं और भी जो वेकैंसीज हैं, वे निकल रही हैं इसलिए बेरोजगार युवाओं का विश्वास सरकार की तरफ बढ़ा है और नौकरियां मिलना भी स्टार्ट हो गयी हैं। हम सरकार और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि वे रोजगार निकालने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम किया गया है। चयनित आधार पर कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। आगे भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा 8 हजार 922 पदों हेतु परीक्षा आयोजित हो चुकी है।

500 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए सड़क योजना बनायी गयी है। 500 से अधिक आबादी वाले एक हजार गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का

(श्री लाखन सिंह)

काम करने के लिए सरकार ने एक प्रावधान रखा है। उसमें प्रथम चरण में 342 गांवों को जोड़ने हेतु 403 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों से 1492 किलोमीटर लम्बाई की मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। गांवों के जो गरीब लोग हैं, जो बी.पी.एल. हैं, जिनके पास खाने के लिए गेहूं नहीं होते, उनके लिए सरकार ने एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं देने का काम किया है, जिसमें एक करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, यह भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी सरकार को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

लास्ट में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने करौली जिले में पहली बार जिस तरह से विकास के काम खोले हैं, करौली विधान सभा क्षेत्र की तहसील मासलपुर में और महावीरजी में पंचायत समिति बनाने का काम किया है। 33 के.वी. जी.एस.एस. बनाने का काम किया है, एक पी.एच.सी.; एक सी.एच.सी.; दो उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल कालेज, दो उच्च प्राथमिक विद्यालय, दो माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का काम किया है। जिन ग्रामों में 70 सालों से बिजली नहीं थी, उन गांवों में भी बिजली देने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारा क्षेत्र करौली, डांग क्षेत्र है, वहां पर अधिकतर क्षेत्र पथरीला है, वहां पर पानी की विकट समस्या है। सरकार से भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि करौली जिला केन्द्र के जिलों में आ रहा है और राजस्थान के पांच जिले हैं जो सबसे पिछड़े हैं। करौली जिला भी सबसे पिछड़ा है, इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि करौली के लिए पानी और बिजली का विशेष पैकेज दिया जाए। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रूपा राम जी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं इन सब बातों को स्वीकार करता हूं, जो मुझसे पहले सभी विद्वान माननीय सदस्य बोल चुके हैं कि उनके क्षेत्र में जो विकास की जरूरत है या समस्या है, मेरे भी वही है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने ज्यादातर सदन की कार्यवाही देखने के बाद में ऐसा महसूस किया है कि बोली हुई बात पर बोलने से अपनी बात तो पहुंच जाती है लेकिन उसमें सदन का समय खराब होता है।

(श्री रूपा राम)

महोदय, मेरे क्षेत्र में भी सड़कों की कमी है। मेरे थोड़े-से वक्तव्य में, थोड़ी-सी बात मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सड़कों की जरूरत मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में भी है। पानी की समस्या मेरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में भी है। नहर के पहले फेज में जो सर्वे हुआ, उसके अनुसार सबके कनेक्शन हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरा सर्वे करवा कर नहरों में हर गांव, हर गली, हर मजदूर, किसान के घर पानी की जो योजना है, वह पूरी की जाए।

हमारे बिजली विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मेरी बात मैं सिर्फ दो ही मुद्दों पर कहूंगा कि बिजली की अभी न केवल मेरे क्षेत्र के किसानों को, बल्कि राजस्थान के किसानों को भी बहुत जरूरत है। आपने किसानों के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई, धन्यवाद, लेकिन दूसरी बढ़ाई, उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी, आप किसानों की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसान आज भी इस बात को लेकर जबरदस्त परेशान है, दुःखी है, आत्महत्या के करीब है। किसान आपको बिजली का पैसा दे रहा है। माननीय, अगर एक महीने बाद में बिजली आयी, एक महीने बाद में किसानों को बिजली दी, दस दिन के बाद में बिजली दी तो उन किसानों को उस बिजली का कोई फायदा नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बोलने दें। माननीय सदस्य, कृपया आप जारी रखें।

श्री रूपा राम (मकराना): मेरा तो संयोग ही है कि मैं विधायक भी हूं, मैं ज्यों ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं लोग मुझे विधायक की बजाय गायक समझने लग जाते हैं। यह वक्त आएगा। मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़कर बहुत नम्र निवेदन कर रहा हूं। अभी मेरे क्षेत्र में किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। वे पैसे दे रहे हैं आपको, वे बिजली के पैसे दे रहे हैं। आज किसान अपने कर्मों पर निर्भर नहीं है। गीता में लिखा गया है कि कर्मों का फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा लेकिन किसान के साथ तो वह भी नहीं हो रहा है। किसान मेहनत कर सकता है। चौबीस घंटे ठंड में, धूप में, गर्मी में मेहनत करके खेती की अपनी उपज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। फिर भी प्राकृतिक आपदाएं किसान को प्रभावित कर देती हैं। दावा लग जाता है या गर्मी-सर्दी से फ़सलें प्रभावित हो जाती हैं। मैं आपको बिल्कुल आत्मा की

(श्री रूपा राम)

बात बता रहा हूं। मेरे पास लोग आते हैं कि हमें दो घंटे बिजली दे दीजिए। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। आपके अधिकारी/कर्मचारी आपसे झूठ बोलते हैं। 200-250 एम्पीयर दे रहे हैं, किसानों की मोटर जल जाती है।

आज किसान, जो अन्नदाता है, दुःखी है। वे तो मजबूत प्रकृति के लोग हैं, जो किसान हैं, ताकतवर प्रकृति के लोग हैं इसलिए मरते नहीं हैं वर्ना उस परिस्थिति में रहने वाले अच्छे-अच्छे लोग भी अपनी फसल को देखते हैं। आप फसल के बारे में जाकर देखिए एक गेहूं का बूटा, बाजरे का बूटा, जब भी फसल हो, आज चने का बूटा बिना पानी के जलता है तो किसान देखता है कि मेरा बच्चा तड़प रहा है। इसी तरह वह अपनी फसल को जलते हुए देखता है तो तड़पने लगता है। मेरा संक्षिप्त में इतना ही है। मैं बोलना चाहूं तो लम्बा-चौड़ा बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि मुझे आपने समय दिया है, शायद मैं आपके कहने से पहले ही बैठ जाऊंगा। मैं गीत गा दूंगा। गीत बहुत अच्छे गाता हूं लेकिन मैं आज आपसे यह चाहता हूं आज किसान आप पर ही निर्भर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, अपने अधिकारियों से पूछ लीजिए, वोल्टेज पूरे दें। आप पन्द्रह दिन के लिए किसानों को साढ़े पांच घंटा छोड़कर आठ-दस घंटा कर दीजिए। मैं खुशनसीब हूं, वैसे तो हमारी हर आवाज मुख्य मंत्री जी या मंत्री जी तक पहुंच जाती है चाहे हम रहें या न रहें, यह हमारी पारदर्शिता है कि हम जो बोलें वह आप तक पहुंचती है। फिर भी मैं यह बात कह रहा हूं कि आप भी बैठे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी, राजस्थान के किसानों को बिजली का पावर ढंग से दे दीजिए ताकि उनकी मोटर न जले। मोटर जल जाती है। देश का पेट पालने वाला किसान रो रहा है। आप अपने अधिकारियों से गोपनीय रूप से पूछ लीजिए कि बिजली कितनी दे रहे हैं? कितनी बार काट रहे हैं? एम्पीयर कम देते हैं। आपके सिर्फ 15 दिन बिजली देने से राजस्थान के किसानों की जो फसल कट रही है, वे खुश हो जाएंगे, फसल अच्छी हो जाएगी। यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, मैं लम्बा-चौड़ा नहीं बोलकर इतना ही कहता हूं कि आपने स्वास्थ्य के बारे में कहा है। स्कूलों में अध्यापक मेरे यहां भी कम हैं, एक लाइन में बता देता हूं। जब भी वक्त मिलेगा, मैं मंत्री जी से मिलकर कह दूंगा। अस्पताल जिस भी श्रेणी के हैं, उन सबमें मेरे यहां भी नर्स हैं या मेल नर्स हैं या डाक्टर्स हैं, उनकी कमी है, वह भी मैं बता दूंगा। स्वास्थ्य के बारे में मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी

(श्री रूपा राम)

विडम्बना हो रही है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है हमारे स्वास्थ्य की। आप स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। हर खाने-पीने की चीज में जहर मिल रहा है। आदमी, आदमी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खाने-पीने की चीज में मिलावट, नकली घी बनाया जा रहा है, नकली दूध बनाया जा रहा है। अब कोई नकली घी खाकर आदमी दंड बैठक लगा रहा है कि मैं कुश्ती लड़ूंगा, कुश्ती कहां से, तू तो पहले ही मर जाएगा। कभी-कभी हमारे यहां लड्डू बांटे जाते हैं। लड्डू में अगर देशी घी हो तो वह तो कल्डो पड़नो चाहे जे, वो तो जम जानो चाहे जे, मैंने कहा यह तो तेल का भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा सख्त कानून बनाइए। आदमी अपने फायदे के लिए किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मीठा जहर दे रहा है। नकली दूध, नकली घी, मसाले नकली, हर चीज नकली है। आज बड़ी-बड़ी बीमारियां चल रही हैं, वायरस फैल रहा है। आज कैंसर की कोई कमी नहीं है। मैं गांव में जाता हूं तो बड़ा दुःख होता है कि 25 साल के आदमी के क्या हो गया, कैंसर हो गया। 60 साल के आदमी के क्या हुआ हार्ट अटैक आ गया। मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं, बाकी समस्या मेरे भी है। मैं तो विधान सभा की कार्यवाही देखने के बाद में माननीय विद्वान सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संविधान के हिसाब से जो सच और झूठ है, सत्य और असत्य है, सही और गलत है, संविधान के हिसाब से है लेकिन माननीय विधायकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए सत्य और असत्य की, सही और गलत की परिभाषा ही बदल दी। वे जैसा चाहे बोलते हैं। उनको धन्यवाद, उनकी योग्यता, उनकी वाक चातुर्यता, जो जैसा बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस ने भी अच्छे काम किये होंगे, बी.जे.पी. ने भी किये होंगे। यह जो परम्परा चल रही है, शुरूआत हो रही है, बहुत बुरी है। हमने तय कर लिया, चाहे कोई भी, कैसा भी काम हो, हम खिलाफ बोलेंगे। मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं, इसीलिए कुछ माननीय सदस्य जिनको विषय से हटकर भी किसी की बुराई करनी है तो अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। मैंने कहा है कि-

आदमी, आदमी की पहचान खोता जा रहा है,
आदमी सत्य और असत्य की पहचान खोता जा रहा है,
इसीलिए तो दुःखी होता जा रहा है,

(श्री रूपा राम)

हंसने की बजाय रोता जा रहा है

और थोड़ा पाने की चाहत में सब कुछ खोता जा रहा है।

यह सदन राजस्थान में सर्वोपरि है। गीता और रामायण से महान है, हमारा संविधान। इसमें भी मुझे बड़ा दु:ख होता है कि क्या बोलें या क्या नहीं बोलें, बोलने का प्रभाव क्या हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, पहले हमारे पढ़ते समय एक वाद-विवाद प्रतियोगिता होती थी। वाद-विवाद प्रतियोगिता में एक आदमी बोलता है कि चोरी करना अच्छा है और एक बोलता है चोरी करना गलत है। उस वाद-विवाद प्रतियोगिता में अच्छा वक्ता वाक चातुर्य या हिम्मतवाला कहें या अपनी बुद्धिमता से चोरी करने को अच्छा बता देता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): वह प्रतियोगिता होती थी। वह सही नहीं है, वह प्रतियोगिता थी। कोई बोल गया क्या? मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूं।

मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपने भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की कही थी। एक भी विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। जीरो टालरेंस नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार तो हो रहा है। मैं कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ हूं। सारी बातें अच्छी लिखी गयी हैं। लेकिन धरातल पर नहीं हैं। आज एक ग्राम सेवक, एक पटवारी, हम राजनीतिज्ञ तो लोगों की नज़रों में आ गये। आप भ्रष्टाचार मिटा दीजिए, भ्रष्टाचार को कम कर दीजिए, लोगों को आपसे आशा है, आपकी तरफ देख रहे हैं

संविधान के बारे में इतना ही कहूंगा, हम विधायकों को, यह परम्परा है या नाराजगी है, अभी हम बी.जे.पी. में हैं, हमारे क्षेत्र में हमको भी जनता ने जिताया है। हमारे अधिकार हैं, उनकी पालना के लिए अपने अधिकारियों को इशारा कर दीजिए। जैसा कि अभी मेरी बहन इंदिरा जी का मेड़ता में, वह 26 जनवरी, 15 अगस्त को मंच पर नहीं बैठ सकतीं, यह कितना दुर्भाग्य है, विधायक हैं। एस.सी. की महिला हैं...(व्यवधान) जीती हैं।

श्री सभापति: शांत रहें।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, पति-पत्नी दोनों मुझे तीन बार मिले और कहा कि कोई हमारी बात तो उठाओ। मैंने कहा मुझे

(श्री रूपा राम)

तो खुद को ही बोलने का मौका नहीं मिला, बोलने पर तो आपकी आवाज उठा दूंगा, तो यह पीड़ा है। हम प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। संविधान के अनुसार हम नहीं चल पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): मैं आपको इसी आशा के साथ कह रहा हूं।

हम भूल रहे हैं फर्ज यहां, हम भूल रहे हैं कर्ज यहां,
हम सुन नहीं पाते अर्ज यहां, हम देख न पाते मर्ज यहां
जिसके ऊपर हम बैठे हैं, खुद काट रहे हैं वह डाली
ऐ भारत के रखवालों, तब तुम कैसे करोगे रखवाली
बगिया लूटी जाएगी, जब शह दे देगा खुद माली

माली शब्द बागवान से है। आगे की लाइन है, जहां सच कम और झूठ ज्यादा, यह मैंने 1992 में लिखा था।

सच कम और ज्यादा झूठ जहां, पग-पग पर नित दिन लूट जहां
भाई-भाई में फूट जहां, छाए स्वार्थ पर रिश्ते टूटे जहां,
भाई को भाई देता है, खुद मुंह खोलकर मां की गाली
ऐ भारत के रखवालों, तब तुम कैसे करोगे रखवाली

जब देश में बड़े पद पर नेता और अफसर झूठे और बेईमान होंगे, तो देश के विकास की गति कहां जाएगी। जैसे अंधा आदमी चौराहे पर बैठ गया और आने-जाने वालों को रास्ता बताने लग गया, भाई जी, जोधपुर किधर है, दिल्ली, तो मैंने कहा:-

अंधे जब राह दिखाएंगे, कैसे मंजिल हम पाएंगे
रक्षक भक्षक बन जाएंगे फिर कोई कैसे जी पाएंगे
ऊपर से सफेद बगुला है अन्दर से आत्मा है काली
ऐ भारत के रखवालों, तब तुम कैसे करोगे रखवाली

देखिए, मेरे में एक कमजोरी है, मैं सेंसेटिव बहुत हूं। अगर मुझे कोई कहे कि बैठ जाओ तो मैं आधी बार बैठकर वापस उठ जाऊं लेकिन एक बार तो बैठूंगा ही। मैं आखिरी बात कहता हूं, आजादी के बाद हम लोगों ने, नेताओं ने, बड़े अफसरों ने, जिम्मेदार लोगों ने, युवाओं की शक्ति और बूढ़ों की भक्ति का दुरुपयोग किया है, इस पर लिखा है:-

युवा की बिगड़े शक्ति जहां, बूढ़ों की बिगड़े भक्ति जहां

(श्री रूपा राम)

मर जाए आत्मा सबकी वहां, फिर चल नहीं पाए रब की वहां
ऊपर से साधु संत लगे, अन्दर से आत्मा है जाली,
ऐ भारत के रखवालों, तब तुम कैसे करोगे रखवाली

अंतिम लाइनें अच्छी हैं, मेरी आखरी लाइनें सुनिए, पूरा सार आ गया, आखिर लाइनें है,

क्यों धर्म के नाम पर लड़ते हैं, क्यों जात के नाम पर मरते हैं,
नहीं रब को याद जो रखते हैं, बेमौत सदा वे मरते हैं
अब साथ मनाओ न यारों, चाहे ईद हो या दीवाली
ऐ भारत के रखवालों, तब तुम कैसे करोगे रखवाली

बगिया लूटी जाएगी, शह दे देगा जब खुद माली, ऐ भारत के रखवालों तब तुम कैसे करोगे रखवाली।

यह मैंने अभी नहीं, 1992 में लिखा है I was not intelligent, when I was in College. मैं इतना होशियार नहीं था। लिखने के बाद मैंने मेरे गुरू को पूछा है कि मैंने लिखा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा तो नहीं हूं लेकिन मैं झूठ कम बोलता हूं। मेरे मन की बताऊं।

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, In 1994, we both were in University... एक लड़के ने कह दिया नेता चोर होते हैं, मैंने कहा, इस तरह के तो बहुत झूठे शोर होते हैं। मैंने कहा तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो, सच और झूठ, पाप और पुण्य, उस लड़के ने कहा नेता होते हैं चोर, मैंने कहा ऐसे होते हैं झूठे शोर। मेरे गढ़ की तुम कब जानो, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी थे, तो मैंने लड़कों को खींच दिया, कि आप तो राजनीति के बारे में नहीं जानते। आखिरी एक मिनट, मैं फिर वही बात बोलूंगा, राजनीति में आने के बाद मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी, आज हम लोग नेताओं की बुराई करते होंगे, मैंने राजनीति को स्वर्ग का मार्ग माना है, तपस्या मानी है, साधना मानी है, यज्ञ माना है। आप ईमानदारी से लोगों की सेवा कीजिए, शत-प्रतिशत किसी की हिम्मत नहीं, आप स्वर्ग में जाएंगे। भगवान के पास जाने के बाद, भगवान कहेगा how many numbers have you get? आप कह सकते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली में, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, 36 परसेंट नम्बर मिलने के बाद लड़का आठवीं के बजाय नवीं में जाएगा।

(श्री रूपा राम)

मानननीय सभापति महोदय, जब हम दुनिया छोड़कर जाएंगे, भगवान कहेगा नरक में डालो, तो No. I have got near about 50 percent numbers. Why I'll go into 'Narak'. Please open the door of the 'Swarg'. I'll go there surely. यह आपके मन में विल पावर होना चाहिए। जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो विल पावर, मंगल बेटा, मैं जाऊं, ध्यान रखना, समझ लेना काका ने अच्छे कर्म किये हैं और स्वर्ग में जा रहा है। लेकिन जाने से पहले ही अगर ऐसा बोलने लग जाए कि मर गया रे, तो समझ लेना कि इसको यमदूत दिख गया है। इसी आशा के साथ में सभी माननीय सदस्यों, माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा, यह जिंदगी दुबारा नहीं आएगी।

हम रहें न रहें, खुशबू हमारी रहा करेगी,
लोग कहें न कहें जमीं तो कहा करेगी,
जमीं बोलती है आदमी के जाने के बाद,
आदमी तो बोलता है सिर्फ आने के बाद,
बहार भी आएगी पतझड़ के जाने के बाद,
कभी हम भी याद आएंगे जमाने से जाने के बाद।

धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं शेखावाटी क्षेत्र से आता हूं। पानी के मामले में पूरे राजस्थान में, पूरे शेखावाटी में हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। काटली नदी हमारे यहां बहती है। मईजून के महीने में पानी का वाटर लेवल जमीन के बराबर होता था। कॉपर प्रोजेक्ट के अन्दर जल का दोहन हुआ, उसकी वजह से हमारा पूरा क्षेत्र डार्क जोन हो गया। शेखावाटी के ज्यादातर हिस्सों में काफी समय से पानी की गम्भीर समस्या थी। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, कि मुख्य मंत्री जी ने कुम्भाराम लिफ्ट के द्वारा खेतड़ी, झुंझुनूं को, मण्डावा को जोड़ा, उसके साथ-साथ उदयपुरवाटी को भी जोड़ा। पूरे उदयपुरवाटी के सभी गांव और ढाणियों की पीने के पानी की समस्या का इन्होंने समाधान करवाया। उसके लिए बजट में घोषणा की, काम भी शुरू हो रहा है, इसके लिए मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सरकार चाहे किसी की भी रही हो लेकिन जिस तरीके से गरीब आदमी को पेंशन देने का काम किया,

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

बुजुर्ग आदमी को पेंशन देने का काम किया, पेंशन को पिछले राज में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पेंशन को अब 500 से 750 और 750 से 1000 करने का काम किया, उससे बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को बहुत सम्बल मिला है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं बीमार आदमी के लिए जांच फ्री करने का काम किया है, महंगे-महंगे इलाज थे, जैसा कि खेतड़ी से आने वाले सदस्य बता रहे थे, पैसे के अभाव में लोगों की जान चली जाया करती थी, उसकी तरफ जो कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाया, उसके लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं बताना चाह रहा हूं, आप भी उसी शेखावाटी के क्षेत्र से आते हैं। हमारा अरावली का जो क्षेत्र है, उसके अन्दर आज से 30-40 साल पहले तक टाइगर हुआ करते थे और आपको भी पता है कि हमारे टाइगर का आखिरी में शिकार कहां हुआ। वह बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा। उदयपुरवाटी में 10200 हैक्टेयर का यह हमारा फोरेस्ट है उसी से जुड़ता हुआ आपका क्षेत्र है। खण्डेला से आने वाले महादेव सिंहजी सदस्य हैं, नवलगढ़ से आने वाले सदस्य हैं, आप भी उससे जुड़े हुए हैं। उसके अन्दर 13 हजार हैक्टेयर से बड़ा फोरेस्ट का क्षेत्र है। उसमें लम्बे वक्त तक टाइगर रहा है। रणथम्भौर में टाइगरों की संख्या ज्यादा हो गयी। यदि यह हर्ष वाला क्षेत्र फोरेस्ट का और ये शाकम्भरी माता का फोरेस्ट का जो जंगल आता है, वह क्षेत्र और उदयपुरवाटी का 10200 हैक्टेयर, खेतड़ी के अन्दर अभी जो लेपर्ड सेंक्चुरी बनाई थी, उसको जोड़कर नीमकाथाना से आने वाले सदस्य के क्षेत्र को जोड़ दें, सरिस्का से कॉरिडोर बन जाएगा। दिल्ली के हम नजदीक हैं। इससे हमारे यहां ट्यूरिस्ट भी आएंगे और जंगल भी बच जाएगा। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जो टाइगर बचाने का अभियान है, उसके अन्दर एक बहुत बड़ा शानदार कदम होगा। सभापति महोदय, अब समय कम है। सारे लोग बोल चुके, जो चीजें बोली जा चुकी हैं, उनको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं।

मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 10 प्रतिशत जो आरक्षण था, उसका आर्थिक ब्रेकर इन्होंने हटाया, इसके लिये हजारों जनरल कास्ट के गरीब लोग, पूरे के पूरे दिल से राजस्थान के मुख्य मंत्री के दिल से आभारी हैं। आपको बताना चाह रहा हूं, ये बी.जे.पी. के वोट के ऊपर चोट हो गयी है। आने वाले चुनावों में इनको पता चल जाएगा कि इसका क्या होने वाला है। यह जनरल का वोट आपका बंधुआ वोट नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्या, बीच में नहीं। नहीं, नहीं, बीच में नहीं। कृपया शांत रहें, शांत रहें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महादेय के अभिभाषण पर बहस सुन रहा था, पक्ष को भी सुन रहा था, विपक्ष को भी सुन रहा था लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इन्होंने नोटबंदी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वह इनका काला कारनामा था, जिससे हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगा और हिन्दुस्तान की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गयी। सारी की सारी, मार्केट की इतनी खराब स्थिति है, बेरोजगारी की खराब स्थिति है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आज चुनाव हो जाएं तो छठी का दूध याद आ जाए।

इन्होंने जिस तरीके से घमण्ड में राज किया, उस घमण्ड के राज के अन्दर जिस तरीके से कटारियाजी बहुत सज्जन और ईमानदार हैं लेकिन इनके गृह मंत्री रहते-रहते हम जैसे लोगों पर झूठे मुकदमे लगे, हम जैसे लोगों को जेल में डाला गया। किस मुकदमे में डाला, एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में वह बच्चा बागोरा में, थाने से मात्र दो किलोमीटर दूर बच्चा तड़प रहा था। जयपुर से मैं उस जगह पहुंच गया, जहां एक्सीडेंट हुआ, दो किलोमीटर दूर से पुलिस नहीं पहुंची। उसके बाद में ईमानदारी की बात है, सभापति महोदय, आप उसी क्षेत्र से आते हैं जहां से मैं आता हूं, हकीकत है कि हमने डैड-बॉडी उठायी। उस घायल को लेकर हम हास्पिटल गये। हमने उसका दाह संस्कार किया। हमारे ऊपर मुकदमे कर दिये। 40-40 दिन तक हमें जेल में डाल दिया गया। ये गृह मंत्रीजी बड़े आदर्श की बातें कर रहे थे हमारे यहां लेकिन आपको बताऊं, इन्होंने बच्चों के ऊपर, स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाये हैं। शेखावाटी में 70 साल में, झुंझुनूं, सीकर, चूरू किसी थाने में 70 साल में ऐसे मुकदमे दर्ज ही नहीं हुए। जो लोग न्याय मांगने के लिए, जिनकी बच्चियों का अपहरण हो गया, न्याय मांगने गये, 60-60 लोगों को उठा-उठाकर जेल में डाल दिया।

मैं बताना चाह रहा हूं कि इतने ईमानदार और इतने काबिल गृह मंत्री उस टाइम में न्याय क्यों नहीं कर पाये, यह तो मैं सोचकर, इनसे मिलकर बड़ा चिंतित हो गया। या तो किसी ने करने नहीं दिया, किस तरीके से ढाई-ढाई सौ लोगों के झूठे मुकदमे लगाकर और जो बच्ची के लिए न्याय मांगने, नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ, यू.पी. के लोग हमारे वहां खेती करने के

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

लिए आते हैं, बदकिस्मती से वह बच्ची मुसलमान थी, उसका अपहरण हुआ। अपहरण होने पर न्याय मांगने वाले 60 लोगों को जेल में डाल दिया। मस्जिद से लोगों को उठा-उठाकर और इस तरह का वातावरण बना दिया, कहीं बजरंग दल, कहीं विश्व हिन्दू परिषद, फलाणा-ढींकड़ा।

सभापति महोदय, आर.एस.एस. के लोगों को सुरक्षा देकर, बिना मतलब सिक्योरिटी के अन्दर खर्चा क्यों कर रहे हैं। सारी की सारी अशांति तो ये ही फैला रहे हैं। सारी अव्यवस्था ये ही कर रहे हैं। इनको हम सुरक्षा क्यों दे रहे हैं।

अभी समय ज्यादा हो रहा है। बाकी के लोग बोलेंगे। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, ईमानदारी से ये सारे के सारे लोग दु:खी हैं। मैंने पहले भी वह बन्दर वाली, जाट वाली, भैंस वाली और मलाई वाली बात कही थी, उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। मलाई तो कोई और ही खा गया। इनके तो खुरचन ही हाथ नहीं आयी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

(15.55 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो अभिभाषण यहां पढ़ा है, मैंने इसको भी, और पूर्व में कल्याण सिंहजी ने जो पढ़ा है, उसको भी साथ में रखा है। मैंने आपका यह परिवर्तित आय-व्यय का जो बजट है, इसमें की हुई बातों को भी साथ में रखा है। एक यह जो आपका नीति पत्र है, जिसके आधार पर आपने सारा राजस्थान फतह किया है, उसको भी मैंने साथ में रखा है। इन सब बातों के आधार पर, जो आपने अच्छा किया है, कई लोगों ने बताया। मुझे जो इसमें कमियां लगी हैं, उनको मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा।

अब यह सदन फैसला करे कि आप इसको समर्थन देना चाहते हैं, या इसका विरोध करना चाहते हैं। जो कुछ भी मैंने पढ़ा और समझा है, उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं।

यह आपका जन घोषणा पत्र है, जिसके आधार पर आपने अपना काम शुरू किया। दस दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, दोनों में, वह आपने देख लिया। आपके बजट का लगभग एक साल गुजर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चुका है, अब 31 मार्च आ रही है, उसमें पता लग जाएगा। यह गौशालाओं को अनुदान की बढ़ोतरी, शेड, चिकित्सा, जल उपलब्धता सुनिश्चित किये जाएंगे, मैं आंकड़ों से बता दूंगा कि आपने क्या सुनिश्चित किया है। भाषण में तो आपने सुनिश्चित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या किया है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा।

बंद किये गये 20 हजार स्कूलों की समीक्षा कर नये सिरे से खोले जाएंगे। कितने खुले हैं, यह भी इसमें आप देख लेंगे और बता देंगे, आपमें से जिनको भी जानकारी हो कि 20 हजार में से 15 खुले, 50 खुले, 500 खुले, 400 खुले या 20 हजार ही खुल चुके, यह बता देना।

आगे लिखा है, शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपये हम देंगे। अब ईमानदारी से, जो अभी-अभी प्रश्न का जवाब आया, उसमें जो कुछ भी आंकड़े आये हैं, उसमें ईमानदारी का पूरा नक्शा सामने खींचकर रख दिया। उसके बाद भी आंख बंद करके कोई कहना चाहे तो उसकी इच्छा, वह कह दे, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता।

इसी में आपने लिखा है कि विभागों में संविदा कर्मियों को हम नियमित करेंगे। क्या हुआ है, वह प्रश्न के जवाब में भी अपन ने सुना है और आप सब लोग भी, और हमारे समय में भी संविदा कर्मी थे, इनके दर्द और इनकी पीड़ा को कौन समझता है, मैं आगे बताऊंगा।

यह जो आपने कांग्रेस की पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत रेल परियोजना, जो आपने अपने इस नीति पत्र में वोट के लिये रखी थी, वह आज कहां स्टैण्ड कर रही है, कहां आप उसमें सफल हुए हैं, वह भी इसमें से निकलकर आएगा।

फिर मैंने, आपकी ये जो सरकार की घोषणाएं हैं, जो आपने लिखी हैं, उसमें आपने पिछली बार जो लिखी हैं, बिन्दु संख्या 38 में रिफाइनरी, या तो वह रिफाइनरी राजस्थान से गायब हो गई, या रिफाइनरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके डाकूमेंट्स में कहीं उसका रेफरेंस ही आये कि रिफाइनरी कहीं जिन्दा है या रिफाइनरी खतम हो गयी है, रिफाइनरी कहां है और कितनी तरक्की उसमें आज दिन तक हो गयी है। साल भर बाद भी आपको बताने की आवश्यकता लगती नहीं है, उसके बारे में बताएं।

बिन्दु संख्या 11 में यह जो कृषि ऋण माफी के बारे में कहा था, उसमें आपने लिखा है कि 30 नवम्बर, 2018 की तिथि से समस्त बकाया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। अब यह जो नवम्बर की 30 तारीख है, यह पिछली सरकार के समय की थी न। उसके पहले ठीक सितम्बर के महीने में पिछली सरकार ने 50 हजार रुपये तक का जितना भी लोन था, जो ओवरड्यू था, या तो ओवरड्यू शब्द को नहीं समझते हम लोग, इस कारण से कन्फ्यूजड हैं। ओवरड्यू वह होता है, जिसकी अवधि निकल जाने के बाद भी वह पैसा जमा नहीं करता, वह ओवरड्यू होता है। जब वह पचास हजार रुपये उस समय जमा करवा दिये, जिसमें आपने यह कहा कि आपके पास पैसा नहीं था, फिर भी आपने कर दिया, वह भी मैं अगर समय मिला तो बता दूंगा। हमारे पास, पैसा तो हमेशा सरकार के पास सेंट-परसेंट हो, ऐसा युग तो अभी तक तो देखा नहीं।

(16.00 बजे)

यह पहली बार देखें तो, आपने देखा हो तो बता दीजिए। जब कभी कुछ होता है, तो इधर-उधर से कुछ व्यवस्था करके उस किसान को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, पर हमने हंड्रेड परसेंट, 29 लाख 30 हजार किसानों को प्रमाण-पत्र देकर, उनको उस पचास हजार तक की सीमा में, और विशेषकर ट्राइबल एरिये में हंड्रेड परसेंट किसानों को कर्जा माफ जब कर दिया। यह काम हमने सितम्बर और अक्टूबर में पूरा किया तो फिर 30 नवम्बर के दिन ड्यूज बचते कितने हैं? कितना पैसा आपका 30 नवम्बर का बचा हुआ था? मतलब क्यों आप जनता को गुमराह करने के शब्द डालकर लोकतंत्र को इतना नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं? भगवान के लिए जो सच है, उसको बोल दिया करो तो कम से कम समझ में आये कि वास्तव में क्या है।

उसके आगे आपने और लिखा है। आपने लिखा है कि कृषक आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है और अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, उसके 30 नवम्बर, 2018 तक के सभी राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 2 लाख रुपये तक की सीमा तक का कालातीत, वही ओवर-ड्यू, अवधिपार अल्पकालीन ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह आपके पैरा नम्बर 11 के अन्दर पिछली बार आपने लिखा था।

अबकी बार आपने क्या लिखा है? इसको पढ़ो। अबकी बार आपने लिखा है, '2 लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सैटलमेंट लाकर माफ करवाने हेतु केन्द्र सरकार से यथोचित सहयोग हेतु आग्रह किया गया है।'

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आग्रह किया गया है तो आपके नीति पत्र में आप यह डाल देते कि यह-यह तो हम कर लेंगे और यह, जो भी केन्द्र सरकार होगी, उससे हम कहेंगे, लेकिन आपके कहने का मतलब कुछ और है और करने का मतलब कुछ और है। भगवान के लिए इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना।

फिर आपने एक बिन्दु संख्या 24 में, पिछली बार का आपका महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था, उसमें लिखा है कि - 'संविदाकर्मियों एवं अन्य कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु और विगत 6 माह में गत सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा के लिए, राज्य सरकार ने अलग-अलग मंत्री स्तरीय समितियों का गठन किया है।'

अब यह डेढ़ साल हो गया। हमारे टाइम पर भी ये संविदाकर्मी थे। हमने भी मीटिंग करके, मैं इसको फिर आगे बताऊंगा, उनकी पीड़ा को समझने का आप प्रयास करें और सच बोल जाएं कि उन बच्चों का भला होगा या उनकी जिन्दगी में फिर वे कोई दूसरा रास्ता ढूंढें जिससे कि वे अपने बच्चों को पाल सकें क्योंकि वे ओवरएज हो जाएंगे और ओवरएज होने के बाद कहीं पर जा नहीं सकेंगे। आज वे इसलिए चिपके हुए हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरकारी नौकरी लग जाएगी, इस चक्कर में वे सारे के सारे लोग फंसकर, मैं आपको बताऊंगा पंचायती राज मंत्रीजी, वे बच्चे छह हजार रुपये, जो हमने भी एक-एक साल एक्सटेंड करके, उनको ढकाने का काम किया, वही काम आज हम कर रहे हैं। छह हजार रुपये में रोटी-कपड़ा और बच्चे पाल सकता है? जिसका एक बच्चा भी हो गया, शादी हो गयी, वह इसमें जिन्दगी गुजार सकता है? एक मजदूर को भी इतनी कम तनख्वाह नहीं मिलती है, जो आप पंचायती राज में उसको देकर क्या वाहवाही करना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि इस पीड़ा को मैंने स्वयं ने, जब मैं गृह मंत्री था, मैंने भुगता है कि मेरे यहां पर भी जो होमगार्ड थे, उनको 326 रुपये, 325 रुपये प्रति दिन मिलते थे। मैं लगातार ढाई साल तक इस बात के लिए लड़ता रहा कि एक आदमी शाम को घर जाएगा तो कम से कम उसको कुछ तो मिले। पहली बार आपने देखा होगा कि होमगार्ड को हमने सीधा जस्ट डबल करके 750 पर ले जाकर प्रति दिन के हिसाब से किया। तो मैं यह चाहता हूं कि या तो आप उनको लगा दें, या उनको जीवन में जिधर भी जाना हो, वहां जाने के लिए आप उनको कह दें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

फिर आपने पैरा नम्बर 22 में विद्युत दरों में बढ़ोतरी के बारे में लिखा कि हम कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। मैं आपको आगे चार्ट पढ़ाऊंगा, अगर समझ में आये तो आप सब लोग देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंक देना, मेरे को कोई एतराज नहीं, लेकिन जो भार पड़ रहा है न, वह सामान्य व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चोरी करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जिसकी छोटी-सी आमदनी है, उसके कारण से वह इस भार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह केवल मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो छोटा-मोटा काम धंधा करके अपने तीन बच्चों को पाल रहा है, वह आपकी इस रेट के आधार पर, कभी भी, न तो आज दे सकता है और न कल दे सकता है। वह या तो चोरी करेगा, और कोई उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, इस पीड़ा को हम भुगत रहे हैं, उसको देखने का प्रयास करें।

अभी आपने, कृषि ऋण के बारे में जैसे मैंने कहा था, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि ऋण के बारे में, अगर हम इसका कोई, वास्तव में समझते हैं या कम से कम यह तो बता दें कि क्या हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी बड़े विनम्र भाव से आग्रह किया था क्योंकि समय पर इनका ऋण खतम नहीं करने के कारण से इनको वापस लोनिंग नहीं हुआ और लोनिंग नहीं होने के कारण से इनको अगली फसल, हमारे यहां पर अधिकांश फसलों का बीमा उसी का होता है, जिसका लोनिंग होता है, तो लोनिंग के साथ ही उसकी फसल की बीमा की किश्त कट जाती है और वह कन्फर्म इंश्योर हो जाता है। अबकी बार मैं यह चाहता हूं कि आप अपने जवाब में दें कि राजस्थान में पिछले दो-तीन सालों में कितने लोगों का फसल बीमा होता था और इस वर्ष में हमने कितने लोगों का फसल बीमा किया। कम से कम राजस्थान का किसान इस बारे में जान जाए कि वास्तव में हकीकत क्या है, या मेरे साथ जो गुजर गयी उस पीड़ा को कौन समझता है।

मैं सोचता हूं कि इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता था। किसान सम्मान निधि का, यह तो केन्द्र सरकार दे रही है और वह भी छोटे-बड़े नहीं, सभी किसानों को कर दिया। पहले तो लघु और सीमांत को करना था, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सब बड़े किसानों को भी दे दो तो हिन्दुस्तान के 15 करोड़ किसानों को अगर ये छह हजार रुपये मिल रहे हैं, हर साल मिलेंगे, 90 हजार करोड़ रुपये हिन्दुस्तान के किसानों को देकर फसल के समय उनकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खाद-बीज की व्यवस्था करने की एक अच्छी परिपाटी जो प्रारम्भ की, उसकी तीन किश्तें, वह भी हर चार-चार महीने के बाद जब मिल रही हैं, मुझे जब आप जवाब दें तो इस बारे में कह दें कि पहली किश्त कितने लोगों को राजस्थान में मिली, दूसरी किश्त कितने लोगों को मिली और तीसरी किश्त कितने लोगों का मिली, और ये किश्तें समय पर नहीं मिलने का दोषी कौन है? केवल और केवल उनके रिकार्ड को आपको ऑन-लाइन करना था, उसके आधार पर उनको पैसा मिलता। इसमें आपकी जेब से एक पैसा जाने वाला नहीं है लेकिन उसके बारे में भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई ज्यादा चिंता नहीं है।

आदान अनुदान के बारे में आगे बताऊंगा कि आपने किस तरह से यह दिया। भाषण में क्या बात कहते हैं और हकीकत में जमीन पर क्या है, यह मैं आपके द्वारा दिये हुए प्रगति प्रतिवेदनों से ही प्रमाणित करके बताऊंगा कि वास्तव में धरातल पर क्या चीज है।

अब आलोचना करना, आलोचना करते हैं क्योंकि दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का, एक पक्ष में बोलकर तारीफ करेगा चाहे अच्छा है या बुरा है। कम से कम जो कमी है उसको स्वीकार करें और जो गलती हुई है उसको सुधारने का प्रयत्न करें। केवल और केवल डिबेट के आधार पर करते-करते जिन्दगी गुजर जाएगी, आगे भी गुजर जाएगी लेकिन परिणाम नहीं निकल पाएगा। इसके बारे में, मैं आपको कहता हूं ऐसा नहीं है कि पचास हजार का जो कर्जा माफ किया, वह हमने नहीं किया। यह जो टी.एस.पी. क्षेत्र है, उसमें हमने सारा किया था।

यह सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का जो बीमा 50 हजार का होता था किसान का, वह हमने सीधा बढ़ाकर, 20 गुणा बढ़ाकर 10 लाख रुपये करके उसको प्रोटेक्शन देने का प्रयत्न किया लेकिन वह भी आपको अच्छा नहीं लगता। 13 लाख किसानों को उनके द्वारा देय बिल, जो बिल देते थे, हमने दस हजार तक की सीमा बांध दी, तब तक का उसका जो बिल आएगा वह सरकार चुकाएगी और उससे अधिक बिल आएगा तो वह स्वयं देगा। इसको भी आप ठीक नहीं समझते हैं। इसको भी हमने अच्छा नहीं किया। इसी तरह से अपने किसानों को 2.5 लाख कृषि कनेक्शन जो हमने दिये, वह भी ठीक नहीं किया।

राज्य में पिछले चार वर्षों में हमने 62 हजार करोड़ रुपये के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अल्पकालीन ऋण दिये हैं, आप जब उत्तर दें तब मुझे बता देना कि अबकी बार आपका यह साल भर निकल गया है, आपने किसानों को कितना कर्जा दिया है? कितना फसली ऋण और बाकी ऋण दिया है? इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ और उसके बाद आपको इसके बारे में अंदाज लगेगा।

अब जिस नंदी शाला के बारे में आप रोज-रोज घोषणा करते हो, नंदी शाला, नंदी शाला। नंदी शाला खुले तो आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा और मैं आपकी भावना से, आपने जिस दिन यह कहा था कि हम पंचायत समिति स्तर पर नंदी शाला खोलेंगे तो निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत संतोष हुआ कि यह एक बहुत बड़ी समस्या जो गांवों में फेस कर रहे हैं उससे किसी तरह से किसान को राहत मिल जाएगी। पिछली बार जिला केन्द्र में नंदी शाला खोलने के लिए प्रयत्न किया कि नंदी शाला को किसी तरह से हम शुरू करें। आपने वाहवाही लेने के लिए, पंचायत समिति, ईमानदारी से आप मुझे यह बता देना कि कौन-कौनसी पंचायत समिति पर नंदी शाला शुरू हो गयी है, उस पंचायत समिति का नाम और उसमें कितने नंदी आज की तारीख में हैं तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आपने जो बार-बार ताली पिटवा दी इस बात पर कि हमने पंचायत समितिवाइज नंदी शाला खोलने के बारे में, मैं चाहता हूं कि नंदी शाला खुलनी चाहिए लेकिन इसके लिए जो कुछ भी दानदाता लोग नंदी शालाएं खोलें, उसके लिए प्रोविजन जो आपने छोटे पशुओं के लिए 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये और बड़े पशुओं के लिए 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये सहयोग राशि के रूप में किया, कम से कम नंदी शाला को सेंट-परसेंट साल भर तक, जो भी व्यक्ति इस गौशाला को चलाएगा, उसको अगर आप इतना सहयोग कर देंगे तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान में, विभिन्न स्थानों पर रहने वाले हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं, वे आपके इस वज़न को उठा लेंगे और प्रत्येक पंचायत समिति पर निश्चित रूप से गौशाला खड़ी हो जाएगी। इसमें आपके और मेरे तर्क वितर्क से नहीं, मैं सोचता हूं कि बिना सहयोग से, केवल अकेली सरकार के आधार पर ही अपन यह सोचें कि यह सब नंदी शालाएं खड़ी कर देंगे तो यह इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक है इसलिए उनको जोड़ते हुए, हम सहयोग के रूप में उनका कर दें, तब तो इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब आपने यह जो प्रतिवेदन दिया है, यह आपका ही प्रगति प्रतिवेदन है। वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020, आपदा प्रबन्धन सहायता, नागरिक सुरक्षा विभाग का है। अब मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं। आप उठें और हमको गाली दें कि आप गौमाता के नाम से आ गये, फलां के नाम से आ गये, जिसके नाम से आ गये। अब जो जिसके नाम से आया, आये लेकिन यह जो पशु शिविर और गौशाला, इसका मैं बता रहा हूं, हमने 2017-18 में 1,280 करोड़ रुपये, कितने? 1283 करोड़ रुपये गौशाला के लिए और यह जितने भी कैटल कैम्प लगे थे न, इसका पैसा हमने दिया है। यह मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। मैं इस किताब से बोल रहा हूं। कोई भी चाहे तो इसको निकाल कर देख ले और इसके बाद 2017-18 में हमने 1,318 करोड़ रुपये, इस प्रकार के पशुओं को बचाने के लिए राजस्थान में दिये। उसके बाद 2018-19 में हमने 24 करोड़ ही दिये। आपने अभी इस वर्ष, यह जो 2019-20 के, 31.12.2019 तक के आंकड़े, जो आपने इसमें दिये हैं, इसमें 30 करोड़ 72 लाख रुपये कुल दिये हैं। आप क्या बात करते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इसके आधार पर आलोचना करने का कोई तर्क नहीं है। अगर तर्क के आधार पर आलोचना करें तो समझ में आ सकता है।

इसी तरह से आपको कृषि आदान अनुदान के बारे में बताता हूं। हम लोगों ने जो किया है, अगर कोई देखना चाहे तो हमने पांच साल में जितना किसान को इस आदान अनुदान का पैसा दिया है न, इनके पांचों साल के टोटल कर लो, मेरा दावा है कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर दिये हुए अनुदान को जोड़ लो तो मेरे उस अनुदान के बराबर नहीं होता, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। (व्यवधान) दे देंगे। अब जो देना चाहें, जिनके पास देने की क्षमता है, उनसे मांग लो, वे दे देंगे। मेरे पास तो क्षमता है नहीं। ठीक है, इसमें जो आया, मैं आपको बता रहा हूं। वह आप बता देते, जब आप भाषण दे रहे थे। इसमें आपने लिखा है, 2016-17 में हमने जो अनुदान दिया था, वह 1755 करोड़ रुपये किसान को दिये। उसके बाद 2017-18 में हमने 1144 करोड़ दिये, उसके बाद 2018-19 में 1508 करोड़ दिये और आपने इस समय 173 करोड़ दिये हैं। 31 दिसम्बर, 2019 तक का आंकड़ा बोल रहा हूं। यह जो तीन महीने एक्स्ट्रा हैं, वह मेरे पास नहीं है। कितना दिया, 173 करोड़। कहां तो 1508 करोड़ और कहां 173 करोड़। दे थाप, दे थाप, यह जमीन का बापड़ा थक गया होगा सुनते-सुनते। हकीकत नहीं देखते, और न आंकड़े देखते, ठोके जा रहे हैं, जैसे चाहें, वैसे ही। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैं यह जो किताब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पढ़ रहा हूं न, यह दावे के साथ कह रहा हूं। यह जो हमने अनुदान दिया है न, टोटल सभी प्रकार से, इसमें अनुग्रह राशि भी आ गयी, पीने का पानी भी आ गया, चारा आ गया। बाकी सारी चीजें मिलाकर हमने 2016-17 में 1914 करोड़ रुपये दिये, उसके बाद 2017-18 में 1291 करोड़ दिये और उसके बाद हमने 2018-19 में 1544 करोड़ दिये। आपने सब मिलाकर जो दिये हैं, वे 239 करोड़ रुपये हैं। क्या बात करते हैं?

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी व्यवस्था का कहीं दोष है। इस आपदा राहत में मैंने बहुत प्रयत्न करके ऑनलाइन जब पेमेंट करने का काम किया न, उसके कारण से हिन्दुस्तान में इस राजस्थान की तस्वीर खुलकर सामने आयी, जो देखकर दंग रह गया। लाखों किसान धरती पर ही नहीं हैं। न जमीन है, न आदमी हैं। न इसका पता लगता है, न उसका पता लगता है लेकिन हर बार जब अकाल पड़ता है तब वह पैसा उनके खाते में जाता ही जाता है। मैंने बहुत प्रयत्न करके इसको ऑनलाइन करने का प्रयास किया। उसके कारण से हमारी बहुत अधिक बचत हुई। मैं बता रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस जो आपको सुपुर्द किया था, तो 670 करोड़ रुपये दिये। उसके बाद सेन्टर का शेयर आया 1100 करोड़, उसके बाद स्टेट का शेयर आया 335 करोड़, 1164 करोड़ रुपये आपके पास कुल हो गये थे। इस 2019 में आपदा का यह पैसा था। उसके बाद सारा मिलाकर आपके पास जो आज की तारीख में पेंडिंग पैसा है, वह 2702 करोड़ रुपये आपदा राहत के तहत इस सरकार के पास होते हुए भी किसान को इस समय जो आपने मदद की है, वह केवल और केवल 90 और 106 करोड़ बता रहे थे, यह टिड्डी का भी उसमें आ गया। उसमें आज की तारीख में भी जो फसल का नुकसान हुआ था बारिश के कारण से और जिसके कारण से 106 तहसीलें जिससे प्रभावित थीं और जिससे लाखों किसान प्रभावित रहे, उसका एक पैसा भी अभी तक नहीं दिया। आपके पास पैसा पड़ा है, आप देकर भी केन्द्र सरकार से ला सकते थे। केन्द्र की सरकार से टीम सितम्बर में आ गयी थी। आपने अपना जो डेटा भेजा, वह नवम्बर में भेजा। उसके बाद भी, परश्यू करके भी आपको वहां से पैसा नहीं मिले तो भी आपकी जेब में पैसा पड़ा है, लेकिन आपदा राहत की दृष्टि से किसान को मदद करने का आपका मन नहीं है। आपकी केवल भाषण देने की मंशा है।

अब यह जो आपने लॉ एण्ड आर्डर के बारे में कहा है न, कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं, मैं इस फिगर को पढ़ूंगा। ऐसा कोई भी बंदा, यहां विभाग के अधिकारी बैठे होंगे, इस प्रकार के संगीन अपराधों में, मैं तो क्या बड़े से बड़ा अधिकारी भी एफ.आई.आर. को दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। ऐसे गम्भीर अपराधों के लिये एफ.आई.आर. दर्ज करने से कोई मना कर सकता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डी.जी. को किस बात के लिये कहा है कि आप एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते, नोटिस क्यों दिया इनको? और कहते क्या हैं कि एस.पी. को अधिकार नहीं है। एस.पी. को अधिकार तो सबसे पहले ही था, आज कौनसा नया हो गया और हो गया तो आज जब सदन के नेता खड़े हों, मुझे बता देना कि एस.पी. के थ्रू राजस्थान में एक साल में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुईं, उनकी संख्या बताओ ताकि राजस्थान के लोगों को लगे कि एस.पी. को दिया गया अधिकार, वास्तव में उस एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाले के हक की रक्षा हो रही है। आप करना क्या चाह रहे हैं? इसमें क्या अजीब-अजीब चीजें हैं। मैं एक-एक का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। न्यायालय के द्वारा आपके पास क्या आया? मैं ये जो आंकड़े पढ़ रहा हूं न, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आपके द्वारा दिये हुए आंकड़े हैं।

आप इसमें देखिए, अपराध की स्थिति क्या हुई है? सदन के नेता महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह डिपार्टमेंट निरन्तर और निरन्तर मोनिटरिंग मांगता है। इसमें भगवान की कृपा से हमारा राजस्थान प्रत्येक दिन, हमारा डी.जी. चाहे न, तो बावलवाड़े के थाने का रिकार्ड देख सकता है कि आज सवेरे कौनसी एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उस सिस्टम को हमने डवलप कर दिया और उसके कारण से राजस्थान, जो सबसे अंतिम पायदान पर था, अब हम तीन और चार नम्बर पर हैं। सी.सी.टी.वी. कैम्पेन के बाद हमारी स्थिति खराब नहीं है। लेकिन आप इसमें देखिए, हत्या को कोई मना कर सकता है कि उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करें। कोई मना कर सकता है हत्या के बारे में एफ.आई.आर. दर्ज करने से, मैंने तो आज तक देखा नहीं। आप देखें कि 2017 में 1473 हुईं, उसके बाद 2018 में 1508 हुईं और अभी आपके टाइम पर 1659 हुईं, यह 12 प्रतिशत की वृद्धि हत्या की एफ.आई.आर. में हुई। उसके बाद डकैती, पहले 2017 में 47 हुईं, फिर 75 और फिर 107, बढ़ोतरी कितनी हुई, 12,17 प्रतिशत। उसके बाद आप नीचे लूट में देखिए, इन मुकदमों को दर्ज करने से कोई मना कर सकता है? लूट का मुकदमा दर्ज कराने जाए और कोई कह सकता है कि मैं दर्ज नहीं करूंगा। ऐसा कोई बहादुर एस.एच.ओ. हो,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो मैं नहीं कह सकता। यह जो जगजाहिर है, लूट हुई है, क्या करेगा वह? लूट पहले साल में 972 थीं, फिर 2018 में 1022 हुईं और अभी 1421 हुईं, 46 प्रतिशत की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद आता है, बलात्कार। कोई मना कर सकता है, मुकदमा दर्ज करने से। हां मना कर सकता है, वह थानागाजी वाला मना कर सकता है क्योंकि चुनाव का दिन चल रहा था इसलिए उस सामूहिक बलात्कार के बाद भी, चुनाव खतम हो जाने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इससे ज्यादा राजस्थान के लिये शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? गैंगरेप उसके पति के सामने हुआ, उसके बाद भी दर्ज नहीं हुई और कह रहे हैं कि राजस्थान की चुनाव की तारीख खतम हो गयी थी, उसके बाद जाकर मुकदमा दर्ज होकर कार्यवाही हुई है। नकबजनी, कोई मना कर सकता है? 2017 में 5,022 हुई थीं और 2018 में 5,196 हुईं और अभी 7,182 हुई है, सारे राजस्थान में मिलाकर 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी। मैंने वही बताये हैं जिसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है। छोटे-मोटे मामलों में, बलवा में कोई करे तो हो सकता है कि समय पर मुकदमा दर्ज नहीं हो। लेकिन गम्भीर अपराधों में, चोरी में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, राजस्थान में बड़ी मुश्किल से प्रयत्नपूर्वक हमने 2015 में, 2016 में और 2017 में एक हैड में नहीं, आपके डी.जी. साहब से पूछ लेना, अभी रिकार्ड लेकर आ जाएं। एक भी हैड ऐसा नहीं है, जिस हैड में हमने अपराध को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया हो। मैंने कोई जादू नहीं चलाया कि मेरे जादू से कम हो गया लेकिन मैंने हर महीने मॉनिटरिंग की है। हर महीने मैं सम्भाग पर जाता था, जिले पर जाता था और एक-एक थाने का रिव्यू करता था। इन जन-प्रतिनिधियों को साथ बिठाकर रिव्यू करता था और कोई कमी-खामी होती थी तो उसको सुधारने का प्रयत्न करता था। इसके साथ ही डिपार्टमेंट में अच्छे काम करने वालों को धन्यवाद देता था और खराब काम करने वालों को नौकरी से बाहर निकालता था। मेरे टाइम में मैंने पुलिस के कितने अफसरों को नौकरी से विदा करके घर भेजा है इसलिए कि उनकी सर्विस बुक इतनी खराब थी कि वे इस विभाग में रहने लायक नहीं थे।

अब की बार भी जो घटनाएं आपने और हमने पढ़ी हैं। यह जो पपला भागा है, इस प्रकार की ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, ऐसे लोगों को नौकरी करने का अधिकार नहीं, एक बार निकाल दो। कोर्ट से जीतकर आ जाएगा तो पैसा ही ले जाएगा, कम से कम लोगों के छूंछड़े तो नहीं उतारेगा, कम से कम किसी प्रकार से आदमी बचेगा तो सही। यह तो मैंने इसमें बताया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी तरह से महिला अपराध में कौन ना कर सकता है? महिला अपराध में आपने देखा होगा इस तरह की बढ़ोतरी है। महिला अपराध में उत्पीड़न को छोड़ दो, चलो हो सकता है किसी रंजिश वश दर्ज करा दे। बलात्कार में कोई दर्ज नहीं कराए? 81 परसेंट, महिला अपराध में कितनी, 81 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। 2017 में 3305 हुई, 2018 में 4335 हुई और अभी 2019 में 5997 हुई हैं। 5997 का मतलब 6000, इसका मतलब 81.45 परसेंट अपराध बढ़ा है? इसके बाद अगर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने आएगा, कोई ना नहीं कर सकता, 80 परसेंट बढ़ा है। इसके बाद आप देखें अपहरण के मामले में जो घटनाएं हुई हैं, वे 52 परसेंट बढ़ी हैं। ये अपराध नहीं बढ़े हैं? अपराध बढ़ने का मतलब राज्य के ऊपर कोई तो असर होता ही होगा न? तभी तो हम इतनी बड़ी पुलिस और इतना खर्चा वहन करके लोगों को सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं।

इसी तरह से अनुसूचित जाति में जो अपराधों की स्थिति आयी है, उसमें आप देख लीजिए, बलात्कार में 82.24 परसेंट की बढ़ोतरी हुई 82.24 परसेंट और गम्भीर क्षति के बारे में 160 परसेंट। यह सारा शिड्यूल्ड कास्ट में है।

इसी तरह से यह शिड्यूल्ड ट्राइब में है। शिड्यूल्ड ट्राइब में बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ी हैं, वे पहले 2017 में 63 थीं, फिर 77 हुईं और अभी 101, यह 2017 से 60 परसेंट की बढ़ोतरी है। यह सारा मिला करके और जो एक प्रयत्न हम लोगों ने किया था, आप उसको मानें न मानें, यह आपकी इच्छा पर है।

यह जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, इसको हमने काफी मजबूत करने का प्रयास किया और सरकार ने इसमें काफी पैसा भी दिया जिसके कारण से वैज्ञानिक तरीके से जांच होकर, कोई बच करके भी जाए, अगर मान लो गवाह बदल जाए, पक्ष द्रोही हो जाए तो भी एविडेंस के आधार पर उसको सज़ा मिले। उसकी भी आपने, किसी ने चिंता ही नहीं की कि क्या हो रहा है।

जिस समय आपने मुझे सौंपा था उस दिन ओपनिंग बैलेंस था, उस दिन जो पेंडेंसी थी, वह 13,772 थी और मैंने जब 2018 में आपको सुपुर्द किया उस समय हमारी पेंडेंसी 6,412 थी। मैंने उस पेंडेंसी को घटाने के लिए हर महीने मॉनिटरिंग की और अभी वापस आपने पेंडेंसी कितनी कर दी है, 14,141, यह पेंडिंग केस हैं। अब इसमें समय पर मोनिटरिंग करने में क्या जोर आता है? जब हम इतना खर्चा करते हैं, हमने सम्भाग लेवल पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेबोरेटरी बना दी, हमने मोबाइल वैन देकर, हर जिले में मोबाइल यूनिट देकर इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेन्थन किया कि जिसके कारण से सही न्याय मिल सके लेकिन आपने उसके बारे में नहीं किया।

अब जिस बिजली के बारे में कह रहे है, मेरी विनम्र प्रार्थना है, भगवान के लिए सुन लेना, बाकी तो जो रास्ता अब तक चल रहा है न वह वही चलेगा। कारण क्या है कि मजबूरी में भी आदमी चोरी करता हैं क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है और हमारे यहां जो छीजत का कारण है, उसका कारण, हम स्वयं दोषी हैं। अगर किसी आदमी को कनेक्शन चाहिए, उसके ऊपर से तार जा रहा है और उसको कनेक्शन नहीं मिलेगा तो आंकड़ी डाल देगा। अच्छा है कि उसको आप दे दो न, जो सीमा में बांधना चाहो उस तरह से बांध दो। मैं आपको थोड़ा सा नमूना बताता हूं, मैंने मेहनत करके निकाला है कि आप किस तरह से देते हैं। 50 यूनिट जो जलाता है उसको 3 रुपये 85 पैसे के अन्दर करंट देते हैं और उसके बाद जो 50 से लेकर 150 यूनिट जलाता है, उसकी रेट बढ़ जाती है, जैसे ही 50 यूनिट से ऊपर बढ़ता है वैसे ही उसकी रेट 6 रुपये 10 पैसे हो जाती है। चाहे आपका बिल 150 का ही आया, पहले 50 का बिल तो वे 3 रुपये 85 पैसे से लेंगे, x 3.85 ही करेंगे लेकिन जैसे ही 50 से ऊपर आ जाता है, 51वां यूनिट आ गया तो उसका जो बढ़ा हु आ एक यूनिट है वह 6 रुपये 10 पैसे से काउंट होगा। इसका मतलब अगर आपके 150 यूनिट आये तो इसमें 610 रुपये अतिरिक्त हो गये। मैं 150 तक ही बता रहा हूं। फिर उसके ऊपर स्थाई शुल्क, जो पहले दो महीने में लेते थे उसको आपने एक महीने में कर दिया और 200 रुपये स्थायी शुल्क के रूप में लगा दिये। उसके बाद विद्युत कर, नगरीय उप कर, यह मिला करके 50 पैसे होते हैं। 40 पैसे पर-यूनिट है विद्युत कर और 10 पैसे नगरपालिका का कर है, ये 50 पैसे हो जाते हैं। इसका मतलब जिसने 150 यूनिट जलाये, आपकी पुरानी रेट से उसको साल भर में 12,930 रुपये पेमेंट करने पड़ते थे और अब आपकी जो रेट बढ़ी है उसके आधार पर उसको 14,310 रुपये करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 1380 रुपये अधिक। किसको, जिसने केवल 150 यूनिट जलाये। मुझे ईमानदारी से कोई भी बता दे, जिसके दो या तीन कमरे भी हों, जिसके दो बच्चे भी हों और अगर छोटा परिवार भी हो, उसको 150 यूनिट आएंगे कि नहीं आएंगे? उसको आपने 13 हजार पर ले जाकर फिट कर दिया है। उसमें मेरा वह ग्राम साथी भी है, जिसको आप 6 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं न, वह भी इसी में आता है। इसके बाद मैं 300 यूनिट का बताता हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरे कहने का मतलब केवल यह है कि चोर का दंड फकीर को दे रहे हैं और उसमें आप भी शरीक थे हम भी शरीक थे। कारण क्या है हमने इसके मूल को नहीं पकड़ा कि जहां से हमको इसको पकड़ करके ठीक करना था। उनकी गलती के कारण से राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है लेकिन उस सिस्टम के ऊपर किसी ने भी वार करने का प्रयास नहीं किया। यह मैं आपको आगे बताऊंगा।

यह जो 300 यूनिट का मैंने हिसाब बनाया है, उसी तरह से बनाया है। जो 300 यूनिट जलाता है, मैं और आपमें से अधिकांश परिवार ऐसे होंगे जिनका 300 यूनिट प्रति माह होता है। पहले आता था 25,590 रुपये, अब आपके पास जो बिल आएगा वह 28,980 रुपये आएगा। 28,980 रुपये आएगा, 3,390 रुपये की बढ़ोतरी सामान्य, जो मिडिल वर्ग के व्यक्ति हैं, जो सामान्य धंधा-पानी करते हैं। 500 यूनिट तक जो जलाता है उसका जो फर्क आएगा, वह लगभग 6 हजार रुपये अतिरिक्त आएगा। इसका मतलब जो 500 यूनिट जलाता है उसको 49,380 रुपये साल भर का, 12 महीने का पेमेंट करना पड़ेगा। इससे अधिक वाले का तो खैर छोड़ो, हममें से कोई भी नहीं आएगा, वह कोई बात नहीं, वे ज्यादा दें तो देते रहें, कोई चिंता की बात नहीं।

अब कृषि के बारे में आपने जो कहा है न, कृपा करके मुझे इतना बता देना कि इस किसान को आप जो पहले बिल जनवरी में दे रहे थे, उसका वही बिल मार्च में आएगा या उसमें और अटरम-शटरम बढ़ा करके बिल में कुछ पैसे बढ़ जाएंगे? इसका स्पष्टीकरण कर देना। आप जो कह रहे हैं हम 90 पैसे यूनिट दे रहे हैं, हम भर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, राज्य सरकार भर रही है तो भी नुकसान तो जनता का ही हो रहा है न, जनता को ही भरना पड़ रहा है। लेकिन उसके बारे में भी आपने देखा होगा कि जो किसान अपना खेत का जलाता है, उसका 4 रुपये 75 पैसे से बिल आता है, जिसको आप भरते हैं, 90 पैसे वह भरता है बाकी आप लोग भरते हैं। तो जिसके पास चार से लेकर के साढ़े सात हॉर्स पावर तक की मशीन है उसका जो खर्चा है वह पहले 19,890 आता था, अब 24,120 रुपये आएगा। इसका मतलब उस छोटे किसान को भी 4,230 रुपये, चाहे आप भरो चाहे वह भरे। अगर आप भरते है, जो आपने बताया, 24 सौ करोड़ रुपये उसका हम भरेंगे, अगर उसमें हंड्रेड परसेंट और कोई चार्ज उसमें बढ़ करके, वह ही बिल जा रहा है जो पहले जा रहा था यूनिट के हिसाब से, तब तो समझ में आता है लेकिन आपने कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चार्ज-फार्ज यों घुसेड़-घुसेड़ करके उसके बिल में जोड़ दिया है, इस तरह का नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो साफ कहो, कोई चिंता की बात नहीं। हो सकता है, वह चाहे आप हो चाहे मैं हूं उस जगह पर, अगर हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते लेकिन उसको इस भ्रम में मत डालो कि हमने किसान का किसी प्रकार का पैसा नहीं बढ़ाया, ऐसा नहीं है।

इसके बाद यह जो मीटर पर है और फ्लेट रेट पर है उनकी आपने कमर तोड़ कर रख दी। विचार कर लेना, आप सब लोग जब अपने-अपने क्षेत्र में जाएंगे तब इसका परिणाम आपके ऊपर, किसान के ऊपर क्या आने वाला है, इसका थोड़ा सा हिसाब लगा लेना। मैं सोचता हूं जो पहले आता था वह 25,920 रुपये आता था मीटर और फ्लेट रेट के हिसाब से, साढ़े सात हॉर्स पावर तक जिसके पास है उसका मैंने लिया है और आज की तारीख में अब जो आपका आएगा वह 32,400 रुपये आएगा। यह फ्लेट रेट वालों का तो आप नहीं भरते हैं न, वह तो स्वयं ही भरता है न? तो मैं सोचता हूं कि जिस तरह का आपने यह दिया है न, यह कृषि के कनेक्शन के बारे में है।

इसके बारे में आपने बहुत चतुराई की है कि उद्योग वाला 15 परसेंट रात्रि में लेगा, भले आदमी, वह रात्रि में तो लेगा आपसे और दिन में लेगा बाजार से। अगर यही छूट, अगर यही आदमी दिन में भी आपसे बिजली लेता है और फिर 15 परसेंट की छूट दें, मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन ये जितने बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं न, आपकी 15 परसेंट की यह कम वाली बिजली तो आपसे लेंगे और दिन में दूसरों से खरीद करके आपको घाटा और पहुंचाएंगे। आपके पास बिजली होते हुए भी आपको उसका पेमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। यह जो कारण है उसको समझें। जो मेरे समझ में आया, बता दिया। हो सकता है मैं गलत भी हूं। मुझे कोई ऐसा अभिमान नहीं कि मैं सब चीजें जानता हूं लेकिन जब से हमने यह कम्पनियां बनायी हैं, इन कम्पनियों के बारे में सोच क्या थी, इन कम्पनियों के कारण से राजस्थान की बिजली में सुधार होगा, लेकिन ये आपके अहाते में सफेद हाथी बंध गये हैं, ये जो बड़े-बड़े अफसर हैं न, वे इस डिपार्टमेंट को चूस रहे हैं। वे जिस तरह से घाटा दे रहे हैं, लगभग एक लाख करोड़ का घाटा, यह आपने अलग-अलग कम्पनी बनाकर जिस प्रकार के अधिकार बांटें, उसके कारण से यह घाटा बढ़ा है। मैं सोचता हूं कि यह जो आपकी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, यह विद्युत की अलग-अलग ग्रिड स्टेशंस और लाइन को ठीक करना,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ईमानदारी से इसी पर आप किसी टीम को बैठाओ, ये हमारे पैसे को लूट रहे हैं। ये सुधार नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पैसों को लूट करके सरकारी पैसे को चूना लगाने का धंधा कर रहे हैं।

मैं बहुत अधिक टैक्निकल आदमी नहीं हूं लेकिन मैं यह जानता हूं कि आपने 33 के.वी. का ग्रिड स्टेशन जहां खड़ा किया वहां आपका एक चपरासी उस ग्रिड स्टेशन को सम्भालता है। जितनी बिजली जाती है उसका पैसा वहां से आता है कि नहीं आता है? वह ग्रिड स्टेशन से ही गांव के लोगों को चोरी के आधार पर दे रहा है, कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। हम यह सोचते हैं कि ग्रिड स्टेशन बनेगा, अब बनेगा और इससे सुधार हो जाएगा। बिजली तो ठीक सुधर गई लेकिन उसमें चोरी जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखना चाहिए।

यह जो आपने अधिकारी लगाये हैं, ये 70-70 वर्ष वाले भी बड़े होशियार हैं। क्यों बांध रखा है? जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गयी, वे आज की तारीख में इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। वे कोई टैक्निकल आदमी नहीं हैं। अगर कोई टैक्निकल आदमी मिले और उसका उपयोग करके, उसका लाभ अगर अपने राज्य के हित में हो तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन केवल और केवल इसलिए कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं इसलिए बैठा रखे हैं, वे अनाप-शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं, वे चाहे जो कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं? आप उनसे वसूल कर सकते हैं? उनको नौकरी से निकाल सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? वह तो एक्स्ट्रा एकदम बैठे हैं। 70-70 साल की उम्र के बाद भी वह इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और कोई इसको देखने के लिए तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वह छीजत से हो रहा है। यह छीजत केवल किसान करता है इस भ्रम में मत रहो। यह चोरी केवल किसान करता है, यह आपका भ्रम है। किसान तो मजबूरी में करता है। जब उसके ऊपर से लाइन निकल रही है तो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वह या तो पड़ौस वाले से लेता है, या ऊपर आंकड़ी डालता है। आप उसको दे दें न बिजली। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो किसान को आप सोलर पर ले आएं। एक बार जो खर्चा लगना है, लग जाएगा। कम से कम उसके बच्चे ही पल जाएंगे लेकिन इतने बड़े-बड़े

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी चोरी कर रहे हैं। आपने देखा, अलवर का जो केस पकड़ा, जो चिप लगी हुई थी। यह सब इतनी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो चल रही हैं, वे आपको और हमको गिफ्ट देने आते हैं कभी दिवाली और होली पर और उसके कारण से हमारा मन कमजोर हो जाता है। सच्चाई में अगर चोरी कोई कर रहा है तो ये सक्षम लोग चोरी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर कितनी कालोनियां ऐसी हैं जो आयी हैं, इल्लीगल जमीन पर बसी हुई हैं। जमीन पर ही नहीं हैं। आपने उस पर रोक लगा रखी है कि बिजली नहीं देंगे। अब यही पृथ्वीराज नगर ले लें। आपने कहा कि बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। शाम को जाकर एक घर भी देख आए कि जिसमें बिजली नहीं है। एक घर देख आएं, जिसमें बिजली नहीं है। ऐसी राजस्थान में सैकड़ों नहीं हजारों कालोनियां हैं, जहां इस प्रकार के इल्लीगल कनेक्शन हैं। आप उनको मदद करना चाहो, गरीब हैं तो 200 यूनिट तक फ्री कर दें। वह कोई चिंता की बात नहीं है लेकिन कम से कम कनेक्शन तो दें। कनेक्शन नहीं देने के कारण जो चोरी हो रही है उसको कौन रोकेगा?

मैं सोचता हूं यह जो बताया कि गलत नीतियों के कारण से, यह जो सारा सामान खरीदते हैं उसमें, बाकी का जो इंस्टालेशन करते हैं उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूं कि पहले भी आपने और हमने बिना बिजली कम्पनियों के राजस्थान को चलाया है लेकिन हमने इतने सालों के अन्दर कभी ये भाषण नहीं दिये थे। वास्तव में ये बिजली कम्पनियां, दिवालिया कम्पनियां बन करके इस राजस्थान के लोगों को उजाड़ देंगी। जो बिल आएगा उसको अच्छे-अच्छे लोग नहीं दे पाएंगे। यह मैं आज आपको कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब बजट घोषणा में आपने जो बिन्दु संख्या 134 में कहा है, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को तरीके से दूर करने हेतु प्रदेश में 75 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की थी। भगवान के लिए मुझे एक सूची बता दें कि आपने अपने आने के बाद इन 75 हजार में से कितनी भर्ती कर ली। वे लोग कौन हैं और कौनसा डिपार्टमेंट है, उसका नाम मुझे बता दें तो बहुत संतोष होगा। मैंने जो कुछ भी देखा और समझा है जो भी पुरानी विज्ञप्तियां निकली हुई थीं उसके तहत जो भर्तियां हुई हैं वही हुई हैं। आपने बजट में जो 75 हजार की घोषणा की है, उसमें से अगर भर्ती की हो तो आप बता दीजिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने देखा, ये जो माध्यमिक स्कूल में विज्ञप्तियां जारी हुई हैं हम लोगों ने जो की थी, उन पदों की संख्या माध्यमिक शिक्षा में 52 हजार थी। उसमें से हमने 43 हजार को नियुक्ति दी थी। इसके बाद प्रारम्भिक शिक्षा, यह मैं 2016 का बता रहा हूं, जब विज्ञप्ति जारी की थी उसमें हमने 15 हजार निकालीं और 12 हजार को नियुक्ति दी। बाद में प्रारम्भिक शिक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें हमने 47519 लोगों को भर्ती दी। आप लोग अपना बताना, मेरे पास पूरा ही चार्ट है। क्वेश्चन के उत्तर में आया, उस चार्ट में कि कौनसे साल में भर्ती की विज्ञप्ति निकली, कौनसे साल में परीक्षा हुई और कब जाकर उनको अपाइंटमेंट दिया है।

आप पैरा नम्बर 86 में यह स्वीकार कर रहे थे गत वर्ष कि एक वर्ष में एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप बता देना लक्ष्य कितना पूरा हुआ? फिर उसमें आपने कहा कि हम 25 हजार लोगों को एक-एक लाख रुपये का कर्जा दे करके उनको सैल्फ खड़ा करेंगे। मुझे बता देना, वह 25 हजार का जो लक्ष्य था उसके तहत आपने कितने लोगों को ऋण दे दिया और उनको व्यवसाय पर लगा दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह जो संविदाकर्मी के साथ में आप कर रहे हैं, मैं मानवीय दृष्टि से आपसे निवेदन कर रहा हूं इस पाप को मत करिए। इतने लोग परेशान हैं कि मरने के अलावा कुछ और चारा नहीं बचता है। अगर वह योग्य है तो उसको नौकरी में लगा दो। अगर आपके मापदंड में नहीं आते हैं तो उसे मना कर दो। ताकि वह कहीं ना कहीं जाकर, गुजारा करके रोटी कमा खाएगा। वह आपके चक्कर में लगा रहता है। कितने पद हैं, अभी चिकित्सा मंत्री जी बोले थे कि 24 हजार लोग आपके पास हैं। उसके बाद पंचायती राज के पास 15 हजार हैं। हमारे टाइम पर भी लगे हुए थे, हमने भी उनको एक साल धक्का दिया और आपने भी एक साल और धक्का दे दिया। वे बीच में ही लटके हुए हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं। आज की तारीख में उनको 6 हजार तनख्वाह मिलती है। 12-12 साल से वे लोग काम कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा भी इस जगह लगा हो तो वह बच्चा जब शाम को आये तो उसको देखकर आपको क्या पीड़ा होती होगी? मैं यह नहीं कहता कि आप सभी को नौकरी लगा ही देंगे। मैं भी नहीं लगा सकता और आप भी नहीं लगा सकते लेकिन कोई रास्ता तो निकालो। जिसके कारण से उन बच्चों का भविष्य सुधर सके। अन्यथा तो वह अंत में निराश होकर आत्महत्या करने की कोशिश

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करेंगे। जलदाय विभाग में 10 हजार लोग लगे हुए हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में संविदा कर्मी हैं और आपने अपने घोषणा पत्र के बिन्दु में लिखा था कि हम इन लोगों को नियमित कर देंगे। ऐसा लॉलीपाप देने से क्या लाभ हुआ? क्या फायदा हुआ? हमारा परपज पूरा हो गया हम चुनाव जीत गये। हम मंत्री बन गये। बहुत अच्छी बात हो गयी। लेकिन उस बच्चे की पीड़ा को भी कोई समझने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा। उसके साथ आखिर यह कब तक चलेगा?

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा की सबने बुराई की कि भामाशाह में यह हुआ। मैं सोचता हूं कि उसमें जो कमियां खामियां रहीं, उसको सुधारो। किसी ने उसका दुरुपयोग किया तो उसको सज़ा दो। उसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी, वह यह थी कि आदमी जिन्दगी में कभी परेशान होता है तो बीमारी से होता है। अच्छे-अच्छे टूट जाते हैं, खेत बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं लेकिन इलाज तो कराना ही पड़ेगा। 30 हजार से लेकर 3 लाख तक बीमारी का एक रास्ता हमने निकाला। उसका मैं आपको आंकड़ा बताता हूं। हम लोगों ने कुछ किया है। गलतियां रही होंगी। इसमें किसी ने बेईमानी की होगी। किसी ने झूठे एकाउंट पेश किये होंगे। किसी हास्पिटल ने फर्जीवाड़ा किया होगा। उसको उलटा लटकाएं, फांसी दें। अगर किसी ने किया है तो उसकी जांच बिठाएं लेकिन उसके कारण से योजना खराब है, ऐसा मत मानो।

आप देखिए कि हमने 2016-17 में जो राशि आबंटित की थी, वह 357 करोड़ की थी और उसके अगेंस्ट में जो खर्चा हो गया था, वह 382 करोड़ रुपये था। वह पब्लिक के काम में आ गया था। 2017-18 में हमने 760 करोड़ रुपये इसमें दिये और 744 करोड़ रुपये इस पर व्यय हो गये। उसके बाद 2018-19 में 1183 करोड़ रुपये भामाशाह योजना के तहत लोगों के इलाज के लिए दिये। इसमें से 1147 करोड़ रुपये खर्च हो गये। आप लोगों ने इस साल 595 करोड़ रुपये दिये और उसमें से 530 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अब यह क्या चीज दिखाती है। आपने नयी योजना चलायी, नयी चलाएं। आपको लगता है कि आयुष्मान भारत लगाने से आपको लाभ है तो वह करें। मैं सोचता हूं कि केन्द्र की योजना है हम अगर उसके पार्टनर बनकर, अगर यही लाभ हर व्यक्ति को क्योंकि वह भी इतनी बड़ी स्कीम है, जिसमें 50 करोड़ लोग हिन्दुस्तान के एडजस्ट होंगे, तो राजस्थान के भी तीन-चार करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लोग इसमें आ जाएंगे। हमारा फायदा, राज्य का फायदा अगर इसमें होता हो तो आयुष्मान के साथ जुड़ जाएं। वैसे आपने इन तीनों को क्लब किया है, क्लब करने के बाद किया है। मेरी भावना है कि आदमी को और कोई मदद मिले या न मिले, आप इसमें जितना रेस्ट्रिक्शन करना चाहें कर दें, कहां किस प्रकार का लेकिन कम से कम इलाज का पैसा अगर व्यक्ति को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में अगर कोई आनन्द का दिन होगा तो यह होगा। मैंने आपकी उस दिन भी तारीफ की थी, जिस दिन आपने नि:शुल्क दवा योजना शुरू की थी। मैं इसी हाउस में था। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने हां की है, मैंने कहा, हां। यदि किसी गरीब को दस पैसे की गोली भी मुफ्त मिल जाए तो वह उसके लिए उस वक्त वरदान होती है इसलिए आपने वह योजना शुरू की तो मैंने इसके लिए आपका अभिनन्दन किया था। मैंने आपकी तारीफ भी की थी लेकिन यह केवल और केवल आपने किया इसलिए खराब है, यह मैंने किया, इसलिए यह अच्छा है, यह करते हुए अपना समय तो गुजर जाएगा लेकिन मैं सोचता हूं कि इस तरह से कोई व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। आपने देखा होगा आयुष्मान भारत, वैलनेस सेंटर को संचालित करने में राजस्थान निचले स्तर पर, रैंकिंग में प्रदेश अपना सबसे अंत में आता है, कितने, 28वें स्थान पर आया है। यह क्या है? मोदी सरकार की सबसे प्रमुख योजना में शामिल है, केन्द्र सरकार ने कहा कि यह योजना देश के लोगों के घर के समीप ही बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए लायी गयी है। इसमें प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। केन्द्र सरकार ने मार्च, 2020 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वैलनेस सेन्टर में बदलने के लिए कहा था। उक्त अवधि में यह काम पूरा होने पर 20 प्रतिशत इंसेंटिव और नहीं होने पर 20 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है। ऐसे में इन केन्द्रों पर सही और समय पर संचालन नहीं होने के कारण राजस्थान को करोड़ों रुपयों का वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब इसमें 12 प्रकार के इलाज हैं। उसको उसी स्थान पर मिल जाएंगे। इसमें महिलाओं का भी है, आंख, कान, गले की, इसी तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, उनका सारा का सारा उसमें जो आपकी कल्पना अभी, जो आपने अभी मोहल्ला क्लीनिक के बारे में कहा है वह इसको पूरा करती है। उसमें कैसे इसको जोड़कर इसका लाभ ले सकते हैं, वह लाभ लेने का प्रयत्न करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 6 में नि:रोगी राजस्थान की आपने कल्पना की है। मैंने सोचा है कि इन सबको मिलाकर आपकी और हमारी सबकी इच्छा है कि राजस्थान का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और उसको जो कुछ मदद कर सकते हैं, वह हम करें। उसमें किसी प्रकार का हमें एतराज भी नहीं है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की जो पीड़ा है, उसको मैं सोचता हूं कि न तो सदन समझता है और न डिपार्टमेंट समझने की कोशिश करता है। कुछ दुर्भाग्य ही मानते हैं कि उनका डाइरेक्टर नहीं होना, उनकी पैरवी करने वाला कोई आदमी न होने के कारण से एक अच्छा भला डिपार्टमेंट बिलकुल रसातल की ओर चला गया क्योंकि न तो वहां हास्पिटल में दवाई मिलती है और गांव में खरीदने जाओ तो उसकी दवाई मिलेगी नहीं, उसके कारण से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी विभाग में वर्ष 1998 से वर्ष 2013 तक एलोपैथिक नर्सेज और आयुर्वेदिक नर्सेज में एक समान वेतनमान दिया जाता था किन्तु 2013 में आपके समय में भटनागर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के साथ ही मेडिकल नर्सेज की ग्रेड 3200 से बढ़ाकर मेडिकल वालों को तो आपने 4200 में कर दिया और आयुर्वेद के जो नर्सेज थे उनको आपने 3200 से 3600 में एडजस्ट किया। मैं सोचता हूं कि इतने वर्षों से चले आ रहे थे, किसी न किसी की कलाकारी है, एक ही काम करते थे, एक ही पे स्केल मिलता था तो जब आप उसमें बदलते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन में पीड़ा तो जरूर होती है। आप इसके बारे में जरूर देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने देखा होगा कि आयुर्वेद नर्सेज की जो पदोन्नति है, इनकी डी.पी.सी. ही नहीं हुई। हर आदमी को आज, जितने भी ये अधिकारी यहां बैठे हैं, 15 दिन भी इनकी डी.पी.सी. देर से होती है तो आपको और मेरे को, सबको आकर बताते हैं कि हमारी डी.पी.सी. 15 दिन लेट हो रही है। उस गरीब का क्या दोष है जो छोटी सी नौकरी को कर रहा है, वह भी यह तमन्ना तो करता है कि समय पर मुझे भी पदोन्नति का लाभ मिले। प्रदेश में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी विभाग के नर्सेज संवर्ग का कैडर रिव्यू कराया जाकर डी.पी.सी., पदोन्नति देने का कार्य आज तक नहीं किया गया। इससे नर्सेज जिस पद पर नियुक्त होते हैं, उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है किन्तु आयुर्वेद विभाग में कार्यरत इस संवर्ग के नर्सेज को विभाग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

द्वारा न पदोन्नति दी जा रही है और न ही पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, कृपा करके इसको आप देखिए। यदि कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने का प्रयत्न करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक उच्च शिक्षा के बारे में है, मैं सोचता हूं हम सब लोग इस बारे में सोचते हैं कि हर साल नये कालेज खोलें, खुलने चाहिए। हम नीतिगत फैसला भी मानते हैं कि हर एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर खुलें ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए मिले लेकिन केवल और केवल खोलते ही जाएंगे और अगर पदों को नहीं भरेंगे तो उस बच्चे के साथ खिलवाड़ हो जाएगा क्योंकि उसकी जिन्दगी में वह डिग्री, जब तक वह जिन्दा रहेगा तब तक लगेगी। मुझे मालूम है कि मेरी डिग्री में सैकण्ड क्लास एम.ए. करने के कारण मुझे नौकरी में कितना भटकना पड़ा, यह मैंने स्वयं ने महसूस किया है कि अगर मेरी पढ़ाई अच्छी होती तो मैं सोचता हूं कि ज्यद्दा उपयोगी बनकर काम कर सकता था। उसके कारण से मैं आज भी अनुभव करता हूं कि उच्च शिक्षा के अन्दर आपने देखा होगा, उच्च शिक्षा में प्रिंसिपल की 292 पोस्टें हैं, उनमें आज की तारीख में 263 पोस्टें, 292 में से 263 पोस्टों पर प्राचार्य नहीं हैं। उपाचार्य भी इसी तरह से आपके 129 की एवज में 94 नहीं हैं, व्याख्याता तो आपके 6900 के अगेंस्ट में, अच्छा हो कि एक बार हम अपनी गति रोककर, जो हमें आवश्यक पोस्टिंग करनी है, उनको हम स्ट्रेंथन करें। आदमी दस किलोमीटर दूर जाकर पढ़ लेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर उसे पढ़ाने वाला आदमी ही नहीं होगा तो उस बच्चे के जो परसेंटेज आएंगे तो वह जिन्दगी भर उस कागज को लेकर घूमकर अपने मन में दु:ख व्यक्त करेगा। यह तो सोचेगा कि मुझे कालेज नजदीक मिल गया लेकिन उसकी जिन्दगी के साथ हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर भीमराव अम्बेडर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, ये दोनों विश्वविद्यालय, जो आपने खोले हैं, आज की तारीख में वे कहां पर हैं? क्या-क्या काम वहां पर हो रहा है, कितने बच्चे वहां पर पढ़े हैं, कौनसी डिग्री प्राप्त कर ली, कितने कोर्स चल रहे हैं, भगवान के लिए उसको क्लीयर कर देना, ताकि ये जो बार-बार मेजें थपथपा रहे हैं, खोल देना एक बात है लेकिन उसको वैल इक्विप्ड करना अलग बात है। मैं सोचता हूं कि केवल खोलकर खुश हो जाएंगे तो इससे आप अपने परपज को पूरा नहीं कर पाएंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में और आपके कालेज का जो लैक्चरर है, आप उसको जंगल में भेज दो, कोई बात नहीं, वह रह जाएगा, चार साल रहेगा, पांच साल रहेगा लेकिन वह आखिर कहीं नौकरी तो करेगा। केवल और केवल वह आर.एस.एस. का है इसलिए आप उसके इतने ट्रांसफर करते है। मैं सोचता हूं कि आपने भी किया है, मैंने भी किया होगा लेकिन कभी किसी की मजबूरी को देखकर केवल और केवल इसके लिए कर रहे हों, कर सकते हों, करें आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको वापस लाएं मत लाएं लेकिन कम से कम यह जरूर सोचना कि इस प्रकार का वातावरण न बने। आपके ये जितने भी कालेज चल रहे हैं, इन कालेज में पढ़ाने का पाठ्यक्रम, आज वह मास्टर या प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा, ये अपने जितने भी गवर्नमेंट कालेज हैं, इनका लैसन बनाकर डाइरेक्टर, एजुकेशन, वह भेजता है कि यह आपको पढ़ाना है। यह स्कूल की आजादी है। अगर वह काम नहीं करता तो उसको नौकरी से निकाल दें, अगर कोई और कमी है तो उसको सुधारें, यह तो समझ में आ सकता है, पर वह क्या पढ़ाएगा इसके बारे में भी हम अगर इस प्रकार से काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। अभी तक तो शिक्षक के पदनाम के लिए पिछली, हमारी गवर्नमेंट के समय में निर्णय कर दिया था, उस पदनाम को तो कम से कम आप करें ताकि उनके मन में यह संतोष तो रहे। क्या है कि वह जिन्दगी में लैक्चरर से शुरू होता है और लैक्चरर पर समाप्त हो जाता है। हमने कहा कि उसको भी पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इसको पदनाम और उसके लिए योग्य है उसको बनाएं तो उसके मन में संतोष तो रहेगा कि मैं रिटायर हुआ, तो मैं प्रोफेसर के रूप में हुआ। लैक्चरर के रूप में रिटायर हो जाता है, इसके बारे में भी देखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा की थी बजट में, छात्राओं, महिलाओं की सम्पूर्ण शिक्षा मुफ्त होगी, फ्री। अब आप झांको इसकी तरफ, देखो, क्या मुफ्त हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मतलब यह लगता है कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 3 पर यह घोषित किया कि प्रदेश की सभी वर्ग की छात्राओं और महिलाओं को प्रारम्भ से अंत तक की राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण शिक्षा मुफ्त करना, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट की घोषणा कर दी गयी है। अब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सच्चाई क्या है? राजकीय महाविद्यालयों में सिर्फ ट्यूशन फीस और प्रवेश फीस के अलावा, कालेज में विकास शुल्क लगता है, खेल शुल्क लगता है, छात्र शुल्क लगता है, वाचनालय शुल्क लगता है और अन्य शुल्क लगते हैं। सह शैक्षणिक गतिविधियों में जो कोर्सेज बनाये हुए हैं उनमें सेंट परसेंट पैसा देना पड़ता है, कोई उसमें माफ नहीं है। इसी तरह से आपने मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य में इस योजना को लागू नहीं किया है। चाहे मेडिकल में पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग कालेज में पढ़े, उसको किसी प्रकार की मुफ्त शिक्षा का कोई लाभ, एडवांटेज नहीं मिलता है, जो भी उसको देना होता है वह पूरा देना होता है।

जैसा कि स्कूल शिक्षा में है। स्कूल शिक्षा में भी आपके बहुत अधिक हैं, मेरे समय में भी थे। मैं नहीं मानता हूं कि वैसे नहीं थे लेकिन वह समय थोड़ा ठीक था। जब मैं 1994 से लेकर 1998 तक शिक्षा मंत्री था, तब हर डी.ओ. से यह रिपोर्ट ली जाती थी कि आज की तारीख में मेरे जिले में एक भी पोस्ट खाली नहीं है। आज की तारीख में बहुत अधिक पद खाली हैं। विशेषकर के प्रधानाचार्य, ये जो पद हैं, वे 20 परसेंट, 26 परसेंट, सारा मिलाकर के 494245 की कुल संख्या है, उसमें से 70 हजार पद आज की तारीख में रिक्त चल रहे हैं। कम से कम इन्हें बढ़ाएं, नहीं तो मेरी एक राय मानें, जैसे हमने कुछ स्कूल जो अनार्थिक थे, उन्हें मिलाया। आलोचना भले ही करें, लेकिन जहां वेस्टेज है, उसे बचाएं और जहां आवश्यक है, वहां खोलें, कोई दिक्कत नहीं।

मेरा एक सुझाव है कि आप सारे स्कूल्स में पहली कक्षा से लेकर बारहवीं तक का एक ही स्कूल बना दें। एक ही संस्था प्रधान के अन्तर्गत रखकर करेंगे तो आपको मैनपावर भी मिल जाएगी और आपकी यह जो समस्या है, बिना संस्था प्रधान के कोई किसी को मानता नहीं, शिक्षण संस्था ठीक प्रकार से चल नहीं पाती। एक प्रधानाचार्य अच्छा होता है तो सारा स्कूल उठ जाता है। वह अगर ठीक नहीं होता है तो पूरे स्कूल की स्थिति खराब हो जाती है।

राजीव गांधी जल संचय योजना, हमने क्या बुरा किया था? हमने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत तीन लाख से अधिक स्ट्रक्चर बनाये और वाटर लेवल को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। मैं सोचता हूं कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल की जो रिपोर्ट है, वह उसकी हकीकत बयां कर देगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लगभग पांच मीटर राजस्थान का जल स्तर बढ़ाने में हमने सफलता प्राप्त की। आप भी वही काम कर रहे हैं। आप भी वही 3900 गावों को चयनित करके एक लाख 80 हजार स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना अच्छा नाम नहीं था? मुख्य मंत्री के नाम से ही था। कोई हमारे नाम से होता, वसुन्धरा जी के नाम से होता और फिर आप बदलते तो समझ में आता, लेकिन शायद राजीव गांधी जल संचय योजना लिखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर वह सफलता हासिल करेगा।

अध्यक्ष जी, आपने बड़ी कृपा की कि मेरा जब क्वेश्चन था और मैं बाहर चला गया था तो आपने उसके बारे में पूछा। केन्द्र सरकार की इस समय एक बहुत अच्छी नीति है कि हर घर को वह 2024 तक टूंटी से पानी देने की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उसमें राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए। केन्द्र से पैसा लेकर हम अपने राज्य को जितना स्ट्रेन्थन कर सकें, उतना करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा जो उस दिन प्रश्न था, वह यह था कि आपकी एक राज्य स्तरीय कमेटी बनी थी, उसने चार प्रस्ताव बनाये थे। उन चार प्रस्तावों के तहत कुछ तो संशोधित वृहत् पेयजल योजनाएं थीं, उसमें आपको राज्य सरकार की तरफ से 2781 करोड़ रुपये देने थे और केन्द्र सरकार को उसमें 1779 करोड़ रुपये देने थे।

इसी तरह से तीन नयी योजनाएं आपने जो बनायीं, उसके तहत भी आपको 2863 करोड़ रुपये देने थे। बाकी केन्द्र सरकार से 1527 करोड़ रुपये मिलने थे। इसी तरह से इसकी डी.पी.आर. बनाने के दस करोड़ रुपये थे, उसे आपने शेयर किया था। सारा मिलाकर के यह 10 हजार 94 करोड़ की योजना थी। उसमें राज्य का शेयर 6 हजार 300 करोड़ का है और केन्द्र का 3 हजार 700 करोड़ है। यह पैसा लेना चाहिए। मैं सोचता हूं कि ये जितनी भी 139 छोटी-मोटी योजनाएं और बड़े प्रोजेक्ट्स, जो बनाये हैं, इनमें आप आसानी से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान की कुछ समस्याओं को हम हल कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री जी, एक बात पर मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं। यह हमारे समय पर भी था। ये जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया। गलती उनकी भी थी। अधिक ब्याज के चक्कर में उन्होंने पेंशन के पैसे बुढ़ापे में डालकर सोचा कि एक के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दो होंगे और दो के तीन होंगे। लगभग 12 ऐसी को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिन्होंने लोगों को विज्ञापन दे-देकर, आपने भी देखा होगा, विभाग ने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, उसे उसी समय चैक करना चाहिए था, जिसके कारण से ये जितनी भी को-आपरेटिव सोसाइटीज, जिन्हें लाइसेंस तो केवल दो राज्यों का है लेकिन हिन्दुस्तान के 18 राज्यों में अपना काम करके, इतना पैसा ले-लुआकर सारे के सारे मालामाल हो गये।

अब वह गरीब भटकता है। उसे जेल भेजने से भी उस गरीब का कष्ट नहीं मिटेगा। उसका कष्ट तो तब मिटेगा कि जैसे-जैसे उनकी प्रोपर्टी बिकती जाए, जितना शेयर उसका आता है, वह आप उस व्यक्ति को देने का काम शुरू करें। अगर पहले साल 2 हजार करोड़ रुपये उससे वसूल होते हैं तो सब में प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इस प्रकार की कम्पनियों को बहुत मजबूती के साथ क्रश कर देना चाहिए ताकि कभी भी किसी गरीब के साथ इस प्रकार की चीटिंग न हो।

अभी पंचायती राज मंत्री नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं राजस्थान को सौभाग्य मिला कि नेहरू जी ने आकर पंचायती राज का शुभारम्भ नागौर से किया। पहले भी हम एक कष्ट भुगत चुके हैं कि 13 साल तक राजस्थान में इन पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 74वें अमेंडमेंट के बाद हमें कानून ने पाबंद कर दिया कि निश्चित रूप से चार्ज किसी न किसी इलेक्टेड पर्सन को देना पड़ेगा।

मैं सोचता हूं कि पंचायती राज के पुनर्गठन में जिस प्रकार की धांधली हुई, यह बात ठीक है कि अगर कोई माने ही नहीं, मैं तो दे-देकर थक गया कि यह गलत कर रहे हैं, इस पंचायत को आठ किलोमीटर दूर से जोड़ रहे हैं, बीच में दूसरी पंचायत आ गयी है, एक पंचायत 1200 की बन रही है, एक 4000 की बन रही है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। चलें, कोई बात नहीं। जैसी भी बन गयी, वह बन गयी, लेकिन समय पर चुनाव तो कराएं। आपको कोर्ट ने कह रखा है, अप्रैल तक आपको कराने हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो पंचायती राज का चुनाव है, इसे आप किसी भी तरह से समय पर करा लें। पंचायती राज की भी समस्याएं मैंने आपको बतायीं। अब यह ठीक है, आपने अपने घोषणा पत्र में डाला था, इसलिए आपने एजुकेशन को खतम किया, कोई बात नहीं लेकिन मैं सोचता हूं, एक अच्छा कदम था और उसके कारण वास्तव में, मैं आंकड़े बता रहा हूं कि उस समय हमारे जो सारे इलेक्टेड लोग आये थे जिला परिषद पंचायत समिति के और सरपंच के, लगभग 960 बच्चे-बच्चियां ऐसे थे जो पोस्ट ग्रेजुएट थे। लगभग 3099 बच्चे ऐसे थे जो ग्रैजुएट थे। 12वीं पास के 2200 थे और उसके बाद 10वीं के 5565 थे। एजुकेशन के साथ जोड़ने के पीछे तर्क यह था कि हम और आप किसी चैक पर दस्ख्त नहीं करते, पर ये सारे जो इलेक्टेड लोग हैं, इन्हें चैक पर दस्तखत करने पड़ते हैं और अनपढ़ होने के कारण सैक्रेटरी होल एण्ड सोल हो जाता है।

आप और हम सबने अनुभव किया होगा। जिन्हें आपने और मैंने कभी सचिव लगाया होगा, मैं तो अभी हाउसिंग बोर्ड में ही रहता हूं, पर वह ढाई करोड़ के मकान में रहता है। अब उसके यहां लक्ष्मी रात को पड़ती होगी, हमारे यहां पत्थर फेंक जाती होगी। दुर्भाग्य है देश का। जो लोग नौकरी के लिये भटकते रहते हैं और हम मदद करते हैं, पद पर आ जाने के बाद भगवान जाने क्या उन्हें खून लग जाता है कि उसके कारण वे सब कुछ रसातल में पहुंचा देते हैं। संसदीय मंत्री बैठे हैं। ये जो आपको दो-दो मेयर बनाने थे तो यह निर्णय आप चार महीने पहले ही कर लेते न। जब लाटरी पड़ जाती है, जब सारा पड़ जाता है, फिर अचानक कैसे सपना आता है कि अब इसमें दो-दो करना ठीक रहेगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

उसके कारण पहली बार सारे का सारा प्रशासन लगाकर आपने लोकतंत्रीय संस्थाओं को जिस ढंग से घायल किया है, उसे सुधारने का प्रयत्न

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करना है तो इसमें करें। हम लोग भी नहीं कर पाये, मुझे इस बात का दु:ख है कि वास्तव में ये संस्थाएं काम कर ही नहीं सकतीं क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है। आप जो भी पैसा देते हैं, उस पैसे का जो उपयोग होना चाहिए, वह ठीक प्रकार से हो नहीं रहा है। पोस्टें भी इतने आश्चर्यजनक तरीके से खाली हैं, यह जो आपका मूल्यांकन असैसर है, कुल 72 पोस्टें हैं राजस्थान में, उनमें से 68 पोस्टें खाली पड़ी हैं।

सारे राजस्थान की नगरपालिकाओं में 101 राजस्व अधिकारी हैं, उसमें से 55 पोस्टें आज की तारीख में खाली पड़ी हैं। सहायक अभियंता 246 में से 60 हैं। राजस्व अधिकारी के बिना तो रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा? कौन काम करेगा? 240 के अगेंस्ट में 194 खाली हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक 423 की जगह 236 खाली हैं। कृपा करके किसी तरह से इसे स्ट्रेन्थन करें या इन पोस्टों को कम-ज्यादा जो भी आपको ठीक लगता है, वह करिए।

(17.00 बजे)

मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं। यह अडल्ट्रेशन हमारे सभी लोगों को बर्बाद कर रहा है लेकिन मुझे बहुत ही दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी सरकार भी रही और आपकी सरकार भी रही, इनमें से जितने भी अडल्ट्रेशन के केसेज थे, एक आदमी को भी आठ साल में सज़ा नहीं मिली। अनर्थ किसका करता है, दवाइयों का भी करता है। आश्चर्य तो यह है कि दवाइयों में भी मिर्ची, मसाला, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही हो जाता है। आप इतने टीन एक साथ पकड़ते हैं तो इसका मतलब वहां रहते हैं। उन लोगों को पता नहीं कि इस प्रकार का इल्लीगल काम होता है? इस पर कानून तो आपने बना रखा है लेकिन कानून के अनुसार इन पर सख्ती नहीं करते। फिर आपने और सबने बहुत कहा था कि रेता नहीं होने के कारण से हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। हमारे टाइम में भी और आज की तारीख में भी इस रेते की बीमारी ने पुलिस का मोरल भी कितना गिराया, कितना एनकाउंटर हुआ, कितने लोग आपस में मरे हैं, 13 साल का बच्चा भरतपुर में मरा है और पुलिस के आदमी को बछीड़ा मारकर चले गये हैं। इस नीति के बारे में कोई न कोई विचार करके, मैं सोचता हूं कि बिना रेते के तो कोई विकास का काम हो नहीं सकता और विकास का काम कोई भी नहीं रुक रहा है। सब काम हो रहे हैं तो फिर क्यों इस गलत रास्ते के आधार पर यह जो चल रहा है, इस पर कोई न कोई अंकुश डालने का निश्चित रूप से प्रयत्न करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपने बजट में एक घोषणा की थी, अच्छी बात है, जो आपने अच्छा किया उसके लिए ताली बजाओ और आपने कहा था कि भिक्षावृत्ति को मैं इस जयपुर में खतम कर दूंगा। अब आपने और हम सबने देखा न कि अब चेता है और कितने पैसे की आवश्यकता थी उसको बसाने की, दस लाख रुपये की। डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता है, बजट को देखता है, बजट की घोषणा का कोई अर्थ समझता है या नहीं समझता है? कौन करता है? यह भिक्षावृत्ति आज भी जयपुर में चल रही है। उस समय जो बजट भाषण था, उसके बिन्दु संख्या 113 में लिखा था।

यह जो आपका पशुपालन विभाग है, इसमें आपने पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। आपने 226 के आर्डर भी निकाल दिये लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। एक बार चैक कर लेना। 226 में से 226 की लिस्ट बना दी कि कहां कौनसा खुल गया लेकिन एक पैसा नहीं देने के कारण वे धरती पर नहीं उतर पाये।

बजट के बिन्दु संख्या 19 में जनजाति विकास में छात्र-छात्राओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा, कोचिंग क्लासों के बारे में सागवाड़ा और उदयपुर में बनाने की घोषणा की थी। अगर खुल गये हों तो मुझे बता देना कि खुल गये। मैं तो उस एरिया में रहता हूं और मुझे तो लगता है कि नहीं खुला। आपने उदयपुर शहर पर बहुत मेहरबानी की और आपने दो बार बोला कि आपके उदयपुर में, आपके उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए 50 करोड़ दिये हैं। मेरे भगवान, वह धरती पर कहां हैं, मैं तो अभी तक देख नहीं पाया। मतलब डिपार्टमेंट कितनी मॉनिटरिंग करता है, क्या काम करता है कि साल भर में 31 मार्च आ जाएगा, यह दिया हुआ पैसा है और इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपने जिस भावना से दिया होगा, बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका परिणाम नहीं आया।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से निवेदन करना चाहता हूं आलोचना-प्रत्यालोचना के आधार पर उलझकर मरना चाहते हैं तो आप और हम सब करें लेकिन जनता का भला नहीं कर सकेंगे। जो सच्चाई है, उस पर आने का प्रयत्न करें और जिस चीज में सुधार किया जा सकता है, उसमें सुधार करे और जो नहीं कर सकते हैं तो हकीकत जनता के सामने लाएं। केवल आवरण डालकर उसको इधर-उधर गुमराह करने का प्रयास मत करें। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चार दिन की अच्छी डिबेट हुई और करीब 70 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया। मैं पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्यों का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने-अपने सुझाव भी दिये और सरकार की जो कमियां थीं या खामियां थीं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं समझता हूं कि संविधान बना था तब से ही यह परम्परा लागू की गयी है कि जब कभी बजट सत्र होगा या साल का प्रथम सत्र होगा, उसमें राज्यपाल महोदय अभिभाषण देंगे और माननीय सदस्य उस पर चर्चा करेंगे। मुझे दु:ख है और समझ के परे है कि माननीय राज्यपाल महोदय यहां पधारे, अभिभाषण प्रारम्भ हुआ और बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के, मैं पूछना चाहूंगा नेता, प्रतिपक्ष को, तमाम साथियों को कि क्या कारण था आप खड़े हो गये, विरोध प्रकट किया। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया और बायकाट कर गये। क्या तुक था? कोई तुक था? बताइये आप, कोई तुक नहीं था, कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं और कोई माहौल भी ऐसा नहीं था कि आप गुस्से में बाहर चले जाते तो भी समझ में आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बे अरसे बाद में एक राज्यपाल महोदय ऐसे आये जिन्होंने यह परम्परा पुन: कायम की कि राज्यपाल अगर अभिभाषण करने के लिए आयें तो वे खाली एक लाइन पढ़कर वापस न जाएं, पूरा भाषण पढ़ें। उन्होंने पूरा अभिभाषण पढ़ा, हम सबको अच्छा लगा, पर आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, यह पता नहीं। क्या गलती थी? आपने कमियां बतायीं, मुझे अच्छा लग रहा था और यही लोकतंत्र के अन्दर होना चाहिए। आपने सुझाव दिये, मुझे अच्छा लगा। यह परम्परा तो समझ में आती है। अगर साल भर में हमारी कमियां रहीं उसके लिए तो चार दिन बोलने के लिए मौका मिला, पर उस दिन क्या था कि बिना कोई कारण के चले गये। बाद में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा या भाषण देख लिया होगा, पर उसकी बजाय उस दिन आप सब लोग भाषण सुनते तो ज्यादा अच्छे ढंग से आप अपनी बात कह सकते थे। पर पता नहीं, क्या सोचकर आप आये, क्या आपकी प्लानिंग थी, यह समझ के परे है।

मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से माहौल आप अभी बता रहे थे कि कहां आप लोकतंत्र में गिरावट ला रहे हैं तो गिरावट हम नहीं ला रहे हैं, गिरावट ला रहे हैं आप और आपकी पार्टी के नेता। देखा न आपने दिल्ली के अन्दर? सत्ता पक्ष के लोग गृह युद्ध भड़का रहे हैं। कहां जा रहा है लोकतंत्र?

(श्री अशोक गहलोत)

किसको आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र को नीचे ला रहे हैं। जिस पार्टी ने मुल्क को आजाद करवाया, जिसकी सरकार आज यहां पर है, जिसने संविधान के निर्माण में भागीदारी निभायी, वे कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं यह हमारी कल्पना के बाहर है। आपके लोग मुख्य मंत्री को आतंकवादी कहते हैं, आपके लोग 'इन गद्दारों को, गोली मारो गद्दारों को', यह भाषण देते हैं केन्द्रीय मंत्री, आपके मुख्य मंत्री 'ऐसे नहीं मानेंगे तो गोली से मानेंगे।' आप जैसे व्यक्ति जो नेता, प्रतिपक्ष हैं, पुरानी पीढ़ी के आप भी हो गये, आप बताइये कि कोई मुख्य मंत्री अपनी जबान से अवाम के लिए निकाल सकता है कि ऐसे नहीं मानेंगे तो गोली से मानेंगे? कहां जा रहा है मुल्क? और भी कई मंत्रियों ने क्या-क्या बातें कहीं। यहां भी कहा गया कि मुख्य मंत्री अराजकता फैला रहे हैं। हम अराजकता फैला रहे हैं? यहां हमारे शांति मार्च निकला, लोग साथ चले और पूरे मुल्क में मैसेज गया कि शांति मार्च निकाला, सरकार के मुख्य मंत्री ने खुद ने उसको लीड किया। आपको मालूम है एक जगह नारा नहीं लगा उसके अन्दर, तख्तियां लेकर चल रहे थे। आपको मालूम है कि डिवाइडर पर कई गमले लगे हुए हैं और एक फूल नहीं टूटा, आपको मालूम है कि झण्डे लेकर चल रहे थे, एक झण्डा नीचे नहीं गिरा? एक मैसेज गया देश के अन्दर कि ऐसा भी शांति मार्च होता है। यू.पी. के अन्दर, 15 लोग मारे गये। 'बदला लूंगा मैं', यह मुख्य मंत्री बोल रहा है। बदला लूंगा मैं जनता से, क्या बोल सकता है मुख्य मंत्री? किसी ने विरोध किया, प्रधान मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कि आपको यह नहीं बोलना चाहिए था। यह राजधर्म का निर्वहन नहीं कर रहे, जैसे वाजपेयी जी ने मोदी को कहा था कि राजधर्म का निर्वहन नहीं किया आपने, मानवता पर कलंक लग गया है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा दुनिया के मुल्कों के अन्दर। क्या मुंह लेकर जाऊंगा, यह बताइये। अभी तो शुरूआत हुई है। इस मुल्क में ऐसे हालात बन गये हों उसमें आप सबसे पक्ष-विपक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की परम्परा बहुत शानदार रही है जिसका बार-बार हम जिक्र करते हैं तो हम भी चाहेंगे कि कान्शस क्या-क्या कहती है, उस पर भी आप लोग आएं। आएंगे, आपकी खुद की पार्टी के लोग आएंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो कहेंगे कि क्या हो रहा है, देश के अन्दर दो लोग राज कर रहे हैं इसलिए टाइम बताएगा कि कौन सत्य का राज चला रहा है और किसका राज असत्य पर है। खुद की नाकामियों को छिपाने के लिए, जब देश बर्बाद हो रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है,

(श्री अशोक गहलोत)

उसका नुकसान हमारे राजस्थान को भी हो रहा है। 17 हजार करोड़ हमारे जी.एस.टी. और जो हिस्सा मिलता है केन्द्र का, संविधान के अन्तर्गत, वह राजस्थान की कटौती हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे जो कामन मामले हैं उनके अन्दर आप भी जाकर हमारी पैरवी करें। किस प्रकार से पैसे कट रहे हैं, 25 एमपी जिताकर भेजे, हमारे राजस्थान से बी.जे.पी. के जनता ने। वे 25 एम.पी. वहां क्या कर रहे हैं? कोई पैरवी कर रहा है? हमारी स्कीमें थीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सरमथुरा, गंगापुर सिटी, अजमेर, टोंक, माधोपुर की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयास से आयी थीं, मेमू कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा के अंदर। आपकी सरकार आ गयी, हमारी सरकार बदल गयी, क्या कसूर किया जनता ने आपका, आप पांच साल तक सत्ता में रहे, चारों प्रोजेक्ट, रिफाइनरी 5 माह, 26 परसेंट भागीदारी क्यों? अभी आप बोल रहे थे, 26 परसेंट भागीदारी क्यों? मैं पूछना चाहूंगा आपको कि पांच साल बाद में आपने वापस प्रधान मंत्री को बुलाया और वापस आपने कहा जमीन हमारी, तेल हमारा, बिजली हमारी, पानी हमारा और 26 परसेंट पर भागीदारी क्यों, आपकी मुख्य मंत्री बोलती थीं। मैं पूछना चाहूंगा पांच साल के बाद में आप लोगों ने रिफाइनरी को क्यों बर्बाद करके 26 परसेंट में भागीदारी क्यों रखी आपने, यह मैं पूछना चाहता हूं। है कोई जवाब आपके पास? आपने अच्छे सुझाव दिये, अच्छी बात है। आज आपका मूड जो था, वह सुझाव देने का भी था।

मैं कहना चाहूंगा आपको, आपने गृह मंत्री के रूप में जो अपनी भूमिका बताई है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। जिस रूप में, आप तो गृह मंत्री थे उस वक्त में हमें तो डाउट है। राजस्थान की जनता को डाउट था, जाते थे आप पी.एच.क्यू. के अन्दर बार-बार, मॉनिटरिंग करते थे, मॉनिटरिंग क्या करते थे, जो अधिकारी काम करते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे आप, यह गृह मंत्री का काम नहीं होता है। यह गृह मंत्री का काम नहीं होता, रोज-रोज जाओ। नहीं-नहीं आप तो बात ऐसी करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा, यह गृह मंत्री का काम नहीं कि रोज वहां जाकर बैठ रहे हैं। जो गृह मंत्री एक एडिशनल एस.पी. का ट्रांसफर नहीं कर सकता, वह क्या वहां जाकर बैठेगा। गृह मंत्री थानेदार का ट्रांसफर नहीं कर सकता, वह जाकर वहां क्या बैठेगा। आप खुद दु:खी थे, उस वक्त में, मुझे मालूम है। जो लोग आपसे मिलने आते, वे रोते बेचारे, गृह मंत्री खुद ही कह रहा है, मैं क्या करूं, मेरी चलती नहीं है। यह

(श्री अशोक गहलोत)

स्थिति है। मेरे को नहीं पूरे राजस्थान को पता था, ऐसी स्थिति में चले आप लोग।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय कटारिया जी, माननीय प्लीज, आप नीचे बैठें। (व्यवधान) आप नीचे बैठें, नीचे बैठें, यह करने से कुछ नहीं होगा। माननीय सदस्य, I'll name you, I'll name you. मैं आपको नेम करूंगा, ध्यान रखना, Mr. Rathore, I'll name you. I'll name you. I'll name you. I'll name you. Don't misbehave. I'll name you. Please don't cross the limit. I'll name you. यह कोई तरीका नहीं है, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य नीचे बैठें, ये आपका काम नहीं है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, प्लीज, आपकी बात को उन्होंने धैर्य से सुना...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप सीनियर लीडर हैं, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आप बैठें। माननीय सदस्य, बैठें आप, आप बैठें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय सदस्य, आप, प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी इतनी आलोचना की, हमने बुरा नहीं माना, आपने कहा, ग्राफ बढ़ रहा है, कौन थानेदार रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, आपने कहा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पक्ष के सदस्य नहीं जानते इस बात को कि थाने का माहौल क्या होता है। कितने लोग बिना एफ.आई.आर. के वापस जाते हैं। मन ही मन धमीड़ा लेते हैं, चलती ही नहीं है, क्या करें। थानेदार ने हमारी सुनवाई नहीं की, बदतमीजी से पेश आता है, कई लोग जाते ही नहीं हैं, थाने के अन्दर, जाकर वह रेकारे से बात करेगा, बदतमीजी से बात करेगा, क्या जाएं वहां पर। आपने कहा, हमने इतना बड़ा निर्णय किया है कंट्री के अन्दर, पहला प्रदेश राजस्थान है जिसने कहा है कि अगर एफ.आई.आर. लॉज वहां नहीं होगी तो एस.पी. के वहां लॉज होगी। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, आपने कहा बताना फिगर, सुनिए आप, 187 एफ.आई.आर. लॉज हुई हैं एस.सी. के यहां पर नम्बर वन, नम्बर दो, इस आदेश मात्र से, आपको बायकाट करना है क्या?

श्री अध्यक्ष: बायकाट ही करेंगे ये।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): चूरू से आने वाले सदस्य क्या आप उनको ब्रीफ कर रहे हैं, कृपा करके हम लोगों को सुनने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मदनजी, माननीय सदस्य, आप खुद क्या कर रहे हैं, क्या परम्परा डालना चाहते हैं आप, आपकी बात नहीं सुनी उन्होंने, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो सत्ता पक्ष ने सुना, कोई बोला बीच में, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमारी योजनाओं की, हमारी स्कीमों की आपने जमकर आलोचना की, हमने उसको सुना। मैं कहना चाहूंगा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। थानेदार खुद समझ गया, अगर मैंने कोई वापस भेज दिया किसी को, मेरी शिकायत एस.पी. के आफिस में हो जाएगी। अधिकांश जगह इसलिए थाने के अन्दर वापस ज्यादा एफ.आई.आर. लॉज होने लग गयीं। हमने पहले ही कहा था, संख्या बढ़ेगी, उसकी हमें चिंता नहीं रहेगी। हम उनको बर्दाश्त भी करेंगे और पब्लिक में जवाब भी देंगे। कम से कम थाने के अन्दर से एक भी आदमी वापस नहीं लौटना चाहिए। हमने वहां पर स्वागत कक्ष बनाने शुरू किये, बनने लग गये हैं। कम से कम आकर आदमी को लगे, मैं थाने में जाकर ढंग से बैठकर बात कर सकता हूं। हमने, जो हीनियस क्राइम होते हैं, उनके लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया है। तमाम जिलों में हमने डीवाई.एस.पी. रैंक के अधिकारी को लगाया। हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके केस को अलग से डील करने के लिए, जो रिफार्म किये हैं, उसको आपको एप्रिशिएट करना चाहिए था। आप तो होम मिनिस्टर रहे हुए थे, आप एप्रिशिएट करते, हमें अच्छा लगता। उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं कि यह तो कुछ मामला नहीं, थाने में रिपोर्ट को कौन मना करता है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालात बड़े गंम्भीर हैं, जिस रूप में मैंने आपको बताया कि हमारी जो कटौती हो रही है, वह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। किस प्रकार से एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं और जी.एस.टी. से हमें हिस्सा नहीं मिल रहा है, सी.जी.एस.टी. हमारा बकाया था, वह नहीं मिल पा रहा है और टैक्स का हिस्सा जो था 10 हजार करोड़, कुल मिलाकर के 17 हजार 99 करोड़ का। मतलब ये, बेरोजगारी की बात आप लोगों ने की, मैं पूछना चाहूंगा 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि कोई है तो आज की तारीख के अन्दर है। जो पहले 2011-12 के अन्दर 2.2 थी,

(श्री अशोक गहलोत)

आज 6.1 हो गयी है। मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार हालात बने देश के अन्दर, अर्थव्यवस्था के एक के बाद एक बने, मि. पनगडिया आए, छोड़कर चले गये। सुब्रह्मण्यम थे, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, वापस चले गये, रघु राम राजन आर.बी.आई. गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण था? सबने कहा कि जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था आई.सी.यू. में जा रही है। उन हालातों में राज्यों के हिस्सों में कटौती हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी लगने के बजाय नौकरी जा रही है लोगों की, इसका जवाब कौन देगा। क्या इसका इम्पैक्ट राजस्थान पर नहीं पड़ेगा? क्या इसका इम्पैक्ट और राज्यों में नहीं पड़ेगा? ये हालात जब देश के हो गये हैं तो हमें, राजस्थान को चिंतित होना स्वाभाविक है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, किस प्रकार नौकरियां लोगों को मिलें।

आपने कहा, आपने कितनी नौकरियां लगा दीं। मैं कहना चाहूंगा, नौकरियों के फिगर तो अभी आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार से आज एक लाख 17 हजार 900 नौकरियां, उसमें 34283 नौकरियां लग गयी हैं, 34527 नौकरियों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं, रिजल्ट आ चुके हैं और 45 हजार पदों के विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं। अभी आपने कहा माननीय, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, कि हमारे एवज की नौकरियां आप लगा रहे हैं, आप भूल जाते हैं, पिछली बार हम सत्ता में थे। एक लाख 36 हजार नौकरियां हमने लगा दी थीं, एक लाख 50 हजार नौकरियां पाइपलाइन में थीं, कोई हाई कोर्ट में स्टे हो गया या और कहीं हो गया, तो क्या आप लोग आये थे तो वे नौकरियां आपने आकर नहीं लगायी थीं। ये आपका कौनसा आर्ग्यूमेंट हुआ कि आपके वक्त की नौकरियां निकाली गयी थीं। बिलकुल ठीक कहा आपने, आपके वक्त जो विज्ञापन निकाले गये थे, रुक गये थे, हम आ गये, सरकार के अन्दर, हमने उसको आगे बढ़ाया और उस पर नौकरियां लगा रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत हो रही है? आपने भी यही काम किया था। तो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। हमने वादा किया हमने उसको निभाया है और एक लाख 17 हजार 900 नौकरियां दे रहे हैं हम लोग, यह मैं आपको कह सकता हूं।

आपने जिस प्रकार से धज्जियां उड़ायी हैं, प्रोग्रामों की, हर चीज को आप लोगों ने मिसइंटरप्रेट किया। यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने अधिकार देने की शुरुआत की थी, आर.टी.आई. लेकर आये, जिसको आपने कमजोर कर दिया। हम जन सूचना पोर्टल लेकर आये हैं, पूरे देश के अन्दर राजस्थान एकमात्र

(श्री अशोक गहलोत)

राज्य है जिसमें आर.टी.आई. की जो सूचनाएं हैं बगैर मांगे हुए हम उनको ऑनलाइन कर रहे हैं। 14 जिलों में कर दीं हम लोगों ने, उसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है और इसको हम चाहेंगे कि पूरी तरह सूचनाएं सभी विभागों की किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। सैक्शन-4 के अन्तर्गत हम लोगों ने यह काम शुरू किया है और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, महानरेगा है, अब मुझे कहते हुए अफसोस है कि महानरेगा, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस के स्मारक के रूप में साबित होगा। वे लोग बजट कम कर रहे हैं। राज्यों को बजट कम मिल रहा है। आपके वक्त में मुश्किल से 15 लाख लोग लगे हुए थे 2018 के अन्दर। हमारी गवर्नमेंट आते ही हमने अभियान चलाया, काम मांगो अभियान चलाया और 30 लाख लेबर को लगाया हम लोगों ने आते ही एक साल के अन्दर। साथ में आपको यह जानकर दु:ख होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आज अक्टूबर से गरीब मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। 1,950 करोड़ रुपये केन्द्र ने अटका रखे थे। अब जाकर 700-800 करोड़ रुपये, हमने जब पत्र लिखा प्रधान मंत्री जी को, तब रिलीज हुए हैं। तो जो योजना वरदान साबित हुई है देश के लिए, इसके पहले अकाल, सूखे पड़ते थे, आप जानते हैं क्या स्थिति बनती थी। टाइम पर मजदूरी नहीं खुलती थी, चारा नहीं मिलता था पशुओं को, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। आज नरेगा एक क्रांतिकारी फैसला हुआ। उसमें इतनी राजनीति हो रही है वह आपके सामने है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस रूप में आपने कहा, पर जो काम हम लोगों ने शुरू किये हैं वे आपके सामने हैं। उसमें अगर बकाया का पेमेंट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं।

रिफाइनरी के लिए आपने बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि रिफाइनरी की मॉनिटरिंग हम लोग खुद कर रहे हैं। रिफाइनरी का हमने नहीं लिखा होगा अभिभाषण के अन्दर, इसके मायने यह नहीं कि हमारी प्रायोरिटी उसमें कम हुई हो। आज रिफाइनरी के अन्दर भागीदारी 26 परसेंट रही है वह तो मैंने आपको बता दिया, पर 20,372 करोड़ के वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए, 2,679 करोड़ रुपये के खर्चे हो चुके हैं। यह 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें लगभग 20,372 करोड़ के आर्डर जारी हो चुके हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जिस प्रकार रिफाइनरी को हम लोग लेकर चले थे, उसी प्रकार हम चाहेंगे, ईस्टर्न कैनाल की योजना, जो आपके

(श्री अशोक गहलोत)

वक्त बनी थी, मैं चाहूंगा कि हम पक्ष और विपक्ष के सदस्य मिलकर 13 जिले आते हैं उसके अन्दर, इस योजना को भी हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर टोप प्रायोरिटी में लाएं। उसको हम आगे बढ़ाएं, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे माननीय सदस्य जोराराम कुमावत जी और हमीर सिंह जी भायल ने कहा कि यहां पर नये लोगों को ऋण नहीं मिल रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि इस बार 2019 के अन्दर पहली बार आठ लाख नये किसानों को जोड़ा गया है और उनको 1,800 करोड़ के लोन भी दे दिये गये हैं। तो आप सोच सकते हैं, और फिंगर प्रिंट वैरीफिकेशन के आधार पर, आधार नम्बर के आधार पर तमाम ऋण वितरित हो रहे हैं इसलिए पहले की जो स्थिति थी वह स्थिति आज नहीं है। जो आपके वक्त में आपने ऋण बांटे थे और जो आपने कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ आपने किया, 50,000 तक का किया और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर के अन्दर खूब शिकायतें आयीं। अभी आप कह रहे थे कि जो मर जाते हैं या विदेश चले जाते हैं उनके नाम से नकली लोग उठा लेते हैं पैसा, वह उस वक्त उठाया गया था। अब आधार कार्ड और फिंगर प्रिंट वैरीफिकेशन के बाद में यह प्राब्लम समाप्त हो गयी है, यह मैं कहना चाहता हूं। साथ में हम लोगों ने जिस रूप में 1800 करोड़ रुपये दिये नये लोगों को, 7 लाख लोगों को, 8 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। खरीफ के अन्दर 18 लाख 20 हजार किसानों को 4583.86 करोड़ रुपये और रबी के लिए 10 फरवरी तक 13 लाख 29 हजार किसानों को 3,913 करोड़ रुपये के फसली ऋण मंजूर हुए हैं। कुल मिलाकर 8,497 करोड़ के हुए, जो आपने पूछे थे, यह फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस रूप में कोई ऋण रुका नहीं है। ऋण माफी भी हुई है और ऋण देना प्रारम्भ हुआ है।

अब सवाल आता है, आपने कहा कि आपने ऋण माफ करने की घोषणा की, बिलकुल घोषणा की, और राहुल गांधी जी का, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आपने जिक्र किया। वे उस वक्त हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस दौरान पब्लिकली कहा था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इमीडिएटली ऋण माफी की घोषणा करेंगे। हमने घोषणा की और उसमें हम लोग कामयाब हुए। आपकी सरकार ने 50,000 की घोषणा की थी पहले। ठीक है, उसके बाद में जब आप पर दवाब पड़ा तो आपने कहा कि बड़े किसानों के लिए समानुपातिक रूप से हम लोग माफी करेंगे। उसमें कुल

(श्री अशोक गहलोत)

8,000 करोड़ का खर्चा था। आपने क्या किया सिर्फ 2,000 करोड़ रुपये, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000 करोड़ रुपये खाली प्रोविजन किया। पता नहीं, आपको इंतजार था कि सरकार नयी आएगी, हो सकता है वह भुगतेगी इसलिए आपने जो चाहा कभी बिजली के बिल पर सब्सिडी घोषित कर दी, अचानक ही बिना कुछ सोचे समझे और आपने साथ में 6,000 करोड़ रुपये का भार हमारे ऊपर डाल दिया। हमारी गवर्नमेंट आयी, हमने आपके 6000 करोड़ रुपये का भी और 8000 करोड़ रुपये दूसरे लगाकर 20 लाख किसानों के कर्ज माफ किये राजस्थान में। मैं अभी कहना चाहूंगा आपको कि 20 लाख लोगों का तो कर्जा माफ हुआ ही है परन्तु कोई लिमिट नहीं रही हमारे, जो आपको गलतफहमी है यह कि दो लाख तक की हमने बात की। हमने कहा कि सी.सी. बैंक और भूमि विकास बैंक, फसली ऋण शार्ट और लान्ग टर्म के भूमि विकास बैंक के, डेढ़ लाख बीघा जमीन उनकी रहन की थी, वह मुक्त हुई। साथ में कहना चाहूंगा कि उसमें कोई लिमिट नहीं थी, 5-5 लाख भी माफ हुए हैं, 7 लाख भी माफ हुए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको, हमारी सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी से सहकारी बैंकों में बगैर किसी ऊपरी सीमा के अल्पकालीन फसली ऋण माफ किये गये। कई किसानों के तो 7 लाख 98 हजार तक माफ किये गये, 5 लाख रुपये से ज्यादा के माफ किये गये। करीब 9 हजार से अधिक किसानों के 2 लाख रुपये से अधिक का फसली ऋण माफ किया गया, उदाहरण के रूप में टोंक जिले के देवली, तहसील उनियारा के निवासी किसान लड्डू लाल को 7 लाख 98 हजार; देवकरण गुर्जर निवासी, अमीनपुरा, टोंक 5 लाख 61 हजार; राजू लाल नागर, निवासी फिरोजपुरा, टोंक 5 लाख 2 हजार का फसली ऋण माफ किया गया।

मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको गलतफहमी है वह मैं निकालना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। यह बात जरूर है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक का हमने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं, हमें विश्वास था कि भारत सरकार हमारी इमदाद में आएगी क्योंकि डाक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में एक लाख बहत्तर हजार करोड़ के कर्जे माफ हुए थे। हमने मोदी जी को बार-बार आह्वान किया, आग्रह किया कि अगर आप बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये माफ कर सकते हैं, वन टाइम सैटेलमेंट के माध्यम से तो क्यों नहीं आप किसानों का भी वन टाइम सैटेलमेंट के माध्यम से माफ कर सकते हैं। हमने पत्र भी लिखे हैं, जवाब आ नहीं रहा उनका अभी

(श्री अशोक गहलोत)

तक भी। ये बैंक हमारे अधिकार में नहीं है, सी.सी. बैंक, भूमि विकास बैंक राजस्थान के बैंक हैं। प्रशासनिक तौर पर हमारे अंडर में आते हैं। वे बैंक्स केन्द्र के अंडर में आते हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं अगर वन टाइम सैटेलमेंट करेंगे तो सरकार पूरा सहयोग करेगी। मैं चाहूंगा कि किसानों का भला हो, वह हम नहीं कर पाये यह मैं स्वीकार करता हूं। यह हमारे हाथ में नहीं है यह मैं कहना चाहता हूं। उसमें आप क्या मदद कर सकते हो वह आप बताइए, कर सकते हैं तो। पता नहीं आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुझे नहीं मालूम, पर मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ में बैंकों ने आगे बढ़कर सहयोग किया है। हम उस लाइन पर चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उनका ऋण माफ हम लोग कैसे करवा सकें। कुल 20 लाख किसानों का 13,529.49 करोड़ रुपये हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नये ऋण के बारे में बात की गयी, मैंने बता दिया आपको, नया ऋण लोगों को मिला है और इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। किसानों के लिए पहले बड़ी दिक्कत थी, एम.एस.पी. पर खरीद के लिए, आपको मालूम है पिछली बार कितना बकाया रह गया था। किसानों ने धरने दिये, प्रदर्शन किये। इस बार यह नौबत नहीं आयी है। इस बार हमने ऑनलाइन भी किया है और 3 दिन में किसानों का पेमेंट पूरा किया। जो भी खरीद हुई है, मूंग की हुई हो, मोठ की हुई हो, सोयाबीन की हुई हो, उड़द की हुई हो, 3 लाख 8 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गयी और एक हजार 807 करोड़ के पेटे एक हजार 777 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान भी कर दिये गये।

इस प्रकार से हम लोगों ने जो फैसला किया उसका लाभ हमें मिला है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रसारण नीति बनाई गयी है। आपको मालूम है कि हमने कहा 10 हैक्टेयर तक जमीन होगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो उसके लिये कोई कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोगों ने उससे और आगे बढ़कर यह कहा है कि 50 परसेंट लागत का, एक करोड़ की सीमा तक सब्सिडी दी जाएगी और जैविक कृषि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए परिवहन लागत की 40 परसेंट सब्सिडी दी जाएगी, यह हमने नया फैसला किया है। अभी तक एक लाख 38 हजार किसानों के कनेक्शन हमने जारी कर दिये हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस बार यूरिया की और खरीफ एम.एस.पी. की, तमाम की व्यवस्था टाइम पर की गयी। इस कारण से फसल की 10 लाख हैक्टेयर भूमि बढ़ गयी।

(श्री अशोक गहलोत)

उसके बावजूद यूरिया की कोई कमी नहीं आयी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात उठाई गयी। बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात की गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बारे में, जब पूर्व सरकार आपकी थी, तब भी आपको मालूम है, हम लोगों ने इस बार बाकायदा 20 लाख बी.पी.एल. परिवारों का, 42 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं का और 14 लाख कृषि उपभोक्ताओं का बढ़ी हुई दरों का समस्त भार सरकार ने वहन करना प्रारम्भ किया। आपने कहा कि कम्पनियां दिवालिया हो रही हैं। आपने कहा कि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो रही है। यह प्रॉब्लम, जो कम्पनियों को घाटे लग रहे हैं, वह खाली राजस्थान की बात नहीं है, अधिकांश राज्यों की स्थिति यही है। उसके बाद भी पिछली बार आप जो उदय योजना लेकर आये थे, उसको हमने आगे बढ़ाया। उसमें कमी थी, कुछ भी था, तब भी हम आपके कमिटमेंट को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं कि 56 परसेंट लोगों को इससे राहत मिली है। बाकी आप जानते हैं कि जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें हमने जो किसानों से वादा किया था कि पांच साल तक आपकी दरें नहीं बढ़ाएंगे, उस पर हम कायम हैं। 12 हजार करोड़ के लगभग भार पड़ेगा, वह हम सहन करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा टिड्डी महकमे के बारे में बात की गयी है। टिड्डी वैसे भारत सरकार का विषय होता है। लोकस्ट डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंडर में आता है और चूंकि जोधपुर में उसका हैड आफिस है, मुझे मालूम है, बचपन से हम देखते आये हैं। टिड्डी का प्रकोप इस बार बहुत भयंकर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिड्डी का प्रकोप लम्बा चला, मई में शुरू हुआ, लम्बा चला, अभी तक भी अफ्रीकन और अरब कंट्रीज में आज भी यह प्रकोप है, 20 देशों में इसका बहुत भयंकर प्रकोप रहा है। हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने तय किया 24 फरवरी को चीफ सैक्रेटरीज की, कृषि सचिवों की मीटिंग बुला रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में टिड्डियों के आने की और सम्भावना है। इसलिए हम पहले से ही भारत सरकार को आगाह कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि विभाग था भारत सरकार का, टिड्डी के हमले हुए, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर, पाली और जोधपुर तक भी टिडिड्यां आयी थीं। हमारे कृषि मंत्री जी वहां तत्काल टाइम पर गये। उन्होंने दौरे किये, किसानों की हौसला अफजाई

(श्री अशोक गहलोत)

की, किसानों ने बहुत साथ दिया। जैसलमेर के किसानों ने विशेष रूप से साथ दिया, सब किसानों ने साथ दिया। अपने साधनों से उन्होंने कोशिश की। राजस्थान सरकार ने उनको उपकरण, ट्रैक्टर, सब प्रोवाइड कराये। सबके लिये पेस्टीसाइड फ्री की गयी। उसका अच्छा इम्पैक्ट था। मैं खुद जाकर आया वहां पर। उसमें पेस्टीसाइड का बहुत उपयोग होता है, उसकी पूरी व्यवस्था की गयी। मुझे खुशी इस बात की है केन्द्र में सरकार आपकी है, आपके कृषि राज्य मंत्री सदन में अगर यह कहें कि राजस्थान सरकार का, गुजरात का भारत सरकार के साथ बहुत शानदार सहयोग रहा, क्या दिक्कत है आप लोगों को, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसके आधार पर हम लोगों ने उसका मुकाबला किया और उसके परिणाम आपके सामने हैं, किस रूप में टिड्डी का प्रकोप समाप्त हुआ। अविलम्ब हमने किसानों के खातों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की और 100 करोड़ रुपये हम लोगों ने इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किये। अभी तक भी कलेक्टर के थ्रू रिक्वेस्ट आती हैं, उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट तैयार है। लगातार हम लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और इसके लिये पैसे की कोई कमी भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से टिड्डी के प्रकोप को हम लोगों ने झेला है। किसानों को जो नुकसान हुआ, उसके लिये हमने 500 करोड़ रुपये बीमा कम्पनियों को जमा करवा दिये हैं जिससे कि जल्दी से उनके क्लेम सैटल हों। जो पैसा हमने दिया है, उसके अलावा इंश्योरेंस का पैसा उनको मिल सके, यह हमारी सोच है इसीलिए 500 करोड़ बीमा कम्पनियों को हमने जमा करवाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस रूप में हमारे माननीय सदस्यों ने नि:रोगी राजस्थान के बारे में कहा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को एप्रीशिएट भी किया है और प्रोग्राम की तरफ ध्यान भी आकर्षित किया है। मेरा निवेदन रहेगा कि यह प्रोग्राम ऐसा है जिसको हम सब मिलकर ही कामयाब कर सकते हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस सदन के पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्य एक संकल्प लें कि हमें किसी रूप में इसमें पीछे नहीं रहना है, यह प्रोग्राम तभी कामयाब होगा। सरकार आगे बढ़कर विस्तृत रूप से प्रोग्राम बना रही है। मैं खुद कोशिश करूंगा कि पूरा प्रोग्राम आपको भेजूं, आपको लगे कि इस प्रोग्राम को किस रूप में हमें लागू करना है। एक कहावत भी है कि "पहला सुख निरोगी काया"। पहला सुख निरोगी काया है, इससे तो आप सहमत हैं न? वैसे सात सुख बताये गये हैं। पहला सुख निरोगी काया, बाकी के सुख तो आप गूगल पर देख

(श्री अशोक गहलोत)

भी सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके लिये आपकी क्या सोच है। पहला सुख निरोगी काया है और मैं समझता हूं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को घर-घर में हम प्रचार करें, प्रसार करें। सरकार की योजना को लेकर हम लोग वहां तक पहुंचे, यह मेरी सोच रहेगी। बाकी सुख बताये गये हैं, मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। पहला सुखा निरोगी काया, दूजा सुखा घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। हमारे मकराना से आने वाले सदस्य बैठे हैं या चले गये हैं, बैठे हैं, यह आपके काम की चीज है, कोई कविता गढ़ने के लिये। चौथा सुख, हो पुत्र आज्ञाकारी, पांचवां सुख हो सुन्दर वास, छठा सुख हो अच्छा राज, सातवां सुख हो मित्र घनेरे, हो नहीं जगत में दु:ख बहुतेरे। यह जो हम लोगों ने थीम रखी है, इसके आधार पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा जनसंख्या नियंत्रण, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल, जननी सेन्टर, महिला स्वास्थ्य, एनीमिया, कुपोषण, स्तन व बच्चेदानी का कैंसर, किशोर अवस्था में स्वास्थ्य एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी स्वच्छता। संचारी रोग, मौसमी बीमारियां, गैर संचारी रोग, जीवन शैली आधारित, मोटापा, मधुमेह, बी.पी; मनोरोग, हृदय रोग, पक्षाघात, कैंसर, फेफड़ा सम्बन्धी रोग। सम्पूर्ण टीकाकरण, शराब, तम्बाकू, खाद्य पदार्थों में मिलावट, जिसका आपने जिक्र किया। वास्तव में बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया। और भी सदस्यों ने बात की थी इस बारे में। मिलावट हमारे सबके सामने एक चुनौती है, मिलावट को कैसे हम रोक सकें, इसके लिए कोई कानून लाना पड़े तो हम लोग कानून लाएंगे। किसी भी कीमत पर रुके, यह हमारा प्रयास रहेगा।

प्रदूषण देख ही रहे हैं आप लोग, दिल्ली के क्या हालात हैं। वहां सबका दम घुटता है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार इंडस्ट्रीज को बाहर फैंकता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान में कैसे हम लोग पर्यावरण को बचाएं, यह हम सबकी सोच होगी। यह पूरा प्रोग्राम बनाकर मैं खुद आप सबको भिजवाने की बात करूंगा जिससे कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान को कामयाब कर सकें, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

यही बात कहते हुए मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सुझाव आपके रिकार्ड पर आये हुए हैं, उनका मैं खुद अलग से विश्लेषण कराऊंगा। मैं समझता हूं कि सब बातों का जवाब देने में टाइम लगेगा। जो आपके इम्पोर्टेंट सुझाव आये हैं, उनमें सरकार पूरी तरह से तवज्जोह देगी और चाहेगी कि हम लोग कैसे उनका

(श्री अशोक गहलोत)

समाधान करें और किस प्रकार से हम सब मिलकर राजस्थान में गुड-गवर्नेंस दे सकें। हम सब बार-बार कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे। खाली कहने से नहीं होता है, सब लोग मिलकर करेंगे, तब जाकर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 17.40 बजे शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कामां व पहाड़ी महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

71. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में संचालित कामां एवं पहाड़ी राजकीय महाविद्यालयों में किस-किस संकाय में कितने-कितने व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालयों में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं व उनमें कौन-कौनसे विषय खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय, कामां एवं राजकीय महाविद्यालय, पहाड़ी में संचालित कला संकाय में सहायक आचार्य के स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में भरे एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

जी हां। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) उक्त दोनों महाविद्यालयों में कला संकाय संचालित है। राजकीय महाविद्यालय, कामां में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं उर्दू विषय खोले गये हैं तथा राजकीय महाविद्यालय, पहाड़ी में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय खोले गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़कों व पुलियाओं का निर्माण

72. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सड़कों व पुलियाओं का निर्माण कराया जाता था तथा वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त कार्य बन्द कर दिये गये हैं?

(2) क्या सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा पुनः सड़कों व पुलियाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से सम्पर्क सड़कों (मिसिंग लिंक) व पुलिया निर्माण कार्य करवाया जाता है तथा वर्तमान में सरकार द्वारा उक्त कार्य बंद नहीं किये गये हैं।

(2) बिन्दु संख्या एक के अनुसार।

बड़े गांवों को उप खण्ड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को मेगा हाइवे में परिवर्तित करने की योजना

73. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बड़े गांवों को उप खण्ड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को मेगा हाइवे सड़क में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि आकोला से भोपालसागर (उप खण्ड मुख्यालय) सड़क 15 KM व जाश्मा से कपासन (उप खण्ड मुख्यालय) सड़क 10 KM व धमाना से कपासन (उप खण्ड मुख्यालय) सड़क 10 KM सड़कें 3.75 मीटर की बनी हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को 7 मीटर तक की चौड़ाई में मेगा हाइवे बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बड़े गांवों को उप खण्ड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को उच्च

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्तर की सड़कों में, यातायात भार के अनुसार आई.आर.सी. मानकों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। ऐसी सड़कों को यातायात भार बढ़ने पर आई.आर.सी. मानकों के आधार पर चौड़ाईकरण किया जाना सम्भव होगा।

(2) कपासन विधान सभा क्षेत्र की क्रमश: आकोला से भोपालसागर, जाशमा से कपासन एवं कपासन से धमाणा सड़कों का विवरण निम्नानुसार है-

1. आकोला से भोपालसागर सड़क- यह सड़क अन्य जिला सड़क (ओडीआर-06) है। यह सड़क कीर की चौकी-आकोला-फतेहनगर (एसएच-98) एवं डबोक, मावली, कपासन-चित्तौड़गढ़ (एसएच-09) को जोडने वाली अन्य जिला सड़क है। आकोला से भोपालसागर तक सड़क की कुल लम्बाई 9.00 किमी. है एवं वर्तमान में 3.75 मीटर चौड़ाई में निर्मित डामरीकृत सड़क है। इस सड़क को यातायात दबाव अनुसार पीएमजीएसवाई-तृतीय योजनान्तर्गत 3.75 मीटर से 5.50 मीटर चौडाईकरण कर डामरीकृत सड़क बनाना प्रस्तावित है।
2. जाशमा से कपासन सड़क- यह सड़क ग्रामीण श्रेणी की है। इस सड़क की कुल लम्बाई 10.00 किमी. है, जिसकी वर्तमान डामरीकृत चौड़ाई 3.00 मीटर है। इस सड़क पर वर्तमान यातायात भार के आधार पर चौड़ाईकरण किया जाना आई.आर.सी. मानकों के अनुसार वर्तमान में किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। यातायात भार बढ़ने पर सड़क का चौड़ाईकरण किया जाना सम्भव होगा।
3. कपासन से धमाणा सड़क- यह सडक केलवाड़ा-औनादर चौराहा (एनएच -162) से भादसोडा चौराहा (एनएच-76) मुख्य जिला सड़क (एमडीआर -202) है, जिसकी कुल लम्बाई 122.800 किमी. में से 33.800 किमी. जिला चित्तौड़गढ़, विधान सभा क्षेत्र कपासन के अन्तर्गत आती है। इस सड़क के धमाणा से कपासन भाग की कुल लम्बाई 10.00 किमी. है। इस सड़क की वर्तमान में डामरीकृत चौड़ाई 3.75 मीटर है। इस सड़क पर वर्तमान यातायात भार के आधार पर चौड़ाईकरण किया जाना आई.आर.सी. मानकों के अनुसार वर्तमान में किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। यातायात भार बढ़ने पर सड़क का चौड़ाईकरण किया जाना सम्भव होगा।

खेती के लिए थ्री-फेस बिजली दिन में देने की योजना

74. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेती के लिए थ्री-फेस बिजली 6 घंटे दी जाती है? अलवर व कठूमर तहसील में खेती के लिए कब बिजली दी जाती है?

(2) क्या खेती के लिये दिन में बिजली दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार खेती के लिए दिन में थ्री-फेस बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य हेतु साप्ताहिक रोटेशन में दिन के ब्लाक में 6 घंटे एवं रात्रि के ब्लाक में 7 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अलवर एवं कठूमर तहसील में भी उपरोक्तानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) आगामी चार वर्षों में वितरण तंत्र को सुदृढ़ कर चरणबद्ध तरीके से सोलर उत्पादन के उपयुक्त संयंत्र लगाकर किसानों को कृषि कार्य हेतु रात्रि की पारी के स्थान पर दिन की पारी में बिजली आपूर्ति करने की योजना तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृति हेतु भेज दी गयी है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

ब्यावर में नगर विकास न्यास की स्थापना

75. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यू.आई.टी. बनाने का प्रावधान किया गया था? ब्यावर शहर की वर्तमान आबादी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में कौन-कौनसे शहर में यू.आई.टी. की स्थापना की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्यावर शहर के समुचित विकास हेतु ब्यावर में यू.आई.टी. की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्यावर की आबादी जनगणना-2011 के अनुसार 1,51,152 है।

(2) शून्य है।

(3) जी नहीं।

चौमूं में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के आवेदन

76. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़े गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत व कितने-कितने नगरपालिका वार्डों में नाम जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया है?

(3) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक उक्त आवेदकों द्वारा क्या-क्या दस्तावेज संलग्न किये गये जिनके आधार पर नाम जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उप खण्ड अधिकारी द्वारा कई प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने से अस्वीकार किये गये? यदि हां, तो अस्वीकार करने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक चौमूं विधान सभा क्षेत्र में जोड़े गये नामों की ग्राम पंचायतवाइज एवं वार्डवाइज सूचना विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in/docs/vsq-90.pdf पर उपलब्ध है।

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाये जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया दिनांक 05.11.2015 से लागू है उक्त आदेश, परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है साथ ही विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2017 द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला रसद अधिकारी को भी अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी हां। सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in/docs/vsq-90.pdf पर उपलब्ध है

(4) जी हां। सम्बन्धित सूचना विभागीय पोर्टल food.raj.nic.in/docs/vsq-90.pdf पर उपलब्ध है।

(आदेश पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना में पुस्तकालय खोलने की कार्ययोजना

77. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के किसी भी कस्बे में सरकारी पुस्तकालय नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है? क्या सरकार उक्त कस्बे में पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के काफी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक भर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा स्थापित एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित दो राजकीय सार्वजनिक पंचायत समिति पुस्तकालय क्रमश: मनोहरथाना एवं अकलेरा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित हैं।

(2) माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ में 07 माध्यमिक एवं 67 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, उक्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा विभागीय पदोन्नति से पात्र आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। इसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा माह अगस्त, 2020 में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2020 का आयोजन करवाया जाना है। तत्पश्चात् सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही की जाकर उपलब्ध नवचयनित शिक्षकों को आवश्यकतानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति दिया जाना सम्भव है। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग से पदोन्नति/ आरपीएससी से नवचयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मावली उप खण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण

55. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या मावली उप खण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है?

(2) सरकार उक्त भवन का निर्माण कब तक शुरू करने का विचार रखती है? कार्य योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मावली उप खण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वर्तमान में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गयी है।

(2) भविष्य में प्रशासनिक भवनों के निर्माण कार्य हेतु बजट प्राप्त होने पर सभी जिला/यूनिटों की मांग के अनुसार आनुपातिक आधार पर बजट आबंटन किया जाएगा।

बारां जिले में कृषि मंडियों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण

56. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की विभिन्न कृषि उपज मंडियों के अन्तर्गत कई गांव अब तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में उक्त जिले में कृषि उपज मंडियों के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास ऐसे गांवों में सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव लम्बित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत 5 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए कितना बजट स्वीकृत किया? उसमें से कितना खर्च हुआ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बारां जिले की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के अन्तर्गत कई गांव अभी तक सडकों से नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में बारां जिले में कृषि उपज मंडियों के अन्तर्गत 238 सड़कों का निर्माण कराया गया। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। कृषि विपणन निदेशालय के पास बारां जिले से सम्बन्धित किसी सड़क निर्माण का प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(4) विगत 5 वर्षों में सड़कों के निर्माण के लिए राशि रुपये 69878.29 लाख का बजट (प्रशासनिक स्वीकृति) स्वीकृत किया गया, इसके विरुद्ध राशि रु. 51901.59 लाख का खर्च (व्यय) किया गया। जिसका जिलेवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। कृषि उपज मंडी समितियों को नेटवर्क से जोड़कर एक राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार की ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना संचालित है। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना को दिनांक 14.04.2016 से कृषि उपज मंडी समिति रामगंजमंडी से प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राज्य की 25 कृषि उपज मंडी समितियां ई-नाम योजना से जुडी हुई हैं। इसके अतिरिक्त 119 कृषि उपज मंडी समितियों में भी ई-नाम योजना शीघ्र संचालित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में हथियारों के लाइसेंस

57. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में अवैध हथियार के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत एक वर्ष में कुल कितने वैध हथियार के लाइसेंस बनाये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अवैध हथियार के साथ पकड़े गये लोग पूर्व में भी उक्त में लिप्त रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत एक वर्ष में अवैध हथियारों के दर्ज किये गये प्रकरणों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में गत एक वर्ष में वैध हथियार के लिए जारी किये गये लाइसेंस का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन जिलों में अवैध हथियार के साथ पकड़े गये लोग पूर्व में भी लिप्त रहें हैं उनकी नामजद सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

रामगंजमण्डी में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने की योजना

58. श्री मदन दिलावर (रामगंजमण्डी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विगत एक वर्ष में इसके लिए क्या-क्या कार्य किये गये और उससे सिंचित क्षेत्र का कितना रकबा बढ़ा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार आगामी वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने हेतु कितनी-कितनी लागत के प्रस्ताव तैयार कर क्रियान्वित करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए तकली मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। गत एक वर्ष के दौरान बायीं ओर के कमांड क्षेत्र के लिए इन्टेक वैल और पाइप लाइन नेटवर्क तथा दायीं ओर के कमांड क्षेत्र के लिए डिग्गियों के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर 7800 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित है।

(2) रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिए जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 13 कार्य डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत राशि रुपये 1095.88 लाख के प्रस्तावित किये गये हैं, जिनकी स्वीकृति उपरांत

(जल संसाधन मंत्री)

पूर्ण होने पर निकटतम क्षेत्र में लगभग 400 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा (अप्रत्यक्ष) का सृजन होगा। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर, गलवा व मोती सागर बांधों और नहरों का रख-रखाव

59. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा, जिला टोंक में स्थित बीसलपुर बांध, गलवा बांध एवं मोती सागर बांध के एवं उक्त बांधों की नहरों के विकास रख-रखाव एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों बांधों के विकास, रखरखाव, जीर्णोद्धार में कितनी-कितनी राशि के कार्य किस संवेदक के माध्यम से करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा, जिला टोंक में स्थित बीसलपुर, गलवा व मोतीसागर बांध एवं इनकी नहरों के रख-रखाव/जीर्णोद्धार हेतु विगत 5 वर्षों में किये गये व्यय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त तीनों बांधों के विकास, रख-रखाव, जीर्णोद्धार में संवेदकों के माध्यम से करवाये गये कार्यों का राशि सहित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार

60. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों को प्रतिवर्ष कितने दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत पांच वर्षों

(श्रीमती इन्द्रा)

में किन-किन गांवों में कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया और कितनी राशि व्यय की गयी? वर्षवार व ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में पक्के निर्माण कार्य कराये जाने पर प्रतिबंध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में बदलाव करने की अभिशंसा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जाबकार्डधारी परिवार को प्रतिवर्ष 100 अकुशल मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत पांच वर्षों में श्रमिकों को वर्षवार व ग्राम पंचायतवार उपलब्ध कराये गये रोजगार एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पक्के निर्माण कार्य कराये जाने भी अनुमत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द में जैव ईंधन मिशन के तहत विनिर्दिष्ट कार्य

61. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैव ईंधन मिशन की स्थापना कब की गयी? वर्तमान में मिशन के अध्यक्ष एवं सचिव कौन हैं?

(2) वर्तमान एवं विगत वित्त वर्ष में मिशन की बैठकें कब-कब हुई एवं बैठकों में क्या निर्णय लिए गये? यदि बैठक नहीं हुई तो क्यों?

(3) वर्तमान एवं विगत वर्ष में जैव ईंधन उत्पादन के लिये प्रदेश के उदयपुर संभाग में एवं राजसमन्द जिले में क्या विनिर्दिष्ट कार्य किये गये एवं उन पर वास्तविक व्यय क्या हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैव ईंधन मिशन की स्थापना दिनांक 14.09.2005 को की गयी थी। जैव ईंधन मिशन की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बायो-

(पंचायती राज मंत्री)

फ्यूल प्राधिकरण का गठन किया जाकर मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में बायो-फ्यूल प्राधिकरण की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन दिनांक 29.09.2007 को किया गया था। वर्तमान में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष उप मुख्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं सदस्य सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, बायो-फ्यूल प्राधिकरण पदेन संयुक्त शासन सचिव हैं (परिशिष्ट "1")।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-2020 में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 18.11.2019 को तय हुई थी जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया। विगत वित्तीय वर्ष में इस समिति की बैठक दिनांक 30.07.2018 को आयोजित की गई थी। बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न है (परिशिष्ट "2")।

(3) वर्तमान एवं विगत वर्ष में जैव ईंधन के उत्पादन के लिये उदयपुर सम्भाग में कुल 11.25 लाख एवं राजसमन्द जिले में 0.15 लाख रतनजोत के पौधों का पौधारोपण किया गया है, जिस पर रु. 34.20 लाख व्यय किये गये।

लगाये गये पौधों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :—

चित्तौड़गढ़ - 1.32 लाख

डूंगरपुर - 0.50 लाख

राजसमन्द - 0.15 लाख

प्रतापगढ़ - 9.28 लाख

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा व सांचौर में विकास अधिकारी के रिक्त पद

62. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जालौर जिले की किस–किस पंचायत समिति में अधिकारियों व कर्मचारियों के कौन-कौनसे कितने–कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं सांचौर में विकास अधिकारी (ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी) के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जालौर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायत समितिवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है।

पंचायत समिति	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
जालौर	119	65	54
आहौर	161	89	72
सायला	157	71	86
भीनमाल	143	74	69
रानीवाडा	132	50	82
सांचौर	146	79	67
जसवन्तपुरा	122	55	70
चितलवाना	125	55	70

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति रानीवाड़ा में विकास अधिकारी का पद दिनांक 18.2.2019 से एवं पंचायत समिति सांचौर में विकास अधिकारी का पद दिनांक 10.3.2019 से रिक्त चल रहा है। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के रिक्त 47 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरने हेतु अर्थना कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्तानुसार अधिकारी उपलब्ध होने पर ही राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अन्तर्गत विकास अधिकारियों के रिक्त समस्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में सड़कों के लम्बित प्रस्ताव

63. **श्रीमती मीना कंवर** (शेरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सरकार द्वारा 2018 से 25 जनवरी, 2020 तक किन-किन सड़कों के प्रस्ताव कब-कब, कितनी-कितनी राशि के सरकार को भेजे गये और उनमें से किन-किन कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(2) उक्त कार्यों में से कौन-कौनसे कार्य वर्तमान में किन कारणों से अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किन-किन सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2018 से अब तक भेजे गये सड़क कार्यों के प्रस्तावों से सम्बन्धित विवरण एवं भेजे गये प्रस्तावों में से प्राप्त स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट "1" पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों में से वर्तमान में अपूर्ण कार्यों का विवरण मय कारण सहित परिशिष्ट "2" पर प्रस्तुत है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है। इन कार्यों के लिए स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत आमेर में सड़कों का निर्माण

64. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री सड़क योजनान्तर्गत प्रदेश के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर के गांवों को उक्त योजनान्तर्गत पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितनी जनसंख्या तक के गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक आबादी तथा मरुस्थल व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक आबादी की एकल बसावटों व 500 मीटर परिधि के अन्दर आने वाली समूह बसावटों की उपरोक्त आबादी अनुसार डामर सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उक्त प्रावधान के अनुसार विधान सभा क्षेत्र आमेर के 500 व उससे अधिक आबादी के सभी बसावट/गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कुल 192 गांवों में से 185 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। गांवों की जनसंख्या सहित विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

वर्तमान में 7 गांव डामर सड़क से वंचित हैं। गांवों की जनसंख्या सहित विवरण परिशिष्ट "2" पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डिस्कॉम द्वारा बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव

65. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डिस्कॉम के नये प्रस्ताव अनुसार बिजली की नयी दरें बढ़ाने का अधिकार विभाग को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कब एवं अब तक इस पर विभाग ने क्या निर्णय लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डिस्कॉम ने पूर्व निर्धारित दर व प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या निर्णय लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बिजली की नई दरों से सम्बन्धित टैरिफ आदेश-2020 राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 06.02.2020 को जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार विद्युत की नई दरें 1 फरवरी, 2020 से प्रभावी होंगी। डिस्कॉम्स को नई दरें लागू करने का अधिकार 6 फरवरी, 2020 को प्राप्त हो गया है, जिसको विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (06.02.2020) अनुमोदित विद्युत दरों को विद्युत वितरण निगमों द्वारा लागू किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

फलौदी में संचालित जलप्रदाय योजनाएं

66. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पब्बाराम)

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित जलप्रदाय योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या सभी गांवों एवं ढाणियों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल सुविधा से वंचित गांवों एवं ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेयजल सुविधाओं से वंचित गांवों, ढाणियों एवं आबादियों को पेयजल उपलब्ध करवाने की कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं तथा किस स्तर पर विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल सम्मिलित 310 आबाद ग्रामों में से 5 ग्राम पाइप्ड जल योजना, 150 ग्राम क्षेत्रीय जल योजना, 97 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना तथा 30 ग्राम पाइप लाइन विस्तार जल योजना, इस प्रकार कुल 282 ग्राम वर्तमान में लाभान्वित हैं। विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए उक्त 282 ग्रामों में भू-जल एवं नहरी जल आधारित योजनाओं से पेयजल उपलब्धतानुसार की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

उक्त क्षेत्र के शेष 28 ग्राम विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जुड़े हुए नहीं हैं तथा इन ग्रामों में स्थानीय टांकों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम तथा पेयजल योजनाओं से वर्तमान में नहीं जुड़े हुए (अलाभान्वित) ग्रामों सम्बन्धी विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार उक्त क्षेत्र की कुल 866 चिन्हित ढाणियों में से 623 ढाणियों में भू-जल एवं नहरी जल आधारित योजनाओं से पेयजल उपलब्धतानुसार की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

उक्त क्षेत्र की शेष 243 ढाणियां विभागीय पेयजल योजनाओं से वर्तमान में जुड़ी हुई नहीं हैं तथा इन ढाणियों में स्थानीय टांकों से पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ढाणियां तथा पेयजल योजनाओं से वर्तमान में नहीं जुड़ी हुई (अलाभान्वित) ढाणियों सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं से वर्तमान में अलाभान्वित ग्रामों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" एवं "ब" तथा अलाभान्वित ढाणियों सम्बन्धी विवरण क्रमशः "स" एवं "द" में निहित है।

(3) (क) विधान सभा क्षेत्र फलौदी के विभागीय पेयजल योजनाओं से वंचित उक्त 28 ग्रामों में से 2 ग्राम तथा 243 ढाणियों में से 10 ढाणियों की भू-जल आधारित पृथक-पृथक योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाकर इनके कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। ग्राम एवं ढाणियों की ये प्रगतिरत योजनाएं चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2020 तक पूर्ण करनी अपेक्षित हैं। योजनावार स्वीकृति विवरण क्रमशः परिशिष्ट "य" एवं परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(ख) केन्द्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल सम्बन्ध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना लक्षित है। इस क्रम में राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी (एस.एल.एस.सी.सी.) की दिनांक 26.12.2019 को आयोजित 19वीं बैठक में उक्त क्षेत्र की वर्ष 2016 में पूर्ण की गई क्षेत्रीय जल योजना, कानसिंह की सिड-खिदरत-मण्डोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 37.52 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है। स्वीकृति अनुरूप डी.पी.आर. तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस स्वीकृति में विधान सभा क्षेत्र फलौदी के उक्तानुसार वर्तमान में अलाभान्वित रहे 26 ग्राम एवं 233 ढाणियों में से 4 ग्राम एवं 57 ढाणियों को सम्मिलित किया गया है।

(4) जी हां। उपरोक्तानुसार डी.पी.आर. तैयार होने पर सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण में इसके सही पाये जाने के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उक्तानुसार क्षेत्र के शेष रहने वाले 22 ग्राम एवं 176 ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाएं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनायी जाकर प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उपलब्धता के आधार पर इनकी स्वीकृतियां आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में घरेलू कनेक्शन के लम्बित आवेदन

67. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं उक्त लम्बित आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी पंचायतों को दीनदयाल विद्युतीकरण योजनान्तर्गत जोड़ा गया है? कितनी पंचायतों में कार्य अभी तक अपूर्ण हैं? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सौभाग्य विद्युतीकरण की योजना कब शुरू की गयी है? उक्त योजना में अब तक कितने कनेक्शन जारी किये गये? सरकार शेष रहे कनेक्शनों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में 260 घरेलू श्रेणी के विद्युत कनेक्शन लम्बित हैं जिन्हें सामान उपलब्ध करा दिया गया है तथा फरवरी, 2020 तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे।

(2) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में कुल 40 पंचायतों का विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत किया गया एवं वर्तमान में उक्त योजना में किसी भी पंचायत का कार्य लम्बित नहीं है।

(3) विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना दिनांक 11.10.17 को प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 5,55,962 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। नागौर जिले में 24902 विद्युत कनेक्शन जारी किये गये जिनमें से डेगाना विधान सभा क्षेत्र में 3697 कनेक्शन जारी किये गये हैं। सभी चयनित पात्र आवासों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

झुंझुनूं शहर में RUIDP के तहत पेयजल से सम्बन्धित कार्य

68. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं शहर में RUIDP के अंतर्गत पेयजल पाइप लाइन डालने एवं अन्य पेयजल व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य संचालित किया जा रहा है यदि हां, तो उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? योजना में सम्मिलित कितने कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत कितने उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं तथा कितनों को दिये जाने शेष हैं और योजना का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। झुंझुनूं शहर में आरयूआईडीपी तृतीय चरण के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन डालने एवं अन्य पेयजल व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य संचालित किये जा रहे हैं। इस पेयजल एवं सीवरेज परियोजना कार्य का आबंटन कार्य आदेश दिनांक 26.12.2016 द्वारा राशि रुपये 237.50 करोड़ (मय संचालन एवं संधारण) का दिया गया था, जिस पर अब तक रुपये 148.51 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। वर्तमान में पेयजल की कुल पाइप लाइन 484 किमी. में से 477 किमी पाइप लाइन डाली जा चुकी है। कुल 06 पम्प हाउसों में से 03 पम्प हाउस पूर्ण हो चुके हैं, शेष 03 पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर है। 01 उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड, खेतड़ी महल एवं इस्लाम नगर पम्प हाउस की भूमि आबंटन में देरी होने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है, शेष 07 किमी. पाइप लाइन डालने का कार्य प्रगति पर है।

(2) उक्त योजना के तहत कुल कनेक्शन 18500 हैं, जिनमें से 16700 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष 1800 कनेक्शनों का कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

कोटा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने की योजना

69. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में किन-किन स्थानों पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कब से कार्य कर रहे हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(2) क्या कोटा शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब व किस योजना के तहत? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोटा शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगने में विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा शहर में प्रतिदिन कितना कचरा उठ रहा है तथा इस कचरे का निस्तारण किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में किसी भी जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कार्यरत नहीं है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हेतु जयपुर तथा जोधपुर में (Ms. JITF Pvt. Ltd.) टेण्डर किये जाकर कार्यादेश दिया जा चुका है तथा लीज डीड प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। कोटा जिले में वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016 से प्रस्तावित है।

(3) वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना हेतु प्रथम बार टेण्डर 21.04.2016 को किये गये, जिसमें फर्म को कचरे की मात्रा मे संदेह होने के कारण अनुबंध नहीं हो सका। द्वितीय बार निविदा 27.07.2017 को जारी की गयी। जिसमें कोई भी फर्म Responsive नहीं पायी गयी। तीसरी बार निविदा 15.11.2017 को की गयी, जिसमें फर्म से नेगोशिएशन के पश्चात भी दरें उचित प्रतीत नहीं होने के कारण चौथी बार निविदा 28.11.2018 को जारी की गई, इसमें किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिया गया।

(4) कोटा शहर में प्रतिदिन लगभग औसतन 350 टन कचरा उठवाया जाकर नानता ट्रेचिंग ग्राउण्ड तहसील लाडपुरा पहुंचाया जा रहा है। ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर कचरे को समतलीकरण भी करवाया जा रहा है।

मनोहरथाना (झालावाड़) में जल दुर्ग का सौन्दर्यीकरण

70. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कस्बा मनोहरथाना में जिले का दूसरा जल दुर्ग है, जो परवन नदी व कालीसिंध के संगम पर बना है?

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(2) क्या सरकार उक्त दुर्ग के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन दृष्टि से बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कस्बा मनोहरथाना में स्थित यह किला परवन नदी व कालीसिंध नदी से घिरा हुआ है।

(2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

अजमेर के कल्याणीपुरा गांव में सरकारी खाते में दर्ज भूमि

71. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर के कल्याणीपुरा गांव में सैटलमेंट के समय कितनी भूमि सरकारी खाते में दर्ज थी? रकबा व खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी भूमि को भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से बेचा जाकर आवासीय कालोनियां बसायी जा रही हैं?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध बसायी जाने वाली कालोनियों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड अनुसार वर्किंग जमाबन्दी (सम्वत 2041) में अजमेर शहर के ग्राम कल्याणीपुरा की कुल रकबा 401-18-00 बीघा भूमि सिवायचक अंकित थी। सैटलमेंट के दौरान (वर्ष 1984 से वर्ष 2008) वर्किंग जमाबन्दी लागू थी एवं इस दौरान दिनांक 20-03-2004 को ही उक्त भूमि को तत्कालीन नगर सुधार न्यास अजमेर को हस्तान्तरित कर दिया गया था। वर्तमान में उक्त भूमियां अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्किंग जमाबन्दी अनुसार ग्राम कल्याणीपुरा में सैटलमेंट के समय सरकारी भूमियां तत्समय ही नगर सुधार न्यास अजमेर (वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम) दर्ज थी।

(राजस्व मंत्री)

अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित भूमियां प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज हैं, जिनके बैचान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अवैध कालोनियों की जानकारी होने पर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। ग्राम कल्याणीपुरा में प्राधिकरण की स्वामित्व की भूमियों पर हस्तान्तरण से पूर्व से ही मकानात आदि बनकर शहरी आबादी बसी हुई है। नवीन अतिक्रमण पाये जाने पर नियमानुसार प्राधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई पश्चात बेदखली कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महवा में संचालित निजी व राजकीय विद्यालय

72. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा में किस-किस प्रकार के कितने-कितने निजी एवं राजकीय विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कुल कितने छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा में 233 विद्यालय राजकीय एवं 179 निजी विद्यालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के 412 विद्यालयों में से प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयवार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सूची परिशिष्ट "अ" एवं माध्यमिक शिक्षा की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीडूंगरगढ़ महाविद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पद

73. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री गिरधारीलाल)

(1) श्रीडूंगरगढ़ महाविद्यालय में प्राध्यापकों व अन्य कार्मिकों के कितने पद सृजित हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों में से कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार श्रीडूंगरगढ़ महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन.एस.एस. और स्काउट प्रशिक्षण प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ में सृजित पदों का विवरण परिशिष्ट “1” व “2” पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालय में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट “1” व “2” पर संलग्न है।

(3) जी हां। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(4) राजकीय महाविद्यालय, श्रीडूंगरगढ़ में एन.एस.एस. की एक इकाई आबंटित है तथा उक्त महाविद्यालय एन.सी.सी. आबंटन की प्रतीक्षा सूची "ए" के क्रम संख्या 03 पर है। प्रतीक्षा सूची के अनुसार एन.सी.सी. आबंटित हो सकेगी।

उक्त महाविद्यालय में स्काउट प्रशिक्षण छात्र-छात्राओं की मांग/ आवश्यकता अनुसार प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बर्डोद ग्राम पंचायत (बहरोड़) का नगरपालिका में क्रमोन्नयन

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में, बर्डोद एक पुरानी और बड़ी ग्राम पंचायत है। बर्डोद उस क्षेत्र का मुख्य और बड़ा ग्राम है। जिसकी आबादी लगभग 30 हजार है तथा यह अच्छा व्यापारिक केन्द्र है, मण्डी लगती है और आस-पास के कई गांवों के लोग वहां पर व्यापार करने तथा अन्य कामों से आते रहते हैं।

बर्डोद में बहुत पुराना सरकारी विद्यालय संचालित हैं तथा ऐतिहासिक रूप से बर्डोद का महत्व रहा है। बर्डोद में बहु त वर्षों पूर्व से संचालित हास्पिटल है जिसकी शुरुआत भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 2 अप्रैल, 1955 को की गयी थी। बर्डोद में बड़ी-बड़ी पुरानी हवेलियां, किला, धर्मशालाएं, ऐतिहासिक पौराणिक स्थल, प्रसिद्ध हनुमान जी, गोगाजी, पाबूजी महाराज, माताजी का प्रसिद्ध मन्दिर होने तथा व्यापारिक केन्द्र होने से आस-पास के गांवों के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इन्हीं कारणों से बडौद ग्राम की जनता की पिछले काफी समय से मांग रही है कि इस ग्राम पंचायत को नगरपालिका घोषित किया जाए। यहां यह भी निवेदन है कि वहां पर बड़ौद के भामाशाहों ने ही बडौद के विकास हेतु देश की आजादी से पहले एवं उसके बाद स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाओं, मन्दिरों, कुए बावड़ी-तालाबों का निर्माण कराया, मण्डी विकसित की और बड़ौद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक सरकारों द्वारा बर्डोद की उपेक्षा करने से बड़ौद उस दृष्टि से विकसित नहीं हो पाया जबकि बड़ौद के महत्व को देखते हु ए अगर सरकार भी बराबर सहयोग करती तो बर्डोद आज तहसील मुख्यालय के रूप में विकसित हो चुका होता।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की बर्डोद ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की इस बजट में घोषणा कर जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरी करने की कृपा करें।

बलजीत यादव

(बहरोड़)

शाहजहांपुर (मुण्डावर) से बोंद का सड़क कार्य

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय राजधानी के समीप मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर, जिला अलवर में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शाहजहापुर से बोंद के मार्ग में आने वाले अनेकों गांवों के ग्रामवासियों को आवागमन में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 20 किलोमीटर लम्बे सड़क मार्ग के निर्माण/पुर्ननिर्माण हेतु 28 करोड़ रुपये की स्वीकृति एन.सी.आर. योजना के तहत जारी की गयी थी। किन्तु केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के उपरान्त भी, आज दिनांक तक इस सड़क का निर्माण प्रारम्भ होने के पश्चात आज 2 वर्ष के उपरान्त भी इसे पूर्ण नहीं करवाया जा सका है, जिसके कारण से ग्रामवासियों को आवागमन में भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त समस्या का अतिशीध समाधान करवाने की कृपा करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मंजीत धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी की जांच व कार्यवाही

निवेदन है कि मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी से मजदूरों के हितों को दबाया जा रहा है। आस-पास के क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

कैमिकल युक्त पानी के कारण आस-पास के किसानों के कई खेत बंजर हो रहे हैं। फसलें नष्ट हो रही हैं और आस-पास के पशु भी इसकी चपेट में आने से बीमार होकर मर रहे हैं। पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। पूर्व में भी मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी की जांच के लिये मैंने पर्यावरण कमेटी को अवगत कराया था। लेकिन इसकी न तो कोई जांच की गयी और कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। यह मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी घनी आबादी क्षेत्र में है। इसके 100 फुट के पास ट्रोमा सेंटर हास्पिटल है। आये दिन इस फैक्टरी के धुएं से बीमार लोगों की मौतें हो रही हैं। मॉडर्न इंसुलेटर फैक्टरी में मजदूरों के हितों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी के आस-पास कई गांव आते हैं। लोगों के इलाज के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जाती हैं। इस

फैक्टरी से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से पहले भी लोग कोर्ट में गये थे।

अतः राज्य सरकार मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड फैक्टरी की जांच करवाये और पर्यावरण नियमों की जो धज्जियां उड़ायी जा रही हैं इसकी सरकार की ओर से जांच बिठाकर मैं कार्यवाही की मांग करता हूं।

समाराम गरासिया

(पिण्डवाड़ा-आबू)

बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर के राजकीय छात्रावासों में सुधार कार्य

माननीय सभापति महोदय, सादर निवेदन है कि कस्बा नगरपालिका बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावास है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की स्थिति दयनीय एवं बदतर है क्योंकि इसमें भवन जो जर्जर, शौचालय व पेयजल हेतु टांका भी क्षतिग्रस्त है, साथ ही पर्याप्त फर्नीचर एवं राशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है और बिजली की फिटिंग भी उखड़ी पड़ी है सोलर लाइटों की कमी है एवं लाईब्रेरी नहीं है। इन छात्रावासों में अधिक आवेदन आने के कारण छात्रों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। छात्रावासों की चारदिवारी कीई उंचाई भी कम है, खेल मैदान का अभाव भी है। डा. राजकीय भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बिलाड़ा भी दूसरी जगह पर, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिलाड़ा में संचालित हो रहा है। साथ ही राजकीय भीमराव अम्बेडकर छात्रावास नागौरी गेट, जोधपुर, जो कि वर्तमान में कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 11वीं-ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर के कार्यालय भवन के आधे परिसर में संचालित हो रहा है। भूमि का नाप 1720 वर्गमीटर है। आवासन मण्डल द्वारा अपने पत्रांक 2206, दिनांक 07.01.2013 के द्वारा भूमि कब्जा स्थानान्तरण किया गया है। जो कुड़ी भगतासनी, हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर में स्थित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा 227.42 लाख का तकमीना बनाकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जयपुर को भिजवाया गया, जिसका आज दिनांक तक बजट प्राप्त नहीं हुआ।

अतः सभापति महोदय ऐसे हालात में रहकर एक छात्र अपनी पढ़ाई

कैसे कर पाएगा। अत: आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर गौर किया जाए।

हीराराम

(बिलाड़ा)

माहासन ग्राम (रेवदर) में स्वीकृत जी.एस.एस. का कार्य

निवेदन है कि पंचायत समिति रेवदर के ग्राम पंचायत बांट के ग्राम माटासन में 2018 में स्वीकृत जी.एस.एस. को चालू करवाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि 3 वर्ष पूर्व में स्वीकृत किया था परन्तु विभाग द्वारा किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया और राजस्व विभाग द्वारा जमीन आबंटित नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी व सरकार की जानकारी में किसानों के हित की बात लाना चाहूंगा कि वर्तमान में काश्तकारों को बिजली की सही व्यवस्था नहीं होती है, बार-बार ट्रिपिंग होती है व मात्र 3 से 4 घण्टे कटौती में बिजली मिलती है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसानों के प्रति नकारा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री की जानकारी में लाना चाहूंगा कि माटासन जुजापरा व आसपास के क्षेत्रों के सम्पूर्ण किसानों के लिये जालौर से बिजली लानी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा उप खण्ड अधिकारी, रेवदर को भूमि आबंटन हेतु कई बार जानकारी में लाया गया, परन्तु आज दिन तक माटासन जी.एस.एस. के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि उन लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही कराएं व माटासन जी.एस.एस. स्वीकृत कर चालू कराएं।

जगसी राम

(रेवदर)

टोडारायसिंह (मालपुरा) के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला प्रधानाचार्य का पदस्थापन

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह में प्रधानाचार्य के पद पर पुरुष प्रधानाचार्य पदस्थापित किया गया है, जबकि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्ण

रूप से महिला स्टाफ का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिस पर कम से कम प्रधानाचार्य तो महिला ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में कार्यरत महिला स्टाफ एवं बालिकाओं की समस्याओं को केवल महिला प्रधानाचार्य ही समझ सकती है। संकोच और शर्म के कारण वे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं एक पुरुष प्रधानाचार्य को कभी भी नहीं बता सकतीं। विद्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों को अपेक्षित सहयोग नही मिल पाता और वे अपने आपको एकांकी अनुभव करती हैं। इसके अलावा अध्ययन एवं अध्यापन सम्बन्धी भी अनेको परेशानियो होती हैं, जिन्हें केवल महिला प्रधानाचार्य ही प्रभावी तरीके से हल कर सकती है। उप खण्ड टोडारायसिंह में संचालित राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास भी इस विद्यालय के अधीन ही आता है जो पूर्णरूपेण आवासीय है। इस छात्रावास का सम्पूर्ण प्रवन्धन उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाता है। यदि पुरुष प्रधानाचार्य होता है तो उपरोक्त दोनों संस्थानों में पुरुषों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे बालिकाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और वांछनीय तत्वों के कारण विद्यालय का वातावरण दूषित होता है। इसके साथ-साथ बालिका छात्रावास में भी पुरुष प्रधानाचार्य के नाम से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का भी आना-जाना रहेगा, जिससे बालिकाओं की सुरक्षा एक चिन्ता का विषय है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडारायसिंह में कार्यरत पुरुष प्रधानाचार्य को तुरन्त बदलकर महिला प्रधानाचार्य का पदस्थापन करने की कृपा करें। ताकि बालिकाओं और महिला कार्मिकों में असुरक्षात्मक भावना समाप्त हो सके और अध्ययन एवं अध्यापन कार्य निर्बाध रूप से पूर्ण करवाया जा सके।

कन्हैयालाल
(मालपुरा)

संगरिया नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी करने में मनमानी

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की नगरपालिका संगरिया के सर्वश्री केवलकृष्ण पुत्र श्री हरबंसलाल (तीन पट्टे), रानी पत्नी श्री इन्द्राज, माया कड़वासरा पत्नी श्री कमलजीत, तपेश राहड़ पुत्र श्री बंशीलाल, राजेश कुमार पुत्र श्री विजय कुमार जगसीरसिंह पुत्र श्री नाजरसिंह (तीन पट्टे) कुल 11 भूखण्डों के पट्टे पिछले

काफी समय से नगरपालिका द्वारा जारी नहीं किये जा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा समस्त औपचारिकता पूर्ण कर दी गयी है एवं निर्धारित शुल्क भी जमा करा दिया गया है। पट्टे जारी नहीं होने की वजह से उन्हें अपने भूखण्डों का उपयोग व उपभोग करने, राज्य एवं केन्द्र सरकार व बैंकों से प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समस्त स्थानीय निकायों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने निर्धारित शुल्क जमा करा दिया हो और समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हों तो, नगरपालिका द्वारा उन्हें तुरन्त पट्टे जारी कर दिये जाएं। इसके बावजूद भी नगरपालिका संगरिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मनमानी कर उपरोक्त लोगों को पट्टे जारी नहीं किये जा रहे हैं, इससे इन लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है।

गुरदीप सिंह

(संगरिया)

माण्डलगढ़ में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा व क्षतिग्रस्त पुलियाओं व सड़कों का नवनिर्माण

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में इस वर्ष अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि के कारण से पूरे क्षेत्र की फसलें नष्ट हो गयीं।

राज्य सरकार ने अतिवृष्टि की गिरदावरी करायी उसमें सरकार ने 80 प्रतिशत खराबा माना है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। अतिवृष्टि के कारण मेरे क्षेत्र की सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं तथा मैनाली नदी में बाढ़ आने से त्रिवेणी को जोड़ने वाली सिंगोली रोड पर पुलिया क्षतिग्रस्त होकर बह गयी। अभी तक पुलिया का कुछ भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तथा माण्डलगढ़ से सिंगोली वाली पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गयी है उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ।

अतः, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाया जाए तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं व सड़कों का नवनिर्माण करवाने की कृपा करावें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

गोपाल लाल शर्मा

(माण्डलगढ़)

खेडली रेल, सोखर ग्राम पंचायतों व प्रीतमपुरा ग्राम का खेड़ली नगरपालिका में सम्मिलन

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर, जिला अलवर में नगरपालिका क्षेत्र खेड़लीगंज है, जो कि बहुत पुरानी नगरपालिका है। इसमें वर्तमान में 25 वार्ड हैं व करीब 25 हजार की जनसंख्या है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली के पास ग्राम पंचायत सौखर है व खेड़ली रेल है। नगरपालिका क्षेत्र का कोई अलग से राजस्व इलाका नहीं है। पूरा नगरपालिका क्षेत्र ग्राम सोखर के नाम से है। एक ही राजस्व ग्राम सोखर व खेड़ली गंज नगरपालिका अलग-अलग बने हुए हैं। सोखर ग्राम पंचायत व ग्राम प्रीतमपुरा के बीच मात्र 20 फीट चौड़ी सड़क है तथा प्रीतमपुरा खेड़ली में मिला हुआ है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत खेड़ली रेल व नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली गंज के बीच मात्र रेल लाइन है। दोनों क्षेत्र रेल लाइन के दोनों ओर बसे हैं। दोनों ग्राम पंचायतें खेड़ली रेल व सोखर अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र है, जहां इनका सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।

अतः मेरा राज्य सरकार व स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों ग्राम पंचायतें खेडली रेल व सोखर, प्रीतमपुरा सहित इलाके को नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली में शामिल करने की शीघ्र व्यवस्था कराएं। अभी नगरपालिका चुनाव में 8 माह शेष हैं, तब तक सम्पूर्ण कार्यवाही कर ली जाएगी। क्षेत्र के विकास को मद्देनजर रखते हुए खेड़ली रेल पंचायत व सोखर ग्राम पंचायत व प्रीतमपुरा ग्राम को नगरपालिका खेड़ली में शामिल करने की कार्यवाही की जाए अगस्त, 2020 का चुनाव जो नगरपालिका का होगा, इन ग्रामों को शामिल करके होना चाहिए। ऐसी सरकार से कामना करता हूं।

बाबूलाल

(कठूमर)

गढ़ी के गांवों में सूखती फसलों हेतु जल व्यवस्था

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा गढ़ी, जिला बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र जो कि अधिकतम सिंचाई कृषि के लिए माही की नहरों से पानी संचालित होता है। माही विभाग द्वारा किसानों को नवम्बर से जल प्रवाह हो रहा है, पहली बार में नहर का पानी किसानों को दिया गया और किसानों ने विभाग पर भरोसा कर महंगे खाद-बीज की बुवाई कर दी। कुछ

नहरों में एक बार फसल को पानी मिला एवं कुछ नहरों में दो बार पानी दिया गया है, जबकि अब तक गेहूँ की फसल के लिए तीन पानी आवश्यक था, ही परन्तु माही विभाग के अधिकारी आफिसों में बैठकर पानी चलाने की योजना बनाकर चल रहे हैं। किसानों के खेत व नहर पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है, जिससे किसान की फसलें सूख रही हैं। बार-बार निवेदन के पश्चात भी अधिकारी नहीं सुनते हैं। जबकि पानी पहुंचाने के लिए माही विभाग, कृषि विभाग व प्रशासन को संयुक्त प्रयास करने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं। नहरों की सफाई कार्य भी नहीं कराये गये हैं।

वर्तमान गढ़ी विधान सभा क्षेत्र 1-लसाडा, 2-पालोदा, 3-कोटडा बड़ा, 4-बरोडिया, 5-मेतवाला, 6-आसोडा 7-ओडा, 8-खोडन 9-उम्बाडा, 10-सुजाजी का गडा, 11-रोहनिया, 12-अगरपुरा, 13-मोर, 14-चौपासग, 15-सरेडी बडी, 16-सरेडी छोटी, 17-रोहिडा 18-सालिया, 19-भीमसौर, 20-खेडा, 21-नथेली, 22-साकरीया लोडदा, 29-नवागांव, 24-मडकोला, 25-परतापुर बोदीया, 26-मादलदा, 27-मोतीरा तलवाडा, 28-आंजना, 29-कुवालीया 30-मण्डेलापाडा 31-बिलोदा, 32 -कोटडा, 33-इटाउवा, 34-पादेडी, 35-सागवाडिया, 36-वजवाना, आदि ग्राम पंचायतों के किसान फसल सूखने को लेकर चिंतित हैं, पानी पहुंचाना आवश्यक है।

श्रीमान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए किसानों की फसलों को समय रहते पानी दिलाकर समाधान की आशा करता हूं।

कैलाशचन्द्र मीना

(गढ़ी)

राजस्थान के मूल निवासियों के साथ विवाहित अन्य राज्यों की ओ.बी.सी. वर्ग (मेव) की महिलाओं को जाति प्रमाण-पत्र

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन करते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि राज्य के निवासियों द्वारा राज्य से बाहर, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि की महिलाओं से शादी करने पर, ऐसी महिलाएं जो ओ.बी.सी. जाति, जिसमें मेव भी शामिल हैं, का जाति प्रमाण पत्र वहां के अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को राज्य में किसी भी लाभ के लिए मान्य नहीं किया जाता है, जिससे वह प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होने के साथ-साथ किसी भी चुनावी प्रक्रिया में उस प्रमाण-पत्र के आधार पर भाग नहीं

ले सकतीं तथा पंचायत चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा ऐसी महिलाओं को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है।

अतः ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग (मेव) की महिलाओं, जो अन्य राज्यों से राजस्थान में शादी होकर आयी हैं, को चुनाव में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देशित कर उनको समस्त लाभ दिलवाने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

धन्यवाद।

जाहिदा खान

(कामां)

अलवर में अमृत जलम योजना के तहत नल कनेक्शन

आग्रह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की अलवर शहर विधान सभा से जुड़ी एक अहम समस्या की और मैं राजस्थान सरकार व माननीय जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर शहर में कृषि भूमि में विकसित और नगर विकास न्यास की और से नियमित की गयी 44 कालोनियों में जलदाय विभाग की और से पानी सप्लाई के लिए बनाई गयी ''अमृत जलम योजना'' अधरझूल में अटकी हुई है। वर्ष 2016 में उक्त योजना स्वीकृत हुई थी। योजना पर मार्च 2017 में कार्य भी शुरु हो गया एवं अप्रैल 2019 में 90.62 करोड रुपये की इस योजना को पूरा करना था। योजना के तहत अप्रैल 2019 तक शहर की 44 कालोनियों में पानी की सप्लाई शुरू करनी थी। अब हालत यह है कि इस साल के जनवरी अन्तिम दिन तक योजना के तहत मात्र एक कालोनी, मालवीय नगर कृषि क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरु हुई और वहां भी 215 कनेक्शन ही जारी किये गये। अमृत जलम योजना के तहत शहर की सभी 44 कालोनियों में 12500 कनेक्शन दिये जाने थे। अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी के कारण योजना का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इन कालोनियों के लोग घरों में नल के पानी का इंतजार ही कर रहे हैं। विभाग द्वारा इन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी कहते हैं कि योजना के तहत सभी निर्माण कार्य एवं पाइप लाइन डालने के काम पूरे हो चुक हैं। ट्यूबवैलों व टंकियों पर बिजली के कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी की सप्लाई

शुरु नहीं हो पा रही है। श्रीमान ''अमृत जलम योजना'' शुरू करने में अधिकारी प्रारम्भ से ही, जनता को गुमराह करते रहे, लोगों ने पानी कनेक्शन के लिए अपनी फाइलें तैयार करा रखी हैं। सारे काम पूरे कर लिये हैं। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर फाइलें जमा नहीं की जा रही हैं। अधिकारी जानते हैं कि फाइलें जमा करने के पश्चात नियमों के अनुसार कनेक्शन जारी करने होंगे।

अतः, श्रीमान मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत आमजन की पेयजल की समस्या के निवारण हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत शीघ्र से शीघ्र नल कनेक्शन जारी करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

संजय शर्मा

(अलवर)

जमवारामगढ़ के वन्य क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत, मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा सेंक्चुअरी (वन अभयारण्य) क्षेत्र में आने के कारण दिनांक 28 जनवरी, 2013 से ग्राम विठलपुर, सुरेठी बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नौपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकडी, डगोता, काणीखोर दातली, पावटा, महंगी, गुढा-हरुका नामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, रामजीसुरा, कुशलपुरा, डारोलाई चैनपुरा, नीम्बी, रायपुर, घोरेठ खरह व लोठीपुरा पावटा इत्यादि, लगभग 33 गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त (रजिस्ट्री) पर पूर्णतया तथा लगभग 50 गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर आंशिक रोक लगा दी गयी है। इस रोक के लगने के बाद आज उक्त क्षेत्र के किसान बुरी तरह से संकट में पड़ गये हैं। किसानों को जिन संस्थाओं से कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता मिलती थी, उन संस्थाओं ने कर्ज देना बंद कर दिया है। उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोग न तो किसी प्रकार का वहां निर्माण करवा सकते हैं और न ही कोई कुआ वगैरह खुदवा सकते हैं और न वहां कोई विकास कार्य करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त गांवों में रहने वाली जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। जबकि उक्त दिनांक 28 जनवरी, 2013 से वहां पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय

मुख्य मंत्री एवं माननीय वन मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य क्षेत्र में स्थित उक्त गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

गोपाल लाल मीना

(जमवारामगढ़)

अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों की भर्ती में संशोधन

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करता चाहता हूं कि-

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम संशोधन विधेयक, 2016 द्वारा धारा 29 (ए) एवं 29 (बी) नई जोड़कर सहकारी भर्ती मण्डल का गठन किया गया है। इन संशोधन के क्रम में वर्ष 2017 में जारी रूल्स में अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को शामिल करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि इन बैंकों के लिये नवीन नियुक्तियां भी सहकारी भर्ती मण्डल द्वारा की जायेगी।

आप जानते हैं कि राज्य में 35 अरबन को-आपरेटिव बैंक कार्यरत हैं तथा इनमें से अधिकतर बैंकों का कार्यक्षेत्र एक या दो जिले हैं। इस प्रकार के बैंक क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों में किसी भी प्रकार की राजकीय हिस्सा/पूंजी/सहायता राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दी गयी है। इन बैंकों का संचालन इन सहकारी बैंकों के सदस्यों द्वारा चुने जन-प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इन बैंकों पर नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान का है।

इन बैंकों के लिए रजिस्ट्रार द्वारा जारी एम्पलाइज सर्विस रूल्स जारी हैं एवं अब तक इन नियमों के अनुसार ही भर्ती की जाती है तथा चयन समिति में राजकीय अधिकारी की उपस्थिति भी अनिवार्य है। इस व्यवस्था से बैंक के कार्यक्षेत्र के स्थानीय प्रतिभागियों को ही चयन का अवसर मिलता है एवं स्थानीय निवासी की नियुक्ति बैंक व ग्राहकों दोनों के हित में है। इन बैंकों के रिक्त पद भी बहुत सीमित संख्या में होते हैं। ऐसे में भर्ती मण्डल से नियुक्ति कराने पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अव्यवहारिक हो जाती है तथा दूर प्रान्तों से चयनित व्यक्ति अधिक समय तक बैंकों में ठहरता भी नहीं है।

उपरोक्त के क्रम में निवेदन है कि फैडरेशन द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप भी अपने स्तर से राज्य सरकार को हमारा पक्ष

प्रस्तुत करें कि जब इन बैंकों में राज्य सरकार की न तो कोई राशि हिस्सा पूंजी के रूप में विनियोजित है, न ही कोई वित्तीय सहायता दी हुई है तो भर्ती मण्डल से नियुक्ति करवाना संस्थाओं की स्वायत्तता के विरुद्ध है, अतएव नियमों में संशोधन कर इन बैंकों को उन्मुक्तता दी जवे।

जोगेश्वर गर्ग

(जालौर)

सीकरी (नगर) की सहकारी समिति के घोटाले की जांच

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सहकारी समितियों में हुए घोटाले व गबन की ओर सदन का ध्यानाकर्षण कर लेख है कि भरतपुर जिले की ज्यादातर सहकारी समितियों का रिकार्ड देखने पर घोटाला और गबन जैसे प्रकरण सामान्य तौर पर देखे जा सकते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा सीकरी की सहकारी समिति में तो 15.20 करोड़ रुपये का गबन हुआ है जिसके विरुद्ध अभी तक विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि पीड़ित लोगों दवारा दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। पीड़ित लोगों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, किसान, विधवा और शहीद के परिवार वाले शामिल हैं, जो कि अब आत्महत्या करने के कगार पर आ चुके हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सहकारी समिति सीकरी में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की शीघ्रातिशीघ्र जांच कराकर, उस पर कार्यवाही करते हुए पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें।

वाजिद अली

(नगर)